ग्रामीण विकास में जनसहभागिता

(सीकर जिले की नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं के विशिष्ट सन्दर्भ में एक अध्ययन)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

की पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान) उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

सामाजिक विज्ञान संकाय

शोधकर्ताः

मामराज यादव

शोध निर्देशक

डॉ.संदीप सिंह चौहान

राजनीति विज्ञान विभाग,

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बारां, (राज.)

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

2018

C E R T I F I C A T E

I feel great pleasure in certifying that the thesis entitled**"ग्रामीण विकास में जनसहभागिता (सीकर जिले की नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं के विशिष्ट सन्दर्भ में एक अध्ययन)"**by **Mamraj Yadav** under my guidance. He/She has completed the following requirements as per Ph.D regulation of the University

(a) Course work as per the university rules.

(b) Residential requirements of the university (200 days)

(c) Regularly submitted annual progress report.

(d) Presented his work in the departmental committee.

(e) Published/accepted minimum of one research paper in a referred research journal,

I recommend the submission of thesis.

Date: **(Dr. Sandeep Singh Chauhan)**

सार (Abstract)

देश का सर्वांगीण विकास ग्रामीण विकास से ही संभव है। गाँवों के विकसित हुए बिना विकसित भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

ग्रामीण विकास स्वतत्रंता के बाद देश के लिए चूनौतीपूर्ण रहा है। योजनाओं का सुदृढ क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी बहुत प्रयास किये गये हैं।

गाँवों के विकास के इन तथ्यों को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया गया है कि व्यापक सचेतन व सक्रिय जनसहभागिता ही ग्रामीण विकास योजनाओं की सफलता का आधार बन सकती है। आजादी के बाद से लगातार अनुभव किया गया कि पंचायतीराज संस्थाएँ ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में जनसहभागिता को सुनिश्चित करने का सबल संस्थागत माध्यम सिद्ध हो सकती हैं, किन्तु विभिन्न समितियों द्वारा किये गये आकलनों ने यह स्पष्ट किया कि पंचायतीराज संस्थाएँ इस उद्देश्य की प्राप्ति में वास्तविक सीमा तक सफल नहीं हो सकी। इसलिए संविधान का 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम से पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। विकास योजनाओं में जनसहभागिता के नये स्वरूप देखने को मिले।

विकास की प्रक्रिया में जनसहभागिता को वास्तविक व मूर्त बनाने में नवीन पंचायती राज संस्थाएँ किस सीमा तक सफल रही हैं ? यह अनुभवमूलक आकलन का विषय है। प्रस्तुत शोध–प्रबन्ध इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रस्तुत अध्ययन में जनसहभागिता का सीकर जिले की नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समिति की विशिष्ट योजनाओं के संदर्भ में आकलन करने का प्रयास किया गया है।

CANDIDATE'S DECLARATION

I, hereby, certify that the work, which is being presented in the thesis, entitled "ग्रामीण विकास में जनसहभागिता (सीकर जिले की नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं के विशिष्ट सन्दर्भ में एक अध्ययन)" in partial fulfillment of the requirement for the award of the Degree of Doctor of Philosophy, carried under the supervision of Dr. Sandeep Singh Chouhan and submitted to the University of Kota, Kota represents my ideas in my own words and where others ideas or words have been included, I have adequately cited and referenced the original sources.

The work presented in this thesis has not been submitted elsewhere for the award of any other degree or diploma from any Institutions. I also declare that I have adhered to all principles of academic honesty and integrity and have not misrepresented or fabricated or falsified any idea/data/fact/source in my submission.

I understand that any violation of the above will cause for disciplinary action by the University and can also evoke penal action from the sources which have thus not been properly cited or from whom proper permission has not been taken when needed.

(Mamraj Yadav)
Date: Research Scholar

This is to certify that the above statement made by **Mamraj Yadav** (Registration No. RS/756/10) is correct to the best of my knowledge.

Dr. Sandeep Singh Chauhan
Department of Political Science
Govt.P.G.College Baran (Raj)

आभार (Acknowledgement)

अध्ययनकर्ता का यह कर्तव्य है कि वह इस शोध कार्य को शिखर तक पहुँचाने में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। जिन्होंने इस कार्य को सम्पन्न कराने में विशेष योगदान दिया है।

मेरे परम पूज्य गुरू शोध निर्देशक डॉ. संदीप सिंह चौहान अध्ययन क्षेत्र में मेरी प्रेरणा के मुख्य स्रोत रहे हैं, वे मेरे संरक्षक व आदरणीय हैं। जिन्होंने सस्नेह दार्शनिक मित्र एवं संरक्षक के रूप में मेरा मार्गदर्शन किया। मेरे व्यक्तित्त्व के निर्माण में उनका उदार सहयोग, अमूल्य सुझाव व उत्साहवर्धन मेरे लेखन पथ के सहयोगी बने। उनके प्रति श्रद्धा व कृतज्ञता मेरे लिए अभिव्यक्ति का नहीं बल्कि अनुभूति का विषय है। इस पृथ्वी पर गुरू साक्षात् ईश्वर का अवतरण है, इसलिए मेरे आदरणीय गुरू डॉ. संदीप सिंह चौहान के चरणों में मेरा बारम्बार प्रणाम है। मैं अपने जीवन में सदैव मेरे गुरू का ऋणी रहूँगा।

मेरे परम पूज्य पिताजी प्रातः स्मरणीय, स्वर्गीय श्री हनुमान यादव एवं वात्सल्य की साकार प्रतिभा, ममतामयी माँ श्रीमती सारली देवी के चरण कमलों में अपना विनम्र प्रणाम निवेदन करना चाहता हूँ जिनका अदम्य संकल्प, अटूट संघर्षशीलता व अजस्र स्नेह सदैव मेरी प्रेरणा का स्रोत रहा, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना मेरे लिए संभव ही नहीं,बल्कि शोधकार्य का सम्पन्न होना स्वयं उनकी ही अनुष्ठान की सार्थक परिणति है।

मेरे अग्रज बन्शी, भँवर, महावीर व अनुज श्रवण, शिम्भु, सुभाष, सुनिता, मनीषा, पूनम व भाभी श्रीमती बिदामी देवी, बनारसी देवी, हंसा देवी इस शैक्षणिक अध्यवसाय में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। उनके प्रति मेरी कृतज्ञता की शाब्दिक अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है।

मैं श्री धर्मवीर मीणा (विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां) एवं डॉ. राकेश वर्मा (राजनीति विज्ञान विभाग स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां) तथा मेरे परम मित्र मनोज यादव, कुलदीप यादव, जितेन्द्र

सैनी, सुमेर गुर्जर, सुरेन्द्र, राकेश, महेन्द्र, रोहिताश,सुभाष यादव, निशा चौधरी,बनवारी जाट ने मेरे शोध कार्य में योगदान दिया। इस शोध को सम्पन्न करने की स्थिति तक पहुँचाने में उनके लगातार समर्थन का ही प्रतिफल है। जो धन्यवाद के पात्र हैं।

मेरी धर्म पत्नी श्रीमती कविता यादव, पुत्री निक्की व पुत्र रॉकी ने समय–समय पर आत्मचिंतन, आत्मविश्लेषण, उत्साहवर्धन के साथ हर कदम पर साथ दिया।

पुस्तकालयाध्यक्ष डॉ. अन्ना कौशिक (कोटा विश्वविद्यालय, कोटा) ने पुस्तकालय से संबंधित सामग्री उपलब्ध करवायी जो धन्यवाद के पात्र हैं।

शोध प्रबन्ध में आंकड़ों को सारणीबद्ध व टंकण में श्री दिनेश यादव ने सहयोग प्रदान किया। इसके साथ ही कम्प्यूटर मुद्रण के लिये श्री श्रवण यादव जिन्होंने अल्प समय में कार्य शीघ्रता एवं शुद्धता से सम्पन्न किया ये साधुवाद के पात्र हैं।

सधन्यवाद

शोधार्थी

दिनांक

मामराज यादव

विषयानुक्रमणिका

क्रम सं.		अध्याय विन्न्यास	पृष्ठ सं.
1	प्रथम अध्याय		
	1.	परिचयात्मक	1
	2.	अध्ययन की प्रकृति	1
	3.	शोध के उद्देश्य	3
	4.	साहित्य समीक्षा	4
2	द्वितीय अध्याय	ग्रामीण विकास की अवधारणा एवं जनसहभागिता	14
3	तृतीय अध्याय	ग्रामीण विकास के लिए संचालित की जाने वाली महत्त्वपूर्ण योजनाओं का सामान्य सर्वेक्षण	65
4	चतुर्थ अध्याय	ग्रामीण विकास में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका : एक सर्वेक्षण	97
5	पंचम अध्याय	अध्ययन क्षेत्र की स्थिति : नीमकाथाना एवं श्रीमाधोपुर पंचायत समिति	139
6	षष्ठम अध्याय	विकास योजनाएँ व जनसहभागिता : एक अनुभवमूलक अध्ययन	179
7	सप्तम अध्याय	व्यावहारिक स्थिति व सुझाव	207
8	अष्टम अध्याय	शोध निष्कर्ष	217
		सारांश	228
		संदर्भ ग्रन्थ सूची	241
		परिशिष्ट/प्रश्नावली	250
		शोध पत्र : **(Research Paper)**	262

सारणी

क्रम सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
3.1	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा)	67
3.2	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	68
3.3	इन्दिरा आवास योजना	70
3.4	निर्मल भारत अभियान योजना	71
3.5	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	72
3.6	मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना	73
3.7	मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना	75
3.8	स्थानीय विधायक क्षेत्र विकास योजना	75
3.9	मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा वितरण योजना	76
3.10	नन्द घर योजना	77
3.11	स्वच्छ राजस्थान – स्वच्छ भारत अभियान	78
3.12	पंचायत दिवस कार्यक्रम	79
3.13	राजीविका से आजीविका	81
3.14	मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना	82
3.15	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	83
3.16	आम – आदमी बीमा योजना	84
3.17	विधवाओं, विक्लांगो के हितार्थ इन्दिरा गाँधी पेंशन योजना	85
3.18	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	86
3.19	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	88
3.20	अंत्योदय अन्न योजना	89
3.21	सरकार आपके द्वार कार्यक्रम	91
3.22	कुटीर ज्योति कार्यक्रम	92

3.23	खेतीहर मजदूर बीमा योजना अथवा कृर्षि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	93
3.24	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	94
5.1	भूगर्भिक संरचना (नीमकाथाना)	144
5.2	मिट्टयों की रासायनिक संरचना	148
5.3	भूगर्भिक संरचना (श्रीमाधोपुर)	164
5.4	मिट्टियों की रासायनिक संरचना	167
6.1	लिंग के आधार पर वर्गीकरण	181
6.2	उत्तरदाताओं का आयु वर्ग	181
6.3	उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर	182
6.4	विकास योजनाओं मे संस्थाओं की भूमिका	184
6.5	योजनाओं की क्रियान्विति की प्रमुख समस्या	185
6.6	ग्रामीण विकास योजनाओं में जनता की भागीदारी	187
6.7	विकास योजनाओं मे नौकरशाही की भूमिका	188
6.8	प्रशिक्षकों के व्यवहार से संतुष्टि	190
6.9	विकास योजनाओं के संचालन में संस्थाओ की भूमिका	191
6.10	योजनाओं से रोजगार का सृजन	193
6.11	योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली संस्था	193
6.12	विकास कार्यक्रमों से आर्थिक लाभ	195
6.13	विकास योजनाओं में कार्यों की भूमिका	195
6.14	विकास योजनाओं मे पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता	197
6.15	कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बन्धी	198
6.16	प्रशिक्षण के तरीकों पर प्रतिक्रिया	199
6.17	ग्रामीण विकास योजनाओं में जनसहभागिता	200

6.18 योजनाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप 201
6.19 योजनाओं में हस्तक्षेप 202
6.20 पिछले वर्षो की तुलना में राजनैतिक हस्तक्षेप 204

मानचित्र व आरेख

क्रम सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	सीकर जिले में नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समिति का अवस्थिति मानचित्र	142,162
2	लिंग के आधार पर वर्गीकरण	180
3	उत्तरदाताओं का आयुवर्ग	180
4	उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर	183
5	विकास योजनाओं मे संस्थाओं की भूमिका	183
6	योजनाओं की क्रियान्विति की प्रमुख समस्या	186
7	विकास योजनाओं में नौकरशाही की भूमिका	186
8	विकास योजनाओं के संचालन में संस्थाओं की भूमिका	196
9	विकास योजनाओं में कार्यों की भूमिका	196
10	योजनाओं में हस्तक्षेप	203

शब्द संक्षिप्तीकरण

MNREGA	:	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Agency
NHIS	:	National Health Insurance Scheme
SPEC	:	Single Point Electricity Connection
KSSSY	:	Krishi Sramik Samajik Surksha Yojna
ODF	:	Open Defecating Free
CDP	:	Community Development Programme
BPL	:	Below Poverty level
PMGY	:	Pradhan Mantri Gram sarak yojana
MLALAD	:	Member of Legislative Assembly Local Area Development
NGY	:	Nand Ghar Yojna
PDP	:	Panchayat Day project
LIC	:	Life Insurance Corporation
DRDA	:	District Rural Development Agency
SFDA	:	Small Farmer Development Agency
PMRY	:	Pradhan Mantri Rojgar Yojna
SCC	:	Special component scheme
NOAPS	:	National Old Age Pension Scheme
SHCS	:	Soil Health Card Scheme
NHIS	:	National Health Insurance Scheme
DPEP	:	District Primary Education Project
पृ. स.	:	पृष्ठ संख्या
क्र.स.	:	क्रम संख्या

प्रथम अध्याय

परिचयात्मक

भारत गाँवों का देश है, जिसकी आत्मा गाँवों में निवास करती है देश की कुल जनसंख्या का तीन चौथाई भाग गाँवों में निवास करता है ग्रामीण परिवेश का समग्र अध्ययन करके ही देश का वास्तविक विकास कर सकते हैं, क्योंकि गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और कृषि पर आधारित लघु व कुटीर उद्योग–धन्धे हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ मानी जाती है। देश के राष्ट्रीय उत्पादन में 40 प्रतिशत कृषि एवं इस पर आधारित उद्योगों का योगदान है, ग्रामीण परिवेश में अधिकतर ग्रामीण या तो लघु व सीमान्त कृषक हैं या फिर भूमिहीन मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं। यह एक वास्तविकता है, कि ग्रामीण आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं।[1] भारत के समग्र विकास के लक्ष्य की परिभाषा ग्रामीण विकास के संदर्भ के बिना कदापि नहीं की जा सकती इसी कारण भारत के योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ होने के बाद ही ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनायें संचालित की गई। यह महसूस किया गया कि ग्रामीण विकास से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस धारणा के फलस्वरूप ही विशिष्ट कार्यक्रम और योजनायें क्रियान्वित की गयी।[2]

अध्ययन की प्रकृति

ग्रामीण विकास योजनाओं का संचालन आजादी के बाद समग्र रूप से संचालित किया गया। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जनता की व्यापक सहभागिता हो और यह महसूस किया गया कि विकास में गाँव के लोगों की व्यापक भागीदारी हो। इनके बिना विकास की योजनाएँ सफल नहीं हो सकती हैं और न सार्थक हो सकती हैं। ग्रामीण विकास में जनसहभागिता के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास क्रियान्विति का महत्वपूर्ण यंत्र माना है तथा स्वैच्छिक संस्थाएँ भी ग्रामीण विकास की अनेक परियोजनाओं के संचालन में भागीदारी निभायी।[3] ग्रामीण क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए

भारतीय नीति निर्माताओं ने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। स्वतंत्रता से वर्तमान तक बारह पंचवर्षीय योजनाओं की सहायता से भारतीय ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि कर ग्रामीण लोगों का चहुँमुखी विकास कर सकें।

ग्रामीण जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए विशेष महत्त्व दिया गया। योजनाओं के निर्माण से लेकर उनकी क्रियान्विति में केन्द्रीकृत राज्य नियंत्रित व्यवस्था के कारण ये योजनायें स्थानीय योजनाओं का स्वरूप सही रूप में नहीं ले पायी और इनमें स्थानीय लोगों की भागीदारी के **ग्रामीण विकास अभिकरण** की स्थापना की गई है और ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिसमें ग्रामीण लोगों की सहभागिता अति आवश्यक है।[4] जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण विकास से सम्बद्ध विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बजट आवंटन में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जाती है और सरकार का ध्यान इन्हें सफल बनाने की ओर रहता है।वर्तमान में ग्रामीण विकास अभिकरणों को निरसित कर उनके स्थान पर जिला परिषद में '**जिला विकास प्रकोष्ठ**' बना दिये हैं। अतः ग्रामीण विकास के निर्णयन में जनप्रतिनिधियों का महत्व बढा है।[5]

राज्य सरकार के राज्य बजट में लगभग 62 प्रतिशत राशि ग्रामीण विकास पर खर्च की जा रही है, परंतु इसके बावजूद भी जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर रहे हैं और साथ ही इनके संगठन, संचालन एवं प्रबन्ध में विभिन्न कमियाँ भी देखने को मिल रही हैं, जिनसे इनकी कार्यकुशलता, प्रभावोत्पादकता एवं सार्वजनिक हिसाबदेयता में कमी महसूस हो रही है। विभिन्न योजनाओं में खर्च के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है। अमीर–गरीब की खाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।[6]

शोध के उद्देश्य

पंचायती राज संस्थाओं के कार्य तथा ग्रामीण विकास की राज्य द्वारा संचालित योजनाओं के आकलन के लिए विगत वर्षों में अनेक अध्ययन हुए किन्तु योजनाओं की क्रियान्विति व ग्रामीण विकास के समग्र सन्दर्भों में जनसहभागिता के सम्बन्ध में हुए अध्ययन की प्रायः कमी रही है। वस्तुतः अध्ययन इस दिशा में एक विनम्र सार्थक प्रयास है।

पंचायतीराज संस्थाओं को 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक संस्तर प्रदान किये जाने के साथ ही इन संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिये प्रयास किये गये और इस बात पर भी बल दिया गया कि इन संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण का क्षेत्र कम हो तथा योजनाओं के निर्माण और क्रियान्विति में इन्हें स्वायत्तता प्राप्त हो। ग्रामीण विकास की योजनाओं के कार्यक्रमों की क्रियान्विति के सम्बन्ध में उन संस्थाओं की प्रत्यक्ष भूमिका निर्धारित की गयी है। 73वें संविधान संशोधन के बाद विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के नये प्रयोग, कार्यकरण के वांछित उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर सके यह आकलन व अध्ययन का विषय है।[7]

प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र में ग्रामीण विकास की अवधारणा, ग्रामीण विकास में जनसहभागिता की अवधारणा व महत्त्व, ग्रामीण विकास के लिए अब तक संचालित कार्यक्रमों के सर्वेक्षण तथा ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका आदि को सम्मिलित किया गया है। ग्रामीण विकास के विशिष्ट लक्ष्यों की क्रियान्विति और उसमें जनसहभागिता के ढाँचा का आकलन भी किया गया है।

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में ग्रामीण विकास के अवधारणात्मक पक्षों का विश्लेषण, संशलेषण, पंचायतीराज संस्थाओं के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका का निरीक्षण, विकास योजनाओं में जनसहभागिता के स्वरूप के आकलन का प्रयास किया गया। योजनाओं की अभिकल्पना और क्रियान्विति के सम्बन्ध में सम्बन्धित पक्षों के स्वरूप के आकलन के लिए अनुभवमूलक अध्ययन

को सम्पन्न किया गया। अनुभवमूलक अध्ययन हेतु राजस्थान के सीकर जिले की नीमकाथाना और श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों का चयन किया गया है।

साहित्य समीक्षा

प्रस्तुत ग्रंथ में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के बारे में उपलब्ध साहित्य के माध्यम से शोध किया गया है। शोध कार्य में स्वयं एवं सम्बन्धित लोगों को विषय के बारे में ज्ञान उपलब्ध कराकर नवीन तथ्यों का संकलन किया गया है। **जे.पी. कुमारप्पा** ने **'इकोनॉमी ऑफ परफोरमेन्स'** में यह बताने का प्रयास किया है, कि विश्व में मतभेद, युद्ध या उपनिवेशवाद और समाजवाद, इन सबका कारण आर्थिक क्रियाकलापों में वृद्धि, कच्चे माल की प्राप्ति तथा तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता रही है। ग्रामीण शिल्पी हृदय से कला की आराधना करता है। जिससे सच्ची कला व आनन्द का जन्म होता है, जो सम्पूर्ण जीवन को सुखमय व आनन्ददायक बनाये रखता है। पर्यावरण प्रदूषण व घटते हुए प्राकृतिक स्रोतों की समस्या का समाधान भी ग्राम पंचायत व्यवस्थाओं में हो सकता है, जो मशीनीकृत औद्योगिक सभ्यता का एकमात्र विकल्प प्रेरित होता है। अतः विकास के लिए हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसकी जड़ें भारत के मूल में हों।[8]

ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न विद्वानों ने अनेक योजनाओं को संचालित कर ग्रामीण जीवन के बारे में वर्णन किया है। **सुमेश्वर** ने **''स्मालइन ब्यूटीफुल''** में यह बताने का प्रयास किया है कि गाँवों के पुनः निर्माण के अतिरिक्त हमारे सम्मुख कोई विकल्प नहीं है।[9]

सिद्धराज ढढ्ढ़ा, 1999 ने **'मेरे सपनों का भारत'** में यह बताया है कि मेरे सपनों का स्वराज तो गरीबों का स्वराज होगा। जीवन की जिन सुविधाओं का उपभोग धनी लोग करते हैं, वहीं गरीबों को भी सुलभ होनी चाहिए।[10] 2 जनवरी 1937 के **'हरिजन'** में अपनी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए **गाँधीजी** लिखते हैं–**''स्वराज की मेरी कल्पना के विषय में किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिये''।** इसका अर्थ विदेशी नियन्त्रण से पूर्ण मुक्ति तथा पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है।[11]

गाँव के विकास से सम्बन्धित संकल्पनाओं के बारे में **रूमकी वासु 1995** ने अपनी पुस्तक–''**लोक प्रशासन संकल्पनाओं एवं सिद्धान्तों का परिचय**'' में यह बताने का प्रयास किया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यक्रम बनते हैं और उन्हें क्रियान्वित करने में लोगों की सहभागिता होनी आवश्यक है। लोगों की भागीदारी न केवल नीतियों और योजनाओं का यथार्थ जमीन से जुड़ा हुआ बनाने में सहायक सिद्ध होती है, बल्कि यह भागीदारी जनशक्ति, समय और धन की न्यूनतम पर विकास कार्यक्रमों को क्रियान्विति करती है। विकास में कोई भी अच्छी नीति तब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक उसको आम लोगों की सहभागिता नहीं मिल सके। जनता के योगदान की संकल्पना सर्वप्रथम यूनान में शुरु हुई, जहाँ सरकार के रूप में लोकतंत्र के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लोकप्रिय विधानसभाओं द्वारा लिये जाते थे। तब से राज्य की बदलती हुई प्रकृति और भूमिका से लोकतंत्र का अर्थ और राजनीतिक तत्त्व व्यापक एवं संकुचित दोनों होते गये। राजनीतिक तत्त्व में सामाजिक और आर्थिक तत्व शामिल होने से वर्तमान लक्ष्यार्थ का क्षेत्र बढ गया है।[12]

ग्रामीण जीवन में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि हेतु **डॉ. मेनारिया** द्वारा रचित '**ग्रामीण विकास की नीतिगत व्यूह रचना**' के अध्ययन से पता चलता है, कि ग्रामीण विकास की परिधि में कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ ग्रामीण उद्योग, प्राथमिक वस्तुओं का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार एवं कृषि से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं की पूर्ति को भी सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कृषि के साथ–साथ इससे सम्बन्धित आवश्यक सुविधाओं व सेवाओं का समावेश होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों में अपनाये गये कार्यक्रम ग्रामीण विकास में सहायक होंगे।

ग्रामीण विकास सम्बन्धित विश्लेषण अब केवल ग्रामीण विकास दर पर ही ध्यान न देकर समग्र अथवा समन्वित ग्रामीण विकास को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय है। विश्व बैंक ने बताया कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया द्वारा निर्धन

वर्ग को राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ा जाना आवश्यक है।[13]

महात्मा गाँधी ने भी अपनी परिकल्पना एवं कार्यों में इसे मूर्त रूप दिया तथा गाँव के नव–निर्माण का उनका जो कार्यक्रम था, उसके केन्द्र में विकास के संचालनकर्ता के रूप में ग्रामीण जन समुदायों को रखा गया था, लेकिन वर्तमान में यह धारणा निश्चित ही स्वतंत्रता के बाद की ही अवधारणा है। योजनाबद्ध विकास के प्रारम्भ से ही महसूस किया गया है कि योजना के लक्ष्यों को हासिल करने में लोगों की भागीदारी की विशेष भूमिका रहती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि कोई योजना तब तक सफल नहीं होती जब तक देश के करोड़ों लघु किसान इसके लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करते, इसके निर्माण में शामिल नहीं होते, अपना नहीं समझते हैं और उन्हें लागू करने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर **सामुदायिक विकास कार्यक्रम** शुरू किया गया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूपान्तरण किया जा सकें।[14]

दुर्गादास बसु द्वारा लिखित **'भारत का संविधान'** 1984 में यह उल्लेख किया गया है कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में संसाधनों के अंश द्वारा प्रशासन एवं संचालन के कार्यक्रमों में अन्य लोगों को शामिल किया गया है। कार्यक्रमों को लागू करने से समुदायों को लाभ मिलता है तथा लोग विकास के फलों का उपयोग कर सकते हैं। विकास कार्यक्रमों की क्रियान्विति करने के बाद कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति हुई या नहीं, आशाजनक उपलब्धि लोगों को मिली या नहीं तथा इन कार्यक्रमों के मूल्यांकन की आवश्यकता है। मूल्यांकन को अर्थवान बनाने के लिए योजना की रूपरेखा में जनसहभागिता का अंशदान होना चाहिए। यह भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है। यह औपचारिक समीक्षा या सुझाव, सीधे विरोध या अखबारों में पत्र के द्वारा या अन्य तरीकों द्वारा हो सकता है।[15]

खान.एस.आइथेजा,1958 ने अपनी पुस्तक **'गवर्नमेन्ट इन रूरल इण्डिया'** में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत में पंचायती राज की अवधारणा कोई नई

बात नहीं है। यहाँ प्राचीन संस्थाओं से सम्बन्धित अवधारणा का स्वरूप में परिवर्तन कर प्रस्तुत किया है। पंचायती राज शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र भारत में **श्री बलवन्त राय मेहता** के **'लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण'** प्रतिवेदन से उदय हुआ और जो लगातार अपने अस्तित्व को स्थायी किए हुये है।

पंचायती राज शब्द हिन्दी भाषा के दो शब्द **'पंचायत'** और **'राज'** से मिलकर बना है जिसका संयुक्त अर्थ है **'पाँच जनप्रतिनिधियों का शासन'**। लेकिन पंचायत राज की अवधारणा के सम्बन्ध में राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन की अवधारणाएँ है जो राजनीति, नौकरशाही तथा समाज से सम्बद्ध है। कुछ राज्यों में पंचायती राज की अवधारणा का आश्य सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन मात्र से लिया जाता है। पंचायत की दूसरी अवधारणा यह है कि पंचायती राज ग्राम से राजनीतिज्ञों के बीच अनुकूलता स्थापित करने के लिए लोकतंत्र का विस्तार मात्र है।[16]

पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका के सम्बन्ध में **सुदिप्त कविराज** ने अपनी पुस्तक **''हमारा शासन कैसे चलता है''** में लिखा है कि पहले भी ग्रामीण जीवन में इस तरह की व्यवस्था थी। यदि ग्रामवासियों में कोई भी विवाद होता तो उसके निपटारे के लिए वे किसी केन्द्रीय सत्ता के पास नहीं जाते थे। गाँव के बुजुर्गों की सभा ही उस विवाद का फैसला करती थी। यह एक तरह से स्व–शासन की व्यवस्था थी।[17]

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में इस तरह की स्वशासन पद्धति के क्रियान्वयन को आवश्यक माना गया। **गाँधीजी** के अनुसार जब तक ग्रामीण जीवन को लोकतांत्रिक नहीं बनाया जाता तब तक भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि अधिकांश भारतीय गाँवों में निवास करते हैं। गाँव के जीवन को लोकतांत्रिक बनाने से हजारों ग्रामवासी अपने विकास कार्यों की देखभाल स्वयं कर सकेंगे और अपनी समस्याओं का हल खोजने में भागीदारी करेंगे। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन में पंचायत व्यवस्था की स्थापना के सिद्धान्त को इसलिए शामिल किया गया

क्योंकि संविधान ने ऐसी आशा रखी थी, कि केन्द्र तथा राज्य सरकारें भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करेंगी।

महात्मा गाँधी द्वारा लिखित **''विलेज स्वराज''** 1962 में भी पंचायती राज के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि पंचायत राज की अवधारणा गॉधीवादी समाज कार्यकर्ताओं से सम्बन्धित है, जिसमें राजनीतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण, आंशिक शक्तियों तथा सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण के साथ होना चाहिए। गाँधीजी ने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायत शब्द का शाब्दिक अर्थ ग्राम निवासियों द्वारा चयनित पाँच जनप्रतिनिधियों की सभा से है।[18]

डॉ. के.पी. जायसवाल ने अपनी पुस्तक **'हिन्दू पॉलिटीः ए कन्सट्रक्शन हिस्ट्री ऑफ इंडिया'** 1943 में ग्राम सभाओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उल्लेख किया है कि प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि राष्ट्रीय जीवन और कार्यों की अभिव्यक्ति ग्राम सभाओं के माध्यम से ही होती है।[19]

एस.आर.माहेश्वरी ने अपनी पुस्तक **''भारत में स्थानीय प्रशासन''** में उल्लेख किया है कि ग्रामीण जनता के रहन–सहन के स्तर में सर्वोन्मुखी सुधार करने का प्रयत्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम है। दूसरे शब्दों में यह करोड़ों लोगों की समृद्धि की योजना भी है। सरकार गाँव के लोगों को वित्तीय तकनीकी सहायता की प्रेरणा देती है, किन्तु कार्यक्रम को पूरा करने का अधिकांश काम स्वयं गाँव के लोगों को करना है। इसका अर्थ है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जनता की वास्तविक शक्ति तथा भौतिक साधनों को प्रयुक्त करना चाहता है। जिसका अब तक प्रयोग नहीं किया गया है विकास कार्यक्रम अधिकांशतः जनता की जनता द्वारा तथा जनता के लिए परियोजना है। सामुदायिक कार्यक्रमों की तुलना उस उद्यान से की है जिसका पालन–पोषण किसी प्रशिक्षित माली ने किया है।[20]

श्री हर्षदेव मालवीय ने अपनी पुस्तक **'' विलेज पंचायत इन इंडिया''** में ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका के संबंध में उल्लेख किया है कि भारत में ग्रामीण विकास के प्रशासनिक तंत्र में पंचायतीराज संस्थाओं को

ही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संस्थाओं के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रश्न का सटीक उत्तर यह है कि राज्य सरकार के नीचे पंचायतीराज संस्थाएँ अलग–अलग स्तरों पर लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था के पदाधिकारी अर्थात् जिला परिषद के सदस्य जिले की ग्रामीण जनसंख्या द्वारा चुने जाते है। इसके अलावा जिला परिषद में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी नियुक्त किये जाते है। इस संस्था की जिम्मेदारी संबंधित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास करने की है। जिला स्तर पर ग्रामीण विकास से सम्बन्धित निर्णय इसी संस्था द्वारा लिये जाते हैं और जिला स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी इसी संस्था द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्षेत्र की जनसंख्या द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनायी जाती हैं। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए विकास अधिकारी तथा अन्य अधिकारी पद स्थापित किये जाते हैं। पंचायत समिति का प्रमुख प्रधान होता है। इसी तरह से ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत निचले स्तर की निर्वाचित संवैधानिक संस्था है। जो ग्राम स्तर पर विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है।[21]

डॉ. आर.भारती ने अपने लेख **"District Plans"** (Indian journal of public administration, vol xxxvii, No. 2, April June, 1991)में कहा है कि विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन व संचालन के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में, सामान्य जनता में जागरूकता व सहभागिता एक वांछित तत्व है। विशेषकर ग्रामीण योजनाओं में जनता की सहभागिता अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की मात्रा अधिक संवेदनशील होती है।[22]

त्रिलोक सिंह ने अपने लेख "Integrated Rural Development (Kurukshetra), Oct. 1977, P 18)में स्पष्ट किया है कि किसी राष्ट्र का विकास ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर करता है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास या उत्थान के लिए योजनाएँ कियान्वित की जाती है। ग्रामीण विकास का अर्थ केवल उत्पादन मात्रा व दर में वृद्धि से नहीं है वरन् कुछ भी उत्पादन हो, उस वितरण की सुनिश्चितता से है जिससे आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक उन्नति हो सके।

किसी भी योजना को प्रभावी क्रियान्वित करने के लिए स्थानीय लोगों का हर स्तर पर सक्रिय सहयोग होना चाहिए तभी योजनाएँ सार्थक हो सकती है।[23]

एस.आर. माहेश्वरी ने अपने लेख "Rural Development and Bureaucracy in India" (Indian Institute of public administration journal, Oct.-Dec 1984 P 194)में स्पष्ट किया है कि विभिन्न योजनाओं के लक्ष्य तक पहुँचने में जनसहभागिता मुख्य बाधा है।

जनसहभागिता का आश्य उन लिखित समूहों की सक्रिय भागीदारी से होना चाहिए, जिनके लिये ये योजनायें अस्तित्व में आयी हैं।[24]

राजस्थान सरकार ने 16 मई 2000 से 488 ग्राम पंचायतों में **'जलचेतना यात्रा'** का शुभारम्भ किया था। जिसका एक मात्र उद्देश्य है जल संरक्षण एवं पुनर्भरण के साथ जल की एक–एक बूँद बचाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। परन्तु इस सम्पूर्ण कार्य की सफलता जनता की सहभागिता एवं इच्छाशक्ति पर निर्भर करती है। कोई भी आन्दोलन जब तक प्रभावी नहीं हो सकता, जब तक जनता उससे नहीं जुड़े।[25]

उपर्युक्त साहित्य–समीक्षा से स्पष्ट है कि सन्दर्भित विषय पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है; परन्तु ग्रामीण विकास में जनसहभागिता पर व्यावहारिक शोध कार्य का संभवतः अभाव है। इसी कारण उक्त विषय को शोध कार्य हेतु चुना गया है।

शोध पद्धति

अध्ययन के आयाम सैद्धान्तिक, विश्लेषणात्मक व अनुभवमूलक हैं। अध्ययन की प्रकृति के अनुसार अध्ययन के लिए अनुभवमूलक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया गया है। उपलब्ध साहित्य और विगत प्रयोगों के उपलब्ध आकड़ो के आधार पर विषय के सैद्धान्तिक और अवधारणात्मक पक्षों का विश्लेषण **सीकर जिले की नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों** के विशिष्ट संदर्भ में किया गया।

ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उपलब्ध सांख्यिकीय आकड़ों और तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के अलावा योजना की

क्रियान्विति के स्वरूप तथा इनसे प्रभावित होने वाले सम्बन्धित व्यक्तियों पर केन्द्रित अनुभवमूलक अध्ययन को सम्मिलित किया गया है। अनुभवमूलक अध्ययन को सीकर जिले की नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों पर केन्द्रित किया गया है। इस क्रम में तीन श्रेणी यथा विशिष्ट योजनाओं से लाभान्वित हुए अथवा नहीं हुए जिसमें मुख्य रूप से जन सामान्य, कार्मिक वर्ग तथा जनप्रतिनिधियों के दृष्टिकोण एवं प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया। इस निमित्त अध्ययनकर्ता ने **अनुसूची, प्रश्नावली, सर्वेक्षण, साक्षात्कार तथा औपचारिक व अनौपचारिक वार्तालाप** के माध्यम से सूचनाओंको एकत्रित किया। शोधकर्ता ने सीकर जिले की नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों के अधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में जाकर ग्राम सभाओं व वार्ड सभाओं की कुछ बैठकों में स्वयं उपस्थित होकर सामग्री एकत्रित की व कार्यवाही का अवलोकन किया।

सन्दर्भ

1. गाँधी, महात्मा : विलेज स्वराज, नव–जीवन पब्लिकेशन हाउस, अहमदाबाद, 1962,पृ. 13
2. चौधरी, सी. एम : ग्रामीण विकास एक अध्ययन, सनलाईम पब्लिकेशन, जयपुर, 1991 पृ. 23
3. दयाल, तेजमल : भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सुरभि प्रकाशन, कौशलपुरी कानपुर, 1961 पृ. 68
4. नेहरू, जवाहर लाल : सामुदायिक विकास पंचायतीराज और सहकारिता पर नेहरू के विचार, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1965 पृ. 84
5. वाजपेयी, अशोक : पंचायतीराज एण्ड रूरल डवलपमेंट,संहिता प्रकाशन, दिल्ली, 1997 पृ. 72
6. गोस्वामी, प्रभाकर : राजस्थान में पंचायतीराज, मनु प्रकाशन, जयपुर, 1985 पृ. 105
7. राय, भक्त पाडा : पंचायतीराज एंड रूरल डवलपमेंट, अभिजीत पब्लिकेशन, दिल्ली, 2008 पृ. 124
8. कुमारप्पा, जे. पी. : इकॉनोमी ऑफ परफोरमेन्स, विजय प्रकाशन, नागपुर 1992 पृ. 113
9. सिंह, सुमेश्वर : स्माल इन ब्यूटीफुल, प्रकाशन पब्लिकेशन, अहमदाबाद 1997, पृ. 53
10. ढढ्ढा,सिद्ध राज : मेरे सपनों का भारत, राजपाल पब्लिकेशन,नईदिल्ली 1999 पृ. 121
11. गाँधी, महात्मा : हरिजन, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 2000 पृ. 92
12. वासु, रुमकी : लोकतंत्र प्रशासन संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों का परिचय, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्रा. लि., नई दिल्ली, 1995 पृ. 237
13. मेनारिया, राजेन्द्र : ग्रामीण विकास की नीतिगत व्यूह रचना, प्रतियोगिता दर्पण उपकार प्रकाशन, आगरा, 2005 पृ. 62
14. गाँधी, महात्मा : हमारे गाँवों का पुनर्निर्माण, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 1972 पृ. 35
15. बसु, दुर्गादास : भारत का संविधान, सेन्टर लॉ पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1984 पृ. 42
16. खान, एस. आइथेजा : गर्वमेन्ट इन रूरल इंडिया, मयूर पब्लिकेशन हाउस, बॉम्बे, 1958 पृ. 61

17. सुदिप्त कविराज : हमारा शासन कैसा चलता है, अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2005`पृ 38

18. गाँधी, महात्मा : विलेज स्वराज, नवजीवन पब्लिकेशन हाउस, अहमदाबाद, 1962 पृ.19
19. जायसवाल, के. पी.: हिन्दू पॉलिटी ए कान्सट्रक्शन हिस्ट्री ऑफ इंडिया,सत्यम हिन्दूस्तान टाइम्स,बंग्लौर 1943 पृ. 42
20. माहेश्वरी, एस. आर. : भारत में स्थानीय प्रशासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, 1999 पृ. 48
21. मालवीय, हर्षदेव : विलेज पंचायत इन इंडिया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली, 1966 पृ. 68
22. भारती, डॉ. आर. : डिस्ट्रिक्ट प्लान्स, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अप्रैल–जून, 1991, पृ. वोल्यूम 37
23. सिंह, त्रिलोक : इंटिग्रेटेड रूरल डवलपमेंट, ऑल इंडिया पब्लिकेशन, कुरुक्षेत्र, अक्टूबर, 1977 पृ. 18
24. माहेश्वरी, एस. आर. : रूरल डवलपमेंट एंड ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जर्नल, नई दिल्ली अक्टूबर–दिसम्बर, 1984 पृ. 194
25. सुजस राजस्थान : राजस्थान सरकार, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, जयपुर, मई, 2000 पृ. 37

द्वितीय अध्याय

ग्रामीण विकास की अवधारणा एवं जनसहभागिता

प्राचीनकाल से वर्तमान तक ग्राम शब्द के अनेक अर्थ व परिभाषाएँ अनेक विद्वानों ने अपने मतानुसार प्रतिपादित की हैं। ग्राम शब्द का आशय एक स्थान पर निवास करने वाले अनेक परिवारों के एक समूह से लिया जाता है। ऋग्वेद में **परिवार** को समाज की सबसे **छोटी इकाई** माना गया है। परिवार, कुटुम्ब एवं समाज को मिलाकर एक **देश** का जन्म होता है, अनेक देशों को मिलाकर एक **जन** का निर्माण होता है और अनेक जनों को मिलाकर एक **राष्ट्र** का निर्माण होता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि गाँव भारत की राजनैतिक और सामाजिक संगठन की इकाई है।[1] इनके अलावा महाभारत में कहा गया कि स्थानीय लोगों की रक्षा के लिए दुर्ग होते थे तथा उनके चारों ओर ग्रामीण जनता निवास करती थी और ये ज्यादातर जनता अपने परिवारों में एक समूह में रहकर अपना जीवन यापन करती थी। इसमें गाँव को प्रशासन की सबसे छोटी व महत्वपूर्ण इकाई मानते थे, गाँव के मुखिया को **ग्रामणी** कहा जाता था तथा वह प्रशासन का कार्य सम्भालता था।

विभिन्न प्राचीन विचारको में भी ग्रामीण विकास की भावना का धीरे–धीरे विकास हुआ, इनमें से प्रमुख रूप से मनु ने ग्राम पर अधिक जोर दिया है। मनु ने ग्राम, पुर और नगर के बीच सम्बन्ध बताया है कि ये एक–दूसरे से छोटी व बड़ी जनसंख्या के समूह थे। मनुस्मृति में गाँव को प्रशासन की सबसे छोटी इकाई माना है, गाँव में उसके कर्मचारी और उनका समाज होता था।

गाँव में समस्याओं का समाधान स्थानीय लोगों के द्वारा ही हल कर लिया जाता था जैसे कुएँ, तालाब, जलाशय, सड़क, चारागाह, उद्यान, गाँव की रक्षा इत्यादि। मनुस्मृति में बताया कि गाँव प्रशासन की अनेक इकाईयों में बँटा हुआ था। इसके मतानुसार एक हजार गाँवों के उपर एक अधिकारी होता था जिसे **सहस्त्रेश** कहा जाता था। सहस्त्रेश के नीचे **शतेश** और उसके अधीन **विंश** होते थे। विंशों के अधीन **दशी** होते थे, दशों के अधीन दस गाँव होते थे और

प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव होता था और उसका स्वामी **ग्रामणी** कहा जाता था।[2]

भारत में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक ग्रामीण जीवन में अनेक परिवर्तन हुए और इसमें गाँव को प्रशासन की मूल इकाई माना जाता था। तथा हर गाँव में एक व्यक्ति को गाँव का मुखिया बनाकर उसके निर्देशन में कार्य करते थे। गाँव के लोगों का जीवन सादगीमय था। एक–दूसरे गाँव में घनिष्ट सम्बन्ध होते थे तथा राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभिन्नता होते हुए भी वे एकता के सूत्र में बंधें हुये थे। एक गाँव में अनेक जाति, समाज व धर्म के लोग निवास करते थे,जो मिलजुल कर काम करते थे और ग्रामीण विकास में अपनी भूमिका अदा करते थे। वर्तमान में गाँवों को अधिक महत्व देने के उद्देश्य से 73 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम लागू कर ग्राम पंचायत संस्थाओं को अधिकाधिक अधिकार दिये गये हैं और पंचायती राज को अधिक सशक्त बनाया गया है।

ब्रिटिश काल में कृषि के ढाँचे में बदलाव होने के कारण खाद्यान्न की कमी महसूस होने लगी क्योंकि खाद्यान्न की जगह व्यापारिक कृषि को अधिक महत्व देने लगे और भारत से कच्चा माल सस्ते दामों में आयात कर अंग्रेज अपने उद्योगों में पक्का माल तैयार कर महंगे दामों पर भारत को बेचते थे। मजदूरों का अधिकाधिक शोषण करते थे तथा ग्रामीण शिल्प जो कृषकों की अतिरिक्त आय का स्त्रोत था, समाप्त कर दिया गया। ग्रामोद्योगों, कुटीर उद्योग धन्धे की समाप्ति से भूमि पर अतिरिक्त भार बढ़ गया और ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो गयी। कुटीर उद्योग धन्धे चौपट होने के कारण लोगों की हालत दिनों–दिन बिगड़ती गयी और स्वतंत्रता से आज तक अनेक प्रयासों के बावजूद भी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन नहीं हुए हैं।[3]

ग्रामीण विकास के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण

प्राचीन काल से ग्राम विकास की अनेक संकल्पना व अवधारणाओं का विकास होता रहा है। जिनमें गाँधीय संकल्पना, गाँधी ग्राम स्वराज की धारणा का ही एक अंग है। ग्राम स्वराज का तात्पर्य ऐसे गाँव जो आर्थिक ,सामाजिक

दृष्टि से आत्मनिर्भर हों तथा प्रशासन की इकाईयों में विकेन्द्रीकरण हो। गाँधी के ग्राम स्वराज की संकल्पना में गाँवों के सर्वांगीण विकास पर अधिक जोर दिया गया है तथा हर व्यक्ति आत्म निर्भर हो सके।

महात्मा गाँधी के अनुसार ग्रामीण विकास की धारणा केवल आर्थिक न होकर उसमें सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक विकास को सम्मिलित किया गया है। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीण विकास को विशेष महत्व दिया गया है और यह आशा की गई है कि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और स्वशासन का आधार बन सके। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से गाँधीजी ने ग्राम स्वराज्य की कल्पना की थी। ग्राम स्वराज के विशिष्ट सन्दर्भ में विकेन्द्रीकरण का आदर्श रूप होगा, जो ग्राम की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय लोगों व संसाधनों से कर सके और गाँव की उन्नति के लिए निरन्तर प्रयास कर विकास के लिए अधिकाधिक अवसर प्रदान कर सके।

गाँधी धारणा के अनुसार ग्राम विकास की योजना राष्ट्रीय व प्रान्तीय स्तर पर अभिकल्पित होकर केवल क्रियान्वयन के लिए गाँव में सम्प्रेषित की जाये, लेकिन उनमें विशिष्ट गाँव की पहल को अधिक प्राथमिकताएँ दी जाये। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीकरण पद्धति से गाँवों के विकास की कल्पना मूलतः ग्रामीण विकास की गाँधीय अवधारणा से संगत नहीं है। देश में समय व परिस्थितियों के अनुसार केन्द्र व राज्य स्तर पर शासन के स्वरूप में परिवर्तन होते रहे हैं लेकिन ग्राम व्यवस्था में अधिक बदलाव नहीं आये हैं।

देश में अंग्रेजों का शासन एक महत्वपूर्ण तथ्य था जिसने देश की ग्राम व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किये और इसी काल में कृषि का परम्परागत कार्य परिवर्तन कर आधुनिकीकरण पर बल दिया गया तथा श्रमिक वर्ग का रोजगार छीन लिया जिससे लोग बेरोजगार हो गये। कृषि में अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए मशीनों, आधुनिक औजारों तथा वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाने लगा।[4] सम्पूर्ण विश्व युद्ध, शांति, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील है। एक देश से दूसरे देश में आयात–निर्यात की प्रक्रिया अनवरत रूप से चली आ रही है और हर देश में

औद्योगीकरण, पाश्चात्यीकरण के दौर में गुजर रहा है। इसलिए **सर विलियम बेवरिज** ने लिखा है कि –***हमें यूरोप व नरक के मध्य एक को चुनना है।*** ग्रामीण शिल्पी अपने हृदय से कला की उपासना करते हैं तथा उनके निर्देशन व सलाह में सच्ची कला व आनन्द का जन्म होता है जो सम्पूर्ण जीवन का सर्वांगीण विकास करता है।

महात्मा गाँधी ने **हरिजन** में 20 जनवरी, 1940 को लिखा है कि, **गाँवों का शोषण खुद एक संगठित हिंसा हैं, अगर हमें स्वराज की रचना, अहिंसा के पाए पर करनी है तो गाँवो को उनका उचित स्थान देना होगा।** गाँधीजी ने बताया कि वास्तविक नियोजन में मानव की सर्वश्रेष्ठ भूमिका होनी चाहिए तथा औद्योगिकीकरण किसी देश के लिए अनिवार्य नहीं है। ये नियोजन देश के गाँवो के पुनः निर्माण द्वारा ही संभव हो सकता है।

शुमेश्वर ने **''स्माल इज ब्यूटीफुल''** में विशाल स्तर पर उत्पादन, मशीनीकरण, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण इत्यादि क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया है और आधुनिक सभ्यता के विकास को निरर्थक बताया गया है। इन्होंने बताया कि गाँवों की ओर ध्यान आकर्षित करना शहरों से भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि शहरों का स्वास्थ्य व मूलभूत आवश्यकताएँ गाँवों पर ही निर्भर है।[5]इसी के साथ गाँधीजी ने ग्राम समुदाय को अधिक महत्व दिया और बताया कि मनुष्य के जीवन को सफल बनाने के लिए गाँवों का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। औद्योगीकरण को ग्रामीण सभ्यता को नष्ट करने का महत्वपूर्ण यंत्र माना है।

गाँवों के पुनः निर्माण के अतिरिक्त हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। **जे.सी. कुमारप्पा** ने **''इकॉनोमी ऑफ परफॉरमेन्स''** में भी यही बताया है। गाँधीजी को यह पूर्ण विश्वास था कि औद्योगीकरण से आधुनिक शहरों का विकास हो सकता है और हम विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में आ सकते हैं परन्तु इससे वास्तविक देहाती गाँवों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। इसके मतानुसार गाँवों की प्रगति के बिना देश के विकास की सोचना महज पानी में कागज की नाव चलाना है। गाँधी जी मानते थे कि जब तक प्रत्येक गाँव के

प्रत्येक हाथ को रोजगार नहीं मिलता और जब तक उनके लघु उद्योग वापस नहीं मिलते तब तक गरीब किसान खुशहाल नहीं बन सकता है।[6]

वर्तमान युग में वैज्ञानिक सभ्यता की जो हम बात करते हैं जिसमें वातानुकूलित मकान, टेलीविजन, ध्वनियंत्र, फ्रीज और अन्य मनोरंजन के साधन, जो बुढापे में जवानी को महसूस कराने वाली प्रसाधन सामग्री को सभ्यता की प्रगति में विशेष योगदान मानते हैं। ये सभी भौतिक वस्तुएँ निराधार व निरर्थक हैं क्योंकि जिन व्यक्तियों को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। वे व्यक्ति इस सभ्यता के बारे में क्या सोच पायेंगे। आधुनिक दौर में कल–कारखाने और आधुनिक हथियार मनुष्य का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाँवों के व्यक्ति स्वावलम्बी और स्वाभिमान से जीने वाले हैं। वे व्यक्ति गुलामी का जीवन नहीं जी सकते। इसलिए औद्योगीकरण का आधार गाँवों पर निर्भर है। यदि गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को स्वरोजगार मिलता है तो ही देश खुशहाल बन सकता है।[7]

ग्राम स्वराज की अवधारणा ही व्यक्ति को चरमोत्कर्ष पर ले जा सकती है। गाँधीजी ने देश की सारी बुराइयों की जड़ को समाप्त करने के लिए ग्राम स्वराज की योजना सामने रखी। गाँधीजी का स्वराज व ग्राम स्वराज, उनके राजनीतिक विचारों की आधारशिला व केन्द्र बिन्दु है। गाँधीजी की अवधारणा में ग्राम स्वराज की योजना में ग्रामसेवक का केन्द्रीय स्थान होगा, जो गाँवों के लोगों के बीच ऐसा संगठन बना पायेगा जो खेती और ग्रामोद्योगों के द्वारा परिपूर्ण और स्वावलम्बी बन जाये।[8] गाँधीजी कहते हैं कि ग्राम विकास के लिए कोई वेतन भोगी नौकर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें गाँव की समस्याओं से लगाव नहीं है। ग्राम सेवक का जीवन गाँव के जीवन से मेल खाने वाला होगा जिसके लिए ग्राम सेवा ही उसका संतोष व पुरस्कार होगा। ग्राम सेवक ग्रामीण जीवन से एकाकार होकर उसका अभिन्न अंग बन सकेगा और ग्रामीण विकास व समस्या समाधान में उसका योगदान होगा, तथा वही गाँवों के पुनःनिर्माण में सहयोग दे सकेगा।[9]

समाचार पत्र **यंग इण्डिया** के 26 मार्च, 1936 के अंक में गाँधीजी ने कहा था **''मेरे सपनों का स्वराज तो गरीबों का स्वराज्य होगा। जीवन की जिन सुविधाओं का उपभोग धनी लोग करते हैं वही गरीबों को सुलभ होनीचाहिए।''** 2 जनवरी 1937 के हरिजन में अपनी इस संकल्पना को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं स्वराज्य की मेरी कल्पना के विषय में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इसका अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूरी मुक्ति तथा पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता है। गाँधी के अनुसार स्वराज्य से मेरा तात्पर्य है, लोक सम्मति से होने वाला शासन। इस प्रकार गाँधीजी के अनुसार व्यक्ति को राम राज्य तभी मिल सकता है। जब गाँवों का निचले स्तर से विकास शुरू हो, तभी सच्चे अर्थों में विकास संभव है और बताया कि ग्राम स्वराज अवधारणा का विकास तभी हो सकता है जब गाँवों के व्यक्ति पूर्णतः आत्मनिर्भर हो।[10]

गाँधीजी के अनुसार गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामोद्योग अति आवश्यक तत्व है। जिसमें परम्परागत तरीके से चले आ रहे चरखे, तकनीकी मशीनें आदि का सदुपयोग करके ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। गाँवों को स्वरोजगार के माध्यम से आगे बढाया जा सकता है। शहरी जीवन में आज हर जगह शोषण हो रहा है। गाँवों की गरीबी केवल गाँधी धारणा से ही समाप्त हो सकती है। गाँधीजी के मतानुसार ''गाँव स्वावलम्बी हो और गाँव में कोई बेकार न रहे'' इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार योजना बनानी चाहिए।[11]

हमारा लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करना है। हमें देश में योजना बनाकर गाँवों को उनमें सर्वोच्च स्थान देना होगा। **गाँधीजी** के मतानुसार तीव्रगामी विकास की मरीचिका में फँसकर हमने **वस्तुओं में निवेश** किया, **व्यक्ति में नहीं**। इसलिए व्यक्ति का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है।[12]

ग्रामीण विकास में नेहरू की संकल्पना

आजादी के बाद नेहरू का मुख्य लक्ष्य बहुसंख्यक किसानों के परम्परागत, सामाजिक, आर्थिक ढ़ाँचे में बदलाव उनकी मुख्य समस्या थी वे इस बदलाव के प्रति आशावादी थे। ग्राम विकास के लिए सहकारिता आन्दोलन तथा

पंचायती राज पर अत्यधिक जोर देते थे। लघु व कुटीर उद्योग के महत्व को बताने के लिए **अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड** आयोग की स्थापना की तथा

कृषि की आधुनिकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने **18 जनवरी 1948** को अपने संदेश में कहा कि, **एक भूखे इंसान के लिये, एक बहुत गरीब मुल्क के लिए आजादी का कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए हमें उत्पादन बढाना चाहिये।** उनका मानना था कि आजादी को स्थायी रखने के लिए गरीबी आवश्यक जरूरी है और गरीबी तब ही हटेगी, जब खेती की पैदावार बढेगी। खेती के पुराने तरीकों के स्थान पर नये तरीकों को अपनाकर गाँवों का विकास करना मुख्य उद्देश्य था।

भारत में पंचायती राज लागू करने के अवसर पर **नेहरू जी** ने **2 अक्टूबर 1959** को नागौर में कहा था कि ''देश की सच्ची प्रगति तभी होगी, जब गाँव में रहने वाले लोगों में राजनैतिक चेतना जाग्रत हो। देश की प्रगति का सम्बन्ध गाँव की प्रगति से है। यदि गाँव उन्नति करेंगे तो देश एक सशक्त राष्ट्र बन सकेगा और हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकेगा। पंचायतों में भी सभी को बराबर माना जाना चाहिये। स्त्री–पुरूष में ऊँच–नीच का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये। हमें एकता और भाईचारे की भावना से आत्म–विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिये।''[13]

लघु उद्योगों की सहभागिता

नेहरू ने गाँवों के विकास के लिए ग्रामीण लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बड़े उद्योगों के साथ–साथ छोटे उद्योगों का भी समर्थन किया तथा उन्होंने बताया कि खेती पर आधारित उद्योग गाँवों में अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए उन्होंने **'अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग**' की स्थापना कराई। इसी प्रकार **'हैण्डी क्राफ्ट बोर्ड', 'हैण्डलूम बोर्ड', रेशम बोर्ड**', आदि गठित किये। उनके अनुसार रोजगारन्मुखी शिक्षा दी जाये तथा कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। नेहरू जी ने बताया कि

प्रत्येक गाँव में स्कूल खोले जाये और उनमें लड़कियों को विशेष वरीयता देनी चाहिए तथा शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान की ओर देश के युवा बढ़ रहे हैं।

ग्राम सहकारी समिति

नेहरू ने ग्रामीण विकास के तीन आधार स्तम्भ **पंचायत, सहकारी समिति** एवं **विद्यालय** माने हैं, उनकी दूरदर्शिता व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास के लिए ये अनिवार्य हैं। स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में इन तीन स्तम्भों को मजबूत करने पर बल दिया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, व राजनैतिक चेतना में वृद्धि हुई।[14]

देश के विकास की प्रथम सीढ़ी ग्राम पंचायत है जो विकास के लिए अपरिहार्य है। इनके बिना गाँवों का विकास संभव नहीं है क्योंकि लघु उद्योग गाँव के विकास की आधार स्तम्भ है। इसी के साथ सहकारिता को नागरिकों के विकास का मूल मंत्र माना गया। ग्राम पंचायत व सहकारिता दोनों साथ मिलकर गाँवों का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान और अविकसित थी। औपनिवेशिक, पिछड़ी हुई, अर्द्ध सामन्ती, गतिहीन अर्थव्यवस्था पूंजी ह्रास से प्रभावित थी। आजादी तक भारतीय अर्थव्यवस्था का ढाँचा चरमराया हुआ था। देश में संसाधनों के भण्डार तो पर्याप्त थे, लेकिन उनके सदुपयोग के लिए तकनीकी अभाव के कारण दिन–प्रतिदिन शोषण होता गया और भारत, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गयी। यहाँ के कच्चे माल को विदेशों में भेजकर पक्का माल तैयार कर वापस अधिक मूल्यों में भारत में भेजा जाता था।[15]

आधुनिक समय में **भारतीय सहकारी अधिनियम 1904,** को ग्रामीण विकास का महत्त्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम माना जाता है। इसी क्रम में काश्तकारी अधिनियम, मुद्रा उधार नियमन, कृषि वस्तुओं का विपणन, भूमि की चकबन्दी, किसान क्रेडिट कार्ड, मिट्टी जाँच को भी ग्रामीण विकास की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। यदि हम पहले के ब्रिटिशकालीन दस्तावेजों एवं रिपोर्ट को विशेष रूप से देखे तो यह ज्ञात होता है कि इस काल में कुछ प्रारम्भिक प्रयास हुए थे जो निम्नानुसार हैं:–

1. सिंचाई आयोग, 1900–01
2. शिक्षा संबंधी शाही आयोग, 1928
3. कृषि शाही आयोग, 1928
4. श्रम संबंधी शाही आयोग, 1931
5. दुर्भिक्ष जांच आयोग, 1946
6. स्वास्थ्य सर्वेक्षण विकास समिति, 1946

इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने लोगों की सामाजिक, आर्थिक,सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किये लेकिन ये सब ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहे तथा वह ग्रामीण जनता का दिल नहीं जीत सकी। ब्रिटिश सरकार के इन कानूनों में **कुछ प्रमुख कानून व्यवस्था इस प्रकार थी :–**

1. सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम– 1829
2. हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम– 1856
3. कृषि ऋण सहायता अधिनियम– 1879
4. सहकारी समिति अधिनियम– 1904
5. बाल–विवाह प्रतिबंध अधिनियम–1929
6. वेतन भुगतान अधिनियम–1936

अंग्रेजो के समय भारतीय समाज में इन अधिनियमों को लागू करने के बाद भी ग्रामीण विकास सही दिशा में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गाँवों में अन्धविश्वास फैला हुआ था। इसके बाद भारतीय समाज सुधारकों ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक प्रयत्न किये और परियोजनाएँ प्रारम्भ की गयी जो इस प्रकार थीः–

(अ) स्पेंशस हैट की मार्टडम परियोजना

(ब) रवीन्द्रनाथ टैगोर की श्री निकेतन योजना

(स) एफ.एल. ब्रायन की गुड़गाँवपरियोजना

(द) वी.टी. कृष्णामचारी की बड़ौदा परियोजना

(य) महात्मा गाँधी की सेवा ग्राम परियोजना

(र) एस.के.डे. की नीलीखेड़ा परियोजना

(ल) अल्बर्ट मेयर की फिरका और इटावा परियोजना

श्री निकेतन परियोजना 1921

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने यह परियोजना सन् 1921 में लोगों को स्वयं अपने विकास को प्रोत्साहित करने, स्वयं द्वारा मार्गदर्शन, संसाधनों को बढ़ावा देने और सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए प्रारम्भ की। इसके अन्तर्गत आत्मनिर्भरता, आत्म सम्मान व आत्मरूचि प्रमुख थी। ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान के माध्यम से यह परियोजना संचालित की। इस परियोजना में चार प्रमुख विभाग थे– **कृषि, शिक्षा,** उद्योग, ग्राम कल्याण।[16]

मार्तडमपरियोजना 1921

डॉ. स्पेन्सर हैट के नेतृत्व में सन् 1921 में यंगमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन ने कन्याकुमारी जिले के मार्तडम स्थान पर विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया, जिसके अन्तर्गत गाँव के लोगों को अपना कार्य स्वयं करने की सलाह एवं सहायता दी जाती थी। यह परियोजना सामुदायिक स्थानीय संसाधनों के सही सदुपयोग के दर्शन पर आधारित थी। यह परियोजना सामुदायिक विकास के लिए चलायी गयी थी।[17]

ब्रायन की गुड़गांव परियोजना 1927

हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले के तात्कालीन डिप्टी कमीश्नर **एफ.एल. ब्रायन** ने सन् 1927 में इस परियोजना की नींव रखी जिसके मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैंः–

(क) स्वयं सहायता, पारस्परिक सहयोग व परिश्रम के गुणों का विकास करना।

(ख) मौसमी बीमारियों एवं कीड़ों की रोकथाम के लिए उपाय बताना।

ग्रामीण विकास जन शिक्षा, दूसरों के प्रति सेवा, कर्तव्यनिष्ठता की भावना आदि के माध्यम से किया जा सकता है। ब्रायन ने कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशुचिकित्सा, सहकारिता, प्राथमिक शिक्षा, गाइड व स्काउट आदि को प्रशिक्षण देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान दिया।

बड़ौदा परियोजना 1921

बड़ौदा रियासत के मंत्री सर माधव राज ने सामाजिक कल्याण के लिए इस परियोजना की शुरूआत की। ग्रामीण विकास के प्रयोग के रूप में डॉ. स्पेन्सर हैट की सहायता से सन् 1921 में बड़ौदा रियासत के दीवान वी.टी. कृ ष्णामाचारी द्वारा केन्द्र की स्थापना हुई। इस परियोजना में ऐसे अनेक केन्द्र चलाये जा रहे थे जिनका मुख्य लक्ष्य आम जनता के जीवन को बेहतर बनाना, नयी तकनीकी ज्ञान विकसित कर आत्मनिर्भर बनाना और सार्वजनिक सेवा के लिए अधिकाधिक प्रेरित करनाथा।

गाँधी की सेवा ग्राम परियोजना 1936

यह परियोजना गाँधीजी के ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा सन् 1936 में वर्धा के पास सेवा ग्राम में प्रारम्भ की गई तथा प्रत्येक नागरिक को इस का लाभ मिले, इसके लिए इस परियोजना के तत्व माने है, जो इस प्रकार हैः–

(अ) गाँवों का पुनः निर्माण।

(ब) गाँवों की माँग को पूरा करने के लिए ग्रामीण संसाधनों का सदुपयोग करना।

(स) उपेक्षित दीन–हीन गरीब लोगों की सेवा करना।

(द) ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देना।

(य) व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना।

इस परियोजना में गाँव को इकाई मानकर पूरे भारत में स्वयं सेवक बनाये गये और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, कताई, बुनाई, खेती में वैज्ञानिक तकनीकी, कुटीर उद्योग धन्धों में तकनीकी व सफाई का प्रशिक्षण दिया गया, जिससे प्रत्येक स्वयं सेवक अपने गाँव में जाकर लोगों को प्रशिक्षण दे सके। गाँव में कृ षि तकनीकी, जाति भेद को मिटाना, उपेक्षित लोगों के स्तर को ऊँचा उठाना एवं प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार करने पर विशेष बल दिया । गाँधीजी सत्य, अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करवाते थे तथा इस परियोजना के प्रति लोगों की अधिक समय तक रूचि नहीं रही, क्योंकि गाँधीजी के आदर्शों के अनुसार चलना हर व्यक्ति के लिए इतना आसान

नहीं था।[18] इस परियोजना में आम जनता तक मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाना था तथा इसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होना उनका मुख्य मकसद था। दीन–हीन गरीब लोगों व उपेक्षित व्यक्तियों की सेवा करना भी इस परियोजना में शामिल था।

नीला खेड़ी परियोजना 1943

यह परियोजना सन् 1943 में आरम्भ की गई, जबकि इससे पूर्व यह शरणार्थी पुनर्वास परियोजना के नाम से जानी जाती थी। लेकिन यह योजना 1948 में पूर्णरूप से लागू हुई, जब पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के पुनर्वास, शरणार्थियों के लिए श्रम व प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना, मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करना, शरणार्थियों को प्रशिक्षण व रोजगार प्रदान करना आदि कार्यक्रम किए गए। व्यावसायिक प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र खोले गये तथा पाँच हजार मजदूरों के लिए **'मजदूर मंजिल'** नामक कस्बा बसाया गया, इस परियोजना में विस्थापित लोगों का स्तर अन्य व्यक्तियों के समान लाने के लिए हर तरह के उपाय किये गये। प्रत्येक व्यक्ति को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया गया और सभी का स्तर समान लाया गया।

फिरका परियोजना 1943

फिरका का शाब्दिक अर्थ है– **पाँच से बीस गाँवों का समूह**। ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए खादी व ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देकर सन् 1943 में मद्रास प्रान्त में फिरका योजना की शुरूआत की। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सेवा, अच्छी सड़कें, संचार व्यवस्था व आम जनता तक मूलभूत आवश्यकताएँ प्रदान कराना था। इस योजना का संचालन करने की जिम्मेदारी जिलाधीश पर होती थी। जिला ग्रामीण कल्याण बोर्ड की सहायता से काम करता था। इस बोर्ड में जिला स्तर के अधिकारी एवं सामाजिक नेता शामिल होते थे।

इटावा परियोजना 1948

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा **अल्बर्ट मेयर** के निर्देशन में 1948 में इस परियोजना की शुरूआत हुई। ग्रामीण विकास के नवीन प्रयोग के लिये चार

विशेषज्ञों का दल बनाया गया जिसमें एक कृषि विशेषज्ञ, एक कृषि इंजीनियर, एक नगर व ग्राम नियोजक एवं एक ग्रामीण उद्योग विशेषज्ञ शामिल किया गया। इस परियोजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैंः–

(अ) आत्मनिर्भरता का विकास कर स्थानीय जिला व राज्य स्तर को बेहत्तर बनाना।

(ब) नयी तकनीकी का उपयोग कर कृषि उत्पादन बढ़ाना तथा स्वास्थ्य व प्रौढ़ साक्षरता में सुधार लाना।

(स) प्रौद्योगिकी में अधिक सुधार के साथ नये उपकरण उपलब्ध कराना तथा हर स्तर पर नेतृत्व करना।

(द) एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परियोजनाओं को स्थापित कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके।

इस परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय स्तर पर नियोजन, संचार व स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप काम करने पर अधिक बल दिया गया तथा अधिकाधिक लोगों तक सुविधाएँ पहुँचाने का प्रयास किया गया।[19]

सामुदायिक विकास योजना 1950

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियोजन प्रक्रिया अपनायी गयी। स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में सन् 1950 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इसी क्रम में पंचवर्षीय योजनाएँ बनाई गयी और गाँवों में पिछड़े लोगों का विकास करने में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी तथा गाँवों में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन के लिए ये योजनाएँ अधिक कारगर सिद्ध हुई। प्रत्येक गरीब से गरीब, भूमिहीन, लघु सीमान्त श्रमिकों के विकास के लिए अनेके विकास कार्यक्रम अपनाये गये। मूलभूत सुविधाएँ जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान शामिल थे, सभी व्यक्तियों तक पहुँचाने का प्रयास किया गया।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारम्भ किया गया। इसका उद्देश्य जाति उन्मुख समाज को सामुदायिक उन्मुख समाज में बदलना था। प्रारम्भ में राष्ट्रीय विस्तार योजना की शुरूआत की गई और बाद में प्रत्येक क्षेत्र में समाज के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएँ संचालित की जाती थी। उन संचालित कार्यक्रमों को समाज पर लागू कर वास्तविक रूप दिया जा रहा था। सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य के अनुसार चिन्हित किये गये क्षेत्र जो इस प्रकार हैं:–

(1) रोजगार में वृद्धि।

(2) प्रत्येक कार्यों में सहकारिता की भागीदारी प्रदान करना।

(3) ग्रामीण जनता में प्रगतिशील रवैया विकसित करना।

(4) उत्पादन बढ़ाना।

(5) नयी तकनीकी अपनाकर अधिकाधिक विकास करना।

(6) सिंचाई का विकास करना।

(7) शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

(8) भूमि सुधार।

(9) सड़क निर्माण करना आदि।

पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षारोपण, गरीबों को सस्ते मकान मुहैया कराना, ग्रामीण उद्योगों का विकास करना इत्यादि कार्यक्रम सम्मिलित कर इनकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली गयी। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिला स्तर पर जिला परिषदों की स्थापना, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियों तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की गयी और उनके प्रमुख बनाकर इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया।[20]

वर्ष 1960 के बाद

ग्रामीण विकास का कृषि एक महत्त्वपूर्ण अंग है। इसके बिना गाँवो का विकास संभव नहीं है, क्योंकि गाँवों की दो तिहाई जनसंख्या कृषि एवं उससे सम्बन्धित कार्यों में संलग्न है। कृषि को तृतीय पंचवर्षीय योजना में अधिक प्रमुखता दी गई तथा इस योजना में अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिशीलता की

अवस्था तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। ग्रामीण विकास को अधिक बढावा देने के उद्देश्य से कृषि योजनाओं में पंचायतों व सहकारी समितियों को माध्यम बनाया गया। जिससे आम नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुँच सकें। इस पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य थेः–

(क) स्थानीय व्यक्तियों द्वारा स्थानीय संसाधनों का अधिकाधिक सदुपयोग कर विकास को बढावा देना।

(ख) सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की दशा सुधारना तथा जिला प्रशासन की कार्यकुशलता में वृद्धि करना।

(ग) कृषि की नयी तकनीक अपनाकर उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाना।

(घ) उन्नत बीजों व वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करना।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ–साथ ' गहन कृषि विकास कार्यक्रम' एवं गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम अपनाया गया जो निम्नलिखित हैः–

गहन कृषि विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1960–63 में चुने हुए 7 जिलों में लागू किया गया। दूसरे चरण में 12 जिलों को और शामिल किया गया और उसके बाद 18 जिले और शामिल कर लिये गये। इसका मुख्य उद्देश्य 'पैकेज' के रूप में सभी उपलब्ध तकनीकों को अपनाना था, ताकि फार्म के स्तर पर ही उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त किया जा सके–

गहन कृषि कार्यक्रम

यह कार्यक्रम सघन कृषि विकास कार्यक्रम के सन्दर्भ में अपनायी गयी तकनीकी से 1964–65 में चलाया गया। आरम्भ में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 117 जिलों के 1956 खण्ड शामिल किये गये।

1970 का दशक

तृतीय व चतुर्थ योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास केसंदर्भ में किये गये कार्यों को संचालित रखा गया। ग्रामीण रोजगार योजना (1971), जनजाति क्षेत्र विकास–1972, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम–1975, सीमान्त कृषक, लघु कृषक व खेतीहर मजदूर विकास एजेन्सी कार्यक्रम बनाये गये। **चौथी** पंचवर्षीय योजना **1971** में समस्त '**फारमर्स डवलपमेन्ट एजेन्सी**' नामक इकाई देश के 46 चुने हुए जिलों में छोटे किसानों को कर्ज व कृषि सम्बन्धी मूलभूत सामग्री मुहैया कराने के लिए गठित की गयी। इसके तहत कृषि, लघु तथा मध्यम सिंचाई, भूमि के कटाव को रोकना, पशुओं की नस्ल में सुधार करना, सड़कों का निर्माण इत्यादि जनसुविधाएँ उपलब्ध कराना शामिल था। इसके अलावा **पाइलेट रिसर्च प्रोजेक्ट** एवं **ग्रोथ सेन्टर्स** खोला गया। यह कार्यक्रम देश के 20 प्रखण्डों में लागू किया गया तथा इस परियोजना का भार खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय ने वहन किया। इसी समय प्रत्येक गरीब व्यक्ति को दो जून की रोटी उपलब्ध कराने के लिए '**फूड कार वर्क**' जिसका बाद में नाम बदलकर **अंत्योदय** रखा गया। प्रधानमंत्री **श्रीमती इंदिरा गाँधी** ने व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और **गरीबी हटाओ** का नारा दिया। इससे समाज में जागरूकता फैली और अपने क्षेत्र के प्रति सचेत हो गये तथा इन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक सफलता मिली।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम–

यह विकास कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार बढ़ाने तथा हर व्यक्ति को रोजगार देने की दिशा में अग्रणी कदम था। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास की दिशा निर्धारित करते समय इन बातों का ध्यान रखा गया जो इस प्रकार हैः–

1. गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना।
2. संसाधनों का सदुपयोग करें तथा भविष्य के लिए इसे सुरक्षित रखा जा सके।

3. लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाये तथा आर्थिक स्थिति मजबूत बनायी जानी चाहिए।

केन्द्र सरकार ने सन् 1979 में एक ओर नया प्रयास किया, जबकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्योग, नौकरी, एवं व्यापार उपागमों को जोड़ा गया तथा खादी और ग्रामोद्योग को भी सशक्त बनाने पर बल दिया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ढ़ाँचागत परिवर्तन भी किए गये, जिसके अन्तर्गत एस.एफ.डी.ए. को समाप्त कर जिला स्तर पर अप्रैल 1981 में जिला ग्रामीण विकास संस्था (**डी.आर.डी.एफ.**) की स्थापना की गयी। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्य अवयव आई.एस. बी. के अलावा ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए '**ट्राइसम**' नामक योजना तथा ग्रामीण बेरोजगार महिलाओं के लिए '**द्वारका**' नामक योजना कार्यक्रम भी लागू किया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के निम्नलिखित तत्वों पर बल दिया गया। देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समूहों को सामाजिक सेवाओं तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत मदद किया जाना, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

ग्रामीण विकास योजना के तहत अनेक कार्यक्रम घोषित किये गये, जो निम्नलिखित हैः—

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
2. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
3. जवाहर रोजगार योजना
4. रेगिस्तान विकास कार्यक्रम
5. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम
6. ऑपरेशन फ्लड
7. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम
8. कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम

उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सातवीं योजना के बीच में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गाँधी ने रोजगार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और सामाजिक संपति अर्जित करने के उद्देश्य से एन.आर.ई.पी. तथा आर.एल.ई. पी. को मिलाकर एक नई योजना चलायी, जिसे जवाहर रोजगार योजना कहते हैं। इसी अवधि में श्री राजीव गाँधी ने पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का संकल्प दोहरा लिया। एल.एम. सिघवी समिति, वी.आर. गाडगिल समिति, हनुमन्था राव समिति आदि अन्य समितियों का गठन किया ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसका लाभ त्वरित गति से मिल सके।

हमारे जीवन के लिए कृषि आवश्यक है क्योंकि इसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता तथा खाद्यान्न आपूर्ति, औद्योगिक कच्चे माल की अनवरत उपलब्धि, औद्योगिक तैयार माल की खपत एवं उद्योग जनित श्रम की माँग को पूरा करने में कृषि क्षेत्र का सहयोग रहता है। विकास प्रक्रिया के आरम्भिक चरणों में देश की व्यवस्था गतिशील हो जाती है। इसी सन्दर्भ में इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति के पूर्व घेराबन्दी आन्दोलन का उल्लेख किया जा सकता है। लेविस, काल्डर, नर्म्स आदि विद्धानों द्वारा प्रतिपादित विकास की मूल प्रक्रिया में कृषि को दी गई प्रोथमिकता औचित्यपूर्ण है।[21] आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कृषि की अवहेलना अनिवार्यतः आत्मघाती होगी। पिछले कई वर्षों से आर्थिक विकास को मात्र कृषि की प्रगति न बताकर समस्त ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के माध्यम से समझाया गया है।

ग्रामीण विकास की अवधारणा

ग्रामीण विकास के अन्तर्गत कृषि के साथ–साथ इससे संबंधित आवश्यक सुविधाओं एवं सेवाओं का समावेश होता है। ग्रामीण विकास में कृषिगत उत्पादन में वृद्धि के साथ ग्रामीण उद्योग प्राथमिक वस्तुओं का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार एवं कृषि संबंधित आवश्यक सेवाओं की पूर्ति को भी सम्मिलित किया जाता है। ग्रामीण इलाकों के विकास हेतु कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों में अपनाए गये कार्यक्रम सम्भवतः ग्रामीण विकास में सहायक सिद्ध होंगे।

विकास सम्बन्धित विश्लेषण केवल ग्रामीण विकास पर ही जोर देकर समग्र अथवा समन्वित ग्रामीण विकास को अर्जित करने की दशा में सक्रिय है। विश्व बैंक ने बताया कि ग्रामीण विकास की प्रक्रिया द्वारा निर्धन वर्ग को राष्ट्रीय, सामाजिक सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक मुख्य धारा से जोड़ा जाना अपरिहार्य है।[22]

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास के लिए जो सबसे पहला प्रयास किया गया, वह था सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास के योजनाकारों ने उसे एक पद्धति के रूप में स्वीकार किया, जबकि राष्ट्रीय विस्तार को एक ऐसी संस्था के रूप में स्वीकार किया, जो सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने में हमारी मदद कर सके। साथ ही जहाँ सामुदायिक विकास को विकास का एक आधारभूत प्रखण्ड माना गया जो तीन वर्ष के अन्दर प्रखण्ड के पूर्ण जीवन में परिवर्तन ला सके। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना को एक स्थायी बहुउद्देशीय विस्तार संस्था के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त जनमानस में स्वयं उत्थान की भावना को भी जगाया गया था।

भारत सरकार ने फोर्ड फाउन्डेशन के साथ सामुदायिक कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पहले प्रयोग के रूप में मात्र 52 सामुदायिक परियोजनाओं को लागू करने के लिए योजना बनाई। फलस्वरूप अक्टूबर, 1952 को गाँधी जयन्ती के अवसर पर उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि ''जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं वह मातृभूमि की सेवा है। यह उस धरती की सेवा है जिसके हम सभी अंग हैं। हमें यह अपनी मेहनत के पसीने से इसे सींचना है। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अपना खून भी बहा सकते हैं, ताकि लाखों ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार आ सके और उसका वास्तविक विकास हो सके।''[23]

विकास के लिए मानवीय संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग पर बल दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को जुटाया गया। संस्थागत वित्तीय एवं अन्य सुविधायें भी दी गयी

और साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि की दशा में सामान्य लोगों को उत्साहित किया गया।[24]

विकासशील राष्ट्रों के सन्दर्भ में देखा जाए तो अधिकाधिक उत्पादन ही विकासनीति का एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए। इस संदर्भ में कृषि द्वारा अधिक से अधिक उत्पादन, पोषक तत्वों की कमी एवं खाद्यान्नों के अभाव को देखते हुए अधिक उत्पादन को विकास नीति की सफलता का द्योतक भी बताया जा सकता है। भारत में हरित क्रांति का उद्‌भव इस नीति का ही अवशेष माना जा सकता है। सिंचाई, रासायनिक खाद, उन्नत बीज और मशीनीकरण से भारत में कृषिगत उत्पादन तथा भूमि एवं कृषकों की उत्पादकता में उत्साहपूर्वक वृद्धि प्राप्त की गयी।[25]

सामुदायिक परियोजना की क्रियान्विति के प्रथम वर्ष में योजना के प्रति लोगों का उत्साह देखकर 1953 में पूरे देशभर में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रखण्डों की स्थापना की गयी और प्रखण्ड को तीन वर्ष के अन्दर 7.5 लाख रूपये का अनुदान दिया गया। साथ ही सामुदायिक विकास प्रखण्ड की अनुदान की राशि 22 लाख से घटाकर 15 लाख कर दी गई। इस प्रकार पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में 1114 प्रखण्डों का गठन कर दिया। जिसके अन्दर 1,63000 गाँवों की एक करोड़ 10 लाख आबादी को शामिल कर लिया गया लेकिन इस तरह के तीव्रगामी विस्तार से बहुत सारी प्रशासनिक समस्या पैदा हो गयी। फलस्वरूप योजना आयोग ने इन कार्यक्रमों का आंकलन और मूल्यांकन करना शुरू कर दिया ताकि इसके आधार पर दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की जा सके।[26]

इसी क्रम में 1970 के दशक में विश्व स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनः निर्माण के लिए निरंतर प्रयास हुए हैं। यह वह समय था जब इन तत्वों को सघनता से महसूस किया गया कि विकास के साथ–साथ वितरणात्मक पद्धति को भी ध्यान में रखना होगा। वस्तुतः जब विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और असमानता जैसी समस्याओं के निराकरण के लिये योजनाबद्ध तरीके से विचार शैली का प्रादुर्भाव हुआ जो कृषि और औद्योगिक

विकास बढ़ाने के बुनियादी प्रयास के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवायें और रोजगार प्रदान करने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता पर विशिष्ट ध्यान केन्द्रित करने लगी है। विकासशील देशों की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है। जनसंख्या के इस वर्ग में जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करने की विशेष आवश्यकता के परिणामस्वरूप ही ग्रामीण विकास में रूची बढ़ी है। इस बात का प्रयास किया गया कि यदि गरीबी उन्मूलन की कोई दीर्घकालीन कार्यनीति बनायी जाये तो उसका आधार यही होना चाहिए कि स्वयं विकास की प्रक्रिया से अनेक जनसमुदाय वंचित न हो जाये। अतः गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम बनाने अतिआवश्यक हो जाते हैं जिनसे गाँवों की निर्धन जनता के लिए आय का एक न्यूनतम स्तर प्राप्त कर सके।[27]

ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों को होने वाले आर्थिक लाभों के साथ–साथ समाज के सम्पूर्ण ढाँचे में होने वाले अधिकाधिक परिवर्तन से लगाया जाता है। ग्रामीण लोगों के लिए आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएँ उसी स्थिति में हो सकती हैं। ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में जनता की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित की जाये, योजना का विकेन्द्रीकरण किया जाये, भूमि सुधारों को उत्तम ढंग से क्रियान्वित किया जाये। साथ ही सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति, स्वच्छता, आवास आदि की स्थिति में सुधार और ग्रामजनों की मनोवृतियों में परिवर्तन भी समान रूप से आवश्यक है। ग्रामीण गरीब प्रायः कम उत्पादकता, बेरोजगार तथा अल्परोजगार का फलन होता है। इसलिए गाँवों में उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

संक्षेप में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तबके के लोगों की आय तथा जीवन स्तर में वृद्धि करके उनकी जीवन प्रक्रिया को पोषक बनाने की विधि को ग्रामीण विकास कहते है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से बनाये स्तरीय कार्यक्रम को ग्राम विकास परियोजना कहते हैं जबकि ग्राम विकास कार्यक्रमों में अधिक क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का प्रयास रहता है ताकि अधिक

लोग प्रभावित हो सकें। अतः ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अनेक परियोजनाएँ होती है। सापेक्ष मूल्य पद्धति के कारण ग्राम विकास की क्रियान्वित करना अधिक कठिन है। यह कठिनाई उन राष्ट्रों में ओर भी अधिक बढ़ जाती है जहाँ जनसंख्या अधिक है तथा सामाजिक आर्थिक सम्पदा में काफी विभिन्नताएँ विद्यमान है।

इस दृष्टिकोण में ग्रामीण विकास संधारण के चार उद्देश्य सामने आये हैं:–

(क) लोगों को निर्णय योजना प्रक्रिया में सम्मिलित करके एवं प्रशासन का विकेन्द्रीकरण करके उनकी योजना एवं विकास की धारा से जोड़ना।

(ख) रोटी, कपड़ा और मकान तथा शिक्षा एवं रोजगार प्रदान करके जीवन स्तर को ऊपर उठाना।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाना तथा गरीबी को कम करना

(घ) समाज में सभी को एक समान अवसर प्रदान करना तथा सामाजिक न्याय दिलवाना।[28]

पंचायतों की संवैधानिक स्थिति

पंचायतीराज संस्थाओं को 73 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कानूनी दर्जा दिया गया। ग्रामीण विकास में जनता की सह–भागीदारी है इसके लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथ ही आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 30,000 करोड़ रूपये ग्रामीण विकास पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसी योजना के दौरान ग्रामीण विकास के कुछ और नये कार्यक्रम जैसे– सुनिश्चित रोजगार योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेयजल योजना, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण आवास योजना, जल संभरण प्रबन्धन आदि कई नयी योजनाएँ शुरू की गई जिनमें कुछ जो शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता एवं कुछ 80:20 के अनुपात में तथा कुछ 50:50 के अनुपात में राज्य व केन्द्र सरकार की सहायता से संचालित की गई। इस दौरान पंचायती राज

संस्थाओं को नये संविधान संशोधन के अन्तर्गत फिर गठित किया गया। **जिला नियोजन समिति** के माध्यम से जिला नियोजन को प्रभावकारी बनाने की चेष्टा की गई है। पंचायती राज संस्थाओं की मदद से ग्रामीण गरीबी पर सीधा प्रहार किया

ग्रामीण विकास पर नवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष बल देने की बात की गई तथा नवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में ग्रामीण विकास पर 90,000 करोड़ रूपये खर्च करने की बात कही गई। नवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कराये गये सर्व के आधार पर तथा अन्य स्वतंत्र मूल्यांकनों के आधार पर इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुछ कार्यक्रमों में भी बदलाव लाया गया है। स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना 1999 में लागू की गयी है। इसके तहत पुराने कार्यक्रम जैसे–समन्वित ग्रामीण विकास योजना, ट्राइसेम, गंगा कल्याण योजना, दस लाख कुओं की योजना तथा सिट्रा को इसमें शामिल कर दिया गया है।

01 अप्रैल 1999 से ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं वे–जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल योजना, क्रेडिट कम सब्सिडी फॉर रूरल हाउसिंग, रूरल बिल्डिंग सेन्टर्स समग्र आवास योजना इनके अलावा कुछ अन्य कार्यक्रम है। राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना आदि हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा कर्पाट के माध्यम से अन्य तकनीकी एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने तथा जिला ग्रामीण विकास संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए मंत्रालय में एक अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र सेल का निर्माण किया है।[29]

जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये ग्राम स्तर पर जनसंगठनों का उदय होना, प्रथम प्राथमिकता है। ग्रामीण विकास का लक्ष्य केवल बँटवारे का न्याय ही नहीं है बल्कि इसका मुख्य सुझाव गरीब जनता की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में लगाना भी है। इसलिए ग्रामीण विकास संबंधी

नीति मात्र संख्यात्मक लक्ष्य को प्राप्त करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरूकता पैदा करना विशिष्ट पहलू होना चाहिये।

विकास कार्यक्रम में जनसहभागिता

विकासशील देशों की सरकारों ने अपना ध्यान ग्रामीण विकास पर केन्द्रित किया है जिसमें जनता की सहभागिता हो और जिसमें परिवर्तन नियोजित हो। ग्राम पंचायत स्तर पर विकास कार्यक्रम बनाने और क्रियान्वित करने से लोगों अथवा लाभ भोगियों का सहभागी होना जरूरी है। लोगों की हिस्सेदारी न केवल नीतियों एवं योजनाओं का यथार्थ वही जमीन से जुड़ा हुआ बनाने में सहायक सिद्ध होती है बल्कि यह भागीदारी जन शक्ति, समय और धन की न्यूनतम लागत पर विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती है। विकास में कोई भी अच्छी नीति तब तक अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती, जब तक उसको जन–सहभागिता नहीं मिल सके।

जनता के योगदान की संकल्पना की शुरूआत सर्वप्रथम यूनान से की। जहाँ सरकार के रूप में लोकतंत्र का उदय हुआ। प्राचीन यूनान के प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी विशेष निर्णय लोकप्रिय विधानसभाओं द्वारा लिये जाते थे और नागरिक राज्य के मामलों में सक्रिय भाग लेते थे तब से राज्य की बदलती हुई प्रकृति और भूमिका से लोकतंत्र का अर्थ और तत्व विस्तृत एवं संकुचित दोनों होते गये। राजनीतिक तत्व में सामाजिक और आर्थिक तत्व शामिल होने से अब लक्ष्यार्थ व्यापक हो गया है।[30]

गाँधीजी ने **ग्राम स्वराज** की कल्पना की थी। **ग्राम स्वराज्य का अर्थ है ग्रामीण विकास योजना जनता स्वयं तैयार करे और वे ही प्राथमिकता तय कर अपनी देख–रेख में संचालित करे**। सरकार आर्थिक सहयोग एवं संबल देवे। तकनीकी ज्ञान व आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करें।[31]

जनसहभागिता

जनसहभागिता प्राचीनकाल से प्रचलन में आया यह शब्द लोगों की भागीदारी से है। जनसहभागिता को मुख्यतः दो अर्थों में व्यक्त किया जा सकता है–(क) परम्परागत (ख) आधुनिक। परम्परागत अर्थ में जनसहभागिता का अर्थ

है –निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिक का सक्रिय रूप से सम्मिलित होना। आधुनिक अर्थ में जनसहभागिता का अर्थ व्यापक रूप में सभी क्षेत्रों जैसे नीति निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन आदि में लोगों की सक्रिय व अर्थपूर्ण सहभागिता से लिया गया है।[32]

सहभागिता की अवधारणा का विकास

लोगों की भागीदारी का विचार नया नहीं है क्योंकि बहुत समय पहले ही गाँधीजी ने अपनी परिकल्पनाओं एवं कार्यों में इसे मूर्त रूप दिया था। ग्रामीण जनसमुदायों को केन्द्र के विकास के संचालनकर्ता के रूप में रखा गया था। स्वतंत्रता के बाद इस अवधारणा में परिवर्तन आया है। योजनाबद्ध विकास के बाद योजना के लक्ष्यों को हासिल करने में लोगों की भागीदारी को प्राथमिकता दी गई है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरूआत में यह कहा गया कि, **कोई योजना तब तक सफल नहीं हो सकतीं जब तक देश के करोड़ों छोटे किसान इसके लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करते, इसके निर्माण में शामिल नहीं होते इसे अपना नहीं समझते और इसे लागू करने के लिए अपेक्षित त्याग करने को तैयार नहीं होते**। इसलिए केन्द्र स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) शुरू किया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिवर्तन किया जा सके। ग्राम पंचायते, खण्ड सलाहकार समितियों और जिला बोर्डों के माध्यम से ऐसे नियम बनाये गये कि विकास कार्यक्रमों को योजना बनाने और उन्हें लागू करने में लोकप्रिय भागीदारी प्राप्त हो।[33]

विकास परिदृश्य में लोगों की भागीदारी की अवधारणा विकास अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि आधारित प्रतिमान से मोह भंग होने के बाद सामने आयी, जिसमें विकास को उपर से नीचे की ओर समझा जाता था। अर्थात् यह माना जाता रहा है कि विकास कार्यक्रमों से जो लाभ होंगे वे समाज के उच्च वर्ग से निम्नवर्ग तक स्वयं पहुँच जायेंगे परन्तु यह धारणा विपरीत थी।

1970 के दशक में **''वैकल्पिक विकास''** की धारणा का उदय हुआ लेकिन उसे भी **'प्रतिकूल विकास'** कहा गया। परन्तु यह महसूस किया गया कि

सामुदायिक विकास कार्यक्रम सरकारी सहायता से लोगों का कार्यक्रम बनने की बजाय सरकारी कार्यक्रम बन गया, जिसमें लोगों की भागीदारी में परिवर्तन हुआ। और लोगों की भागीदारी का विकल्प नौकरशाही नहीं बन पायी, जो विकास के निश्चित लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम करने लगी।[34]

भारत सरकार के नीति–निर्माताओं ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असंतोषप्रद उपलब्धियों को देखते हुए सन् 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल नियुक्त किया और उसे कार्यक्रम की कार्यप्रणाली व मूल्यांकन करने के लिए कहा गया। इस दल ने यह महसूस किया कि विकास और भागीदारी साथ–साथ चले, तभी हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्ययन दल ने यह भी बताया कि स्थायी विकास के लिए लोकप्रिय भागीदारी का साथ देने में योग्य नहीं था इसलिए अध्ययन दल ने सिफारिश की कि ''स्थानीय लोकप्रिय प्रतिनिधियों को सत्ता हस्तांरित और प्रशासनिक मशीनरी का विकेन्द्रीकरण किया जाये।''[35]

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की इन विभिन्न सिफारिशों के आधार पर अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायतीराज प्रणाली शुरू करके लोगों की भागीदारी को संस्थागत रूप दिया गया। और इसके ढ़ाँचे, कार्यान्वयन, संसाधन आवंटन, कार्मिक पद्धति और विभिन्न इकाईयों को दी जाने वाली स्वायत्तता की मात्रा को लेकर सभी तरह के बदलाव किये गये हैं। [36]

विविध तथ्यों का विश्लेषण करने पर यह ज्ञात किया गया कि मानवीय गतिविधियों को ही विकास का आधार माना जा रहा है। प्रक्रिया के रूप में विकास के अन्तर्गत सभी मानवीय गतिविधियाँ शामिल हैं। इनके आयाम सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा तकनीकों में विवेकशील परिवर्तनों पर जोर देते हैं। यहाँ विकास का अर्थ है कि न्यूनतम संभव संसाधनों का प्रयोग करके अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने पर जोर देना है। तथा साथ ही सामाजिक सम्बन्ध बनाना एवं तकनीकी विकास तो आवश्यक है। लोगों की विभिन्न स्तरों पर तथा विभिन्न तरीकों से सतत् सहभागिता के माध्यम से प्रक्रियाएँ अधिक सुचारू व प्रभावशाली ढंग से चल सकती हैं।[37]

विकास को बनाये रखने के लिए उच्चतम स्तर पर एक अनुकूलतम व सक्षम राजनैतिक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना आवश्यक है। इस व्यवस्था के द्वारा नयी तकनीकी विकसित हो सकेगी तथा कृषि औद्योगिक और व्यापारिक उन्नति हेतु तकनीकों के प्रसार के लिए कई माध्यम उपलब्ध हो सकेंगे।

वास्तविक विकास के लिए जन सहभागिता को जीवन का अंश बनने दिया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक औपचारिक या अनौपचारिक रूप से इसमें पूर्णरूप से शामिल कर सकें तथा विकास की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके। किसी भी विकास कार्यक्रम या योजना की सफलता बहुत हद तक लोगों की उसमें और समाज में भाग लेने की रूचि पर निर्भर करती है। सहभागिता की मात्रा जितनी अधिक होगी, विकास व सफलता की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी जो सर्वोपरि होगी।[38]

सहभागिता तथा विकास के मध्य सम्बन्ध

जनसहभागिता तथा विकास के मध्य सम्बन्धों की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। हालांकि सहभागिता की परिभाषा से सहमत नहीं है लेकिन फिर भी एक सामान्य धारणा के रूप में सहभागिता की आवश्यकता तथा महत्व पर निरन्तर जोर दिया जा रहा है। विकास में जनसहभागिता के नये संदर्भ में नयी तकनीक की स्वीकृति को सहभागिता तथा अस्वीकृति को असहभागिता के रूप में माना गया परन्तु बाद में संसाधनों की ओर ध्यान दिया जाने लगा क्योंकि विकास में उनकी सुलभता को आवश्यक निवेश के रूप में माना गया। जनसहभागिता किस प्रयोजन या प्रयोजनों को पूरा करती है ? विकास से इसका क्या सम्बन्ध है ? यह किन उद्देश्यों तथा कार्यों की पूर्ति करती है ?इन प्रश्नों का जवाब देना बहुत कठिन है फिर भी कुछ प्रयोजनों की सूची बनाई जा सकती है, जो प्रांसगिक तथा महत्वपूर्ण हों।

विभिन्न विद्वानों के मतानुसार सहभागिता इन प्रयोजनों को पूरी करती है। स्थानीय लोगों की इच्छाओं को मालूम करना, विकासात्मक रूप रेखाएँ प्रस्तुत करना, स्थानीय समस्याओं को समझना, उपयोगी प्रस्तावों की

सम्भावनाओं को हल करने की सामर्थ्य को बढ़ाना तथा उसका उपयोग करना, स्थानीय संसाधनों को तलाशना, विकसित करना तथा उन्हें प्रतिष्ठित करना, इस तरह सहभागिता किसी एक या कुछ सम्मिलित प्रयोजनों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।

सहभागिता के आयाम

विकास सम्बन्धी उद्देश्यों व लक्ष्यों की प्राप्ति समुचित सहभागिता के द्वारा ही सम्भव है लेकिन विश्वसनीय बात यह है कि सहभागिता कैसी व किस प्रकार की हो, इसका अध्ययन हम निम्नलिखित चार प्रकार की सहभागिता के आधार पर कर सकते हैंः–

1. निर्णय लेने में सहभागिता
2. कार्यान्वयन में सहभागिता
3. उपलब्धियों में सहभागिता
4. मूल्यांकन में सहभागिता

1. निर्णय लेने में सहभागिता

सहभागिता विचारों की उत्पति, योजनाओं को बनाने, उनके विकल्पों में मूल्यांकन तथा इन विकल्पों के बीच से ही चुनाव पर केन्द्रित है। यहाँ तात्पर्य 3 प्रकार के निर्णय से है अर्थात् प्रारम्भिक निर्णय, निरन्तर लिये जाने वाले निर्णय तथा प्रारम्भिक निर्णय स्थानीय जरूरतों की पहचान तथा योजना से संबधित हो सकते हैं। यह नीति, वित्त प्रबन्ध, बचत, मूल्यांकन के लिए निर्धारण इत्यादि से संबंधित हो सकता है। निरन्तर लिये जाने वाले निर्णय, योजना के जारी रखने या समाप्त करने के बारे में निर्णय, सेवाओं की पुनर्स्थापना, बेहत्तर तरीके से कार्यान्वयन के लिए निर्णयों पर पुनर्विचार इत्यादि से संबंधित परिचालन सम्बन्धी है।[39] विकास प्रक्रिया के मूल्यांकन, गैर सरकारी संगठनों के सहकारी तथा अन्य स्थानीय संगठनों के योगदान से संबंधित है।

2. नीति क्रियान्वयन में सहभागिता

कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में संसाधनों के अंशदान द्वारा तथा प्रशासन व संचालन के कार्यक्रमों में अन्य लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है। कार्यक्रमों को लागू करने से समुदायों को लाभ पहुँचता है तथा लोग विकास के फलों का उपभोग कर सकते हैं। ये भौतिक उपलब्धियाँ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व व्यक्तिगत लाभ के रूप में हो सकती हैं। विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के बाद ये जानने के लिए कि कार्यक्रम के प्रयोजनों की पूर्ति हुई या नहीं। आशाजनक उपलब्धि लोगों को मिली या नहीं तथा जानने के लिए कार्यक्रमों के मूल्यांकन की आवश्यकता है। मूल्यांकन को अर्थवान बनाने के लिए योजना की रूपरेखा में जन सहभागिता का अंश होना चाहिए। यह औपचारिक समीक्षा या सुझावों, सीधे–सीधे विरोध या अखबारों के पत्र द्वारा या इसी तरह के अन्य तरीकों द्वारा हो सकती है।

3. उपलब्धियों में सहभागिता

यह सहभागिता जनता के लिए महत्त्वपूर्ण है यह मुख्यतः चार प्रकार की हो सकती है– जैसे स्थानीय निवासी, अधिकारी, स्थानीय नेता और विदेशी विशेषज्ञ। प्रत्येक समूह की सहभागिता आवश्यकताओं पर, तकनीकी विशेषज्ञता के साथ–साथ सरकारी नीतियों पर भी निर्भर करती है। विकास प्रक्रिया में कौन भाग लेता है और किस हद तक हिस्सा लेता है। यह जानने के लिए प्रत्येक श्रेणी की आयु विशेषताओं जैसे लिंग, समाज में स्थिति, व्यवसाय शिक्षा इत्यादि को जाँचना जरूरी है। विभिन्न प्रभावकारी कारकों की खोज प्रासंगिक है, जैसे सहभागिता का आधार क्या है? अर्थात् क्या यह लाभ के प्रोत्साहन पर आधारित है?यह स्वैच्छिक है या बलपूर्वक?हमें सहभागिता के स्वरूप का निरीक्षण करना आवश्यक है अर्थात् क्या यह प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? अथवा व्यक्तिगत है या किसी संस्थान या संगठन के द्वारा है। अंत में सहभागिता के प्रभाव से आशाजनक परिणाम प्राप्त करने की सामर्थ्य रखती है।

4. मूल्यांकन प्रक्रिया में सहभागिता

सहभागिता को समझने के लिए संदर्भ की जाँच आवश्यक होती है अर्थात् योजना की विशेषता तथा कार्य का वातावरण योजनाओं की विशेषताओं में निम्न बातें आती हैं– तकनीकी जटिलता व संसाधनों की जरूरतें, लाभों की संभावना व कार्यक्रम की सम्बद्धता, कार्यक्रम का लचीलापन तथा सहभागिता के प्रकार तथा मात्रा को प्रतिबन्धित करना। कार्य वातावरण में शारीरिक तथा जैविक तत्व सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक तत्व, सामाजिक तथा राजनैतिक तत्व शामिल है।[40] इन तत्वों का सहभागिता के स्वरूप पर मजबूत और उपर्युक्त प्रभाव होता है।

जन सहभागिता के लाभ

1. विकास के लक्ष्यों तथा समुदाय के मूल्यों एवं प्राथमिकताओं के बीच विषमता दूर करने में सहायता मिलती है।
2. लोगों की भागीदारी से जो कार्यक्रम शुरू किये जाते हैं। उनके बाहरी वित्तीय एवं तकनीकी सहायता हटा लिये जाने पर भी जारी रहने की संभावना रहती है।
3. समाज के गरीब वर्ग की भागीदारी से सम्पन्न लोगों द्वारा विकास कार्यक्रमों के लाभ अपने तक सीमित रखने की आशंका नहीं रहती है।
4. व्यक्ति नगदी, श्रम, प्रबन्धकीय प्रतिभा और राजनैतिक समर्थन के रूप में स्थानीय संसाधन जुटा सकते हैं।
5. विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और कार्यक्रम तैयार करने के स्तरों से लेकर उन्हें लागू करने के दौरान ग्रामीण लोग बहुमूल्य सामाजिक ,सांस्कृतिक, परिस्थिति सम्बन्धी, और देशी तकनीकी संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं।
6. लोग ऐसे कार्यक्रमों को तत्परता से स्वीकार करते हैं, जिनमें वे स्वयं अथवा उनके मान्यता प्राप्त नेता शामिल होते हैं।
7. वे महसूस करते हैं कि यह उनका अपना कार्यक्रम है।
8. लोगों में दायित्व निर्वाह करने की क्षमता बढ़ती है।

जनसहभागिता का स्वरूप एवं प्रकार

विकास के बारे में बहस के दौरान लोगों की हिस्सेदारी की व्याख्या करना विवाद का विषय रहा है। लोगों की अलग–अलग पृष्ठभूमि, रूचि, समझ और दर्शन के आधार पर उनके लिए ग्रामीण समुदाय और उसके विकास की प्रक्रिया का अर्थ भिन्न–भिन्न हो सकता है किन्तु उपलब्ध साक्ष्यों से दो दृष्टिकोण सामने आते हैं। प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार, विकास प्रक्रिया में जन समुदाय की भागीदारी कुछ इस प्रकार होती है जैसे किसान जुलाई में बैलों की जोड़ी का इस्तेमाल करता है। गाँधी, टैगोर, फ्रेयर आदि की विचारधारा जन केन्द्रित परिकल्पना में अधिक विस्तृत भागीदारी में विश्वास करती है। उनका कहना है कि लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी मात्र से उन कार्यक्रमों से वास्तविक विकास नहीं हो सकता है। इस वर्ग की राय में लोगों की भागीदारी निचले स्तर पर समुदाय को एकजुट करके और विभिन्न प्रकार के जन–आन्दोलन के रूप में पैदा करनी होगी, उसे बढ़ावा देना होगा। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार, लोगों की भागीदारी नीति–निर्माताओं द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्य को हासिल करने का माध्यम है। इस प्रारूप में हस्तक्षेप के रूप में लोगों की भागीदारी हासिल की जाती है ताकि विकास कार्यक्रमों की क्षमता में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार लाया जा सके। वास्तव में गरीबी उन्मूलन के बारे में **दक्षिणी एशियाई आयोग** ने **1992** में अपनी रिपोर्ट में इस दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है। आयोग के शब्दों में ''यहाँ भागीदारी संकीर्ण अर्थ में नहीं देखी जाती हैं जो प्रतिनिधियों के माध्यम से औपचारिक गतिविधियों के रूप में दिखायी जाती है। इसे सामाजिक दृष्टि से गुंजायमान निचले स्तर की प्रक्रिया समझा जाता है, जिसमें लोग प्रक्रिया की पहचान करके उसे अपना बनाते हैं और आयोजकों से कभी–कभार ही सहायता लेते हैं। यह प्रक्रिया मूलरूप से शिक्षात्मक और निरन्तर जागरूकता बढ़ाने वाली है जो वास्वविक साक्षात्कार करते हुए नये अनुभवों से विकसित हुई ऐसा होने पर लोग विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और उसके प्रत्यक्ष भागीदार नहीं बने रहते है।''[41] उपरोक्त दो विचारधाराओं के आधार पर विकास में ग्रामीण लोगों की भागीदारी कई रूपों में निर्धारित की जा सकती है।

परोक्ष भागीदारी

इस भागीदारी में लोगों को बताया जाता है कि क्या होने जा रहा है अथवा क्या किया जा चुका है, यह एक प्रशासनिक घोषणा के अन्तर्गत किया जाता है। जिसमें लोगों की प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता।

(1) सूचना देने में भागीदारी

व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता वरन् बाहरी विशेषज्ञों अथवा अधिकारियों के प्रश्नों का उत्तर देता है और लोगों को कार्यवाही में हस्तक्षेप करके अपना प्रभाव दिखाने का अवसर नहीं मिलता है।

(2) भौतिक प्रोत्साहन के लिए भागीदारी

लोग संसाधन उपलब्ध करवा कर भागीदार बनते हैं, जैसे भौतिक प्रोत्साहन के लिए मजदूरी करना, इसमें प्रोत्साहन समाप्त होने के बाद गतिविधियों में लोगों की कोई हिस्सेदारी नहीं रहती है।

(3) सलाह द्वारा भागीदारी

लोगों की भागीदारी उनकी सलाह के रूप में ली जाती है और बाहरी एजेन्ट लोगों के विचारों पर अमल करने के प्रति बाध्य नहीं होते हैं।

व्यावहारिक भागीदारी

इसमें परियोजना सम्बन्धी पूर्व लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए लोग समूह बनाकर हिस्सेदारी करते हैं। ये संस्थाएँ बाहरी कार्यकर्ताओं और आयोजकों पर निर्भर रहती हैं लेकिन कई आत्मनिर्भर भी बन जाती हैं।

(1) संस्थागत भागीदारी

लोग पहले से स्थापित संस्थाओं के जरिए भागीदारी करते हैं, जैसे– पंचायत, सहकारी संगठन आदि।

(2) परस्पर भागीदारी

लोग संयुक्त विश्लेषणों में भाग लेते हैं जिनकी क्रियान्विति कार्य योजनाओं और नयी स्थानीय संस्थाओं के निर्माण अथवा पहले से कार्यरत संस्थाओं को मजबूत बनाने के रूप में होती है। ये समूह स्थानीय फैसलों पर

नियन्त्रण रखते हैं और इस तरह लोग संरचनाओं एवं पद्धतियों को बनाए रखने में योगदान करते हैं।

(3) स्वयं एकजुट होना

इसमें लोग प्रणालियों को बदलने के लिए स्वतंत्र रूप से बाहरी संस्थाओं में हिस्सेदारी करते हैं। वे अपेक्षित संसाधनों और तकनीकी परामर्श के लिए बाहरी संस्थाओं के साथ सम्पर्क करते हैं लेकिन वे यह जानते है कि संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करें।

व्यवहार में जनसहभागिता

व्यवहार में पंचायती राज को पहले से ही भागीदारी को बढ़ावा देने वाला मुख्य यंत्र माना गया है। आज अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कई गैर–सरकारी संगठन बेहतर परिणामों के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी पर बल देते हैं। दूसरी ओर निचले मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इनमें अधिकतम ऐसे आन्दोलन होते हैं जिनमें स्थानीय लोग या तो स्वतः ही शामिल हो जाते हैं या फिर सामाजिक दृष्टि से सजग कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें संगठित किया जाता है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे–**एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना** आदि व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में लोगों की भागीदारी आमंत्रित करते हैं। गाँव के लोग वर्तमान में विकास की गतिविधियों में अधिक सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं। क्योंकि आज वे सरकार से बहुत माँग करने में जुट गये हैं। सरकारी योजनाओं, सब्सिडी हासिल करने के लिए लोगों की लम्बी कतारें लगने लगी हैं। जहाँ हम पंचायती राज की बात करते हैं। अनेक अध्ययनों और समीक्षा समितियों के अनुसार ग्रामीण लोगों की भागीदारी बढाने में उनका योगदान संतोषप्रद नहीं रहा है, लेकिन **73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को नया जीवन दिया है।**[42]

जनसहभागिता के साधन

विकास प्रक्रिया में जनसहभागिता बढाने के लिए सरकार व लोगों ने बहुत से प्रयास किये हैं। उनके लिये जिन साधनों का सहारा लिया है, वे साधन निम्नलिखित हैः–

1स्थानीय सरकारें

लोकतांत्रिक सरकारों के क्रमिक विकास में स्थानीय स्वशासन की उत्पत्ति एक अद्वितीय घटना है। यह सभी सार्वजनिक मामलों में नागरिकों को सम्मिलित करते हुए स्वशासन पर आधारित है। क्या कार्य करना है? किसे क्या करना है? यह कैसे किया जाना है? जैसे निर्णय स्वयं नागरिकों द्वारा लिये जाते हैं।

2. सहकारी संगठन

सहकारी संगठन मूलभूत रूप से जनता के संगठन हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में जनसहभागिता को सक्रिय करने के लिए बनाये गये हैं। सहकारी ऋण संस्थाएँ, गन्ना सहकारी संगठन, आवास सहकारी संगठन इत्यादि।

3. संस्थाएँ

संस्थाएँ विशिष्ट क्षेत्रों से लोगों को जोड़ने का एक अन्य दृष्टिकोण हैं। संस्थाएँ गैर सरकारी रूप से बनाई जाती है यथा शुल्क अदाकर्ता संस्थाएँ, उपभोक्ता परिषदें, स्थानीय निवासी, कल्याण संस्थाएँ इत्यादि। ये संस्थाएँ अपने संबंधित इलाकों में उठने वाली अनेक सामान्य समस्याओं को प्रकाश में लाती हैं तथा उनका समाधान करने में मदद करती हैं।

4. स्वयं सेवी संगठन

जनसहभागिता की विकास प्रक्रिया में स्वयंसेवी संगठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बनाये गये हैं। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा अनेक स्वैच्छिक सेवाएँ जैसे स्वास्थ्य, सफाई, बच्चों की देखभाल, महिला कल्याण, शिक्षा इत्यादि दी जाती हैं। वे एक ही विचार रखने वाले लोगों को एक समान मंच प्रदान करते हैं। जनता की सहभागिता को सम्मिलित करके विकास के बोझ का एक बड़ा हिस्सा भी उनके द्वारा वहन किया जाता हैं।

ग्राम पंचायत और जनसहभागिता

नये पंचायती राज कानून में अन्य व्यवस्थाओं के अलावा एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। सभी तरह के ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंचायतों द्वारा निर्धारित, संचालित तथा कार्यान्वित किये जायेंगे। ऐसा प्रावधान संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची एवं अनुच्छेद 243–जी के अन्तर्गत किया गया है। जिसके अन्तर्गत कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, सामाजिक वानिकी, लघु तथा खादी ग्राम और कुटीर उद्योग, ग्रामीण, आवास, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि कई कार्यक्रम हैं। राजस्थान सरकार ने वर्तमान में 29 में से 21 कार्य सौपें है जो देश के अग्रणी राज्यों में हैं। कार्यो का सौंपना राज्य सरकार की स्वेच्छा पर है।[43]

पंचायत तथा स्वैच्छिक संस्थाएँ एक दूसरे की पूरक के रूप में कार्य करें, न कि एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में और अगर ऐसा हो गया तो वास्तव में समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। अब तक विकास के नाम पर गाँवों में खर्च किये जाने वाले रूपयों का 85 प्रतिशत विकास के अलावा अन्य कार्यों में ही खर्च हो जाता है जिससे विकास समुचित तरीके से नहीं हो पाता है।

पंचायत और स्वैच्छिक संस्थाएँ

विकास कार्यों में स्वैच्छिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि शायद ही विकास का कोई कार्य ऐसा छूटा हो, जिस पर स्वैच्छिक संस्थाओं ने अपनी सकारात्मक छाप न छोड़ी हो। लेकिन यह कहना गलत होगा कि देश में कार्यरत सभी स्थानों के पास हर तरह के कार्य का अनुभव है। मगर वास्तविकता यह है कि संस्थाएँ एक दूसरे के सहयोग से कई कार्य सफलता पूर्वक करने की क्षमता रखती हैं। दूसरी ओर स्वैच्छिक संस्थाओं के नाम पर कई लोग अपनी दुकानें भी चला रहे हैं। जिन्हें न तो किसी कार्य का अनुभव है और न ही उन पर विश्वास किया जा सकता

है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वैच्छिक संस्थाओं के पास सहभागी पद्धति से विकास कार्य करने का अनुभव है जो कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल आधार है। सहभागी पद्धति द्वारा समाज के हर उस व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

सहयोग के क्षेत्र

ग्रामीण विकास के संदर्भ में स्वैच्छिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। स्वैच्छिक संस्थाएँ पंचायतों की मदद अनेक प्रकार से कर सकती है जो इस प्रकार हैंः–

1. जानकारी की उपलब्धता

स्वैच्छिक संस्थाओं के पास जानकारी इकट्ठा करने की प्रबल क्षमता होती है। आज के युग में जानकारी को शक्ति का स्त्रोत माना गया है जिसके पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी है, वही अधिक सक्षमता और सक्रियता से कार्य कर सकता है। आज जिस गति से देश विदेश में परिवर्तन हो रहे हैं। उनका असर हमारे समाज, क्षेत्र, गाँवों पर भी पड़ता हैं और अगर हम इन जानकारियों से अनभिज्ञ रह गए, तो हम विकास की दौड़ में पीछे रह जायेंगे। इसलिए पंचायतों को भी हर तरह की जानकारी रखनी पड़ेगी और उसी आधार पर अपने कार्य की रणनीति बनानी पड़ेगी। विकास के क्या कार्यक्रम हैं? सरकार की नीति क्या है ? पंचायत के अपने संसाधन क्या–क्या हैं? आदि यह सब जानकारी का हिस्सा है जिसके बिना पंचायत का कार्य नहीं चल सकता है।

2. गाँव से जिला स्तर की योजना का निर्माण

नये प्रावधानों के अन्तर्गत नयी पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर की पंचायते अपने क्षेत्र के विकास की योजनाएँ स्वयं तैयार करेंगी तथा उसका संचालन भी करेंगी। योजना बनाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सर्वेक्षण, स्थानीय संसाधनों की पहचान, छोटी–छोटी योजनाओं का निर्माण तथा उनका एकीकरण हर स्तर पर करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत के लिए कई तरह की छोटी–छोटी योजनाएँ बनेंगी, उसी तरह मध्यवर्ती स्तर पर भी विभिन्न तरह कीयोजनाएँ बनेंगी और जिला स्तर पर भी इतने ही तरह की।

ग्राम पंचायत विभिन्न योजनाओं को मिलाकर एक समग्र ग्राम पंचायत की योजना, उसी तरह ग्राम पंचायतों की योजनाओं को मिलाकर जिला स्तर की योजना तैयार होगी।[44]

ग्राम पंचायतों के निर्वाचन प्रतिनिधि इन कार्यों को करने में सक्षम नहीं होंगे, तो आशंका है कि सरकारी अधिकारी अपनी मनमानी करके सब कुछ तय कर लें और इस तरह जनता की भावनाओं, अपेक्षाओं की अनदेखी हो जाए। इससे नौकरशाही का दबदबा पहले की तरह बना रहेगा। चूंकि स्वैच्छिक संस्थाएँ इस तरह के का र्य कई वर्षों से करती आ रही हैं।

3.योजनाओं की क्रियान्विति

योजना को निर्मित करने की अपेक्षा उसका सफलता पूर्वक क्रियान्वयन करना अधिक महत्वपूर्ण है। अभी तक सरकारी महकमें काफी हद तक विकास कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराते हैं। इसके फलस्वरूप विकास कार्य के लिए उपलब्ध धन का अधिकतर भाग ठेकेदारों की जेब में चला जाता हैं और अफसरशाही की चापलूसी पर खर्च होता हैं। पंचायतों से यह आशा की जाती है कि ठेकेदारों से कार्य न कराकर स्वयं जनता की हिस्सेदारी से कार्य का संचालन करेंगे, जिससे स्थानीय योजना, संसाधन तथा स्थानीय कौशल का पूरा–पूरा उपयोग किया जायेगा। स्वैच्छिक संस्थाओं के पास सहभागिता के आधार पर कार्य करने का व्यापक अनुभव है।

4. मूल्यांकन तथा प्रबोधन

प्रत्येक विकास कार्य की सफलता के पीछे मूल्यांकन तथा प्रबोधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर कार्य का समय–समय पर तथा कार्य की समाप्ति पर मूल्यांकन होना जरूरी होता है। ताकि जानकारी रहे कि जिस तरह से योजना बनाई गयी थी उसी तरह से कार्य हो रहा है या नहीं साथ ही जिस उद्देश्य से कार्य प्रारम्भ किया गया था, उस उद्देश्य में हम सफल हो रहे हैं या नहीं। अधिकतर सरकारी कार्यों में कार्य की समाप्ति पर ही यह जानने का प्रयास होता है कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं, मगर स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्य का तरीका यह है कि वे समय–समय पर परियोजना के विभिन्न चरणों में कार्य

मूल्यांकन करती रहती हैं। ताकि कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है तो उसे उसी समय सुधारा जा सके। इसी कारण आज राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्य को अच्छा बताया गया है।

5. प्रशिक्षण

स्वैच्छिक संस्थाएँ प्रशिक्षण की विद्यालय हैं। इसके सभी कार्यों की तुलना में प्रशिक्षण अधिक महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि आंकड़ों के अनुसार पंचायतों के अधिकतर चुने हुए लोग या तो अनपढ़ होते हैं या कम पढ़े लिखे। इसलिए उनके लिए एक अलग तरह का प्रशिक्षण आवश्यक हैं। अन्यथा सम्भावना है कि वे अपनी भूमिका ठीक ढ़ंग से न निभा पायें। इसलिए हर स्तर पर प्रशिक्षण आवश्यक हैं। अन्य जानकारियों का व्यवस्थित ढ़ंग से संकलन तथा संरक्षण करने, योजनाओं के क्रियान्वयन से मूल्यांकन तथा प्रबोधन से लेकर हर प्रकार के विकास कार्यों पर समझ विकसित करने तथा तकनीकी दक्षता हासिल करने के लिए भी प्रशिक्षण जरूरी है। स्वैच्छिक संस्थाओं के पास प्रशिक्षण के तरीके उपलब्ध हैं ताकि अनपढ़ लोगों से लेकर पढ़े लिखे लोगों तथा समाज के कमजोर तबकों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों को अलग–अलग ढ़ंग से प्रशिक्षण दिया जा सके। जनसहभागिता तरीके से प्रशिक्षण सफल साबित हो चुका है और आज सरकार ही नहीं संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थाओं द्वारा दिया गया प्रशिक्षण ज्यादा उपयोगी तथा कारगर सिद्ध हुआ है। इसलिए पंचायतों को आगे बढ़कर स्वैच्छिक संस्थाओं से प्रशिक्षण आयोजित करने का अनुरोध करना चाहिए।[45]

संक्षेप रूप में कह सकते हैं कि किसी भी संस्था का भविष्य उसकी सफल प्रशिक्षण प्रणाली पर निर्भर करता है। प्रशिक्षण के अभाव में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पंचायत सदस्यों के लिए नई पंचायत व्यवस्था, उसके संचालन, पंचायत के विभिन्न सदस्यों के अधिकार तथा कर्तव्य, अलग–अलग विकास कार्यों, उसके संचालन तथा क्रियान्वयन, पूरे खर्च का लेखा–जोखा रखना उसका ऑडिट कराना इत्यादि, सभी विषयों पर प्रशिक्षण लेना जरूरी होगा। वरना सरकारी अधिकारी जो पंचायतों से सचिव की भूमिका

निभायेंगे, अपनी मर्जी से पंचायतों का संचालन करने लगेंगे और इस तरह पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना ही धूमिल हो जायेगी।

तकनीकी विशेषज्ञता

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वैच्छिक संस्थाएँ, जो कि पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य करती आ रही हैं। उनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य करने का अनुभव है जिसमें तकनीकी ज्ञान व विशेषज्ञता शामिल है। इसे इन्होंने वर्षों के प्रयोगात्मक कार्यों के अनुभव के आधार पर हासिल किया है जो कम खर्चीला और आसानी से मिलने वाला है। ग्रामीण क्षेत्र में कई मायनों में वरदान साबित हुए हैं। साथ ही बड़ी–बड़ी प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में विकसित होने वाले तकनीकी ज्ञान के बारे में स्वैच्छिक संस्थाओं के पास जानकारी उपलब्ध है जिसे वह पंचायतों को उपलब्ध करा सकती है।

वर्तमान के इस भागदौड़ भरे जीवन में पंचायतों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं दोनों को एक–दूसरे के पूरक तथा सहयोगी के रूप में कार्य करना होगा वरना दोनों ही अपना प्रभाव और प्रासंगिकता खो बैठेंगी। जब दोनों एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे को सहयोग करे तो ये दोनों प्रगति कर सकते हैं। अगर कोई भी एक पक्ष दूसरे के साथ खुलेपन का व्यवहार नहीं रखेगा, तो पारस्परिक संदेह और व्यर्थ की होड़ होना स्वाभाविक है, जो भविष्य में दोनों के लिए नुकसान देय होगा।[46]

सहभागिता में रूकावटें

राष्ट्र के विकास व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहभागिता का अत्यधिक महत्व है फिर भी इसमें अनेक बाधाएँ हैं। लोगों की खराब आर्थिक स्थिति, प्रतिबद्ध अफसरशाही, राजनैतिक नेतृत्व की कमी, संचार तकनीकी का अभाव व संगठनात्मक समस्याएँ सहभागिता की पद्धति में रूकावट लाने वाली कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं। निरक्षरता से लोग शिक्षितों पर निर्भर रहते हैं। उसी तरह आर्थिक पिछड़ापन लोगों को आर्थिक रूप से बेहत्तर स्थिति में रहने वालों

पर निर्भर बनाता है। दूसरों पर निर्भरता की आवश्यकता नागरिकों को कमजोर बनाती है। यह सहभागिता की उत्कंठा को दबा देता है।

सहभागिता में समय एवं संसाधनों के विनियोग की परम आवश्यकता है परन्तु दुर्भाग्यवश गरीब दोनों में से किसी का भी योगदान देने में समर्थ नहीं है, क्योंकि उन्हें इनका विनियोग अपना जीवनयापन करने में करना पड़ता है। सहभागिता की आवश्यकता तथा वांछनीयता को समझाने में समर्थ बनानी वाली समुचित सूचनाओं का न होना भी एक अन्य रूकावट है।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सहभागिता की प्रकृति

व्यक्तिगत प्रयासों की अपेक्षा संगठित प्रयास परिणाम देते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत में गरीब संगठित नहीं हैं, दूसरी ओर सहकारिताओं की तरह अन्य स्थानीय संगठन भी निर्भरता कारकों के कारण निहित स्वार्थो के चंगुल में फँस गये हैं। अतः गरीबी व संगठन की कमी ग्राम पंचायतों तथा सहकारिताओं जैसे दो मुख्य विकासात्मक संस्थाओं की गतिविधियों में गरीबों के शामिल होने को कठिन बनाती है। शहरी क्षेत्रों में लोकप्रिय सहभागिता लगभग नगरपालिका चुनावों तक ही सीमित है। लोकप्रिय सहभागिता की आवश्यकता को समझते हुए उसे उपलब्ध कराने के लिए शहरी मूलभूत सेवाओं या शहरी समुदाय विकास कार्यक्रमों के रूप में प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अलावा शहरी गरीबों का स्तर उठाने के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता भी दी जा रही है।[47]

सहभागिता का स्तर

सैद्धान्तिक स्तर पर किसी भी योजना को क्रियान्वित करने में भागीदारी तथा मूल्यांकन की गतिविधियों आदि में सैद्धान्तिक स्तर पर सहभागिता होती है। व्यावहारिक रूप से सामान्यतः योजना में सहभागिता निचले स्तर तक नहीं पहुँचती है और ऊपर के स्तर में राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के नेता ही योजना के प्रमुख निर्णय लेते हैं। विकास योजनायें सार्वजनिक प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा ही बनायी तथा क्रियान्वित की जाती हैं। क्रियान्वयन करने में जनता की हिस्सेदारी नगण्य है। सिर्फ कुछ गतिविधियाँ जैसे गंदी बस्तियों का सुधार,

शिशुओं की देखभाल, परिवार नियोजन, आवास इत्यादि कुछ हद तक लोकप्रिय सहभागिता को शामिल कर पायी हैं।[48]

आवास स्थानों का वितरण, ऋण, नागरिक सुविधाएँ कमजोर श्रेणी के लोगों के लिए प्रोत्साहन इत्यादि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ लोकप्रिय सहभागिता अपनी भूमिका निभा सकती है। इस तरीके में मुख्य बिचौलियों का प्रचलन तथा प्रभावशाली अभिजात्य समूहों द्वारा शोषण प्रमुख कठिनाई है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की स्थिति को ओर अधिक विकृत करता है।[49]

विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के मूल्यांकन में प्रेस संस्थाएँ एवं अभिजात्य समूह सक्रिय हैं। नागरिकों की शिकायतों को दर्ज करने की सुविधा दी गयी है जिसकी सार्वजनिक प्रशासन में शायद ही कोई सुनवाई होती है। सामान्य नागरिकों के पास विकास में हिस्सा लेने का एकमात्र आसान तरीका चुनाव है। चुनावों के मुख्य मुद्दे हस्तियाँ तथा मुद्रा शक्ति की प्रमुखता है और विकास की समस्याएँ अनदेखी रह जाती हैं।[50]

सहभागिता बढ़ाने के तरीके

किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन में सहभागिता का अपना महत्व है। जन समुदाय अनेक दबावों के कारण विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से जुड़ नहीं पाता। इसलिए समुदाय के सहयोग तथा सहभागिता को सम्मिलित करने के लिए सही योजना की आवश्यकता है ताकि लोगों में सक्रिय सहयोग के कार्यक्रमों को सफल तरीके से लागू किया जा सके। लोग हिस्सा लेने में जितने कम अभ्यस्त होगें, उनकी सहभागिता हासिल करने के लिए ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता होगी। निम्नलिखित कुछ तरीके विकास कार्यक्रमों में जनता की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं:–

1 सहभागिता में बढ़ोतरी का एकमात्र कारण सूचना की सुलभता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि गरीब ग्रामीण को उनके फायदों के लिए प्राप्त नीतियों तथा कार्यक्रमों का ज्ञान नहीं है। जनता द्वारा सार्थक सहभागिता के बारे में सूचनाओं का अभाव है। यदि सूचनाओं की

आवश्यकताओं को सही ढंग से व नियमित रूप से पूरा किया जाये, तो लोग कार्यक्रमों को समझ पायेंगे और अपने आपको कार्यान्वयन से जोड़कर अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करेंगे।

2 समुदाय प्रणाली का प्रयोग, नवीन संचार तकनीकी सदस्यों का सक्रिय रूप से जुड़ना, स्थानीय नेतृत्व का उभरना, जिम्मेदारियाँ निश्चित करना।

3 छोटे समूहों की सामान्य रूचि वाली गतिविधियों के इर्द–गिर्द योजनाएँ बनायी जाये तो सहभागिता प्रभावशाली होगी। इसी एकरूपता के कारण ग्रुप के सदस्य योजना के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए और सक्रिय सहभागिता के द्वारा योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होंगे।

4 यदि विकास कार्यक्रमों का ध्येय आय देने वाले उत्पादक कार्यक्रमों के इर्द–गिर्द होगा तो लोग विकास कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अपनी निजी आय में प्रत्यक्ष बढ़ोतरी न होने पर एक किसान या दस्तकार स्वयं को कार्यक्रमों में जोड़ पाने में कठिनाई महसूस करता है।

5 जैसा कि सर्वविदित है, गरीबी का प्रमुख कारण अज्ञानता है जो उदासीनता तथा भाग्यवादिता को बढ़ावा देती है। यह विकास में अवरोध डालती है। इसलिए कर्त्तव्यनिष्ठा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जनता के शक्तिहीन प्रभाव निष्प्रभावी हो सकते हैं।

6 विकासात्मक कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता बढ़ाने के अन्य महत्वपूर्ण तरीके है– दक्षता तथा कानूनी समर्थन, सम्मिलित मूल्यांकन, ठोस लक्ष्यों का निर्धारण, आर्थिक अनुकूल वातावरण आदि हैं तथा मौजूदा माध्यमों को मजबूत बनाने के साथ–साथ जनप्रिय सहभागिता के और माध्यमों को बढ़ाने के लिए सरकार तथा अन्य क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास होने चाहिए।[51]

विकास कार्यक्रमों में जनसहभागिता

पंचायतीराज स्तर पर विकास कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में उनकी सक्रिय दिलचस्पी, उत्साह और सहयोग की अपेक्षा की जाती है। जनता की सहभागिता आवश्यक जनआन्दोलन के रूप में होनी चाहिए क्योंकि यह केवल विकास का साधन ही नहीं, परन्तु यह अपने आप में विकास लक्ष्य है। जनता की सहभागिता विकास की वास्तविक प्रक्रिया का विशेषतः भारत जैसे विकासशील लोकतंत्र में पूरक है। इनमें राजनैतिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के विकेन्द्रीकरण की अपेक्षा की जाती है। पंचायतीराज संस्थाएँ निचले स्तर के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक विकास की संस्थाओं के रूप में स्थापित हो गयी हैं।

योजनाकारों द्वारा उच्च स्तर से नीति निर्माण कर ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान हेतु बनाये गये कार्यक्रम कायापलट नहीं कर पाये अपितु भ्रष्टाचार का माध्यम बनकर रह गये। भारत जैसे सामान्य विकासशील देशों में विकास की प्रक्रिया मंद रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अज्ञान, अशिक्षा, भूख और बेरोजगारी की काली छाया है। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी ग्रामीण जीवन अभिशाप बना हुआ है। गाँवों से पलायन कर लोग शहरों की ओर भाग रहे है। आज इसकी तह में जाना आवश्यक समझा जाने लगा और सरकार का ध्यान ग्रामीण विकास प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के तरीके खोजने और उनको लागू करने में जुटा है।

भारत की अधिकांश जनता गाँवों में बसती है अतः विकास के घूमते चक्र के अभिकेन्द्र भी वे ही होने चाहिए। ग्रामीण स्तर के हर स्तर से सम्बद्ध उच्चवर्गीय, ग्रामीण जीवन के अनुभवों से सर्वथा दूर रहने वाले नीति निर्माता एवं अधिकारी उसके परिवेश की व्यावहारिक कठिनाईयों व बारीकियों से तनिक भी परिचय नहीं होता। अतः यह आवश्यक है कि नीति निर्माण से क्रियान्वित तथा मूल्यांकन तक वर्चस्व कायम रखने वाले ऐसे लोगों से व्यवस्था को छुटकारा दिलाकर ग्राम विकास की योजनाओं में स्थानीय जनता का सहयोग लिया जाये। स्थानीय लोगों को अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं, अपने क्षेत्रों की

स्थिति, संभावनाओं व उपलब्ध संसाधनों का अच्छी तरह ज्ञान होता है। स्पष्टतः ग्राम विकास योजनाओं में स्थानीय जनता के सहयोग से बेहतर ढंग से योजनाएँ बन सकती हैं। उचित निर्णय लिये जा सकते हैं। मानवीय शक्तियों एवं भौतिक साधनों को ग्रामीण समुदाय के अधिकतम हित में प्रयुक्त किया जा सकता है। **''ग्रास रूट''** आयोजन का मूलमंत्र भी यही है। ग्रामीण आयोजन ग्राम स्तर पर वहाँ की जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बने और उनकी व्यावहारिक कठिनाईयों का समाधान उसमें विद्यमान हो। ऐसे आयोजनों में ग्राम से खण्ड स्तर पर क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को समायोजित किया जा सकता है और पुनः जिले स्तर पर इस प्रक्रिया को समेकित कर एकरूपता का प्रयास भी किया जा सकता है। इस तरह जिला स्तरीय योजना ग्राम स्तर की योजनाओं को समाहित किये हुए हो सकती है। यदि कार्य ग्रामीण जनता की पहल पर हो तो अवश्य ही उनके परिणाम सकारात्मक होंगे।[52]

स्थानीय जनता के सहयोग से बनी ये योजनायें बेहतर होंगी तथा विवेकसम्मत निर्णयों की नींव बनी होगी। इसमें एक काम की पुनरावृति न होकर न्यूनतम लागत पर अधिकतम सफलता मिलने के विपुल अवसर होंगे योजना की वस्तुस्थिति से अधिक निकटता व अधिकाधिक जनसहयोग से कार्यान्वयन भी उत्तम कोटि का होगा। किसी तरह के विलम्ब की सम्भावना नहीं रह जाएगी। विकेन्द्रित नियोजन की इस प्रणाली में क्षेत्रीय संतुलन भी कायम हो सकेगा। जड़ता समाप्त होकर गत्यात्मकता आयेगी और विकास को गति मिलेगी। गाँवों को ग्राम स्वराज की ओर प्रदत्त करने की यही एक दिशा हो सकती है। विलुप्त होती उद्यम भावना पुनः स्पष्ट होगी। लोगों का मनोबल ऊँचा होगा। स्वावलम्बन, स्वनिर्णय की भावना एवं महत्वाकाक्षाएँ जागेंगी और जनता में अपने ही विकास हेतु स्वयं संसाधन उपलब्ध कराने की तत्परता भी दिखायी देगी। जनता में आस्था प्रकट करने से प्रमुख जिम्मेदारी भी जनता निभाने लगेगी और जनता को योजनायें बनाने और अपने विकास का स्वयं निर्णय करने का अवसर दिया जाएगा और उन्हें आयोजन में शामिल किये जाने के पक्षधर प्रसिद्ध पाल **हैरीसन** ने अपनी पुस्तक **'द थर्ड वर्ल्ड टूमारो'** में लिखा है– सहभागिता से

लागत घटती है क्या कम प्रयुक्त किये गये संसाधनों से सबसे अधिक मूल्यवान संसाधन मानव ऊर्जा तथा सृजनात्मकता का उपयोग होता है। सहभागिता के काम के स्थानों और समाज में भी निचले स्तर पर लोकतंत्र आ जाता है कम से कम इतना अवश्य होना चाहिए कि योजनाएँ ऊपर से थोपी जाये तथा इन्हें तैयार किये जाने में उन लोगों को सम्मिलित किया जाये जिनके लिए हैं।

गाँधीजी स्मरण करवाते रहे हैं कि भारत गाँवों में बसता है तो यदि हम अपने ढाँचे तथा उसकी संचालन विधियों में परिवर्तन करके उसे ऐसा स्वरूप नहीं देते हैं जिसमें पिछड़े ग्रामीण वर्ग को भूमिका मिल सके, तो ग्रामीण लोग न तो शासकीय सत्ता में ही भागीदार बन सकेंगे, न ही विकास की साझेदारी निभा सकेंगे। केन्द्रीकृत व नौकरशाही वाली सत्ता में निर्णय नियंत्रण एवं क्रियान्वयन की सारी बागडोर यदि शहरी दृष्टि के कुछ लोग ऊपर अपने हाथों में थामें बैठे रहेंगे, तो ग्रामीण समुदाय को जो वास्तविक भारत है, अलग पड़ा रहेगा। सहभागी लोकतंत्र का वास्तविक दर्शन, जिसमें स्त्री–पुरूष तथा बच्चे की भूमिका रहती है जो कि विकास प्रक्रिया का बुनियादी पहलू है, निष्फल रहेगा।

लघु सिंचाई योजना, वनों की विस्तार भूमि व जल का संरक्षण पशुओं के लिए पेयजल सुविधा, सड़कों की मरम्मत, नालियों की देखभाल, गाँवों में अनाज भण्डार बनाना, कम्पोस्ट खाद हेतु गाँवों में गड्डे खोदना, विद्यालयों, पुस्तकालयों एवं औषधालयों हेतु भवन बनाकर देना, सफाई, रोशनी आदि की सामुदायिक आवश्यकताओं के साथ व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं के नीति निर्माण में लक्ष्य समूह के साथ लेकर चलने की विकेन्द्रित आयोजन दृष्टि होनी चाहिए।[53]

जनसहयोग के असंख्य लाभ हो सकते हैं। अब तक प्रयत्न न किये गये संसाधनों तथा मुक्त जनशक्ति के उपयोग से परियोजनाओं की लागत कम हो जाती है। निर्णय करने के स्तर पर लोगों का सहयोग लेने से उनकी इच्छाओं तथा अनिच्छाओं के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकती है। इससे त्रुटियों व कमियों से बचा जा सकता है और फिजूलखर्ची कम हो सकती है जिसके लिये विकास गतिविधियाँ बदनाम रही हैं क्योंकि सम्भावित लक्ष्य समूह से पहले ही

सलाह नहीं ली जाती। सेवा या उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से उत्पादक कार्यों में जनसहयोग को बढ़ाया जा सकता है।

जनसहभागिता की आवश्यकता और उपादेयता के बाद अगला पहलू जनसहभागिता की मात्रा, स्वरूप और स्तर तय करने का है। सम्पूर्ण सहभागिता के लिए 'ग्राम सभा' की सक्रिय भागीदारी जहाँ व्यापक है तो प्रतिनिध्यात्मकता सहभागिता के दायरे को समेटती है। ग्रामसभा के प्रत्येक ग्रामीण जन की अपनी पृथक राय हो सकती है। उनके विकास कार्यक्रमों को वे एकमत होकर सहज ही अंतिम रूप नहीं दे सकते हैं। उनके लिए सरकारी पदासीन अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। उनके सामने किसी भी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर वैकल्पिक स्वरूपों की अच्छाईयों व बुराइयों सहित प्रस्तुत करना होगा, उनका निर्वाचन करना होगा, ताकि सदस्यों को एकमत बनाया जा सके। दूसरी ओर सरकारी परिन्दे निष्ठा और निरपेक्ष भाव से काम करें, तो इस सच्चे लोकतांत्रिक तरीके को बल प्रदान कर सकते हैं और कोई विरोधाभास उनमें नहीं रहेगा। आम सहमति बनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपने गाँव और अपने काम की भावना से कुछ त्याग करेगा और तत्परता दिखायेगा।[54]

इसके अतिरिक्त दूसरा तरीका प्रतिनिधियों के माध्यम से जनसहभागिता का है। पंचायत के प्रतिनिधियों की सक्रियता पर्याप्त लाभप्रद हो सकती है। सच्चे प्रतिनिधि समग्र समुदाय जनभावनाओं को लेकर सर्वसम्मत निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। इसमें विरोध की गुंजाइश नहीं रहती और आम सहमति में सरकारी तंत्र का प्रभाव ही खत्म हो जाता है परन्तु इस पद्धति का गम्भीर दोष यह है कि निचले स्तर पर राजनीतिकरण होने के कारण धोखेबाजी का जन्म होता है। लोकतंत्र के नाम पर कुछ ग्रामीण या धनिक या जमींदार या फिर ठाकुरशाही परिवारों के प्रतिनिधि चुन लिये जाते हैं जिनका आतंक हो या फिर जो चुने जाते हैं, वे उनकी कठपुतली मात्र होते हैं और उनके इशारों पर काम करते हैं। चुनाव की इस प्रक्रिया में निचले स्तर पर क्रूरता, अत्याचार, झगड़े तथा हमले होने की सम्भावना है। सच्चे प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो पाता है। आपसी मन–मुटाव जातिगत तथा राजनीतिक झगड़ों व साम्प्रदायिक विद्वेष के

कारण सरकारी कामों के सरकारी प्रयास दुर्बल पड़ जाते हैं। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य निर्धन लोगों की जो लक्ष्य समूह में आते हैं उपेक्षा की जाती है। इसका सही समाधान यही है कि उनको उचित प्रतिनिधित्व दिये जाने के संवैधानिक उपाय किये जायें।

तीसरा तरीका इन दोनों का मिला जुला रूप हो सकता है जो कि अधिक व्यावहारिक भी सिद्ध होगा। इस हेतु विकास प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी का बँटवारा कर दिया जाये। विकास के किसी स्तर पर ग्राम सभा को सक्रिय भागीदारी सौंपी जा सकती है तो कहीं पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि अपनी सही भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ तक आशंका खड़ी हो सकती है कि पंचायत, ग्राम सभा और सरकारी तंत्र में त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति न बन जाये। किन्तु यदि अशिक्षा दूर कर शिक्षित ग्रामीण समुदाय तैयार किया जाये जो निर्भीक, सुलझे हुऐ, अधिकारों के और कर्तव्यों के प्रति सजग तथा लोकतंत्र प्रणाली के प्रति निष्ठावान हों तो ये आशंका निर्मूल सिद्ध हो जायेगी। शिक्षा प्रसार के सरकारी प्रयासों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के जनजागृति अभियानों से यह संभव हो सकता है। यदि यह पूर्व अपेक्षा पूरी कर ली जाये तो विकास कार्यक्रमों में संघर्ष के स्थान पर सहयोग का आविर्भाव होगा तथा पंचायत, ग्रामसभा व सरकारी क्षेत्र त्रिकोण त्रिस्तम्भ के रूप में प्रकट होंगे। समन्वय पर आधारित सहभागिता की यह पद्धति श्रेष्ठ होगी। इसी सन्दर्भ में पूर्वापेक्षा लोगों के हितों में यथासंभव समानता कायम करने की है। इस हेतु भूमि–सम्पति और आय का नये सिरे से बँटवारा कराना अनिवार्य है।[55]

सहभागिता के स्तर

जनसहभागिता की मात्रा और स्वरूप के अलावा जनसहभागिता का स्तर भी सोचनीय है। विकास प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर जनता की भागीदारी होनी चाहिए। किन कार्यक्रमों को अपनाया जाना है, लक्ष्य समूह में कौन लोग आयेंगे अर्थात् इसकी परिभाषा सुनिश्चित करने, कार्यक्रम की समय सीमा तय कर उनको लागू करने का ढंग तय करने आदि के नीति–निर्माण या निर्णय के स्तर

पर जनसहभागिता होनी चाहिए। इस हेतु नियोजन प्रक्रिया नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए।

जनसहभागिता में वित्त पोषण का भी विशेष योगदान होता है। इसके लिए भी उसी स्थान विशेष की जनता से भी विकास कार्यों हेतु मात्रा में प्रत्यक्ष कोष लिया जाना चाहिए,इसका सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव होगा। उदासीनता दूर होगी व सक्रियता बढ़ेगी, जिम्मेदारी की भावना स्वयं उपजेगी।[56]

विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन ईमानदार एवं समर्पित लोगों को सौंपा जाना चाहिए। इसमें आम जन पंचायत के पहले से चुने हुए प्रतिनिधि एवं अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। निष्पक्ष लोकतंत्र प्रणाली द्वारा चुनी गयी पंचायत भी कार्यक्रमों को श्रेष्ठ ढंग से क्रियान्वित कर सकती है। प्रगति की समीक्षा एवं संशोधन हेतु कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले घटक को चाहिये कि वे समय–समय पर ब्यौरेवार रिपोर्ट पेश करें, लक्ष्य समूह की कठिनाइयाँ जाने और लागू करने के ढंग में वांछित संशोधन करे। कार्यक्रम के पूर्ण होने पर उसका सही मूल्यांकन होना आवश्यक है। इस अंतिम मूल्यांकन में उपलब्धियों और कमियों का लेखा–जोखा वास्तविक होना चाहिये। ग्राम सभा की अर्द्धवार्षिक और वार्षिक बैठकों में इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस संबंध में यदि कोई आपत्तियाँ उठायी जायें तो उनका समाधान करते हुए सही तथ्य और आंकड़े आगे भेजे जाने चाहिए ताकि झूठे आंकड़े एकत्र न हों और पिछले अनुभवों से कुछ सीखा जा सके। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक सहभागिता प्रदान करनी चाहिए।

सन्दर्भ

1. शर्मा, आनन्द शंकर : समाजवादी विकास के नये प्रयोग, कुलदीप पब्लिकेशन, जयुपर, 1992, पृ.2
2. उपर्यक्त, पृ . 3
3. दुबे, श्याम : विकास का समाजशास्त्र, नवीन प्रकाशन, अहमदाबाद, 1982 पृ. 47
4. के अरूणाचलम : गाँधीय एप्रौच टू रूरल डवलपमेन्ट, क्षितिज पब्लिकेशन, कटक, 1993 पृ. 84
5. सिंह, सुमेश्वर : स्माल इन ब्यूटीफुल, प्रकाशन पब्लिकेशन, अहमदाबाद, 1997. अध्याय – 13 पृ. 77
6. कुमारप्पा, जे. पी. : इकॉनॉमी ऑफ परफॉरमेन्स, विजय प्रकाशन, नागपुर 1992 पृ. 133
7. ढढ्ढा, सिद्धराज : मेरे सपनों का भारत, राजपाल पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1999 पृ. 72
8. उपर्युक्त पृ. 73
9. गाँधी, महात्मा : हमारे गाँवों का पुनर्निर्माण, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 1972 पृ. 42
10. गाँधी, एम. के. : विलेज स्वराज, नवजीवन पब्लिकेशन हाउस, अहमदाबाद, 1962 पृ. 21
11. गाँधी, एम. के. : विलेज रिपब्लिक, इण्डियन प्रकाशन विभाग, पटना, 1987 पृ. 63
12. उपर्युक्त पृ. 67
13. नेहरू, जवाहर लाल : सामुदायिक विकास पंचायती राज और सहकारिता पर नेहरू के विचार, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1965 पृ. 92
14. उपर्युक्त पृ. 98
15. यादव, सुबह सिंह : ग्रामीण विकास के नये क्षितिज, भवन प्रकाशन, पुणे, महाराष्ट्र, 1989 पृ. 18
16. उपर्युक्त,पृ.22
17. उपर्युक्त, पृ. 23
18. नारायण,जय प्रकाश :लोक स्वराज की ओर, सर्व सेवा संघ प्रकाशन ,राजघाट वाराणसी, 1977 पृ.64
19. उपर्युक्त, पृ.65

20. चौधरी, सी. एम. : ग्रामीण विकास एक अध्ययन, सनलाइम पब्लिकेशन जयपुर, 1991, पृ. 76
21. उपर्युक्त, पृ. 82
22. मेनारिया, डा0 राजेन्द्र : ग्रामीण विकास की नीतिगत व्यूह रचना, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, आगरा, 2005 पृ. 86
23. शर्मा, अशोक : भारत में स्थानीय प्रशासन, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 1995 पृ. 26
24. नारायण, जयप्रकाश : सामुदायिक समाज रूप और चिंतन, सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजघाट, वाराणसी, 1977 पृ. 53
25. मेनारिया, डा0 राजेन्द्र : ग्रामीण विकास की नीतिगत व्यूह रचना, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, आगरा, 2005 पृ. 93
26. कुरूक्षेत्र, मार्च 2000 पृ. 5
27. उपर्युक्त, पृ. 9
28. कुरूक्षेत्र, मई 2000 पृ. 19
29. उपर्युक्त, पृ. 20
30. रूमकी वासु : लोकतंत्र प्रशासन संकल्पानाओं एवं सिद्धान्तों का परिचय, स्टर्लिंग पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 1995 पृ. 137
31. छेतरी, हरिप्रसाद : पंचायती राज सिस्टम एण्ड डवलपमेंट प्लानिंग, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008 पृ. 118
32. रोजगार समाचार, नई दिल्ली, खण्ड 23, अंक 11, 1998 पृ. 1
33. उपर्युक्त पृ. 2
34. नारायण, इकबाल : डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन : आईडिया द इमेज एण्ड द रियलिटी, संकल्प पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1992 पृ. 43
35. रिपोर्ट ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी ऑन डेमोक्रेटिक डिसेंटरलाइजेशन : सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली 1957 पृ. 63
36. राजस्थान सरकार : राजस्थान विकास, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर, वर्ष 12, अंक 4, जुलाई–दिसम्बर 1994, पृ. 7
37. एफ. एच. एस. – 1 मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों में आधार पाठ्यक्रम, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, पृ. 14–15
38. उपर्युक्त, पृ. 15–16
39. जैन.एस.सी.: कम्यूनिटी डवलपमेंट एण्ड पंचायती राज इण्डिया,मयूर पब्लिकेशन,बॉम्बे,1977 पृ.62

40. उपर्युक्त, पृ. 68–69
41. सिंह विजेन्द्र : पंचायती राज एण्ड विलेज डवलपमेंट, सरूप एण्ड संस पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003 पृ.32
42. वेकटेश्वर, लू. के. : भारत में लोकतंत्र, एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली, 1978 पृ. 82
43. उपर्युक्त, पृ. 83
44. राम, डॉ सुन्दर : रॉल ऑफ पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन इन 60 वर्ष और इण्डिपेन्डेंट इण्डिया, कनिष्का पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दरीयागंज नई दिल्ली, 2008 पृ. 52
45. उपर्युक्त, पृ. 53
46. भावे, विनोबा : लोकनीति, सर्व सेवा संघ, प्रकाशन वाराणसी, 1976 पृ. 78
47. राय, भक्त पाड़ा : पंचायती राज एण्ड रूरल डवपलमेंट, अभिजीत पब्लिकेशन, दिल्ली, 2008 पृ. 62
48. रणजीत के : ऑन रूरल पावर्टी इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिक्स वीकली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली 2005, पृ. 156
49. एफ. एच. एस. – 1 मानविकी एवं सामाजिक विज्ञानों में आधार पाठ्यक्रम, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली, पृ. 18
50. उपर्युक्त, पृ. 19
51. सेठी, डी. पी. एण्ड सिवाल, वी. आर. : ऑल इण्डिया डिक्शनरी ऑफ वालेन्टरी एजेन्सीज इन रुरल डवलपमेंट, एस, चांद एण्ड कम्पनी, दिल्ली, 1993 पृ. 72
52. कलवार, सुगनचन्द व तेजराम : निर्धनता उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास, पोइन्टर मीणा पब्लिशर्स, जयपुर, 2000 पृ. 32
53. वर्मा , डॉ. एस. बी. : रुरल वोमेन एम्प्रोवमेन्ट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली 2006 पृ. 58
54. वीर, डॉ. गौतम, भारत में राज्यों की राजनीति, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2009 पृ. 72
55. मलिक, शमशेर सिंह : नई पंचायत, आलेख पब्लिकेशन, एम. आई. रोड़ जयपुर, 2002 पृ. 66
56. पालानीथूराई, जी. : राजीव गाँधी विजन ऑन. लोकल गर्वनेस, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2009 पृ. 28

तृतीय अध्याय

ग्रामीण विकास के लिए संचालित की जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं का सामान्य सर्वेक्षण

ग्रामीण विकास प्रत्येक व्यक्ति के लिये अपरिहार्य है इसके लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाएँ चलायी जा रही हैं। इसका क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं के उद्देश्य गरीब लोगों के जीवन स्तर को उपर उठाना, बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देना, समाज के कमजोर वर्ग को सम्बल प्रदान करना इत्यादि को ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओं के तहत् सम्मिलित किया गया। इन योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि शासन द्वारा प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों में जितना अधिक जन सहयोग मिलेगा। विकास की गति और गुणवता में उतनी ही अधिक वृद्धि होती है।

विकास एक आजीवन प्रक्रिया है जो कि समय और परिस्थिति के अनुरूप विकास का स्वरूप बदलता रहता है। सीकर जिले में विकास के कई स्तर स्थापित हुए हैं, जो हर क्षेत्र में धीरे–धीरे विकास की रफ्तार तेज कर रही है। जिले में एक ओर नगरीय विकास तेजी से हो रहा है तो दूसरी ओर ग्रामीण विकास में बहुत परिवर्तन हुआ है।

ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, पेयजल, सड़क निर्माण, कृषि एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में बुनियादी–सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार और आधुनिकीकरण कर दिये हैं। जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित निर्धन एवं पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए विभिन्न प्रयास किये गये हैं।

केन्द्र व राज्य सरकार की नीति के अनुसार जिला प्रशासन एवं सभी विभागों द्वारा जन आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिले के चहुँमुखी विकास हेतु सीकर जिला अग्रणी है। जिला परिषद् के ग्रामीण विकास

प्रकोष्ठ द्वारा संचालित ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन की प्रमुख विभिन्न योजनाएँ निम्नलिखित हैं :–

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (MNREGA)

इस योजना का शुभारम्भ केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के रूप में **प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह** ने **2 फरवरी, 2006** को आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले से किया। पहले चरण में देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में प्रारम्भ किया गया। इस योजना में 'काम के बदले अनाज योजना' व 'सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार' योजना को सम्मिलित कर लिया गया। 1 अप्रैल, 2008 से इस योजना को सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। **केन्द्र सरकार ने नरेगा का नाम बदलकर 2 अक्टूबर, 2009 को गाँधी जयन्ती के अवसर पर 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (MNREGA) कर दिया** गया।

उद्देश्य

1. इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन के अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारन्टी दी गयी है।
2. प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराना।
3. भूमिहीन व गरीब परिवारों की खाद्यान्न पूर्ति करना।
4. इस योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास जैसे बांध बनाना, मेड़बन्दी करना, सड़क बनाना, तालाबों को खोदना इत्यादि कार्य किये जाते है।
5. यह योजना न होकर गारन्टी से रोजगार देने का कानून है।

उपलब्धियाँ

1. राज्य में अनुसूचित जाति के 228.01 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं।
2. राज्य में अनुसूचित जनजाति के 329.12 लाख मानव दिवस सृजित किये हैं।

3. प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10 राजकीय परिसरों में वृक्षारोपण के निर्णय के तहत वृक्षारोपण कार्य किये गये है।
4. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक परम्परागत जल स्त्रोत को मॉडल तालाब के रूप में विकसित करने के निर्णय के तहत 2468 मॉडल तालाब स्वीकृत किये गये हैं।

सारणी – 3.1

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	मानव दिवस	पूर्ण कार्यो की संख्या	व्यय राशि (करोड. में)
नीम का थाना	372716	159	5.59
श्रीमाधोपुर	289547	107	4.34

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायतसमिति

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)

भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की घोषणा की और दिनांक 25 दिसम्बर, 2000 को यह योजना प्रारम्भ की गयी। इसके अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण सड़कों को गाँवों से जोड़कर गाँवों का चहुँमुखी विकास किया जा रहा है।

उद्देश्य

1. प्रत्येक ग्राम को सड़क मार्ग से जोड़ना।
2. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सहयोग देना।
3. बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना।
4. दूरदराज के इलाकों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना।
5. पिछड़े लोगों को जिला व तहसील मुख्यालयों से जोड़ना।

उपलब्धियाँ

वर्तमान सरकार के कार्यक्रम में सड़कों की निम्नलिखित उपलब्धियाँ रही हैं जो इस प्रकार हैं :–

- राज्य में सड़कों के विकास पर कुल 4547.25 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।
- इस योजना के तहत 2652 किलोमीटर लम्बाई में सड़कों का निर्माण, 837 ढ़ाणी मजरों व 7 गाँवों का नाबार्ड योजना के तहत् 751 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया।
- इसके अन्तर्गत 180 गाँवों को विश्व बैंक योजना के तहत 945 किलोमीटर सडकों का निर्माण कर 392 गाँवों को कुल 3348 कि.मी. लम्बाई में सड़कों से जोड़ दिया गया।
- 6 परियोजनाओं का कार्य जन सहभागिता से प्रगति पर है।
- राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 किमी. लम्बाई, तेरहवें वित्त आयोग के तहत 1820 कि.मी., नाबार्ड ग्रामीण सड़क योजना में 1306 कि.मी. और कुल 3157 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का उन्नयन, सुदृढीकरण व नवीनीकरण करने का कार्य पूर्ण किया गया है।

सारणी–3.2

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	पूर्ण करायी गयी सड़कों की लम्बाई	व्यय राशि (करोड़ में)
नीमकाथाना	37 कि.मी.	32.36
श्रीमाधोपुर	28 कि.मी.	21.72

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायतसमिति

इन्दिरा आवास योजना

यह योजना मई, 1985 में भारत व राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गयी योजना है, इसके अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार की क्रमशः 75:25 भागीदारी है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बन्धुआ मजदूर वर्ग के लोगों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य ग्रामीणों को आवास हेतु निःशुल्क मकान उपलब्ध करवाने

के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी। इस योजना में वही व्यक्ति पात्रता रखते हैं जो निम्नांकित शर्तों को पूरा करते हैंः–

1. ग्राम पंचायत द्वारा नाम प्रस्तावित होना चाहिए।
2. प्रार्थी के पास पूर्व में निर्मित पक्का भवन नहीं होना चाहिए।
3. प्रार्थी के पास भवन निर्माण हेतु पत्नी के नाम भूखण्ड का पट्टा होना चाहिए।
4. प्रार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।

उद्देश्य

1. ग्रामीण क्षेत्र में आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
2. इसके अन्तर्गत सभी घरों में और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था करना।
3. अर्द्धनिर्मित व कच्चे आवासों को पक्के बनाने के लिए धन राशि उपलब्ध कराना।
4. पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में हर व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराना।

उपलब्धियाँ

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत कुल 599.20 करोड़ रूपये व्यय किये गये तथा गरीब परिवारों के 83628 नए आवास बनाए गये हैं, जिनमें से 70,712 आवास महिलाओं के नाम स्वीकृत किये गये।

- राज्य में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत 104.27 करोड़ रूपये खर्च कर 19,965 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
- इस योजना के अन्तर्गत 334.80 करोड़ रूपये व्यय कर अनुसूचित जनजाति के 35,886 परिवारों को लाभान्वित किया गया।
- इस योजना में 17.56 करोड़ व्यय कर 3149 अल्पसंख्यक परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
- इस योजनान्तर्गत 662 विकलांग निःशक्तजन परिवारों को लाभान्वित किया गया।

सारणी 3.3

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	कुल लाभान्वित परिवारों की संख्या	कुल व्यय राशि (करोड़ में)
नीमकाथाना	932	8.73
श्रीमाधोपुर	1137	10.21

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समिति

निर्मल भारत अभियान योजना

इस योजना की घोषणा **प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 15 अगस्त, 2002** को की गयी। वाल्मिकी अम्बेडकर योजना नगरीय गन्दी बस्तियों के लोगों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलायी गयी तथा इस योजना के सफल क्रियान्यवन से प्रेरित होकर चलायी गयी है।

उद्देश्य

- इस योजना का मुख्य उद्देश्य गन्दी बस्तियों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाना।
- सभी गाँवों को खुले में शौच से मुक्त करने हेतु नीति व रणनीति बनाना।
- शौचालय–विहीन परिवारों के व्यवहार परिवर्तन हेतु ग्राम पंचायत में शर्मसार यात्रा आयोजित कर शौचालय बनवाना।
- शौचालय विहीन परिवारों को शौचालय निर्माण की स्वीकृति जारी कर मस्टरोल जारी करना।
- ठोस, तरल कचरा, प्रबंधन के प्रस्ताव पारित कर साप्ताहिक रूप से ग्राम पंचायत में सफाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी करना।

उपलब्धियाँ

1. इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 17.80 प्रतिशत परिवारों को लाभान्वित किया गया।
2. अनुसूचित जनजाति के 13.50 प्रतिशत परिवारों को लाभ दिया गया।
3. राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 63540 शौचालय बनाकर परिवारों को लाभान्वित किया गया।
4. अनुसूचित जनजाति के लिए 48190 शौचालय बनाकर लाभान्वित किया गया।

सारणी 3.4

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	शौचालयों की संख्या (अनु.जाति व जनजाति)	कुल व्यय राशि (लाख में)
नीमकाथाना	122	14.64
श्रीमाधोपुर	131	15.72

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायतसमिति

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का नाम बदलकर अब इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया है। निर्धनता रेखा से नीचे परिवारों के लिए **15 अगस्त, 2005 को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू की** गयी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक घटक के रूप में संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार सरकार ने 19 नवम्बर, 2007 (पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 इंदिरा गॉधी के जन्म दिवस) से किया ।

मुख्य बिन्दु

(i) वर्तमान में इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से जानी जाती है। यह योजना अब निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वृद्धजनों के लिए लागू की गई है।

(ii) पूर्व में लागू राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत निर्धन परिवारों के बेसहारा वृद्धजन ही मासिक पेंशन के पात्र थे।

(iii) केन्द्रीय मंत्री मण्डल ने सितम्बर, 2007 में एक बैठक में बेसहारा शब्द हटाने का निर्णय लिया।

(iv) इस योजना की शुरूआत वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम् ने 1 अक्टूबर, 2007 को अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में की।

सारणी 3.5

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कुल व्यय राशि (लाख में)
नीमकाथाना	3200	43.33
श्रीमाधोपुर	1290	17.48

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायतसमिति

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना

इस योजना का शुभारम्भ दिनांक 2 अक्टूबर,2011 को मुख्यमंत्री **श्री अशोक गहलोत** द्वारा किया गया। इसके अन्तर्गत प्रदेश के किसी भी बीमार व्यक्ति को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण की जाती है। इस योजना के तहत् चिकित्सा महाविद्यालय, जिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपस्वास्थ्य केन्द्रों पर आने वाले अंतरंग एवं बहिरंग रोगियों को अधिकांशतः प्रयोग होने वाली आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवायी जाती हैं।

उद्देश्य :–

1 प्रदेश के सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य व आर्थिक हितों के लिए निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र खाले गये हैं।

2 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

3 गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए।

4 किसान और मजदूर वर्ग अपने इलाज के लिए अपने घर, जमीन जायदाद आदि बेच देते हैं ऐसे लोगों को सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

5 यह योजना सभी वर्गों के गरीब तबकों को राहत प्रदान करती है।

6 मृत्यु दर को घटाना।

उपलब्धियाँ

1. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की पुनः समीक्षा कर लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है।
2. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा संस्थानों में ई.डी.एल. (आवश्यक दवा सूची) में 607 प्रकार की औषधियाँ, 73 सर्जिकल्स एवं 77 सूचर्स सम्मिलित हैं।
3. मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों हेतु 607, जिला अस्पताल हेतु 527, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 452, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 234 एवं उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु 30 प्रकार की औषधियाँ उपलब्ध करवायी जाती हैं।
4. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत 9 करोड, 28 लाख, 66 हजार, 172 लोगों को दवा वितरित की गयी।

सारणी 3.6

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	कुल लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कुल व्यय राशि (करोड़ में)
नीमकाथाना	3,65,336	4.06
श्रीमाधोपुर	2,37,272	3.71

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायतसमिति

मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना

इस योजना का शुभारम्भ दिनांक **7 अप्रैल, 2013** को मुख्यमंत्री **श्री अशोक गहलोत** द्वारा किया गया। इसके अन्तर्गत प्रदेश के किसी भी बीमार व्यक्ति की जाँच सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क की जाती है। 7 अप्रैल, 2013 से सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अन्य उनसे सम्बद्ध अस्पतालों में जाँच शुरू की गई। इस योजना में 15 अगस्त, 2013 से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं डिस्पेंसरी पर भी निःशुल्क जाँच की जाने लगी है। वर्तमान में सभी राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क जाँच हो रही है।

उद्देश्य

1. प्रदेश के सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रखने के लिए निःशुल्क जाँच केन्द्र चलाये गये हैं।
2. गरीब व्यक्ति, जो रूपयों में स्वास्थ्य जाँच नहीं करवा सकते हैं,उनके लिए यह बेहतर सुविधा है।
3. गरीबों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए।
4. ग्रामीण व शहरी गरीब लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रयास करना।
5. प्रत्येक नागरिक को सही समय पर सही जाँच उपलब्ध कराकर उचित उपचार दिलाना।
6. किसान और कमजोर वर्ग के लोग इलाज कराने के चक्कर में अपने घर, जमीन बेच देते हैं, इनसे बचाने के लिए।

उपलब्धियाँ

1. मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 7 करोड, 38 लाख, 52 हजार, 186 निःशुल्क जाँच की गई।
2. राज्य में प्रतिदिन लगभग 70 हजार, जाँचें निःशुल्क की जा रही हैं।
3. दवाइयों के कुल 3257 नमूने जाँच हेतु लिये गये हैं।

सारणी 3.7

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कुल व्यय राशि (लाख में)
नीमकाथाना	195967	96.98
श्रीमाधोपुर	186638	88.31

स्रोतः कार्यालयः मुख्यचिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग, सीकर

स्थानीय विधायक क्षेत्र विकास योजना (MLALAD)

राजस्थान में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप स्थानीय विधायक की अभिशंषा पर जनोपयोगी कार्य हेतू 1999–2000 में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाम से एक नवीन योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक अपने–अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकतानुसार वर्ष 1999–2000 में 25 लाख रूपये की लागत के कार्य स्वीकृत कराने के लिए अधिकृत थे लेकिन राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 के तहत प्रत्येक विधायक को 5 करोड़ रूपये की लागत के कार्य कराने के लिए अधिकृत किया है।

इस योजना का उद्देश्य स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जनोपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण कराना, क्षेत्रीय विकास के असंतुलन को दूर करना हैं।

सारणी 3.8

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित कार्यों की संख्या	कुल व्यय राशि (लाख में)
नीमका थाना	27	187.20
श्रीमाधोपुर	32	138.10

स्रोतः कार्यालयः सचिवालय, जयपुर

मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा वितरण योजना

राजस्थान के मुख्यमंत्री **श्री अशोक गहलोत** ने निःशुल्क पशुधन दवा वितरण का **उद्घाटन 13 अगस्त, 2012** को जयपुर में किया तथा राजस्थान सरकार द्वारा 15 अगस्त, 2012 को यह योजना लागू कर दी गयी। इसके अन्तर्गत किसानों व पशुपालकों को लाभ मिलता है। गरीब पशुपालक अपने जीवन निर्वाह के लिए पशुधन रखता है। पशु बीमार होने पर राजकीय व सामुदायिक चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा वितरण किया जाता है जिससे पशुपालकों का आर्थिक संकट कम हो जाता है।

मुख्य बिन्दु

1. देहाती जीवन में अशिक्षित चरवाहे, पशुपालक इस योजना से लाभान्वित होंगे।
2. गरीब पशुपालक अपना जीवन निर्वाह अच्छी तरह से कर पायेंगे।
3. पशुओं के बीमार होने पर निःशुल्क दवा देने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
4. किसान व पशुपालक आर्थिक तंगी से बच पायेंगे।
5. ग्रामीण विकास में व्यापारिक पशुओं की बढ़ोतरी होगी।
6. पशुओं की वृद्धि होगी व मृत्यु दर घटेगी।

सारणी 3.9

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित पशुओं की संख्या	कुल व्यय राशि (लाखों में)
नीमकाथाना	144776	218.25
श्रीमाधोपुर	188634	229.24

स्रोतः कार्यालयः मुख्यचिकित्सा अधिकारी पशुपालन विभाग, सीकर

नन्द घर योजना

यह योजना दिनांक 11 मई, 2015 को महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री **श्रीमती अनिता भदेल** ने पाली में 'नन्द घर योजना' की शुरूआत की। यह योजना आंगनबाड़ी केन्द्रों को आधुनिक बनाने, इनके संचालन में सामुदायिक

सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए चलायी जा रही है। इस योजना को जल्दी ही पूरे राज्य में लागू कर 10 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों को सामाजिक पहल के द्वारा विकसित किया जायेगा।

उद्देश्य

1. आंगनबाडी केन्द्रों में सहभागिता एवं समन्वित प्रयास से संसाधनों का विकास एवं आशानुकूल परिणाम प्राप्त करना ।
2. गर्भवती महिला तथा गर्भावस्था से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, की व्यवस्था करना।
3. विद्यालय पूर्व शिक्षा के साथ सम्पूर्ण विकास के लिए संसाधन उपलब्ध कराना।
4. मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर आदि में कमी लाकर कुपोषण जैसी समस्याओं का निराकरण करना।
5. आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार की गुणवता बढ़ाना।
6. इन केन्द्रों में शाला पूर्व किट, खेलने के खिलौने, गुड़िया घर, स्लाइडर, फिसलपट्टी, घोड़ा, बच्चों के टीशर्ट व हाफ पेन्ट, व्हाइट बोर्ड, नोट बुक, पेन्सिल इत्यादि उपलब्ध कराना।

सारणी 3.10

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित महिलाओं एवं 0–6 वर्ष के बच्चों की संख्या	कुल व्यय राशि (लाख में)
नीमकाथाना	110317	2285699
श्रीमाधोपुर	90637	1977532

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायतसमिति

स्वच्छ राजस्थान – स्वच्छ भारत अभियान

यह अभियान राजस्थान की मुख्यमंत्री **श्रीमती वसुन्धरा राजे** ने 2 अक्टूबर, 2014 में जयपुर जिले के धानक्या गाँव से प्रारम्भ किया। इसके अन्तर्गत प्रत्येक गली मोहल्ले की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। तथा

प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वे स्वच्छ राजस्थान व स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेकर सहयोग प्रदान करें।

उद्देश्य

1. प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करना।
2. गाँव, ढाणी व शहर को स्वच्छ रखकर पर्यावरण को शुद्ध बनाने में सहयोग देना।
3. शुद्ध पर्यावरण को बढावा देना।
4. मलिन बस्तियों का पुनर्वास करना।
5. अनेक बीमारियों से छुटकारा पाना।
6. स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं पर नियन्त्रण करना।

सारणी 3.11

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित परिवारों की संख्या	राशि (लाख में)
नीमका थाना	1468	65.37
श्रीमाधोपुर	1237	58.72

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायतसमिति

पंचायत दिवस कार्यक्रम

यह कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 6 जून, 2014 से प्रारम्भ किया गया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न विकास योजनाओं को गति देने, उनके नियमित पर्यवेक्षण एवं फील्ड में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों के मार्गदर्शन के उद्देश्य से यह कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य की समस्त पंचायत समितियों में हर शुक्रवार को आस–पास की दो ग्राम पंचायतों में पंचायत समिति के समस्त अधिकारी कर्मचारी दो टीमों में जाते हैं। यह एक सतत् कार्यक्रम है, जो वर्ष भर चलता है। पंचायत समिति की टीमें वर्ष में 3 से 4 बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाती हैं। राज्य में लगभग

9014 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है।

कार्य

1. विभिन्न विभागीय विकास योजनाओं में लम्बित स्वीकृतियाँ मौके पर ही जारी करवाना तथा खर्च की जा चुकी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी व समायोजन करवाना।
2. निजी लाभ योजनाओं की स्वीकृतियाँ जारी करवाना व कार्य पूर्ण पाये जाने पर अनुग्रह राशि निर्गमित करवाना।
3. गत 5 वर्षों में हुए विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाकर परिसम्पति रजिस्टरों में अंकन करवाना।
4. निजी लाभ योजनाओं में लाभान्वितों का सत्यापन करना।
5. ग्राम पंचायतों द्वारा संधारित रिकार्ड का अपडेशन एवं जाँच करना
6. ग्रामीण क्षेत्र के हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना।
7. ग्रामीण क्षेत्र की सफाई की व्यवस्था करना व ग्राम पंचायतों को ओ.डी.एफ. (ODF) घोषित करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना।
8. भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटन करना या निर्मित मकानों के नियमानुसार पट्टे जारी करना।

सारणी 3.12

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
नीमका थाना	1842
श्रीमाधोपुर	1376

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायतसमिति

राजीविका से आजीविका

यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए चलायी गयी योजना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित यह परियोजना स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना का नवीन एवं परिष्कृत रूप है। यह मिशन इस विश्वास पर आधारित है कि गरीब व्यक्ति में स्वयं को गरीबी से बाहर निकालने की अद्‌भुत क्षमता एवं प्रबल इच्छाशक्ति होती है।

मुख्य बिन्दु

1. विश्व बैंक एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है।
2. इसके अन्तर्गत ग्रामीण निर्धन परिवार, निःशक्त, वंचित एवं उपेक्षित वर्ग की महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सुद्वढ बनाये जाने का लक्ष्य है।
3. 'एक समुदाय के अनुभवों द्वारा दूसरे समुदाय को सीख' की संकल्पना पर आधारित है।
4. महिलाओं की आजीविका सुदृढ़ करने, निजी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं व्यवसाय शुरू करने पर जोर दिया।
5. परिवार की विविध जरूरतों के लिए ऋण को आसान किश्तों में चुकाकर पुनः ऋण लेने की व्यवस्था है।

उपलब्धियाँ

1. राज्य में राजीविका से आजीविका परियोजना में स्वयं 8256 सहायता समूहों का गठन कर गरीब महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है।
2. 1317 स्वयं सहायता समूहों को 5.82 करोड़, रूपये का ऋण दिया गया है।
3. परियोजना के तहत अनुसूचित जाति में 3219 एवं अनुसूचित जनजाति में 6773 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

सारणी 3.13

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित समूहो की संख्या
नीमका थाना	672
श्रीमाधोपुर	488

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायतसमिति

मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना

इस योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री **श्री अशोक गहलोत** द्वारा 10 मई, 2010 को टोंक जिले से किया गया। इस योजना के अन्तर्गत समस्त बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय परिवारों को सस्ती दर पर प्रतिमाह 15 से 21 तारीख को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा रहा है। बी.पी.एल.व स्टेट बी.पी.एल. परिवार को 25 किलो गेहूँ एवं अन्त्योदय परिवार को 35 किलो गेहूँ 2 रूपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध करवाया जाता है।

मुख्य उद्देश्य

1. मुख्यमंत्री अन्न योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
2. राज्य सरकार ने यह व्यवस्था कर रखी है कि यदि किसी गरीब व्यक्ति के पास अनाज नहीं है तो वह उचित मूल्य की दुकान से 10 किलो गेंहूँ मुफ्त में ले सकता है।
3. कोई भी गरीब व्यक्ति भूख से न मरे।
4. गरीबों की स्थिति सुधारने हेतु।
5. भूमिहीन व मजदूर वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने हेतु।

सारणी 3.14

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित परिवारों की संख्या
नीम का थाना	1368
श्रीमाधोपुर	1132

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समिति

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

सांसद सदस्य क्षेत्र की जनता के विकास के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 23 दिसम्बर, 1993 को संसद में घोषित की गयी। सांसद क्षेत्र में विकास कार्यों को संचालित करने के लिए लागत नियम, संसाधन आवंटन और कार्यों की प्राथमिकता तय करने के बारे में प्रशासनिक कार्यालय के दिशा–निर्देश होते हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक संसद सदस्य अपने चुनाव क्षेत्र में प्रतिवर्ष दस करोड़ रूपये की लागत तक के कार्य करवाने के लिए जिलाधीश को आदेश दे सकता है।

मुख्य बिन्दु

1. इस योजना के तहत् कार्य का स्वरूप विकासोन्मुखी होना चाहिए।
2. योजना के तहत कार्य की लागत सामान्यतः 10 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. इस योजना की निधि को किसी अन्य योजना की निधि के साथ मिलाकर भी खर्च किया जा सकता है।
4. संसद सदस्य असाधारण प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अपने चुनाव क्षेत्र राज्यों के बाहर के क्षेत्रों में भी दस लाख रूपये तक का अनुदान योजना निधि में दे सकते हैं।
5. पंजीकृत संस्थाओं/न्यासों के सामुदायिक उपयोगिता कार्यों के लिए भी दिशा–निर्देशों में दी गई कुछ शर्तों का पालन करते हुए योजना निधि का उपयोग किया जा सकता है।

6. कार्यालय भवनों का निर्माण, किसी प्रकार की वस्तु खरीद, मरम्मत और रखरखाव तथा व्यक्तिगत सम्पति खरीदने के लिए इस योजना की निधि का उपयोग नहीं किया जा सकता।

उपलब्धियाँ

1. इस योजना के अन्तर्गत 151.73 करोड़ रूपये के व्यय से कुल 5016 कार्य पूर्ण कराए गये।

सारणी 3.15

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	पूर्ण कार्यों की संख्या	व्यय राशि (लाख में)
नीमकाथाना	42	92.36
श्रीमाधोपुर	33	78.39

स्रोतः कार्यालयः जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, सीकर

आम आदमी बीमा योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में खेतीहर को निःशुल्क बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आम आदमी बीमा योजना का शुभारम्भ **केन्द्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम्** ने 2 अक्टूबर, 2007 को शिमला में किया। केन्द्र प्रायोजित इस योजना का संचालन राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों की सरकारों व भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के सहयोग से किया गया।

मुख्य बिन्दु

1. योजना के तहत् प्रति लाभार्थी, वार्षिक प्रीमियम 200 रूपये निर्धारित किया गया हैं जिसके 50 प्रतिशत की अदायगी केन्द्र सरकार द्वारा विशेष आर्थिक कोष से जबकि शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा चुकाया जायेगा।
2. ग्रामीण भूमिहीन परिवार का मुखिया या परिवार का रोजगार करने वाला एक सदस्य, जिसकी उम्र 18 से 59 वर्ष के मध्य हो, इस योजना के तहत बीमा पा सकेगा।

3. बीमित व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु पर 30 हजार रूपये, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 75 हजार रूपये का हित लाभ देय होगा।
4. दुर्घटना में एक आँख/हाथ/पाँव अक्षम होने पर आधी राशि (37,500 रूपये) का हित लाभ देय होगा।
5. योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए एक मुफ्त एड ऑन शिक्षावृति देय है।
6. इसमें 9 वीं से 12 वीं कक्षा के केवल दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह रूपये 100 की शिक्षावृति दी जायेगी।
7. यह शिक्षावृत्ति छः माही 1 जुलाई तथा 1 जनवरी को देय होगी।

सारणी 3.16

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित परिवारों की संख्या
नीम का थाना	78
श्रीमाधोपुर	102

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायतसमिति

विधवाओं, विकलांगो के हितार्थ इन्दिरा गाँधी के नाम पेंशन योजना

निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रही विधवाओं एवं विकलांगों के लिए केन्द्र द्वारा संचालित दो अलग–अलग पेंशन योजनाओं का शुभारम्भ 19 फरवरी, 2009 में किया गया है। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना व इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना नाम की घोषणा वित्त **मंत्री प्रणव मुखर्जी** ने 16 फरवरी, 2009 को अंतरिम केन्द्रीय बजट में की। योजनाओं की औपचारिक शुरूआत केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रताप सिंह ने बाद में 19 फरवरी को की ।

मुख्य बिन्दु

1. विधवा पेंशन योजना के तहत् निर्धनता रेखा के नीचे के परिवार की 40–64 वर्ष आयु की महिलाओं को लक्षित किया गया है।

2. 65 वर्ष की आयु पर यह विधवाएँ इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन की पात्र हो जायेंगी।
3. इस योजना के तहत पेंशन प्रदान करने के लिए 500 रूपये प्रतिमाह केन्द्र द्वारा उपलब्ध कराए जायेंगे तथा कम से कम इतना ही योगदान राज्यों से अपेक्षित किया गया है।
4. केन्द्र व राज्य सरकारों का योगदान मिलाकर 700 रूपये प्रतिमाह पेंशन इन्हें प्राप्त हो सकेगी।
5. इस योजना के अन्तर्गत इसी प्रकार का लाभ विकलांगो के लिए शुरू किया गया है।

उपलब्धियाँ

1. प्रदेश की महिलाओं, युवाओं एवं विशेष योग्यजन के स्वरोजगार व कौशल विकास हेतु तीन योजनाएँ नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी हैं।
2. राज्य के सभी 33 जिलों में निराश्रित व योग्यजन महिलाओं के लिए अपने ही परिवार द्वारा प्रताड़ित महिलाओं की सुरक्षा एवं त्वरित अनुसंधान राज्य के सभी 33 जिलों में महिला थाने खोले जा चुके हैं।
3. विशेष योग्यजन महिलाओं के किसी भी प्रकार की हिंसा, घरेलू प्रताड़ना अथवा शोषण सम्बन्धी समस्याओं के सफल समाधान हेतु महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र खोले गये है।

सारणी 3.17

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	व्यय राशि
नीम का थाना	168	52908
श्रीमाधोपुर	102	31808

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायतसमिति

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी** ने 19 फरवरी, 2015 को श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में 'सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम' (मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना) का शुभारम्भ किया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत आगामी तीन वर्षों में देशभर के 14 करोड़ खेतों की मिट्टी की जाँच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किये जाएँगे। इस वित्तिय वर्ष में 3 करोड़ किसानों के खेतों की जाँच होगी। तीन वर्ष बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड का रिन्युअल किया जाएगा। इस कार्ड में भूमि की उर्वराशक्ति के साथ–साथ किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उपयोग की जानकारी दर्ज होगी, ताकि किसान फसलों का उत्पादन बढ़ा सके। इस योजना से किसानों को विभिन्न सुविधाएँ देने के लिए डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी।

उद्देश्य

1. भूमि के स्वास्थ्य की जाँच तकनीक विकसित कर उसकी उर्वरा क्षमता बढाने के लिए प्रयास करना।
2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से किसानों को भूमि के पोषक तत्वों के प्रबन्धन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
3. देश के कृषि क्षेत्र में विकास होगा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
4. देष कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा।

सारणी 3.18

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित किसानों की संख्या
नीम का थाना	232
श्रीमाधोपुर	196

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायतसमिति

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे असंगठित क्षेत्र कर्मियों के लिए एक नयी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (National Health Insurance Scheme) 1 अक्टूबर, 2007 से प्रारम्भ की गयी। इस योजनान्तर्गत योजना पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्र द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

मुख्य बिन्दु

1. पहले चरण में 2008–09 के अन्त तक 1.25 करोड़ परिवारों को योजना के दायरे में लाने का सरकार का इरादा था।
2. इस योजना के तहत लक्षित व्यक्तियों को केवल 30 रूपये के लागत मूल्य पर एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जायेगा।
3. सार्वजनिक एवं चुनिंदा निजी अस्पतालों में वर्ष में अधिकतम 30 हजार रूपये मूल्य की चिकित्सा सेवा उन्हें बिना कोई शुल्क चुकाये इस कार्ड के जरिए प्राप्त हो सकेगी।
4. वर्तमान में सभी सरकारी कर्मचारियों को इस योजना के दायरे में लाया गया है।
5. स्वास्थ्य बीमा योजना के सम्पूर्ण क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व लीड एक्जिक्यूटिंग एजेन्सी का होगा।

उपलब्धियाँ

1. स्वास्थ्य बीमा योजना में सामान्य बीमारियों हेतु 30 हजार एवं गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रूपये का कवर दिया जा रहा है।
2. इस योजना के अन्तर्गत राज्य में मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्युदर में कमी लायी गयी।
3. गाँवों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया गया ।
4. स्वास्थ्य संस्थाओं में निवेश हेतु पॉलिसी तैयार किये जाने हेतु एक उच्चस्तरीय टीम गठित कर निवेश को प्रोत्साहन दिया गया है।

सारणी 3.19

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित परिवारों की संख्या
नीम का थाना	1381
श्रीमाधोपुर	1037

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायतसमिति

अंत्योदय अन्न योजना

इस योजना का प्रधानमंत्री **अटल बिहारी वाजपेयी** द्वारा अपने जन्म दिवस पर 25 दिसम्बर, 2000 को शुभारम्भ किया गया। इस योजना के अनुसार देश के एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह 25 किलोग्राम अनाज विशेष छूट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

उद्देश्य

1. निर्धनतम परिवारों को विशेष रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा।
2. खाद्यान्न के विपुल भण्डार से भारतीय खाद्य निगम राहत मिलेगी।
3. गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लोगों का भरण–पोषण हो सकेगा।
4. गरीबों को पोषाहार व स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।

उपलब्धियाँ

1. उचित मूल्य की दुकान पर प्रत्येक माह की 10 तारीख से माह की 24 तारीख तक उपभोक्ता पखवाड़े का आयोजन कर खाद्य सामग्री के वितरण संशोधन 10.11.2014 से जारी किये गये।
2. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूँ प्रति यूनिट तथा अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूँ प्रति परिवार प्रति माह 2 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराये जा रहे हैं।
3. राज्य के अन्त्योदय अन्न योजना में चयनित बारां जिले के सहरिया एवं उदयपुर जिले के कथौड़ी जनजाति के परिवारों को खाद्य सुरक्षा

सुनिश्चित करने के लिए फरवरी , 2015 से 35 किग्रा गेहूँ प्रतिमाह प्रति परिवार निःशुल्क वितरण कराये जाने के आदेश जारी किये गये।

4. आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण हेतु सचिव स्तरीय समूह का गठन किया गया।

सारणी 3.20

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित परिवारों की संख्या
नीमकाथाना	1782
श्रीमाधोपुर	1966

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समिति

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम

इस कार्यक्रम की शुरूआत मुख्यमंत्री **वसुन्धरा राजे** ने दिनांक 09.02. 2014 को **भरतपुर संभाग** से की । इसके अन्तर्गत राज्य की मुख्यमंत्री मंत्रीगण एवं प्रशासनिक अधिकारी संभागों के गाँव–गाँव जाकर आम–जन की परेशानियाँ सुनते हैं और जहाँ तक हो सके, त्वरित गति से हल निकालने का प्रयास करते हैं। यह कार्यक्रम पारदर्शी है। यह सम्पूर्ण राजस्थान में चलाया गया कार्यक्रम है।

उद्देश्य

1. नागरिकों को सुशासन प्रदान करना।
2. नागरिकों की परिवेदनाओं का समयबद्ध निस्तारण करना।
3. नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ें, यह शासन का मुख्य उद्देश्य है।
4. जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित करना।
5. आम जनता के साथ पारस्परिक मधुर संबध बनाना।

विशेष

1. सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान एक ऑफलाइन 'मॉड्यूल' का निर्माण किया गया ।

2. शिकायत निवारण हेतु **'राजस्थान सम्पर्क पोर्टल'** बनाया गया।
3. इस पोर्टल से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न दलों का संचालन मॉनिटर करने में अत्यधिक सहायता मिली है।
4. गोद लेने वाली पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन करना।

उपलब्धियाँ

1. यह कार्यक्रम ग्रामीण एवं दूर दराज के गरीब लोगों के बीच सरकार का स्वयं उनके द्वार पर जाकर उनकी समस्याएँ सुनने, प्रार्थना पत्र, परिवेदना प्राप्त करने का अनुपम एवं अनूठा कार्यक्रम है।
2. ऐसी व्यवस्था बनायी गयी, जिससे गाँवों के लोगों को मुख्यालय व कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ें।
3. इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी मशीनरी को चुस्त, आम लोगों के प्रति जवाबदेह, एवं पारदर्शी बनाने में कामयाबी मिली है।
4. ग्रामीण एवं निर्धन लोगों तक सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को पहुँचाने में सफलता मिली।
5. सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का आमजन से फीडबैक प्राप्त करके उनमें ग्रास रूट लेवल पर आ रही कमियों को चिन्हित करने में सहायता मिली।
6. ग्रामसभा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान प्राप्त शिकायतों/परिवेदनाओं पर विचार करके उनका निस्तारण कराया जाना जन सहभागिता का अनूठा प्रयोग है।
7. स्थानीय विकास गैप की आवश्यकता का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया।
8. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 13 दिसम्बर, 2013 से वर्तमान तक 5027 नियुक्तियाँ दी गयी, जिसमें 108 संविदाकर्मी तथा 1711 अनुकम्पा नियुक्ति और 10,047 पदोन्नतियाँ दी गयी।

सारणी 3.21

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
नीमकाथाना	4276
श्रीमाधोपुर	3832

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समिति

कुटीर ज्योति कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा 1988–89 में कुटीर–ज्योति कार्यक्रम प्रारम्भ किया। इसके अन्तर्गत हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों में सुधार के लिए योजना संचालित की गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन (Single Point Electricity Connection) उपलब्ध कराने के लिए चार सौ रूपये की सरकारी सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

उद्देश्य

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले लोगों के घरों में रोशनी प्रदान करना।
2. गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए विद्युत प्रदान करना।
3. ग्रामीण लोगों का आर्थिक व सामाजिक स्तर सुधारने के लिए।
4. गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों का सर्वांगीण विकास करना।
5. हर गाँव और ढ़ाणी तक विद्युत पहुँचाना।

उपलब्धियाँ

1. ऊर्जा विभाग द्वारा 8746 बी.पी. एल परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किये गये।
2. विद्युतीकरण ग्रामीण क्षेत्र में 33 गाँवों का चयन कर 30813 कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं।

3. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिया गया।

सारणी 3.22

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित परिवारों की संख्या
नीमकाथाना	218
श्रीमाधोपुर	288

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समिति

खेतीहर मजदूर बीमा योजना अथवा कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना (KSSSY)

यह योजना दिनांक 1 जुलाई, 2001 को प्रारम्भ की गयी। यह योजना वर्ष 2001–2002 के केन्द्रीय बजट में सरकार द्वारा **भारतीय जीवन बीमा निगम** के द्वारा भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए चलायी गयी। इसके अन्तर्गत मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए बीमा योजना क्रियान्वित की गई है।

उद्देश्य

1. भूमिहीन कृषि मजदूरों को बीमा सुरक्षा के साथ–साथ 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 100 रू. से 1900 रू. प्रतिमाह पेंशन दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।
2. मृत्यु के समय 13000 रूपये से 2.50 लाख रूपये की राशि एक मुश्त बीमित व्यक्ति के परिवार को दे दी जायेगी।
3. यह राशि योजना में शामिल होते समय हितार्थी की आय पर निर्भर करेगी।

सारणी 3.23

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित मजदूरों की संख्या	व्यय राशि (लाख में)
नीमकाथाना	39	32.58
श्रीमाधोपुर	54	42.20

स्रोतः कार्यालयः नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समिति

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

केन्द्र सरकार ने स्वतंत्रता की **61वीं वर्षगॉठ** के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 15 अगस्त, 2008 से शुरू किया । पूर्व में संचालित दो रोजगार कार्यक्रमों प्रधानमंत्री की रोजगार योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय इस नये कार्यक्रम में कर दिया गया। सब्सिडी युक्त साख वाले इस कार्यक्रम के तहत् ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में माइक्रोएंटर प्राइजेज की स्थापना के जरिए रोजगार के नये अवसर सृजित किये जायेंगे।

1.

सारणी 3.24

वर्ष 2016–17

पंचायत समिति	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	व्यय राशि (करोड में)
नीमकाथाना	92	1.72
श्रीमाधोपुर	80	1.64

स्रोतः कार्यालयः जिला ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, जिला परिषद, सीकर

मुख्य बिन्दु

1. सेंट्रल सेक्टर के अधीन क्रेडिट लिंक्ड योजना।
2. देश भर में माइक्रो उद्यमों की स्थापना हेतु योजना में लगभग 15,000 करोड़ रूपये के प्रवाह की सम्भावना जिसमें 4485 करोड़ रूपये सरकारी सहायता होगी।

3. देश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना।
4. सम्पूर्ण विकास हेतु समाज के वंचित वर्ग के लिए ज्यादा सहायता देना।
5. उत्पादन परियोजना हेतु परियोजना इकाई के लिए अधिकतम 25 लाख रूपये की क्रेडिट सीमा तथा व्यापार/सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रूपये की सीमा है।
6. 10 लाख रूपये से अधिक की उत्पादन परियोजनाओं तथा 5 लाख रूपये से अधिक की व्यापार/सेवा परियोजना के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास होना जरूरी है।
7. राष्ट्रीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु गृहमंत्रालय के अधीन वैधानिक निकाय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एकमात्र नोडल एजेंसी होगी।

सब्सिडी युक्त साख के जरिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

सन्दर्भ

1. राजस्थान सरकार : प्रगतिशील राजस्थान, आधारभूत संरचना एवं ढाँचागत विकास विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय ,जयपुर, नवम्बर, 2014 पृ. 28
2. उपर्युक्त, पृ. 29–30
3. राजस्थान सरकार : प्रगतिशील राजस्थान 'ग्रामीण विकास विभाग,' सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय , जयपुर, नवम्बर 2014 पृ. 54
4. कार्यालय, जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, सीकर।
5. राजस्थान सरकार : प्रगतिशील राजस्थान 'चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग' सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर, नवम्बर, 2014 पृ. 85
6. राजस्थान सरकार : शासन सचिवालय, जयपुर।
7. उपर्युक्त
8. राजस्थान सरकार : पशुपालन स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
9. राजस्थान सुजस (द्विमासिक), सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय, जयपुर वर्ष–23, अंक–4 मई, 2015 पृ. 19
10. राजस्थान सुजस : सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर वर्ष 24, अंक–1 20 फरवरी 2015 पृ. 15
11. राजस्थान सरकार, प्रगतिशील राजस्थान, 'पंचायती राज विभाग' सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर, नवम्बर, 2014 पृ. 53
12. राजस्थान सूजसः– 'राजीविका राजस्थान ग्रमीण विकास परिषद' सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर वर्ष–24 अंक–3 मई,2015 पृ. 28
13. स्रोत : कार्यालय जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, सीकर
14. उपर्युक्त
15. राजस्थान सरकार : समाज कल्याण विभाग सचिवालय, जयपुर

16.राजस्थान सरकार : 'राजस्थान सूजस,' सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय , जयपुर वर्ष–24, अंक–1, 20फरवरी 2015 पृ. 5

17.राजस्थान सरकार : स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर

18.राजस्थान सरकार : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग, जयपुर

19.राजस्थान सरकार : प्रगतिशील राजस्थान, 'प्रशासन सुधार विभाग' सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय , जयपुर, नवम्बर 2014 पृ. 9–10

20.राजस्थान सरकार : प्रगतिशील राजस्थान, 'उर्जा विभाग' सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय , जयपुर, नवम्बर, 2014 पृ. 33–34

21.राजस्थान सरकार : सबका विश्वास 'बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग' सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर, दिसम्बर 2014 पृ. 07

22.कार्यालय : जिला परिषद, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, सीकर

चतुर्थ अध्याय

ग्रामीण विकास में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका : एक सर्वेक्षण

पंचायती राज

देश में प्राचीन काल से ग्रामीण विकास अनवरत गति से होता रहा हैं आज भी यह कई माध्यमों से होता है जिसमें पंचायती राज भी एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत में पंचायती राज की अवधारणा बहुत प्राचीन है।'पंचायती राज' शब्द का पहली बार प्रयोग स्वतंत्र भारत में श्री बलवंत राय मेहता के **'लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण'** प्रतिवेदन से हुआ। शाब्दिक दृष्टि से पंचायती राज शब्द हिन्दी भाषा के दो शब्दों **'पंचायत'** और '**राज'** से मिलकर बना है जिसका संयुक्त अर्थ होता है– **पाँच जन प्रतिनिधियों का शासन।**[1] किन्तु पंचायती राज की अवधारणाएँ हैं। जो राजनीति, नौकरशाही तथा सामाजिकता से सम्बन्धित हैं। कुछ राज्यों में पंचायतीराज की अवधारणा का आशय सामुदायिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन मात्र से लिया जाता है। पंचायती राज की दूसरी अवधारणा यह है कि पंचायती राज गाँवों तक राजनीतिज्ञों के बीच अनुकूलता स्थापित करने के लिए लोकतंत्र का विस्तार मात्र है।[2]

आजादी के बाद भारत में स्वशासन की पद्धति को अपनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। गाँधीजी के अनुसार जब तक गाँव के जीवन को लोकतांत्रिक नहीं बनाया जाता, तब तक भारत के वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती क्योंकि अधिकतर भारतीय गाँवों में रहते हैं। उनकी मान्यता है कि गाँव में जीवन को लोकतांत्रिक बनाने से हजारों ग्रामवासी अपने विकास कार्यों की देखभाल स्वयं करेगें तथा अपनी समस्याओं का हल ढूँढ़ने में

भागीदारी करेंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन में पंचायत व्यवस्था की स्थापना के सिद्धान्त को सम्मिलित किया गया। संविधान ने ऐसी आशा रखी थी कि केन्द्रीय व राज्य सरकारें भारत में पंचवर्षीय व्यवस्था की स्थापना करेगी।[3]

पंचायती राज संस्था प्राचीन काल में भी विद्यमान थी लेकिन उसका स्वरूप अलग था। आज के संदर्भ में पंचायती राज का अर्थ पंचायतों द्वारा शासन है। यह माना जाता हैं कि पहले भी ग्रामीण जीवन में ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत् लोगों के विवाद होने पर उसका निपटारा गाँव के बुजुर्गों की परिषद उस विवाद का फैसला करती थी। यह एक तरह की स्वशासन की व्यवस्था थी। गाँव के ही लोग शासन करते थे तथा अपने हितों के लिए निर्णय लेते थे।[4]

पंचायती राज का एक अन्य दृष्टिकोण जो नौकरशाही की रीति–नीति में दिखायी देता है। नौकरशाही पंचायती राज को स्थानीय स्तर तक प्रशासन का विस्तार मानती है। पंचायती राज की अन्य अवधारणा यह है कि 'राजनीतिक शक्तियों का विकेन्द्रीकरण आंशिक शक्तियों तथा सम्पत्ति के विकेन्द्रीकरण के साथ होना चाहिए।[5] भारत के प्राचीन साहित्यिक ग्रंन्थों में भी पंचायत या 'पंचायती' शब्द को स्पष्ट करने के प्रयास किए गये हैं। उनके अनुसार **'पंचायत'** शब्द **संस्कृत भाषा** के **'पंचायतन'** शब्द से उत्पन्न हुआ है। संस्कृत भाषा के ग्रन्थों के मतानुसार आध्यात्मिक पुरूष के सहित पाँच पुरूषों के समूह या वर्ग को पंचायत के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में पंचायत की अवधारणा का अभिप्राय इस प्रकार की निर्वाचित सभा से है जिसकी सदस्य संख्या प्रधान सहित पाँच होती है जो स्थानीय स्तर के विवादों का निपटारा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। **गाँधीजी** ने भी पंचायत शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि **''पंचायत शब्द का शाब्दिक अर्थ ग्रामवासियों द्वारा चयनित पाँच प्रतिनिधियों की सभा से है।''**

पंचायती राज व्यवस्था का प्रारम्भ

पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान समय में स्थानीय प्रशासन का अभिन्न अंग हो चुकी है। इस व्यवस्था का उद्‌भव कब हुआ? तथा इसका तात्कालिक स्वरूप क्या था कहना काफी कठिन है।[6] भारतीय वैदिककालीन ग्रन्थों में भी सभा और समितियों जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का वर्णन मिलता है। ये सभा और समितियाँ प्रशासन के क्षेत्र में अपने स्वामी को सहयोग प्रदान करती थी। अथर्ववेद में सभा के स्वरूप के लिए निम्नलिखित श्लोक हैः–

ये ग्रामा यदख्य या सभा अधि भूम्याम्।

ये संग्रामाः समितियस्तेषु वारूवेदम से।।

यानि पृथ्वी पर जो ग्राम,वन,सभाएँ और समितियाँ है उन सब में हम सुन्दर वेदयुक्त वाणी का प्रयोग करें।[7] अथर्ववेद में ही एक अन्य स्थान पर सभा का वर्णन पाया जाता है, यथा–[8]

सा व सासमितिश्चावतां प्रजापते दुहितारों संविदाने।

येन संगठा उपभास शिक्षाच्चारू वदानिपितरः संगतेषु।।

''अर्थात सभा और समितियाँ प्रजापति के लिए दुहिता सम पोषण योग्य हैं। वे दोनों सभा और समिति प्रजापति की रक्षा करें। प्रजापति को वे उचित सम्मान प्रदान करें। हे विद्वानों ! मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करो, जिससे मैं सभा और समिति में सुन्दर विवेकयुक्त वाणी का प्रयोग करूँ।''

वैदिक युग के बाद रामायण युग में भी सभा एवं समितियों का वर्णन मिलता हैः–

यदि मेउनु रूपार्थ मया साधु मित्रतम्।

भवन्तोमेडन भन्यन्तांक्यं वा करवाभ्य हम।।[9]

''अर्थात मेरे द्वारा कहे गये उत्तम एवं व्यावहारिक विचार, जिनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको उचित प्रतीत होता हो तो उन विचारों को क्रियान्वित करने की आज्ञा प्रदान करें अथवा मुझे इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिए, इस प्रकार मार्गदर्शन करें।''

रामायण युग में पंचायती राज के बारे में जनपदों का बोलबाला था। तत्कालीन व्यवस्थाओं में जनपदों को ग्रामीण गणराज्यों के संघों के रूप में जाना

जाता था।[10] महाभारतकालीन व्यवस्था में सभा जैसी संस्थाओं का अस्तित्व था। महाभारत के शक्तिपर्व नामक अध्याय में इसका वर्णन प्राप्त होता है। जिनके अन्तर्गत राजा के लिए अनेक सामाजिक परम्पराओं का पालन करना अनिवार्य होता था। इसके आधार पर ही विभिन्न वर्गों को अपने लिए नियम बनाने का अधिकार प्राप्त था। मनुस्मृति के अनुसार ''ग्रामीण शासन के लिए जो कर्मचारी उत्तरदायी होता था, उसे **ग्रामीण** नाम से जाना जाता था।''[11]

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए डॉ0 जायसवाल ने लिखा है कि ''प्राचीनतम उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय जीवन और कार्यों की अभिव्यक्ति ग्राम सभाओं के माध्यम से ही होती थी।''[12]

परन्तु कालक्रम पारम्परिक प्रणाली प्रमुख रूप से उत्तर भारत में समाप्त हो गयी और इसी के साथ धीरे–धीरे ग्रामीण स्थानीय संस्था भी समाप्त हो गयी। मध्ययुगीन हिन्दूकाल में भी ग्रामीण स्थानीय प्रशासन विद्यमान था। उस समय नये भू–भागों में गाँवों का श्रेष्ठ व्यक्ति ही शासक होता था जो उन ग्रामीणों के **न्यासी** के रूप में कार्य करता था। सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य ने इस प्रकार की ग्रामीण संस्थाओं के प्रति सदैव अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया था।[13]

गुप्तकालीन व्यवस्था में ग्राम पंचायतों का विशेष महत्त्व था। यद्यपि गुप्त काल में राजवंशी शासन प्रणाली थी तथापि शासक का विकेन्द्रीकरण विभिन्न स्तरों पर किया गया था। ग्राम की सुरक्षा, शक्ति व मर्यादा के लिए **ग्रामिक** ही उत्तरदायी होता था। इसके इस कार्य के लिये **पंच मण्डल** था। पंचायतों की स्थापना इनकी सहायता के लिए की जाती थी, जिनमें ग्राम के बुजर्ग सदस्य होते थे।[14]

ग्रामीण स्थानीय प्रशासन की इकाईयाँ मुगलकालीन शासन व्यवस्था में अपने पुरातन रूप में विद्यमान रही थी। अफगान और मुस्लिम शासकों ने पुरातन रूढ़ियों और अभिसमयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं

समझा और न ही ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था में कोई आमूलचूल परिवर्तन किये। ग्राम पंचायतों का कार्य पूर्व की तरह ही चलता रहा।[15]

गाँवों की स्वायत्तता तथा स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं की निरन्तरता 18वीं शताब्दी के मध्य से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम तक समाप्त हो गयी थी। इसका प्रमुख कारण आंग्ल शासकों के द्वारा केन्द्रीयकृत शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश शासन पूर्ण रुप से उत्तरदायी था। ब्रिटिश शासकों ने ग्रामीण स्वशासन के स्थान पर अधिकारी तंत्र को प्रोत्साहित किया। जिसका मुख्य उद्देश्य अपने शासकों को प्रसन्न रख भारतीय जनता का अधिकाधिक शोषण करना था।''[16]

पंचायती राज व्यवस्था का आंग्ल शासन में ही पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया। ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पर अपना ध्यान केन्द्रित करने वाला **प्रथम वायसराय लॉर्ड रिपन** था, जिसके प्रयासों से ही **''नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज एक्ट (4) 1883** में पारित किया गया था। इस एक्ट के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में एक जिला परिषद स्थापित की जाती थी। प्रत्येक जनपद को उपजनपदों में विभाजित किया जाता था। इसके साथ ही प्रत्येक उपजनपद में एक **स्थानीय परिषद** की स्थापना की जाती थी[17]

यह व्यवस्था धीरे–धीरे असफल सिद्ध होने लगी। अतः इसकी असफलता की जाँच करने के लिए **सन् 1907 ई. में 'शाही विकेन्द्रीकरण आयोग'** की नियुक्ति की गई। शाही आयोग ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया कि ग्रामीण प्रशासन का विकास एवं प्रबन्ध तथा समस्याओं के लिए पंचायती राज की स्थापना की जाये। **सन् 1920** में ब्रिटिश सरकार ने ''**संयुक्त प्रान्त विलेज–पंचायत अधिनियम 1920**'' पारित किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत पंचायतों की स्थापना का अधिकार जनपद के जिलाधिकारी को प्रदत्त कर दिया था। उत्तर प्रदेश में 1920 के अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित पंचायतों के पूर्ण प्रभावी संस्थाओं की छाया मात्र थी।[18]

सन् 1857 का स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में स्वराज्य की माँग में उत्तरोतर वृद्धि होती गयी। स्वराज्य की माँग के साथ ही यह प्रश्न भी उठने

लगा कि स्थानीय शासन का संचालन उपर से किया जाये या नीचे से उपर की ओर। इस सम्बन्ध में महात्मा गाँधी का विचार था कि ''स्वतंत्रता स्थानीय स्तर से प्रारम्भ होनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक गाँव एक गणराज्य अथवा पंचायत राज होगा। प्रत्येक के पास पूर्ण सत्ता और शक्ति होगी। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक गाँव को आत्मनिर्भर होना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूर्ण करना चाहिए ताकि वह सम्पूर्ण प्रबन्ध स्वयं चला सके।''[19]

स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को कोई स्थान नहीं दिया गया। इसलिए गाँधीवादी दृष्टिकोण से प्रेरित विश्लेषकों के आधार पर कटु आलोचना की गयी।[20] 19 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर विचार विमर्श करते समय पंचायतीराज व्यवस्था से सम्बन्धित एक नया अनुच्छेद रखने का प्रयास किया। जिसको संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। यह नवीन अनुच्छेद भारतीय संविधान का 40 वाँ अनुच्छेद था। जिसमें व्यवस्था थीः–कि, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठायेगा तथा इनको इतनी शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान करेगा, जो कि उनको स्वायत्त सरकार की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बना सके।

भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के महत्त्व के बारे में बताते हुए तत्कालीन **प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू** ने कहा था कि **''पंचायत सरकारी इमारत की नींव है। यदि नींव मजबूत नहीं होगी। तो उस पर खड़ी इमारत कमजोर होगी।''**[21]

भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएँ प्राचीनकाल से चली आ रही हैं। फिर भी नगरीय व ग्रामीण दोनों ही प्रकार की स्थानीय संस्थाओं का व्यवस्थित आरम्भ 19वीं शताब्दी से माना जाता है।

ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

ग्रामीण विकास के प्रशासनिक तंत्र में पंचायती राज संस्थाओं को ही लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया है। इस संदर्भ में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से यह उठता है कि पंचायती राज संस्थाओं

को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संस्थाओं के रूप क्यों स्वीकार किया गया ? इस प्रश्न का सटीक उत्तर है कि राज्य सरकार के निचले स्तर पर पंचायतीराज संस्थाएँ ही अलग–अलग स्तरों पर लोकतांत्रिक संस्थायें हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद एक निर्वाचित और लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्था है। इस संस्था के उच्च अधिकारी अर्थात् जिला परिषद के सदस्य उस जिले की ग्रामीण जनसंख्या द्वारा चुने गये हैं। इसके अतिरिक्त जिला परिषद में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारी पदस्थापित किये जाते हैं। इस संस्था की जिम्मेदारी संबंधित जिले के ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने की है। जिला स्तर पर ग्रामीण विकास से सम्बन्धित निर्णय इसी संस्था द्वारा लिये जाते हैं इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियाँ क्षेत्र की जनसंख्या से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा बनायी जाती है। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व रखने के लिए विकास अधिकारी तथा अन्य अधिकारी होते हैं। पंचायत समिति का प्रमुख प्रधान होता है। इसी तरह से ग्राम स्तर पर विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन का संचालन करती है। अतः यह स्पष्ट है कि ये तीनों स्तर की संस्थाएँ जनता द्वारा निर्वाचित संस्थाएँ हैं जो ग्रामीण विकास से सम्बन्धित क्रियाकलापों को संचालित करती हैं। इन संस्थाओं में जो निर्णय लिये जाते हैं वे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिये जाते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर विकास के निर्णय लेते हैं। इसीलिए देश की पंचायत राज संस्थाओं को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संस्थाओं के रूप में माना जाता है। जिस तरह से केन्द्रीय स्तर पर केन्द्र सरकार को संचालित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा शीर्ष स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाएँ है। राज्य सरकार पर प्रत्येक राज्य में विधानसभाएँ लोकतांत्रिक संस्था के रूप में स्थित हैं। उसी प्रकार देश के प्रत्येक राज्य में राज्य सरकार के नीचे राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का सर्वांगीण विकास करने के लिए देश में संविधान के प्रावधानों के अनुसार तीनों स्तरों पर इन पंचायती राज संस्थाओं को आरम्भ किया गया है ।

पंचायती राज का विकास

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के स्वशासन से एक नये अध्याय का शुभारम्भ हुआ। विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रयास किये जाने लगे। प्रसिद्ध गाँधीवादी विचारक श्री मन्नारायण तथा उनके कतिपय सहयोगियों ने महात्मा गाँधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अपेक्षाओं के अनुरूप ग्राम स्वराज्य की अवधारणा को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु संविधान में समुचित प्रावधान लाने की आवश्यकता प्रतिपादित की। डॉ. डी.के. सन्थानम ने भी संविधान सभा में विचार करते समय ग्राम पंचायतों के गठन तथा स्वायत्त शासन के संदर्भ में वास्तविक अधिकार देने की आवश्यकता पर बल दिया। संविधान में ग्राम पंचायतों को स्थान देने की माँग ने जोर पकड़ा। संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर गम्भीरता से विचार किया। श्री अरूण चन्द्र गुहा, टी.प्रकाशम्, श्री के.संथानम आदि ने इस बारे में बहुमूल्य सुझाव रखे।[22]

संविधान सभा के सदस्य श्री एच.वी. कामथ, श्री के.संथानम् श्री टी. प्रकाशम् आदि ने भारतीय जनता एवं जननेता की भावना एवं आवश्यकता के अनुसार संविधान में ग्राम पंचायतों को स्थान देने का सुझाव रखा, जिसमें राज्य को ग्राम पंचायत की स्थापना एवं ग्रामीण लोगों को पर्याप्त अधिकार प्रदान करने की बात की गयी। ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में हुए विचार–विमर्श एवं प्रक्रिया को देखते हुए डॉ. अम्बेडकर ने भी संविधान में ग्राम पंचायत को स्थान देना स्वीकार कर लिया।

राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 40 के भाग (4) को जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में यह बताया गया कि राज्य पंचायतों का संगठन करेगा और उसे इस प्रकार के अधिकार प्रदान करेगा, जिससे वह स्वशासन के रूप में कार्य कर सके।[23]

पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लिखा था कि **''हुकूमत का विकेन्द्रीकरण बहुत आवश्यक है। जब हम हुकूमत को विकेन्द्रीकृत करते हैं। तब ही ग्राम पंचायतों पर पहुँचते हैं। जो सबसे छोटी इकाई है''।**[24] लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए पंचायती राज संस्थाओं के महत्व को स्पष्ट करते हुए

तत्कालिन प्रधानमंत्री **श्रीमती इन्दिरा गाँधी** ने अपने विचार व्यक्त किया था कि **''पंचायत राज संस्थाओं द्वारा ही प्रजातंत्र की उचित रूप से स्थापना होगी।''**[25] लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने 1952 में ''सामुदायिक विकास योजना'' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया, जिससें जन सामान्य को राष्ट्र निर्माण के कार्यों की तरफ प्रेरित किया जा सके। इस योजना की सफलता में संदेह होने के कारण 1957 में बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक विकास योजना एवं राष्ट्रीय प्रसार सेवा के कार्यक्रमों के अध्ययन हेतु एक समिति गठित की गयी, जिसके प्रतिवेदन में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर आधारित ग्रामीण स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने की अनुशंसा की गयी थी। समिति के प्रतिवेदन में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का प्रमुख कारण लोकप्रिय नेतृत्व का अभाव बतलाया गया था।[26]

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

भारत सरकार ने आजादी के बाद ग्रामीण विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया। प्रथम चरण में 55 विकास खण्डों की स्थापना की गयी, जिनका शिलान्यास भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1952 को किया।[27]

ग्रामीण जनता के रहन सहन के स्तर में सर्वतोन्मुखी सुधार करने का सचेत प्रयत्न ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है। सरकार ग्रामीण जनता को वित्तिय तकनीकी सहायता के द्वारा प्रेरणा देती है। लेकिन कार्यक्रम को पूरा करने का अधिकांश काम स्वयं गाँव की जनता को करना था। इसका अर्थ है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम देश की जड़–शक्ति तथा भौतिक साधनों को उपयोग करना चाहता था जिसका अब तक प्रयोग नहीं किया गया था और जिनका बुद्धिमानी से प्रयोग करने पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि सभी क्षेत्रों में जनता के रहन–सहन की स्थिति में तात्कालिक सुधार किया जा सकता है।[28]

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार ''सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जीवन के सम्पूर्ण स्तर को ऊँचा उठाने हेतु स्थानीय मानव शक्ति को क्रियाशील बनाने का संयुक्त और समन्वित प्रयास करना था।'' प्रख्यात समाज शास्त्री **प्रो. ए.आर. देसाई** के अनुसार, सामुदायिक विकास योजना एक ऐसी प्रणाली है, जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना गाँवों के सामाजिक और आर्थिक बदलाव की प्रक्रिया प्रारम्भ करना चाहती है। **भारत सरकार** के प्रकाशन **'इण्डिया 1959'** में लिखा है कि–सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्वयं ग्रामवासियों द्वारा आयोजित एवं कार्यान्वित किया हुआ एक अनुदान प्राप्त कार्यक्रम है जिसमें सरकार तो केवल तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तिय सहायता प्रदान करती है।

प्रारम्भिक तौर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम रखे गये, जो निम्नलिखित हैं–

1. शिक्षा प्रसार, स्वास्थ्य, सफाई एवं चिकित्सा संबंधित कार्य।
2. यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों का पूर्ण विकास।
3. सामाजिक कल्याण कार्यक्रम।
4. कृषि विकास से सम्बन्धित कार्य।
5. कुटीर उद्योग एवं बेकारी निवारण।
6. कारीगरों, पंचों, किसानों एवं ग्राम नेताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था
7. ग्रामवासियों के लिए अच्छे और सस्ते मकानों की व्यवस्था

संक्षेप में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का पुनरूत्थान करना था लेकिन ग्रामीण जनता ने उसे सरकार द्वारा प्रेषित एवं संचालित सरकारी कार्यक्रम समझा। इसके परिणामस्वरूप प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास कार्यक्रम में करोड़ों रूपये व्यय करने के बावजूद भी उसे ग्रामवासियों का अपेक्षानुसार सहयोग नहीं मिला। इस प्रकार जन सहभागिता के अभाव के कारण ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामुदायिक विकास कार्यक्रम नाममात्र सफल रहा हैं।[29]

प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई। इस योजना में ग्रामीण स्थानीय स्तर पर प्रशासन और विकास के लिए उचित अभिकरणों की स्थापना पर बल दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगभग 34000 पंचायत संस्थाओं की स्थापना की गई थी। इस योजना के अन्त में ग्राम पंचायतों की संख्या 83000 से बढ़कर 1,18000 हो गयी थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु सबसे उपयुक्त एवं प्रभावी माध्यम पंचायती राज संस्था को ही समझा गया, क्योंकि अधिकांश प्रमुख राज्यों में इसका गठन हो चुका था और पंचायत संस्थाएँ ग्रामीण विकास का स्रोत बन चुकी थी। आम जनता को रोजगार उपलब्ध कराकर जीवन को समृद्ध बनाने में भी प्रमुख भूमिका निभायी है और जिले से लेकर ग्राम तक एक सुगठित प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध था। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वयन होने के कारण इसका महत्व बढ़ा हैं। सामुदायिक विकास के साथ ही साथ उसके एक वर्ष के उपरान्त राष्ट्रीय पुनः निर्माण का एक अन्य कार्यक्रम आरम्भ किया गया था, जिसे ''**राष्ट्रीय प्रसा सेवा**'' का नाम दिया गया था। यद्यपि यह सामुदायिक कार्यक्रम की तुलना में कम लम्बा चौडा था। किन्तु दोनों के उद्देश्य समान थे।

तत्कालीन प्रधानमंत्री **पं. जवाहर लाल नेहरू** ने भारत के ग्रामीण विकास में नागरिकों की सहभागिता के लिए **अमेरिका के ''ब्लॉक मॉडल''** को अपने देश में अपनाया। भारत में 1952 से 1957 तक ब्लॉक विकास अधिकारी ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य करते रहे। यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम विकास अधिकारियों तक ही सीमित रहा तथा जनता की सहभागिता को सुनिश्चित नहीं कर पाया। भारत सरकार ने बलवन्त राय मेहता की अध्यक्षता में 1956 में एक समिति का गठन किया। इस कमेठी ने अपनी संस्तुतियाँ 1957 में सरकार को दे दी। 12 जनवरी, 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने बलवन्त राय मेहता समिति द्वारा सुझायी गयी प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों में इसे क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले ऑन्ध्रप्रदेश में प्रयोग के विचार से अगस्त, 1958 में

कुछ भागों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को लागू किया। **2 अक्टूबर, 1959** को **जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की योजना का श्री गणेश किया** और इसी दिन से सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। स्पष्ट है कि राजस्थान ही सबसे पहला राज्य है जिसमें सम्पूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई।

1952 में प्रारम्भ हुए इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन इस उद्देश्य से किया गया किराष्ट्र आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरूत्थान के प्रति देश की ग्रामीण जनता में सक्रिय रूचि पैदा की जा सके। सरकार के साथ मिलकर ग्रामीण जनता स्वयं सहभागी होकर ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास को सफल बनाने का प्रयास करे।[30]

बलवन्तराय मेहता समिति

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने 1956 में केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा में विभिन्न मसलों पर विचार करने के लिए बलवन्तराय मेहता की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल की स्थापना की। इस अध्ययन दल ने विभिन्न क्षेत्रों के सर्वांगीण अध्ययन के बाद अपने निष्कर्ष एवं सुझावों से युक्त प्रतिवेदन 1957 में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इसकी प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार थी–

1. पंचायतीराज की स्तरीय प्रणाली के स्थान पर त्रिस्तरीय प्रणाली प्रारम्भ की जाये। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। इस त्रिसूत्री ढाँचे की सबसे महत्वपूर्ण इकाई पंचायत समिति होनी चाहिए।
2. पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पाँच वर्ष होना चाहिए।
3. त्रि–स्तरीय ढाँचे की तीनों संस्थाओं में समन्वय स्थापित किया जावे।
4. निर्वाचित स्थानीय निकायों की स्थापना की जाए।

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने जनवरी, 1959 में जिला खण्डस्तर पर पंचायती राज की स्थापना का अनुमोदन किया। उसने यह सुझाव भी दिया कि प्रत्येक

राज्यों को ऐसी पंचायतीराज व्यवस्था का विकास करना चाहिए, जो राज्य में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप हो।

पंचायती राज के वर्तमान त्रि–स्तरीय ढाँचे का आधार बलवन्त राय मेहता समिति की अनुशंषाएँ हैं। बलवन्त राय मेहता समिति ने सभी राज्यों में ग्रामीण प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का नाम देकर दिशा निर्देशन के लिए निम्न प्रमुख संस्तुतियाँ कीः–

1. यह स्थानीय स्वशासन की गाँव से लेकर जिला स्तर तक सम्बंद्ध त्रि–स्तरीय रचना होगी। जैसे गाँव स्तर पर संगठन, जिला स्तर पर संगठन तथा एक संगठन मध्यम में होना चाहिए। जैसे गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत निम्न स्तर पर, जिला परिषद् उच्चतम स्तर पर दोनों स्तरों के मध्यम में पंचायत समितियाँ या जनपद पंचायतें होंगी।
2. स्थानीय प्रशासन की इन संस्थाओं को प्रशासन की वास्तविक शक्तियाँ तथा उत्तरदायित्व प्रदान करना चाहिए।
3. इस नयी व्यवस्था को लागू करना तथा भविष्य में अधिक कार्यशक्ति एवं उत्तरदायित्व सौंपने का कार्य करना चाहिए।
4. आयोजन के द्वारा बनाये गये आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को इन संस्थाओं के माध्यम से चलाया जाना चाहिए।
5. इन संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन हस्तांतरित करने चाहिए।

बलवन्त राय मेहता की संस्तुतियों में सर्वाधिक बल ग्राम पंचायतों पर दिया गया तथा इस निम्नतम इकाई के माध्यम से सामुदायिक विकास को चलाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया।[31]

समिति ने इस तथ्य को भी उजागर किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी कमी यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला। अध्ययन दल ने सुझाव दिया कि एक कार्यक्रम को लोगों के द्वारा ही कार्यान्वित किया जा सकता है। इस अध्ययन दल की रिपोर्ट में यह कहा गया कि जब तक स्थानीय संस्थाओं को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंपे जाते, संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों का राजनीतिक और विकास संबंधी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता

है। समिति ने यह भी बताया कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को पूर्ण सफल बनाने हेतु पंचायती राज संस्थाओं की शुरूआत की जानी चाहिए। अध्ययन दल ने इसे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का नाम दिया।

इस प्रकार लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और विकास कार्यक्रमों में जनता का सहयोग लेने के लक्ष्य से पंचायती राज की शुरूआत की गयी। इसके स्वरूप में विभिन्न राज्यों में कुछ अन्तर है, लेकिन कतिपय विशेषताऐं एक सी है:–

1. पंचायती राज की तीन सीढ़ियाँ हैं:–
   (अ) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
   (ब) खण्ड स्तर पर पंचायत समिति
   (स) जिला स्तर पर जिला परिषद्।[32]

श्री अशोक मेहता समिति

जनता पार्टी सत्ता में आने के पश्चात् 12 सितम्बर, 1977 को मंत्रिमण्डल सचिवालय ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने एवं प्रचलित स्वरुप में आवश्यक परिवर्तन सुझाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की। **अशोक मेहता** इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं का एक प्रतिमान बताया।

समिति की सिफारिशों में एक विशेष सुझाव यह था कि, **वर्तमान ग्राम पंचायतों को समाप्त कर उनके स्थान पर मण्डल पंचायतों का गठन किया जाय।** समिति के एक सदस्य सिद्ध राज ढढ्ढा ने इसे संकेत करते हुए लिखा कि मुझे जिला परिषद और मण्डल पंचायत से समस्या नहीं है लेकिन समिति ने ग्राम सभा की कोई चर्चा नहीं की है, जबकि पंचायती राज संस्थाओं का धरातल तो ग्राम पंचायत को ही बनाया जाना चाहिए था।[33]

1959 के बाद लगभग एक दशक तक पंचायती राज की प्रगति की दिशा में भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों द्वारा कदम उठाये जाते रहे। अशोक मेहता

समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के विकास काल को तीन अवस्थाओं में विभाजित कियाः

1. उत्कर्ष काल 1959–64
2. यथास्थिति काल 1965–69
3. ह्रास काल 1969–77

अशोक मेहता समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को द्विस्तरीय स्वरूप में पुनर्गठित करने का सुझाव दिया। उसके अनुसार प्रचलित त्रिस्तरीय ढाँचे को हाल ही कुछ समय तक के लिए जारी रखा जा सकता है।

मेहता समिति के अनुसार राज्य स्तर के नीचे विकेन्द्रीकरण का पहला बिन्दु **'जिला'** है। जहाँ ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक उच्च कोटि का तकनीकी ज्ञान संसाधन व अनुभव उपलब्ध है। परिषद् से नीचे एक मण्डल पंचायत बनाने का प्रस्ताव किया गया, जिसे कई गाँवों को मिलाकर बनाना था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने के आवश्यक अधिकार दिये जाने की सिफारिश की। समिति ने सुझाव दिया कि इन संस्थाओं के निर्वाचन दलीय आधार पर होना चाहिए। अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिशों में ग्राम पंचायतों की जगह मण्डल पंचायत की स्थापना करने की सिफारिश की, किन्तु ग्राम पंचायत की समाप्ति राज की कल्पना की मूल इकाई की समाप्ति थी।[34]

मुख्यमंत्री सम्मेलन 1979

इस सम्मेलन में अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर विचार–विमर्श किया गया। अशोक मेहता द्वारा सुझायी गयी पंचायती राज में संस्थाओं की द्वि–स्तरीय प्रणाली को अस्वीकार कर दिया गया।

अशोक मेहता समिति ने देश में पंचायती राज के आकार एवं स्थायित्व के वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रकृति की अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की, किन्तु रिपोर्ट के क्रियान्वयन से पूर्व ही जनता सरकार का पतन हो गया। सन् 1980 में कांग्रेस (ई) सत्तारूढ़ हुई। नई सरकार को जनता सरकार द्वारा गठित अशोक समिति की रिपोर्ट राजनैतिक दृष्टि से स्वीकार्य नहीं थी।

राव समिति

ग्रामीण शासन के पुर्नगठन के तरीकों को सुझाने के लिए मार्च, 1985 में जी. वी.के. राव की अध्यक्षता में एक अन्य समिति गठित की। राव योजना के मुख्य बिन्दु इस प्रकार थेः–

1. जिला परिषद् को ग्रामीण विकास की प्रमुख इकाई माना जाये।
2. विकास अधिकारी को महत्वपूर्ण दर्जा प्रदान किया जाये।

सिंघवी समिति

सिंघवी समिति ने लगभग विस्मृत ग्राम सभा को पुनर्जीवित किया जिसमें ग्राम के सभी निवासियों को सम्मिलित किया तथा इसे **''प्रजातंत्र के अवतार''** की संज्ञा दी गयी। इस समिति ने पंचायतीराज संस्थाओं को **संवैधानिक दर्जा दिये जाने पर** भी बल दिया।

पी.के.थुंगन समिति, 1988

इस समिति ने जिला नियोजन हेतु जिले में राजनैतिक व प्रशासनिक ढाँचे के तरीके पर विचार किया। समिति ने सुझाव दिया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव वर्ष में सुनिश्चित करने का संवैधानिक प्रावधान किया जाये तथा उन्हें संवैधानिक मान्यता दी जाए।

सरकारिया आयोग

वर्ष 1988 में केन्द्र व राज्यों के संबंधों पर गठित सरकारिया आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाने के सुझाव का समर्थन नहीं किया।

64 वाँ संविधान संशोधन विधेयक

भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गाँधी ने देश भर में पंचायत राज संस्थाओं के विकास एवं एकरूपता की दृष्टि से 15 मई, 1989 को लोकसभा के समक्ष संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, परन्तु राजनीतिक कारणों से यह पारित नहीं हो सका।

इस संविधान संशोधन विधेयक के निम्न प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैः–

1. त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के गठन का प्रावधान।

2. 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था।
3. पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए उचित आरक्षण
4. पंचायतों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होना चाहिए।
5. पंचायतों की सभी निर्वाचक नामावाली तैयारी करने का और पंचायतों के सभी निर्वाचकों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग में निहित हो।[35]

भारत में पंचायती राज के नये आयाम

आजादी के बाद गाँवों का सर्वांगीण विकास, सत्ता विकेन्द्रीकरण एवं लोकतंत्र को गाँवों के स्तर पर पहुँचाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कुछ वर्षों को छोड़कर देखें, तो यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य न कर सकी। सांविधानिक दर्जा न होना, नौकरशाही हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, राज्य सरकारों द्वारा सतारूढ़ दल के लिए उनका प्रयोग, अनुभवहीनता आदि इस स्थिति के लिए उत्तरदायी माने जा सकते हैं।

स्थानीय शासन की इन्हीं कमजोरियों को दूर करने के लिए 1992 में संविधान से सम्बन्धित प्रावधानों में संशोधन करके भारत सरकार ने दो संविधान संशोधन किये हैं, जिन्हें 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। 73 वाँ संविधान संशोधन जहाँ ग्रामीण स्थानीय शासन अर्थात् पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। वहीं 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम देश के शहरी भाग में नगरीय स्थानीय शासन की इकाईयों के गठन से सम्बन्ध रखता है।

1. **पंचायतीराज संस्थाओं को सांविधानिक दर्जा**

ग्रामीण स्तर पर सत्ता में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु **73 वाँ संविधान संशोधन** पारित किया गया, जिसके प्रमुख प्रावधान हैंः–

i. ग्राम सभा की स्थापना करना।

ii. पाँच वर्ष में एक बार पंचायती राज संस्थाओं के निश्चित समय पर चुनाव तथा किसी पंचायत के भंग किये जाने पर 6 माह में उपचुनाव की व्यवस्था करना।

iii. पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण निश्चित किया।

iv. एक वित्त आयोग की स्थापना करना, जिसके क्षेत्र का निर्धारण राज्य विधानमण्डल करेगा।

इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में पंचायतों से संबंधित एक **नया भाग 9 और 11 की अनुसूची** जोड़ दी गई है।[36]

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित हो जाने से देश में पंचायतीराज संस्थाओं को अब संवैधानिक दर्जा मिल गया है अर्थात् अब प्रत्येक राज्य सरकार को अपने राज्य के हित में ग्रामीण स्वायत्तशासी संस्थाओं के रूप में पंचायतीराज संस्थाओं की स्थापना आवश्यक रूप से करनी पड़ेगी। यद्यपि इस अधिनियम में उत्तरी पूर्वोत्तर तीन राज्यों नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम को पंचायतीराज व्यवस्था लागू करने के संबंध में छूट दे दी गयी है।[37] उपर्युक्त तीनों राज्यों के अलावा अन्य क्षेत्रों में इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया।

2. त्रिस्तरीय व्यवस्था

इस संविधान संशोधन के पारित हो जाने से प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हुई अर्थात् **ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या तालुका समिति एवं जिला पंचायत या जिला परिषद्** का गठन।[38]

अनुच्छेद 243 ख (1) में प्रावधान किया गया है कि राज्य में ग्राम स्तर, मध्यवर्ती (ब्लॉक स्तर) तथा जिला स्तर पर इस भाग के उपबन्धों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जायेगा।[39]

3. पंचायतों के गठन सम्बन्धी प्रावधान

उक्त संविधान संशोधन द्वारा सभी राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के गठन के सम्बन्ध में अधिनियम बनाकर प्रावधान करने की व्यवस्था की गई है।[40]

पंचायतों के सन्दर्भ में यह बताया गया है कि जहाँ तक सम्भव हो पंचायती राज संस्थाओं का गठन करते समय राज्यों को यह निश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक स्तर पर गठित की जाने वाली पंचायती राज इकाई जनसंख्या सम्पूर्ण राज्य में यथासम्भव एक समान रहनी चाहिए।[41]

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के सम्बन्ध में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 243 सी (2), (3), (4) में विस्तृत ग्राम पंचायत प्रावधान किये गये हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से यह अधिकार राज्य के विधानमण्डल को दिया गया है कि विधि द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तरों के अध्यक्ष/सभापति के सन्दर्भ में उनके निर्वाचन क्षेत्र में इकाईयों की सदस्यता के लिए आवश्यक प्रावधान कर सके।[42]

ग्राम पंचायत के सभापति/सरपंच के चुनाव प्रक्रिया में प्रावधान करने का दायित्व संविधान संशोधन द्वारा सम्बन्धित विधान मण्डल पर छोड़ा गया है।[43]

पंचायती राज की मध्यवर्ती व जिला स्तर इकाई के सभापति के चुनाव के लिए संशोधन में प्रावधान किया गया है कि सम्बन्धित इकाईयों के निर्वाचित सदस्य में से एक को सभापति/अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कर सकेंगे।[44]

4. पंचायतों में आरक्षण

नवीन पंचायती राज व्यवस्था में समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण के व्यापक प्रावधान किये गये हैं। इसके द्वारा विभिन्न वर्गों के आरक्षण के लिए पृथक–पृथक व्यवस्था की गयी है, जो निम्नलिखित है–[45]

(अ) अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में पंचों, सरपंचों, प्रधानों एवं प्रमुखों के पद भी आरक्षित किये गए हैं। पिछड़ी जाति के लिए निश्चित प्रतिशत पद आरक्षित हैं। **वर्तमान में सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए शैक्षणिक योग्यता आठवीं कक्षा उत्तीर्ण कर दी गई है।**

पंचायती राज अधिनियम में कहा गया है कि पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे तथा इस प्रकार आरक्षित संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथा–सम्भव वहीं होगी, और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को वरियता के अनुसार आवंटित किये जा सकेंगे। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि इस प्रकार आरक्षित स्थानों की कुल जनसंख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।[46]

(ब) महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान

पंचायती राज संस्थाओं में संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं हेतु स्थानों का आरक्षण किया गया है। अनु. 243 घ (3) में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल जनसंख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को वक्रानुक्रम से आवंटित किये जा सकेंगे।

ग्राम पंचायत में आरक्षित पदों के लिए धारा 15 के अनुसार महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित होंगे। एक तिहाई पंच हर पंचायत में, एक तिहाई सरपंच हर पंचायत समिति क्षेत्र में, एक तिहाई प्रधान हर जिले में, एक तिहाई जिला प्रमुख सम्पूर्ण राज्य में महिलाएँ होंगी, महिला वार्ड आरक्षित होंगे। महिला वार्ड से तो केवल महिला प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकती है। पुरूष वार्ड में भी महिलाएँ चाहे तो चुनाव लड़ सकेंगी। इस तरह पंचायती राज चुनावों में आरक्षण दिया गया है।

(स) अध्यक्ष पद पर आरक्षण

सरपंचों, प्रधानों और प्रमुख के पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित किये जायेंगे, जो विधि द्वारा निर्धारित की जाये। लेकिन राज्य में ऐसी जातियों,

जन–जातियों और वर्गों के लिए जनसंख्या की कुल जनसंख्या का एक तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए आरक्षित है।

(द) अन्य पिछड़े वर्गों काआरक्षण

संविधान संशोधन अधिनियम यह भी व्यवस्था करता है कि राज्य विधानमण्डल समस्त पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान अधिनियम बनाकर कर सकेंगे।[47]

5.कार्यकाल

नये संशोधित नियमों के अनुसार सभी राज्यों की पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष कर दिया गया है तथा कार्यकाल समाप्त होने पर छः महीने के अन्दर इन संस्थाओं के चुनाव अनिवार्य रूप से कराए जायेंगे।[48] यदि ये संस्थाएँ पाँच वर्ष से पूर्व भंग की जाती हैं, तो भंग किये जाने की तिथि से छः माह में नये चुनाव कराये जाने होंगे।[49]

इस सन्दर्भ में संशोधन का निर्धारित कार्यकाल भी है कि यदि भंग की हुई संस्था का निर्धारित कार्यकाल छः माह से कम रह गया, तो ऐसी स्थिति में चुनाव कराने आवश्यक नहीं होंगे।[50]

6. नवीन व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता

ग्रामीण महिलाओं की स्थिति 73वें संविधान संशोधन विधेयक के कारण बदलने लगी है। इस विधेयक के द्वारा पंचायती राज के अन्तर्गत गाँव, ब्लॉक समिति एवं जिला स्तर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है।

डॉ. कपिला और उनकी सहयोगी **डॉ. गीता कटारिया और मृदुला सेठ** ने सत्ता के विकेन्द्रीकरण एवं स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी से उनकी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया। अखिल भारतीय महिला संघ की सहायता से होने वाले यह सर्वेक्षण पाँच राज्यों (राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मध्यप्रदेश) में किया गया।[51]

7. राजस्थान में पंचायतराज अधिनियम 1994

राजस्थान विधानसभा में **9 अप्रैल, 1994** को पंचायती राज विधेयक संशोधित रूप में पारित हो गया। पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव आयोग और वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था कर दी गयी है। इनमें ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की विशेष व्यवस्था की गयी है।

विधेयक के खण्ड 46 के अन्तर्गत प्रथम बैठक की तिथि तय करने का अधिकार विकास अधिकारी की बजाय कलेक्टर को दिया गया हैं तथा उस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा नियुक्त अधिकारी ही करेंगे।

(अ) पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से सम्बन्धित प्रावधान

नये अधिनियम के तहत् पंचायतों के चुनाव हेतु कतिपय नये महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं जो निम्नलिखित हैंः–

(क) निर्वाचन आयोग की स्थापना

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव निष्पक्ष व सही ढ़ंग से संचालन करने हेतु राज्य सरकार एक राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन करेगी।[52] इस चुनाव आयोग का दर्जा उच्च न्यायालय के समकक्ष होगा। इन चुनावों की समस्त प्रक्रिया तथा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के बोर्डों का आवंटन निर्धारण, सभी निर्वाचन विवाद आदि आयोग के क्षेत्राधिकार में होंगे।

अनुच्छेद 243 ट में इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है– पंचायतों के लिए कराये जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का तथा उन सभी के निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जायेगा।[53]

राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उस रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जायेगा, जिस रीति से जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

को हटाया जाता है, वरना नहीं और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के उपरान्त अलाभकारी परिवर्तन नहीं किये जायेंगे।[54]

(ख) अनहर्ताओं के सम्बन्ध में प्रावधान

पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों की अनहर्ताओं तथा अयोग्यता के बारे में संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि सम्बन्धित प्रवर्तित किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति चुनावों में भाग नहीं ले सकेंगे। कोई व्यक्ति इन अयोग्यताओं से ग्रस्त है या नहीं, इस सम्बन्ध में उठे हुए विवाद का निपटारा करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति तथा प्रक्रिया का सम्बन्धित राज्य विधान मण्डल अधिनियम बनाकर प्रावधान कर सकेंगे।[55]

(ब) पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियाँ–

नये अधिनियम के तहत् भारत के संविधान में पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों से सम्बन्धित एक नयी सूची जुड़ गयी है जिसमें गाँवों से सम्बन्धित 29 कार्य इन संस्थाओं को सौंपे जाने का प्रावधान किया गया है। यह भी प्रावधान किया गया हैं कि किसी राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ एवं प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हैं।

संविधान संशोधन प्रावधान करता है कि जो कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जायेगा, उनका राज्य सरकार व पंचायती राज संस्थाओं के मध्य वितरण किया जा सकेगा एवं जो कर पंचायती राज संस्थाएँ आरोपित करेंगी उन्हें वे ना केवल एकत्र करेंगी, अपितु उनका व्यय भी अपने स्तर पर कर सकेंगी।[56]

(स) वित्त आयोग

संविधान संशोधन अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि राज्यों के राज्यपाल **73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992** के प्रवर्तन के एक वर्ष के भीतर एवं उसके पश्चात् प्रति 5 वर्ष के अन्तराल पर गठन करेंगे । राज्यों की पंचायती राज संस्थाओं की वित्तिय स्थिति की समीक्षा एवं कार्य निम्नलिखित हैं:–

(1) राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदान के सिद्धान्तों का निर्धारण करना।

(2) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लगाये जाने वाले करों से हुई आय का राज्य द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में वितरण करना।

(3) राज्य द्वारा लगाये करों से हुई आय का राज्य द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में वितरण करना।

(4) पंचायती राज संस्थाओं की वित्तिय स्थिति में सुधार के लिए किये जाने वाले उपायों तथा किसी भी अन्य कार्यों का निस्तारण करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे।[57]

(द) पंचायती राज संस्थाओं के लेखा एवं अंकेक्षण के सम्बन्ध में प्रावधान।

संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान करता है कि विभिन्न स्तर की पंचायती राज संस्थाओं, इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले लेखा व उसके अंकेक्षण के सम्बन्ध में राज्य विधान मण्डल विधि बनाकर आवश्यक नियम बना सकेंगे।[58]

इस तरह देश में पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र में प्रवर्तित कमियों और न्यूनताओं, जिनमें इन संस्थाओं को सांविधानिक मान्यता प्राप्त न होना, इनके अनियमित चुनाव, लम्बे समय तक दयनीय स्थिति, आर्थिक दशा, पर्याप्त अधिकारों तथा शक्तियों का अभाव, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा इन संस्थाओं के चुनावों हेतु प्रभावी व्यवस्था के अभाव की स्थिति प्रमुख थी, जिसके निवारण के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से प्रयास किया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो जाने से, पंचायती राज संस्थाएँ राज्य सरकारों के अनुचित हस्तक्षेप से बच सकेंगी। विभिन्न वर्गों को दिया गया आरक्षण का लाभ वास्तविकजन सहभागिता का मार्ग प्रशस्त करेगा, साथ ही नये नेतृत्व उत्पन्न कर सकेगा।

लेकिन पंचायतीराज व्यवस्था की आलोचना की गयी है कि ''इसके माध्यम से मुद्दों, नीतियों का विचारधारा के आधार पर मतदाताओं की एकता के

स्थान पर प्रत्येक राजनीतिक दल अपने समस्त प्रयासों द्वारा धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभाजित करने का प्रयास करेगा।

वित्त आयोग की स्थापना के लिए प्रति 5 वर्ष का प्रावधान है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन से कर का कितना प्रतिशत पंचायतों को प्राप्त होगा। यह भी जरुरी नहीं है कि राज्य सरकार वित्त आयोग की सिफारिशें मानने को बाध्य हो।[59]

राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण : नये आयाम

राजस्थान में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में पंचायत राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं। इसमें **जिला परिषद् के** प्रमुख को डी.आर.डी.ए.का अध्यक्ष बनाया जाना, सरपंच को पंचायत समिति का और पंचायत समिति के प्रमुख अर्थात् प्रधान को जिला परिषद् का सदस्य बनाया जाना, ग्राम सभा को और अधिक अधिकार देना, स्वास्थ्य और शिक्षा का जिम्मेदारी पंचायतों को सौंपना, चारागाह का प्रबन्ध पंचायतों को दे दिया जाना, जनता को सूचना का अधिकार दिया जाना प्रमुख है।

(क) जिला परिषद् तथा डी.आर.डी.ए.

राज्य में जिला स्तर पर ग्रामीण विकास से सम्बन्धित दो संस्थाएँ कार्यरत हैं। एक जिला परिषद् और दूसरी डी.आर.डी.ए. (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण) जिला परिषद् एक निर्वाचित और सवैधानिक संस्था है, जबकि डी. आर.डी.ए. एक गैर निर्वाचित संस्था है? जिसका अध्यक्ष पूर्व में जिलाधीश होता था। वर्तमान में दोनों संस्थाओं में आपसी समन्वय स्थापित करने के लिए जिला परिषद् के अध्यक्ष अर्थात् जिला प्रमुख को डी.आर.डी.ए. का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया है तथा जिलाधीश को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ है कि राज्य के प्रत्येक जिले में जिला प्रमुख ही इन दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष पद पर कार्य करेंगे। इतना ही नहीं डी.आर.डी.ए. के परियोजना निदेशक को ही जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया तथा जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी पहले मुख्य कार्यकारी के पद पर कार्यरत था, उसे अब अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया है।

(ख) विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का जिला परिषद् को हस्तान्तरण

राज्य के सभी 33 जिलों की जिला परिषदों को सुदृढ़ बनाने के लिए डी. आर.डी.ए. द्वारा संचालित नौ विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को जिला परिषद को हस्तांतरित कर दिया गया है, इससे इन ग्रामीण विकास योजनाओं से सम्बन्धित निर्णय लेने में और इनके संचालन में जनसहभागिता सुनिश्चित करते हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा गठित संस्था (जिला परिषद्) अपनी अहम् भूमिका निभा सके, जो ग्रामीण विकास योजनाएँ हस्तांतरित की गयी वे निम्नलिखित हैंः–

(i) मेवाड़ विकास योजना

(ii) रुरल ग्रोथ सेन्टर

(iii) तैंत्तीस जिले तैंतीस काम योजना

(iv) बायो गैस योजना

(v) अपना गाँव अपना काम योजना

(vi) बन्धुआ पुनर्वास योजना

इन योजनाओं की स्वीकृति के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर जिला प्रमुख की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें निम्न सदस्य है–

(अ) जिले के सांसद

(ब) विधायक–2 (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

(स) प्रधान–2 (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

(द) जिला परिषद् के सदस्य–2 (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

(य) जिला कलेक्टर

(र) अतिरिक्त कलेक्टर (विकास)

(ल) अतिरिक्त मुख्य कर्मचारी अधिकारी जिला परिषद[60]

अनुसूचित क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट 1996 के प्रावधान लागू। केन्द्र सरकार द्वारा 24 अक्टूबर, 1996 से देश के सभी

अनुसूचित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए नया संशोधित पंचायती राज एक्सटेंशन एक्ट लागू कर दिया गया है। इस एक्ट के द्वारा पंचायती राज के प्रावधानों को राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के पंचायती राज अधिनियम, 1994 में आवश्यक संशोधन करते हुए राज्य के सभी अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं में लागू कर दिया है। राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों के अन्तर्गत जिला डूंगरपुर, बॉसवाड़ा, उदयपुर जिले की खेरवाड़ा, कोटड़ा, सारदा, सलूम्बर व लसाड़िया तहसीलें, गिरवा तहसील के 81 गाँव, चित्तौड़गढ़ की आबू रोड़, तहसील का आबू रोड़ ब्लॉक शामिल है। एक्सटेंशन एक्ट के प्रावधानों को लागू करने से इन क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं को भी अतिरिक्त अधिकार तथा शक्तियाँ मिल गयी हैं जो निम्नलिखित हैं।

1.प्रत्येक गाँव में पृथक ग्राम सभा का आयोजन किया जाना।

2.ग्राम सभा के लिए गए निर्णयों का ग्राम पंचायत द्वारा अनिवार्य रूप से अनुपालन करना।

3.ग्राम सभा को सामाजिक रीति–रिवाज, सामुदायिक संसाधनों को सुरक्षित रखने तथा विवादों का निपटारा करने के लिए सक्षम बनाया जाए।

4.गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन भी ग्राम सभा द्वारा किया जायेगा।

5.ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न योजनाएँ और कार्यक्रमों के लिए आवंटित राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

6. विकास कार्यक्रमों हेतु भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा और समुचित स्तर की पंचायती राज संस्था से परामर्श किया जायेगा।[61]

सरपंच को पंचायत समिति और प्रधान जिला परिषद् का सदस्य

पूर्व में **राजस्थान राज अधिनियम, 1994 की धारा 13 व 14 के प्रावधानों** के अनुसार सरपंच पंचायत समिति के तथा प्रधान जिला परिषद के सदस्य नहीं थे। इसमें व्यावहारिक कठिनाइयाँ आ रही थीं। अतः जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाने हेतु इसमें संशोधन कर पहली बार सरपंच को पंचायत समिति का और प्रधान को जिला परिषद् का सदस्य बना दिया गया है। इससे ये

जनप्रतिनिधि अब विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी अच्छी निभा सकेंगे।

ग्रामसभा का प्रावधान

राज्य के संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सफल बनाने और क्रियान्वयन करने में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा को सुदृढ बनाया गया हैं। वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें बुलाना अनिवार्य किया गया है और उनकी तिथियाँ भी निश्चित की गयी हैं। **ग्राम सभा की बैठक अब हर वर्ष 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर** को नियमित रूप से आयोजित होगी। ग्रामीणों की अधिकाधिक भागीदारी निभाने के लिए ग्राम सभा में न्यूनतम दस प्रतिशत कोरम निश्चित किया गया। ग्राम पंचायतों की ग्रामसभा के प्रति जवाबदेही का प्रावधान रखा गया हे।

ग्रामसभा के वार्षिक लेखे, अंकेक्षण, प्रतिवेदन, विभिन्न योजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन, विकास कार्यों का चयन, प्राथमिकता निर्धारण और क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। ग्रामसभा में संविधान की **11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर भी चर्चा की** व्यवस्था की गयी है।

वर्ष में प्रत्येक गाँव में कौन–कौन से विकास कार्य करवाये जाने हैं, उनका चयन सम्पूर्ण राजस्थान में एक ही दिन 26 जनवरी को सरपंच की अध्यक्षता में ग्रामसभा की बैठक में किया जाता है। विकास कार्यों की सूची के आधार पर ही पंचायत क्षेत्र में कार्य करवाये जाते हैं। पहली बार ग्राम सभा को विकास कार्यों के चयन का अधिकार दिया गया।

संविधान की 11वीं अनुसूची में विषयों का स्थानान्तरण

पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए जिला स्तर पर उन विभागों के कर्मचारियों को पंचायतों के अधीन करने के लिए, जो पंचायती राज अधिनियम में हैं, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आने के पश्चात् पंचायती राज संस्थाओं को कई अधिकार दिये जा रहे हैं।

अन्य विभागों में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों को पंचायत के अधीन करना (इन संस्थाओं पर तकनीकी नियंत्रण चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग का रहना, परन्तु प्रशासनिक नियंत्रण जिला परिषद् का होना प्रस्तावित किया गया)।

- जन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के समस्त कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का उत्तरदायित्व है।
- उर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे हैं। गैर परम्परागत ऊर्जा गतिविधियों तथा स्ट्रीट लाईट्स, घरेलू बिजली आदि का क्रियान्वयन।
- ग्राम वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के चयन का कार्य।
- 'डी' श्रेणी मछली पालन तालाबों का संधारण और आवंटन आदि कार्य है।
- राशन की दुकान का आवंटन, वितरित की गई सामग्री का पूर्ण लेखा जोखा, नये राशनकार्ड बनाने का अनुमोदन, राशन की दुकान की समयावधि बढ़ाने और निरस्त करने का निर्णय ग्राम पंचायत में चर्चा कर किया जायेगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों का पर्यवेक्षण। (इन छात्रावासों की भर्ती समिति और प्रबन्धन में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना।

प्रशासनिक नियंत्रण में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी

प्रायः स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों के बारे में उच्च अधिकारियों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में सरपंच की अध्यक्षता में कर्मचारियों की उपस्थिति पर निगरानी के लिए एक समिति के गठन के आदेश जारी कर दिये गये हैं, जिसमें निम्न सदस्य हैंः–

- सम्बन्धित ग्राम का वार्ड पंच (महिला, यदि सरपंच नहीं है) ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत।
- सम्बन्धित ग्राम में निवास करने वाला वरिष्ठतम सेवा निवृत कर्मचारी (सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा मनोनीत)।

- स्थानीयशाला का प्रधानाध्यापक।

अब सरपंच अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कलेक्टर/सम्भागीय आयुक्त को लिख सकते हैं और सम्भागीय आयुक्त इस सिफारिश के आधार पर उनका स्थानान्तरण जिले से बाहर कर सकता हैं। जिसकी अपील मंत्री के यहाँ न होकर सम्पूर्ण मंत्रिमण्डल के समक्ष ही हो सकती है। कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा लिया गया यह एक महत्वपूर्ण फैसला है जिससे अब जनप्रतिनिधियों को उच्च अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा और वे स्वयं उनके खिलाफ कार्यवाही कराने में सक्षम होंगे जिससे नौकरशाही में भ्रष्टाचार की कमी आयेगी।

प्रारम्भिक शिक्षा का पंचायतीराज को हस्तान्तरण

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, साक्षरता और सतत् शिक्षा तथा इससे सम्बन्धित समस्त परियोजनाएँ यथा शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। आशा है कि आगामी चार वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से पूरी तरह से निरक्षरता को मिटाना सम्भव हो पायेगा। अब पंचायत क्षेत्र में चलाए जा रहे सभी साक्षरता कार्यक्रमों का संचालन पंचायती राज संस्थाएँ ही करेंगी।

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा संचालन पूर्णतया पंचायत समितियों द्वारा किया जाता है। राज्य में 1991 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्र के 250 की आबादी से अधिक वाले जनजाति क्षेत्र। इन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राजस्थान राज्य की स्थापना के स्वर्ण जयन्ती वर्ष 1999 में राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दृष्टि से 16000 प्राथमिक शिक्षा केन्द्र खोलने की घोषणा की गयी है जिनमें से 13000 प्राथमिक शिक्षा केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग द्वारा खोलने का लक्ष्य रखा गया था। इन प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों का नाम राजीव गाँधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला रखा गया।

1 मई, 1999 को आयोजित ग्रामसभा की अनुशंसा पर प्रदेश की विद्यालय विहीन ढ़ाणियों व बस्तियों में, जहाँ 200 तक आबादी और 6–11 वर्ष के 40 बच्चे उपलब्ध हों (रेगिस्तान, जनजाति, मगरा, मेवात क्षेत्रों, झुन्झुनूं तथा राजसमंद जिलों में 150 की आबादी और 25 बच्चे) तथा जहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहाँ लगभग 12354 राजीव गाँधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएँ खोली गयी हैं और शिक्षा का विकास किया गया।

इन पाठशालाओं के स्थान का चयन भी ग्राम सभा में किया गया। साथ ही पाठशालाओं में 1200 रू. मासिक मानदेय पर शिक्षा सहयोगियों की नियुक्ति के अधिकार भी ग्राम पंचायत को प्रदान किये गये तथा निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध करायी गयी।[62]

इसके साथ ही राज्य में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को निर्धारित सीमा में प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक, भारत सरकार और राज्य सरकार की सहभागिता से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) राज्य के 19 जिलों में प्रारम्भ किया गया। शेष 14 जिलों में लोक जुम्बिश परियोजना का संचालन किया जायेगा। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षाकर्मी परियोजना का क्रियान्वयन किया जायेगा। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत 6–11 वर्ष आयु वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था, नामांकन और शिक्षक की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु अनेक कार्यक्रम जनसहभागिता के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं।

जिला योजना समितियों का गठन

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार ने **पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121** में जिला आयोजना समितियों के गठन का प्रावधान किया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 350 से 352 में भी जिला आयोजना समिति के गठन, कर्त्तव्य तथा व्यक्तियों का विस्तार से प्रावधान किया गया है। वर्तमान में राज्य के समस्त जिलों में जिला आयोजना समितियों का गठन कर दिया है, ताकि वे जिले में **समन्वित योजना** लगाने में योगदान दे सकें। सम्बन्धित जिला परिषदों के प्रमुखों को जिला

आयोजना समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। जिला आयोजना समिति को सशक्त बनाने की दृष्टि से निम्न निर्णय लागू किये गये हैंः–

- पंचायती राज विभाग, जिला आयोजना समिति का प्रशासनिक विभाग होगा।
- जिला आयोजना समिति के कार्य संचालन के लिए एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है।
- जिला आयोजना शाखा जिला परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्य आयोजना अधिकारी के अधीन जिला आयोजना समिति के सचिवालय का कार्य कर सकेंगी।
- जिला आयोजना समिति के सुदृढ़ीकरण और सहायता के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला आयोजना समन्वय समिति का गठन भी किया गया।

परम्परागत जल स्रोतों का सुधार

राज्य में लोगों को बार–बार पड़ने वाले अकालों की वजह से अथवा समय पर वर्षा नहीं होने के कारण पानी के अभाव का सामना करना पड़ता है। इसी संदर्भ में राजीव गाँधी पेयजल मिशन के तहत ग्रामीणों के 30 प्रतिशत सहयोग के आधार पर परम्परागत जलस्रोत की मरम्मत या जीर्णोद्वार की एक नई योजना लागू की गई है जिसमें स्थानीय स्तर पर लोग श्रम के रूप में, सामग्री के रूप में अथवा नगद के रूप में अपना सहयोग देकर शेष 70 प्रतिशत राशि सरकार से लेकर अपने गाँव तथा ढ़ाणी के कुएँ बावड़ी, जोहड़े का जीर्णोद्वार करवा सकते हैं ताकि पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े।

चारागाह भूमि का प्रबन्धन

चारागाह भूमि के प्रबन्धन हेतु 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने हेतु व्यापक अधिकार दिये गये हैं। ग्राम पंचायतें सशक्त हो इसके लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायतों की निजी आय के व्यापक स्रोत विकसित किये जायें।

चारागाह भूमि ग्राम पंचायतों की निजी आय का एक व्यापक स्रोत बन सकती है बशर्ते ग्राम पंचायतें इसका व्यवस्थित प्रबन्धन करें। **राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा–5 के अनुसार** गोचर भूमि वह है जो ग्राम व ग्राम पंचायत के पशु चराने के काम आती है या इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय या पूर्व में भू–प्रबन्ध अभिलेख में गोचर भूमि के रूप में आरक्षित की गयी हो।

चारागाह भूमि से ग्राम पंचायतों की आय को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 169,170,171 में विशेष उल्लेख किया गया है। चारागाह भूमि से निम्न प्रकार से आय सृजित की जा सकती हैः–

- सूखे क्षयशील और गिरे हुए पेड़ों का विक्रय करना।
- चारागाह के गोबर का निजी संविदा या सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय करना।
- बंद क्षेत्र में घास की खुली नीलामी या निजी संविदा या सार्वजनिक नीलामी द्वारा पट्टे पर देकर अर्जित की जा सकती है।

चारागाह का आवंटन

यदि किसी भी गाँव के सार्वजनिक चारागाह किसी भी पंचायत के अधीन नहीं रखे गये, तो वह पंचायत कोई नया चारागाह लेने या स्थापित करने के लिए तहसीलदार को अपना प्रस्ताव भेजेगी। ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के तीन माह के भीतर अपने निर्णय के बारे में पंचायत को सूचित करेगा। यदि तीन माह के अन्दर चारागाह भूमि आवंटन की स्वीकृत प्राप्त नहीं होती है तो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पंचायत समिति को लिखेगा और ग्राम पंचायत को चारागाह भूमि का आवंटन एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा। यदि किसी पंचायत क्षेत्र में पशुओं की संख्या अधिक है तो ग्राम पंचायत चारागाह क्षेत्र में वृद्धि करा सके, इस प्रयोजन हेतु भी ग्राम पंचायत तहसीलदार को क्षेत्र बढ़ाने हेतु आवेदन करेगी।

जहाँ कोई चरागाह भूमि किसी भी व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा हो या उसका उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए किया गया हो, वहाँ पंचायत नियम 165 के अनुसार तैयार किये गए सर्वेक्षण अभिलेख के आधार पर तत्समय लागू कानूनों के अधीन आवेदन संबंधित तहसीलदार को भेजेगा।[63]

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से लोकसभा द्वारा यह कानून 15 जून, 2005 को पारित हुआ, जो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद **12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में लागू** हो गया। इस अधिकार के अन्तर्गत कोई भी नागरिक दस्तावेज या रिकार्ड को देख सकेगा तथा दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकेगा। कोई भी व्यक्ति सूचना हेतु आवेदन कर सकता है और एक निश्चित समय में वह सूचना उस विभाग को देनी ही पड़ेगी। इससे नौकरशाही में पारदर्शिता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री रोजगार योजना

यह अनुभव किया गया कि गाँव में कई व्यक्ति बेरोजगार होते हैं, जिनके लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरूआत की गई है जिसके तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में एक लाख दुकानें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आशा है कि इस योजना के अन्तर्गत पंचायत की आबादी भूमि में चयनित गरीब परिवारों को रोजगार देने के लिए, दुकानें बनाने के लिए भूखण्ड उपलब्ध कराये जायेंगे।

स्वास्थ्य सुविधा

मेडिकेयर रिलीफकार्ड गाँव में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों में जब कभी कोई बड़ी बीमारी का शिकार हो जाता है तो वह इलाज कराने में सक्षम नहीं होता। इसके लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों को मेडीकेयर रिलीफ कार्ड दिये गये है। इन कार्डों को लेकर गरीब व्यक्ति नजदीक अस्पताल में जाकर अपना इलाज निःशुल्क करवा सकता है।[64]

मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष

चिकित्सा क्षेत्र में कोई असाध्य बीमारी किसी गरीब व्यक्ति को हो जाती है जैसे कैंसर, टी.बी. अथवा कोई भी बीमारी, जिसमें खर्च अधिक होता है तो बी.पी.एल. में चयनित परिवारों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी की रिर्पोट पर और जिला कलेक्टर की सिफारिश पर मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से उस व्यक्ति का इलाज करवाया जा सकता है।

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

स्थानीय विकास की आवश्यकता को देखते हुए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना लागू की गयी है जिसके तहत विधायक कोटे के लिए प्रतिवर्ष दो करोड़ रूपये निर्धारित किये गये हैं। स्थानीय विधायक से सम्पर्क कर स्थानीय जनप्रतिनिधि पंचायत में आवश्यकता वाले कार्य स्वयं करवा सकते हैं।

अन्य योजनाएँ

ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने की दृष्टि से व्यापक अधिकार और दायित्वों का हस्तान्तरण किया गया है। पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ तथा जनसामान्य लाभ की योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं। प्राथमिक शिक्षा, गरीबी, उन्मूलन कार्यक्रम, हैण्डपम्पों का रख–रखाव, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, ग्रामीण विकास निर्माण तथा भूखण्ड आवंटन, सामाजिक तथा फार्म वानिकी, गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों तथा उन्नत चूल्हा कार्यक्रम, बायोगैस की प्रोन्नती, बालिका समृद्धि योजना, पच्चास एकड़ तक की सिंचाई करने वाले जलाशयों का नियंत्रण, रख–रखाव और मत्स्य पालन आदि गतिविधियों का संचालन पंचायतों द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

वार्ड ग्राम सभा

राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था को सुढ़ृढ़ बनाने के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर उनके क्षेत्र में उन्हें खनिज, जल और वन आदि विषयों पर विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। ग्राम सभाओं को विस्तृत शक्तियाँ प्रदत्त की गयी हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में एक ग्राम सभा का प्रावधान किया

गया है। ग्राम सभा का किस प्रकार संचालन हो ? उसी के अनुरूप गाँव में विकास के निर्णय किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित रजिस्टर, संसाधनों का रजिस्टर, आय–व्यय रजिस्टर इत्यादि महत्त्वपूर्ण है। विकास अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वे स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा ग्राम सभा की बैठकों में विचार–विमर्श कर आयोजित करें। ऐसा प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही बैठक के अन्त में पढ़कर सुनाई जाये तथा अनुमोदन किया जाये।[65]

पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढीकरण

पंचायती राज संस्थाओं को जन भावनाओं के अनुरूप सशक्त बनाने हेतु तीव्रता से कई कदम उठाये गये एवं निम्न महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये–

पंचायती राज अधिनियम 1994 में महत्वपूर्ण संशोधन कर 6 जनवरी, 2000 को जारी अध्यादेश द्वारा प्रत्येक वार्ड सभा व ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि ग्राम सभा अथवा वार्ड सभा की बैठक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं कीएक–तिहाई उपस्थिति उनकी जनसंख्या के अनुपात में अनिवार्य होगी। यह निर्धारित किया गया है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच द्वारा, जबकि वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच द्वारा की जाये।

राज्य में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सफल बनाने एवं उनके क्रियान्वयन में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा को सशक्त बनाया गया है। वार्ड सभा की प्रत्येक छः माही में एक बैठक अनिवार्य होगी, जबकि ग्राम सभा अब प्रतिवर्ष नियमित रूप से राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, व 2 अक्टूबर को आयोजित होती है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जनता को देना, उपलब्ध बजट को ध्यान में रखते हुए वरीयता के आधार पर विकास कार्यों का अनुमोदन, सम्पादित कार्यों का भौतिक सत्यापन, सामाजिक अंकेक्षण करना

व उपयोगिता प्रमाण पत्र देना, बी.पी.एल. सूचना में से अपात्र व्यक्तियों का नाम निरस्त करना आदि बिन्दुओं पर चर्चा होती है।[66]

पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाये जाने हेतु नियमों में निर्धारित बैठकों का नियमित आयोजन सुनिश्चित किया गया है। पंचायत समिति तथा जिला स्तरों पर प्रशासनिक एवं स्थापना समिति का गठन किया गया है जिसके अनुमोदन के पश्चात् ही प्रधान, प्रमुख किसी निर्णय को क्रियान्वित करवा सके। इस प्रकार अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् में समान रूप से पाँच समितियाँ होंगी। संस्था के गठन से तीन माह में इन समितियों का गठन किया जाना अनिवार्य होगा तथा यह भी प्रावधान किया गया है कि समितियाँ इस प्रकार गठित की जायेंगी कि प्रत्येक सदस्य कम से कम एक समिति में स्थान पा सकेगा और प्रत्येक स्थायी समिति में संस्था के निर्वाचित सदस्यों में से 5 सदस्य लिये जायेंगे, आवश्यकतानुसार एक अतिरिक्त समिति का भी गठन किया जायेगा।

पंचायती राज संस्थाओं में गठित स्थायी समितियों को शक्तियाँ हस्तान्तरण कर सशक्त बनाया जायेगा, जिससे संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले निर्णयों में अध्यक्षों के साथ–साथ सदस्यों की भी भागीदारी बढ़े। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में नये अधिनियम द्वारा ग्राम में पृथक ग्राम सभा आयोजित की जायेगी। सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने से पूर्व ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 321 से 328 तक में विभिन्न अभिलेखों के निरीक्षण एवं प्रतिलिपि प्राप्त करने के अधिकारों का प्रावधान है।

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत के ग्रामीण विकास प्रशासन के इतिहास में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत एक्सटेंशन एक्ट, 1996 देश की ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए एक सामाजिक क्रांति के रूप में साबित हो रहे हैं । जो लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से विकास प्रशासन की प्रक्रिया में ग्रामीण जनता की सहभागिता, हर

स्तर पर सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी है। नौकरशाही की तुलना में जनमानस को अधिक महत्त्व दिया गया है जिससे पंचायत राज व्यवस्था अपने निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो सके।

सन्दर्भ

1. नारायण, डॉ0 इकबाल : दी कान्सैप्ट ऑफ पंचायत इंस्टीट्यूशन्स इम्पलीकेशन इन इण्डिया, एशियन सर्वे वॉल्यूम 5, नई दिल्ली 1996, पृ. 256
2. खान, एच. आईथेजा : गर्वमेंट इन रूरल इण्डिया, मयूर पब्लिकेशन हाउस, बॉम्बे, 1958 पृ. 31
3. सुदिप्त, कविराज : हमारा शासन कैसे चलता है, अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली , 2005 पृ. 67
4. उपर्युक्त, पृ. 68
5. गाँधी, एम. के. : विलेज स्वराज, नवजीवन पब्लिकेशन हाउस, अहमदाबाद, 1962 पृ. 53
6. मजुमदार, बी. बी. : प्रोबलम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अशोक भवन, पब्लिशर्स, पटना 1951 पृ. 205
7. मालवीय, एच. डी : विलेज पंचायत इन इण्डिया, ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली, 1966 पृ. 43
8. अथर्ववेद, 07—12—1
9. वाल्मिकी रामायण, 2/20
10. विद्या भास्कर, रमेश चन्द : भारत में पंचायती राज, कृष्णा ब्रदर्स, कचहरी रोड़, अजमेर, 1964 पृ. 32
11. मालवीय, एच. डी. : विलेज पंचायत इन इण्डिया,ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली, 1966 पृ. 46
12. जायसवाल, डॉ0 के. पी. : हिन्दू पोलिटी : ए कान्सट्रक्शन हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, इन हिन्दुस्तान टाइम्स, बैंगलोर, 1943 पृ. 12
13. दयाल, तेजमल : भारत में लोकतांत्रिक विकेन्दीकरण, सुरभि प्रकाशन, कौशलपुरी कानपुर, 1961 पृ. 74
14. नेहरू, जवाहर लाल : ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लंदन, 1945 पृ. 214
15. पुरोहित, श्यामलाल : राजस्थान पंचायत कोड, आलोक भारती प्रकाशन, जयपुर, 1991 पृ. 66
16. मिश्र, अनिल दत्त : पंचायती राज, मितल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002 पृ. 28
17. वाजपेयी, अशोक : पंचायती राज एण्ड रूरल डवलपमेंट, संहिता प्रकाशन, दिल्ली, 1997 पृ. 63
18. गाँधी, महात्मा : हरिजन सर्व सेवा संघ,प्रकाशन वाराणसी 2000 पृ. 99

19. नारायण, जे. पी. : फोरवर्ड पंचायती राज : दी बेस ऑफ इण्डियन पोलाइटी, वेस्टर्न साहित्य प्रकाशन, मेरठ, 1978 पृ.12
20. शर्मा रविन्द्र : ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, प्रिन्टवेल पब्लिशर्स, जयपुर 1985 पृ. 36
21. शर्मा, अशोक : भारत में स्थानीय प्रशासन, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 1995 पृ. 13
22. सुराणा, डॉ. राजकुमारी : भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और नव पंचायत राज, राज पब्लिशिंग हाउस, जयपुर 2000 पृ. 102
23. प्रसाद, डॉ अवध : भारत में ग्राम पंचायतों के 25 वर्ष, वाधवा एंड कम्पनी, नई दिल्ली, 1975 पृ. 20
24. दत्त, सुनीता : राजस्थान पंचायत राज कानून संग्रह, अशोक प्रकाशन, जयपुर 1989 पृ. 71
25. गाँधी, श्रीमती इंदिरा : राष्ट्रीय सम्मेलन और इंसान, अखिल भारतीय पंचायत परिषद्, दिल्ली, नवम्बर–दिसम्बर 1973 पृ. 37
26. मेहता, बी. आर. : कमेटी रिपोर्ट, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया, 1959 पृ. 05
27. अग्रवाल, आर. सी. : भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आंदोलन, एस. चांद एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1998 पृ. 68
28. माहेश्वरी, एस. आर. : भारत में स्थानीय स्वशासन, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, पब्लिशर्स, आगरा, 1999 पृ. 48–49
29. भावे विनोबा : लोकतांत्रिक मूल्य, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 2000 पृ. 32
30. बाबेल, बसन्ती लाल : वृहद् राजस्थान, पंचायती राज कोड, बाफना पब्लिकेशन प्रा0 लि0, जयपुर, 2003 पृ.73
31. बलवन्त राय मेहताःरिपोर्ट कमेटी ऑन डेमोक्रेटिक डिसेन्टरलाइजेशन, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, 1957 पृ. 63
32. गोस्वामी, प्रभाकर : राजस्थान में पंचायती राज,मनु प्रकाशन, जयपुर, 1983 पृ. 48
33. रिपोर्ट ऑफ दी कमेटी ऑन पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स, गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1978 पृ. 173–74
34. शर्मा , एस. के. : रिव्यू ऑफ द अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स, दिल्ली 1989 पृ. 43
35. राजस्थान पंचायत राज का नवीन स्वरूप, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सचिवालय, जयपुर पृ. 72

36. भारत का संविधान,सेण्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 2010 अनुच्छेद 243

37. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 (क) 1

38. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 क (2)

39. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 ख (1)

40. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 ग (1)

41. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 ग (2)

42. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 ग (3)

43. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 ग (5) क

44. उपर्युक्त,243 ग (5) क

45. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 घ (1)

46. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 घ (2)

47. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 घ (3)

48. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 घ (6)

49. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 ड (1) से 243 ड़ (3)

50. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 ड (3) का परन्तुक

51. उपर्युक्त,अनुच्छेद 243 ड (3)

52. उपर्युक्त,अनुच्छेद 243 ड (3)

53. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 ट (2)

54. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 ट (2) का परन्तुक

55. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 च

56. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 छ

57. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 ज

58. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 झ

59. उपर्युक्त, अनुच्छेद 243 झ (2)

60. मीणा, डॉ. जनक सिंह, भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन,आर.बी.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2012 पृ.स 59

61. उपर्युक्तपृ.स. 60

62. उपर्युक्त पृ.स. 61

63. उपर्युक्त पृ.स. 68

64. मीणा, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मीणा, डॉ. जनक सिंह, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान हिन्दी ग्रथ अकादमी जयपुर ,2015,पृ.स. 76

65. कुरूक्षेत्र, मई, 2000 लेख ''राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरणः नये आयाम'' पृ.स. 4–5

66. उपर्युक्त पृ.स. 6

पंचम अध्याय

भौगोलिक परिवेश

(क) अध्ययन क्षेत्र की स्थितिःनीमकाथाना पंचायत समिति
(Locatin of Study Area: Neemkathana Panchayat Samiti)

(अ) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नीमकाथाना क्षेत्र तोरावाटी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर तँवर राजपूतों की रियासत पाटन रियासत रही है, इसलिए यह क्षेत्र तोरावाटी कहलाया। तोरावाटी क्षेत्र का मुख्य केन्द्र नीमकाथाना, कोटपुतली व श्रीमाधोपुर तहसीलों तक विस्तृत रहा है। यह दिल्ली–अहमदाबाद मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है जो राजस्थान के सबसे पुराने रेलवे–स्टेशनों में से एक है। यह क्षेत्र लम्बे समय से बसा हुआ है तथा अनाज, कपड़ा, गुड़, शक्कर आदि के व्यापार का केन्द्र रहा है। यहाँ का सामान दूर–दूर तक उदयपुरवाटी, कांवट, चंवरा शाहपुरा गाँवों तक जाता था। नीमकाथाना नगर के पूर्व दिशा में दो कि.मी. की दूरी पर सवाईरामगढ़ आबादी बसी हुई थी, जिसका प्रमाण आज भी वहाँ स्थित गौशाला पर अंकित है, यहाँ अंग्रेजों के समय में सेना व पुलिस मुख्यालय था। इसी कारण यह '**छावनी**' नीमकाथाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छावनी में अंग्रेजों के समय से ही कोर्ट कचहरी बनी हुई है। जिसके एक ही परिसर में प्रशासनिक व न्यायिक कार्यालय कार्यरत है। इनका कार्य क्षेत्र नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, रींगस, शाहपुरा, बैराठ, खेतड़ी, कोटपूतली एवं उदयपुरवाटी आदि ग्राम थे। आजादी के बाद 1950 में यह उपखण्ड कार्यालय बना, जिसका अधिकार क्षेत्र तहसील नीमकाथाना रहा।[1] व्यापार की दृष्टि से रेलवे स्टेशन के पास नई मण्डी की स्थापना की गई, जो अब 'कपिल मण्डी', नीमकाथाना के नाम से जानी जाती है। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र है जो सोनापट्टी के नाम से विख्यात है।

आज उद्योग धन्धों में विकसित होता विकासशील नीमकाथाना की जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार 3,99,911 है। यह चारों ओर से

पहाड़ियों व धार्मिक स्थलों से घिरा हुआ है। तोरावाटी पुराने जयपुर राज्य की एक निजामत के तौर पर थी चूंकि पंजाब एवं पटियाला संघ की सीमा तोरावाटी से लगती थी। इस कारण यहाँ पलटन (सेना) रहती थी।[2] इस क्षेत्र में राजस्थान की प्रसिद्ध 'कांतली' नदी के किनारे बसे गणेश्वर, चौकड़ी, गुहाला, सुनारी आदि स्थानों में पुरातत्व विभाग ने खुदाई कर ऐसे प्रमाण प्राप्त किये हैं कि इस क्षेत्र में मोहनजोदड़ों तथा हड़प्पा–मोहनजोदड़ों से पूर्व की सभ्यता विद्यमान थी। खुदाई में ऐसी चीजें व खण्डहर मिले हैं जिनसे यह साबित हो चुका है कि यह क्षेत्र बहुत पुराने जमाने के आदिमानव जो सिर्फ जानवरों के शिकार पर निर्भर थे। ताम्र युग की सभ्यता के भी यहाँ प्रमाण मिले हैं। ऐसे भी प्रमाण मिले हैं कि महाभारत काल में यहाँ (चन्द्रवंशी) बसे हुए थे एवं मोरध्वज का राज्य था तथा इन्हीं के परिवार के सदस्य हस्तिनापुर में शासन करते थे।[3] यह बात कुरूवंश के चन्द्रवंशी कहलाने से सही प्रमाणित होती है।

विदित है कि द्रोणाचार्य के वंशजो से यह राज्य सांखला (पंवार) राजपूतों ने छीन लिया तथा जिनसे अनंगपाल द्वितीय के पुत्रों–अमजी, सलवण व तोमरपाल ने 1088 ई. में अधिकार में ले लिया। जिनमें से अमजी बाड़मेर चले गये तथा सलवण एवं तोमरपाल ने 'पाटन' को राजधानी बनाया और अचलगढ़ की नींव डाली। तोमरपाल ने इस क्षेत्र में 5 शिवलिंगों की स्थापना की तथा जनता के दुख–सुख में भागीदारी की, जिससे यह क्षेत्र तोरावाटी (तोमर) कहलाया।[4]

सन् 1950 में वृहत्त राजस्थान के निर्माण के समय सीकर जिला बनाकर नीमकाथाना को उप खण्ड बना दिया गया। जिसमें से बैराठ, शाहपुरा, खेतड़ी, कोटपुतली तथा उदयपुरवाटी को अलग निकाल दिया गया।[5]

जहाँ तक उद्योगों का सवाल है खनिज उद्योग यहाँ कितना पुराना है यह आकलन मुश्किल है। ऐसे प्रमाण मिले हैं कि यहाँ तांबा निकाला जाता था तथा उसकी ढ़लाई भी होती थी। जिसकी माइनिंग के निशान आज भी मौजूद है। यहाँ बड़ी–बड़ी खानों में काम किया जाता था तथा खनिज विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि खेतड़ी से पहले तांबे का काम बालेश्वर (नीमकाथाना) में होता

था।[6] यहाँ पुराने ऋषि मुनियों की तपस्या के बहुत पुराने भव्य स्थान एवं गुफाएँ आज भी मौजूद हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य का जब अन्दाज लगायें, तो बद्रीनाथ जी में जिस तरह से गरम एवं ठंडे पानी के झरने हैं उसी प्रकार के झरने यहाँ गणेश्वर गाँव में उपलब्ध हैं।[7]

नीमकाथाना के चारों तरफ अरावली पहाड़ियाँ हैं। यहाँ शिवलिंग की ज्यादा मान्यता है क्योंकि जितने भी पुराने धार्मिक स्थान हैं, उन सभी में शिवलिंग की स्थापना, पूजा, मेलों के रूप में और वार्षिक अधिवेशनों के रूप में बराबर आज भी होती है। पहाड़ियों में बालेश्वर, गणेश्वर, टपकेश्वर, भागेश्वर एवं थानेश्वर शिव स्थान, धर्म व पर्यटन की दृष्टि से दर्शनीय हैं, जिनको विकसित करने पर पर्यटन के अच्छे केन्द्र बन सकते हैं।[8]

इस क्षेत्र की अधिक जानकारी व छिपे इतिहास के पृष्ठ खोलने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार को चाहिए कि प्रसिद्ध स्थान रहे थानेश्वर, जो आज घने जंगल के रूप में है तथा भागेश्वर, बालेश्वर, गणेश्वर तथा टपकेश्वर की खुदाई करें और इनका विकास कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए।[9]

(ब) स्थिति एवं विस्तार

नीमकाथाना तहसील राजस्थान राज्य में सीकर जिले के उत्तर–पूर्वी भाग में समुद्रतल से 448 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। तहसील का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 118822 हैक्टेयर है। यह $27^0$27′05′′ से $27^0$55′45′′ उत्तरी अक्षांश एवं $75^0$34′14′′ से $76^0$05′05′′ पूर्वी देशान्तर रेखाओं के मध्य अवस्थित है। सामान्य रूप से नीमकाथाना तहसील मेंढ़क का आकार लिए हुए है। इसका उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग चौड़ा एवं दक्षिणी भाग नुकीला रूप लिए हुए है।

नीमकाथाना तहसील के उत्तर में हरियाणा राज्य का महेन्द्रगढ़ जिला, पश्चिम में झुन्झुनूँ जिला, दक्षिण में श्रीमाधोपुर तहसील तथा पूर्व में जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील सीमा बनाते हैं।

तहसील में कुल 59 ग्राम पंचायत, 191 गाँव हैं। एक जनगणना शहर (गुहाला) व एक वैधानिक नगर (नीमकाथाना), जिनको 47 पटवार मण्डलों एवं 5

LOCATION MAP OF THE STUDY MAP

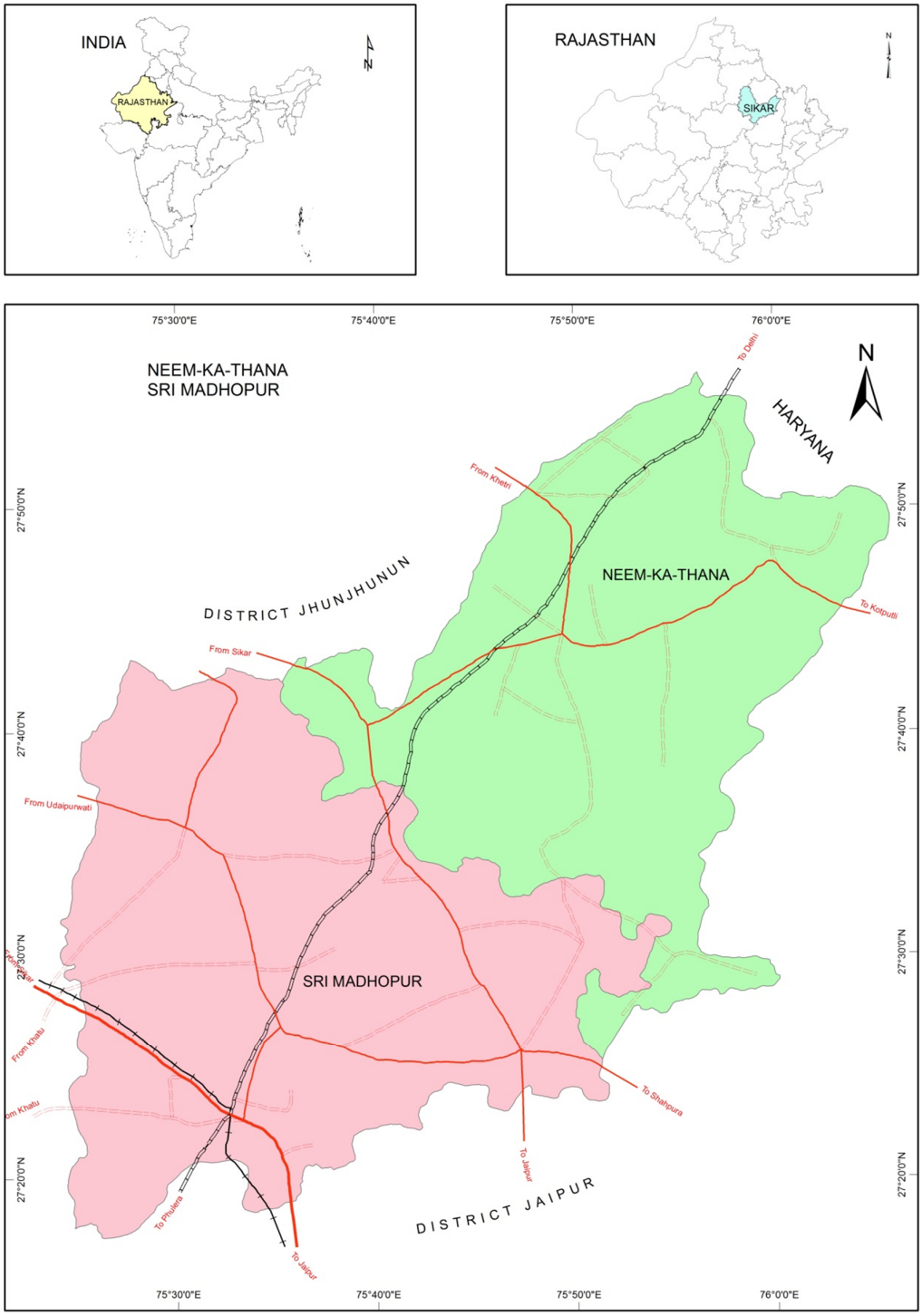

गिरदावर वृतों में बाँटा गया है। यहाँ एक पंचायत समिति एवं एक नगरपालिका है, जो बहुत पुरानी है। नीमकाथाना तहसील की वास्तविक स्थिति भौगोलिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है।[10]

भू–गर्भिक संरचना

क्षेत्र की भू–गर्भिक संरचना बहुत विविधतापूर्ण है। इसकी कई इकाईयों को चिन्हित करना अत्यन्त कठिन है। फिर भी इसको निम्नांकित इकाईयों में विभाजित किया गया हैं। चट्टानीय सरंचनाओं को समझने के लिए कई समूहों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों में जिन चट्टानों की खोज हुई हैं, उन्हें दो वर्ग– अलवर और अजबगढ़ ग्रुपों में बाँटा गया है तथा जी.एस.आई सर्वेक्षण नीचे दिया गया है।

वर्तमान में नीमकाथाना तहसील में जो भू–भाग शामिल है उसके अधिकांश भागों में ऐसे चिन्ह मिलते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि कभी तूफान ने इस क्षेत्र को धोया था जिसके संकेत चारो ओर दृष्टिगोचर होने वाली मिट्टी की परतों के रूप में भी देखे जा सकते हैं। यह क्षेत्र पहाड़ी व अर्द्ध शुष्क भाग है। तहसील का अर्द्ध शुष्क भाग 'टेथिस सागर' का अवशेष माना जाता है जो कालान्तर में नदियों द्वारा लाई गई तलछट के द्वारा ढक दिये गये हैं।

प्राचीनकाल में भूगर्भिक हलचलों के कारण सरिताओं से आच्छादित यह भाग जल विहिन होकर वीरान मरू भूमि में परिवर्तित हो गया।[11] इन्हीं परिस्थितियों के कारण यह तहसील अर्द्ध शुष्क प्रदेश के अन्तर्गत आती है। तहसील के अधिकांश भाग में उपजाऊ बलुई, कछारी एवं बलुई दोमट मिट्टियों का फैलाव पाया जाता है।

सारणी संख्या 5.1

युग/आयु	शैल समूह	वर्णन/पत्थर विज्ञान
पोस्ट देहली	अन्तर्वेधी	• मृदा और एल्यूनियम • ग्रेनाइट • ऐम्फिबोलाइट
प्रोटेरोजोइक	देहली सुपर ग्रुप अजबगढ़ ग्रुप	• फ्लिट्स और इन्टरबेडेड क्वार्टजाइटस • बायोटाइट शिस्ट, ट्रेमोलाइट, मार्बल और माइनर क्वार्टजाइट • सकोणाश्म क्वार्टजाइट • चुना पत्थर, कैल्शियम पटिट्लाश्य, और माइनर क्वार्टजाइट।
	अलवर ग्रुप	• भारी क्वार्टजाइट, एम्फिबोलाइट, क्वार्टजाइट के साथ इन्टरबेडेड शिस्ट • शिस्ट ओर फ्लिट्स के साथ माइनर क्वार्टजाइट • फेल्सपार क्वार्टजाइट
आर्केन्स	भीलवाड़ा–सुपर ग्रुप	• असमबिन्यासी, ग्रेनाइट, पटि्टलाश्म (आवरण के अन्दर)

Source: Structure of India by Majid Husain

इस क्षेत्र में देखी गई चट्टानें पूर्णतया देहली समुदाय की मध्य तलछटीय किस्म की हैं। देहली समुदाय की चट्टानें अलवर व अजबगढ़ शैल समूहों में विभाजित की गई हैं।

अलवर शैल समूह

इन शैल समूहों का विशिष्ट लक्षण यह है कि मध्यतलछटीय क्रम की इन बालुकामय चट्टानों में अधिकांशतः विभिन्न तरह के स्फटिक प्रकार हैं व कुछ अल्प मात्रा में चिकनी मृत्तिका चट्टानें भी हैं। चूनेदार चट्टानें इस क्षेत्र के पूर्वी

भाग में खेतड़ी तांबा पट्टी के साथ दक्षिणी–मध्य से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में दलपतपुरा तक दिखाई देती हैं। पूर्वी भाग में ये शैल समूह चीपलाटा से लेकर लगभग 70 कि.मी. उत्तर तक दिखाई देते हैं तथा इनकी अधिकतम चौड़ाई 30 कि.मी. है। इन चट्टानों की क्षेत्रीय अनुदैर्ध्य दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। ये शैल श्रृंखलाएँ वलित पर्वतमाला के रुप में पाई जाती हैं जिसकी प्रवृति उत्तर–पूर्व से दक्षिण व दक्षिण–पूर्व की ओर है।

अजबगढ़ शैल समूह

यह शैल अलवर शैल समूह की तुलना में अधिक चूना युक्त होता है। चट्टानों की मुख्य किस्में संगमरमर, चूना पत्थर, फ्लिट्स, अभ्रक, शिष्ट आदि होती हैं, इनमें प्रमुख रूप से भूरी नर्म स्फटिक अभ्रक स्तरित हैं। चट्टानों का सामान्य प्रवाह उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पश्चिम की ओर होता है।[12]

उच्चावच

नीमकाथाना तहसील में बहुत बड़े–बड़े रेत के क्षेत्र हैं जो तहसील के दक्षिणी भाग में तीन खण्डों के रूप में हैं जो क्वार्टजाइट की पहाड़ियों और इनके बीच की घाटियॉ बनाते हैं। इन तीनों खण्डों के उत्तरी भाग में घाटी बनी है। यहाँ रेत के रास्ते से पता चलता है कि इसका फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है। इस क्षेत्र में बड़े–बड़े रेत के टीले देखे जा सकते हैं जो पहाड़ियों के दक्षिणी और पश्चिमी भागों को विभाजित करते हैं। यह भगोठ, चारण का बास, पीथमपुरी, झाड़ली, मावण्डा व जीलो गाँवों के बीच देखे जा सकते हैं। शेष भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा में लम्बी और संकरी बालू का पट्टी देखी जा सकती है। इस पट्टी की सामान्य ऊँचाई पश्चिमी भाग में 450 मीटर (समुद्री तल) और पूर्वी भाग की ऊँचाई 530 मीटर (समुद्री तल) से अधिक है।

यहाँ ऊँची उठी हुई क्वार्टजाइट श्रृंखलाएँ हैं जिनका ऊपरी सिरा समतल तथा ढ़ाल खडा है यह श्रेणियाँ भू–तल से 300–400 मीटर ऊँची हैं। ये गोलाकार है।

भौगोलिक दृष्टि से तहसील को तीन भौतिक विभागों में बाँटा जा सकता हैः–

(अ) उत्तर–पूर्वी व दक्षिणी पहाड़ी भाग

(ब) पठारी एवं मैदानी भाग

(स) अर्द्ध–शुष्क मरूस्थलीय भाग

(अ) उत्तर–पूर्वी व दक्षिणी पहाड़ी भाग

तहसील की पहाड़ियाँ अरावली श्रृंखलाओं का एक भाग है। इसकी प्रशाखाएँ तहसील के उत्तरी–पूर्वी व दक्षिणी भाग में फैली हुई हैं। नीमकाथाना में पाई जाने वाली पहाड़ियों को स्थानीय रूप में 'मालखेत' कहा जाता है। इन पहाड़ियों में सीढ़ीनुमा ढाल देखा जाता है एवं कम ऊँचाई की पहाड़ियाँ कहीं–कहीं अर्द्ध–शुष्क वनस्पति से ढकी हुई हैं। तहसील में पड़ने वाली मालखेत पहाड़ियों की सबसे ऊँची पहाड़ी तहसील के दक्षिण–पूर्व दिशा में स्थित है जिसकी ऊँचाई समुद्र तल से 998 मीटर है जिसका ढ़ाल 130 मी./कि.मी. से भी अधिक है। तहसील में स्थित पहाड़ियों में से पर्याप्त ऊँचाई वाली पहाड़ियाँ गावड़ी, गणेश्वर, टपकेश्वर, बालेश्वर, थानेश्वर, पाटन, रामपुरा, मावण्डा एवं जीलो आदि गाँवों में है जिनका ढाल 20 से 80 मी./कि.मी. तक है। इन पहाड़ियों में खनन से खनिज व ईमारती पत्थर प्राप्त होता है।[13]

(ब) पठारी और मैदानी भाग

तहसील में पठारी भू–भाग न के बराबर ही है। तहसील के मध्य भाग को जलसंभर या पनढ़ाल कहा जा सकता है क्योंकि उत्तर में स्थित नदी उत्तर दिशा की ओर, उत्तर–पूर्व में स्थित नदी उत्तर–पूव दिशा की ओर व दक्षिण में स्थित नदियॉ दक्षिण की ओर बहती हैं। इस क्षेत्र में विस्तृत एवं समतल मैदानी भाग का पूर्णतः अभाव है इनका ढाल 10 से 20 मी./कि.मी. तक देखा गया है। यद्यपि नदियों के अपवाह क्षेत्र में प्रायः छोटे–छोटे मैदानी भाग दृष्टिगोचर होते हैं।

(स) अर्द्ध–शुष्क मरूस्थलीय भाग

अध्ययन क्षेत्र सीकर जिले के अर्द्ध–शुष्क भाग में स्थित है। यह तहसील प्राचीनकाल में नदियों के प्रवाह में आती थी, जो भूगर्भिक हलचलों द्वारा अर्द्धशुष्क भूमि में परिवर्तित हो गई जिससे तहसील के दक्षिणी भाग में तीन

खण्डों में मरूभाग समाविष्ट हो गया। इसका विस्तार दक्षिण–पश्चिम से उत्तर–पूर्व की ओर है। यह रेत के टीले पहाड़ियों के दक्षिण और पश्चिमी भागों को विभाजित करते हैं। यह भगोठ, चारणकाबास, पीथमपुरी, झाड़ली मण्डोली, और मांकडी गाँवों के बीच देखे जा सकते हैं। तहसील के शेष भाग में पूर्व और पूर्व–पश्चिम में पट्टियाँ देखी गई हैं। यद्यपि क्षेत्र में वर्षा की भौतिक दशाएँ अनुकूल नहीं होने से अल्प मात्रा में वर्षा होता है जिस पर खरीफ की फसल पूर्ण रूप से आश्रित होती है।

जलवायु

नीमकाथाना क्षेत्र की जलवायु विशेषताएँ–ग्रीष्मकाल गर्म एवं कम वर्षा वाला तथा शीतकाल ठण्डा एवं सामान्य शुष्कता वाला और अल्पकालीन मानसून वाला है।

तहसील में नवम्बर के मध्य से फरवरी के अन्त का समय तेज शीतकाल एवं इसके बाद का समय भयंकर ग्रीष्मकाल का होता है जो जून के अन्त तक चलता है। दक्षिण–पश्चिमी मानसून लगातार सितम्बर के मध्य तक चलता है। अतः हम कह सकते हैं कि तहसील अर्द्ध शुष्क प्रदेश में स्थित है।[14]

मिट्टियाँ

मिट्टी के निर्माण में तापमान, वर्षा, ऊँचाई, वनस्पति, जैविक, क्रियाएँ, स्थलाकृति एवं समय पक्ष आदि तत्व अपना योगदान करते हैं। कृषि की दृष्टि से मिट्टी का विशेष महत्त्व है। मृदा की संरचना पौधों की वृद्धि के कारणों को प्रभावित करती है। मिट्टी में वायु का आवागमन, पानी की प्राप्ति, पोषक तत्वों की प्राप्ति, अणुजीवों की क्रियाशीलता, जड़ों की वृद्धि और ऐसे अन्य कारक मिट्टी से प्रभावित होते हैं। सामान्यतः मिट्टी में आवश्यक पोषक पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा, पी.एच. आदि सभी कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से नीमकाथाना तहसील की मिट्टियों में नाइट्रोजन की मात्रा निम्न स्तर में तथा फास्फोरस और पोटाश की मात्रा मध्यम स्तर में पाई जाती है जिसका विवरण निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है:–

सारणी संख्या 5.2

मिट्टियों की रासायनिक संरचना

निम्न	मध्यम	उच्च
नाइट्रोजन 0.205 पौंड एकड़	0.205–400पौंड एकड़	400 पौंड से अधिक
ऑरगेनिक कार्बन 0.27	.27– .50 प्रतिशत	.50 प्रतिशत से अधिक
फॉस्फोरस 20 पौंड	20–25 पौंड	.50 से अधिक
पोटाश 98 पौंड एकड़	98 से 250 पौंड	250 पौंड से अधिक

स्रोतः मृदा सर्वे विभाग, सीकर

मिट्टियों के विभाजन के आधार पर नीमकाथाना तहसील क्षेत्र की मिट्टियों को निम्न भागों में बाँटा जा सकता हैं–

(अ) बस्सी राजौरी एसोसिएसन (कछारी मिट्टी)

इस प्रकार की मिट्टी गहरी जालीनुमा, पीली–भूरी या गहरे भूरे रंग की होती है। इसमें पोटाश, फास्फोरस, और कार्बन की कमी होती है। कुछ भागों में कंकड़ भी इस मिट्टी में पाये जाते हैं। कृषि की दृष्टि से नदियों द्वारा लाई गई यह मिट्टी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी तहसील के उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है।

(ब) चौंमू दून एसोसिएसन (बलुई दोमट मिट्टी)

यह मिट्टी कछारी मिट्टी की तुलना में कम महत्वपूर्ण और कम उपजाऊ होती है। यह सिंचाई के साधनों पर आधारित होती है। इसका रंग हल्का पीला–भूरा या गहरा पीला–भूरा होता है। इस मिट्टी में खरीफ फसल के दौरान ज्वार–बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ आदि उगाये जाते हैं तथा सिंचाई की व्यवस्था होने पर रबी फसल के दौरान इसमें गेहँ, जौ एवं चना, सरसों आदि भी अच्छे उगाये जा सकते हैं। यह मिट्टी तहसील के उत्तर से दक्षिणी तक पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे पायी गयी है।

(स) पहाड़ी मिट्टी

इस प्रकार की मिट्टी पहाड़ी क्षेत्र एवं आस–पास के क्षेत्र में पाई जाती है जो तहसील के उत्तरी एवं मध्यवर्ती क्षेत्र में पाई गई है। यह मिट्टी उपजाऊ तो है, परन्तु कंकड़–पत्थर युक्त होने के कारण बंजर भूमि के रूप में पड़ी है।

(द) बलुई मिट्टी

बलुई मिट्टी के कण बड़े–बड़े होते हैं। इनमें चिपक नहीं होती, इस कारण इसमें पानी नहीं टिकता, पर ऐसी मिट्टी पर जुताई व गुड़ाई सरलता से की जा सकती है। पानी धारण करने की क्षमता के अभाव में इनमें फसलें उसी समय तक उपज सकती हैं जब तक पानी मिलता रहे। इस प्रकार की मिट्टी तहसील के पश्चिमी एवं दक्षिणी–पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इसके अलावा भी तहसील क्षेत्र में अल्प मात्रा में हल्की काली अपरदन के जमाव से बनी मिट्टी भी पाई जाती है।[15]

अपवाह तन्त्र

(अ) नदियाँ

भू–गर्भिक संरचना, अरावली श्रेणी की शाखाएँ, वनस्पति और मरूभूमि की अवस्थिति ने तहसील की अपवाह प्रणाली को अत्यधिक प्रभावित किया है। क्षेत्र की अपवाह प्रणाली में प्राचीन काल से वर्तमान समय तक अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। तहसील में वर्षा की सीमित मात्रा के कारण अपवाह प्रणाली मौसमी एवं विच्छिन्न लघु धाराओं से आच्छादित है। सामान्यतः तेज वर्षा होने पर क्षेत्र में मध्यवर्ती अरावली श्रृंखला की पहाड़ियों से छोटे–छोटे विच्छिन्न नाले एवं सरिताओं का आविर्भाव होता है। तहसील में सदावाहिनी नदियों का पूर्णतः अभाव है।

तहसील में कांतली, डोगर, पाण्डोली, कृष्णावती एवं इनकी सहायक नदियाँ बहती हैं। ये सभी नदियाँ प्राकृतिक रूप से मौसमी हैं। इन नदियों का प्रवाह कुछ अल्प काल के लिए वर्षा ऋतु में ही होता है। यहाँ नदियों के कपाट बहुत चौड़े और रेतीले हैं। इन नदियों के किनारे सर्पाकार कटाव के हैं जिनके

वक्र स्थायी रूप से दिखाई देते हैं। इन सभी नदियों में अवनालिका अपरदन देखने को मिलता है।

कांतली नदी का उद्‌गम स्थल श्रीमाधोपुर तहसील में खण्डेला की पहाड़ियों व नीमकाथाना तहसील में गणेश्वर–छापर की पहाड़ियों से है। यह नीमकाथाना तहसील के पश्चिमी भाग कांवट, चौकड़ी, गुहाला, सुनारी घाट होकर झुन्झुनूँ जिले में बहने के बाद चुरू जिले की सीमा में जाकर विलीन हो जाती है। यह नदी सीकर और झुन्झुनूँ के 2570 वर्ग कि.मी. भू–भाग को अपवाहित करती है, जो राजस्थान के कुल नदी प्रवाह क्षेत्र का 1.52 प्रतिशत भाग है। डोगर नदी का उद्‌गम नीमकाथाना तहसील की उत्तरी पहाड़ियों से होता है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र तहसील के उत्तरी भाग में गांवली व बिहारीपुर से होकर हरियाणा में चला जाता है। इस नदी के अन्तर्गत नीमकाथाना तहसील व झुन्झुनूँ का 1400 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आता है, जो राजस्थान के कुल नदी प्रवाह क्षेत्र का 0.83 प्रतिशत भाग है। कृष्णावती नदी का उद्‌गम स्थल नीमकाथाना तहसील की ही उत्तरी–पूर्वी पहाड़ियाँ हैं जिसके बहाव की दिशा उत्तर–पूर्व है। उपर्युक्त सभी नदियाँ वर्षा ऋतु में ही प्रवाहित होती हैं, शेष ऋतुओं में शुष्क रहती हैं।

(ब) तालाब व झीलें

नीमकाथाना तहसील में पीथमपुरी में एकमात्र प्राकृतिक झील है। यह सिंचाई और प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह एक छोटी सी गर्त भूमि हैं, जहाँ वर्षा का पानी जमा हो जाता है जो कुछ महिनों तक भरा रहता है।[16] तहसील में कोई बड़ा तालाब नहीं है किन्तु छोटे तालाब और गढ़्ढों की संख्या काफी है। वर्षा ऋतु में इन गढ़्ढों में थोड़े समय के लिए पानी भर जाता है।

प्राकृतिक वनस्पति

वनों से आच्छादित क्षेत्र में जलवायु का पर्यावरण रक्षा तथा मिट्टी की उर्वरता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। वन किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। नीमकाथाना जैसी

तहसील के लिए वनों का महत्व अधिक है। थार मरूस्थल का प्रसार सीकर जिले में धीरे–धीरे बढ़ रहा हैं। नीमकाथाना तहसील में 32287 हैक्टेयर भू–भाग पर वन फैले हुए हैं। तहसील के दक्षिणी –पूर्वी एवं उत्तरी–पूर्वी तथा मध्यवर्ती भाग अधिक वनाच्छादित हैं। तहसील में वन वृद्धि हेतु राज्य सरकार वन विभाग, स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं अरावली विकास परियोजना के द्वारा कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।[17]

जनसंख्या

किसी भी क्षेत्र का विकास जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, व्यावसायिक स्थिति, जाति, धर्म, सामाजिक मान्यताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों से प्रभावित होता है। इसके अलावा आर्थिक विकास में योगदान मानव संसाधन का होता है। प्राकृतिक संसाधन निष्क्रिय होते हैं, जिनको मानव सक्रिय बनाकर उपयोग करता है। जनसंख्या में पूंजी, श्रम, कार्यक्षमता, कार्य कुशलता, साक्षरता एवं स्वास्थ्य आदि सभी तथ्य मानव शक्ति के रूप में प्रभाव दिखाते हैं। नीमकाथाना तहसील की जनसंख्या का कृषि के संदर्भ में अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि क्षेत्र की 61.11 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यो में संलग्न है इसलिए इस क्षेत्र के कृषि व्यवसाय के लिए अध्ययन करना जरूरी है।

जनसंख्या वितरण

नीमकाथाना तहसील की जनसंख्या का वितरण असमान है। तहसील में कहीं पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है तो कहीं पर विरल जनसंख्या पायी जाती है। इसका प्रमुख कारण तहसील का भौतिक पर्यावरण एवं आर्थिक विकास में भिन्नता आदि उत्तरदायी है।

सन् 2011 की जनगणना के आधार पर तहसील की कुल जनसंख्या 3,99,911 व्यक्ति है जो 1,18,822 हैक्टेयर क्षेत्र पर निवास करते हैं। तहसील की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक भाग मध्यवर्ती भाग में स्थित नीमकाथाना गिरदावर वृत में तथा न्यूनतम उत्तरी भाग में स्थित डाबला गिरदावर वृत में निवास करता

है। तहसील के कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम भाग उत्तर–पूर्व में स्थित पाटन गिरदावर वृत में तथा सर्वाधिक भाग नीमकाथाना गिरदावर वृत में ही आंकलित किया गया है।

जनसंख्या वृद्धि

नीमकाथाना तहसील में जनसंख्या वृद्धि एवं विकास भी राज्य के अन्य भागों की तरह तीव्र गति से जारी है जिससे स्पष्ट होता है कि नीमकाथाना तहसील में जनगणना 2001 से 2011 में 15.38 प्रतिशत वृद्धि हुई है। तहसील में सर्वाधिक जनसंख्या दक्षिणी एवं मध्यवर्ती भाग में तथा न्यूनतम जनसंख्या तहसील के उत्तरी भाग में और मध्यम जनसंख्या वृद्धि उत्तरी–पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में आंकलित की गयी है।[18]

जनसंख्या घनत्व

नीमकाथाना तहसील की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। इसलिए जलापूर्ति एवं समतल धरातल का प्रभाव जनसंख्या के घनत्व पर पड़ता है। सामान्यतः जनसंख्या घनत्व प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक कारणों और कृषि क्रियाओं का सामूहिक परिणाम है। इनमें मुख्यतः जलवायु, उच्चावच, वर्षा वितरण, जल सुविधा आदि का प्रभाव पड़ता है।

नीमकाथाना तहसील का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 336 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. आंकलित किया गया है। तहसील में न्यून घनत्व क्षेत्र दक्षिणी भाग में पाया गया है। तहसील का उत्तरी भाग मध्यम घनत्व क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जबकि उच्च घनत्व क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील का पश्चिमी, मध्यवर्ती एवं उत्तरी–पूर्वी भाग सम्मिलित है।

लिंगानुपात

लिंगानुपात एक महत्वपूर्ण एवं विचारणीय जननांकीय है जिसकी जनसंख्या विश्लेषण में प्रमुख भूमिका है। जनसंख्या के लिंगानुपात में देखा जाता है कि प्रति हजार पुरूषों के पीछे कितनी महिलाऐं हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष के पुरूष एवं महिला अनुपात को दर्शाता है।

जनगणना 2011 में नीमकाथाना तहसील की कुल जनसंख्या 399911 है जिनमें पुरूषों की संख्या 209522 एवं महिलाओं की संख्या 190389 रही है। तहसील स्तर पर लिंगानुपात 908 है। इसके अलावा तहसील स्तर पर 0–6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 946 आंकलित किया गया है।[19]

साक्षरता

साक्षरता का स्तर सामाजिक उन्नति का प्रतीक है। साक्षरता की दृष्टि से नीमकाथाना तहसील में पिछड़ापन देखने को मिलता है। जनगणना 2011 में तहसील की साक्षरता 60.65 प्रतिशत रही है। कुल जनसंख्या में से 242563 व्यक्ति साक्षर हैं जिनमें साक्षर पुरूष 150585 हैं जो कुल पुरूषों के 62.08 प्रतिशत हैं तथा साक्षर महिलाऐं 91978 हैं जो कुल महिलाओं की 37.92 प्रतिशत हैं अर्थात् तहसील में महिला साक्षरता कम है।[20]

प्राचीन सभ्यता और संस्कृति

पाषाण युगीन संस्कृतियाँ मानव सभ्यता के प्रारम्भिक चरण की परिचायक हैं। प्रागैतिहासिक युग में मानव ने सामान्य अपने उपकरणों का निर्माण सुलभ पाषाण खण्डों में किया। इस क्षेत्र में कांसावती नदी घाटी क्षेत्र में सोहनपुरा से वक्रित धारयुक्त उपकरण प्राप्त हुए हैं। भौनावास, सोहनपुरा, बागेश्वर, रामपुरा मोड़, सलेदीपुरा मध्य–पुरापाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र के गणेश्वर, अजीतगढ़, थोई, मोरीजावाला, हरिपुरा व राणासर से लघु पाषाण उपकरणों की प्राप्ति हुई है। पाषाण काल से संबंधित चित्रित शैलाश्रय भी इस क्षेत्र में मिलते हैं। इस क्षेत्र में पाषाण युगीन मानव ने मध्य पाषाण युग से सीधे ताम्र पाषाण युग में प्रवेश किया।

नीमकाथाना में गणेश्वर से ताम्र निधि के साथ गैरूए रंग की मृद पात्र संस्कृति (वर्तमान में इसे लाल रंग की मृद पात्र परम्परा कहते हैं) के अवशेष मिलते हैं। जोधपुरा एवं गणेश्वर के उत्खनन से यह सिद्ध होता है कि ये लोग ताम्र निष्कर्षण करते थे। गणेश्वर तथा जोधपुरा की तिथि हड़प्पा संस्कृति के पूर्व या समकालीन रखी जाती है। कालीबंगा से प्राप्त ताम्र कुल्हाड़ियों एवं बाणाग्र

भी जोधपुरा–गणेश्वर संस्कृति से समानता स्पष्ट करते हैं। **गणेश्वर सभ्यता** का समय 2800 ई.पू. है। इसी कारण इसे **'ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी'** कहा जाता है। काले व लाल रंग की मृदपात्र संस्कृति के पात्र स्वतंत्र रूप में मिले हैं। इस के साथ यहॉ धूसर रंग के मृदपात्र उपलब्ध हुए हैं।

ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल

नीमकाथाना के ऐतिहासिक स्थल विशेष प्रसिद्ध हैंजिनमें मुख्य रूप से पाटन का किला व महल, भोपालगढ़, चौकड़ी का किला, सलेदीपुरा का ओमल–सोमल मंदिर, मांकड़ी की छतरियाँ, गणेश्वर, बलेश्वर, बागेश्वर, थानेश्वर, अचलेश्वर, टपकेश्वर, शाकम्बरी, संतोषी माता का मंदिर, राममन्दिर, गांवड़ी में राम–लक्ष्मण बावड़ी व तालाब सिरोही का गढ़, गुहाला का गढ़ इत्यादि हैं।[21]

मूलभूत सुविधाऐं

शिक्षा

नीमकाथाना तहसील में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं को दर्शाया गया है। शिक्षा सुविधा के अन्तर्गत तहसील की प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी तथा कॉलेजों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तहसील के कुल 153 गाँवों में से 143 गाँवों में 274 सरकारी प्राइमरी स्कूलें हैं जबकि 10 गाँव आज भी शिक्षा से वंचित हैं। 89 गाँवों में 110 मिडिल स्कूल हैं, 36 गाँवों में 39 सैकण्डरी स्कूलें तथा 93 सीनियर स्कूलें हैं। तहसील स्तर पर तीन सरकारी महाविद्यालय हैं जिनमें एक महिला महाविद्यालय है।

तहसील के 22 गाँवों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी स्थापित किए गये हैं। उक्त सरकारी संस्थाओं के अलावा 95 गाँवों में 203 अन्य निजी शिक्षण संस्थान संचालित किए जा रहे हैं परन्तु आज तहसील में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के द्वार लगभग बन्द से नजर आ रहे हैं, जिस हेतु छात्र–छात्राओं को अन्य शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है।[22]

चिकित्सा सुविधाऐं

चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से नीमकाथाना तहसील में पिछड़ापन ही है। तहसील में केवल 6 चिकित्सालय हैं जिनमें आयुर्वेदिक औषधालय भी सम्मिलित हैं। तहसील के लगभग 30 गाँवों में डिस्पेन्सरी है। 8 मातृ एवं शिशु कल्याण संस्था संचालित की जा रही हैं। तहसील के 23 गाँव आज भी प्राथमिक चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं। केवल 58 गाँवों में 64 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हो रहे हैं। नीमकाथाना में 50 रजिस्टर्ड प्राइवेट डॉक्टर प्रेक्टिस करते हैं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या 44 है। इनके साथ ही तहसील में 6 पशु औषधालय एवं 11 ए.एच.सी भी स्थापित हैं।[23]

डाकघर

तहसील के 59 गाँवों में पोस्ट ऑफिस हैं तथा 7 गाँवों में टेलीग्राम की सुविधा उपलब्ध है। तहसील में 6 गाँव ऐसे है जहाँ पोस्ट ऑफिस एवं टेलीग्राम दोनों सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तहसील के 95 गाँव टेलीफोन सुविधा से जुड़े हुए हैं जिसके अन्तर्गत कुल 1248 घरेलू फोन कनेक्शन हैं। आज संचार क्रान्ति आने के बाद भी तहसील की भौगोलिक स्थिति के कारण संचार व्यवस्था का उचित प्रबन्ध व विस्तार नहीं हो पा रहा है।[24]

परिवहन

तहसील के 97 गाँवों में बस स्टैण्ड नहीं है। यहाँ के लोगों को 10–15 कि.मी. पैदल चलकर बस तक पहुँचना पड़ता है। तहसील के केवल मात्र पाँच गाँवों में ही रेलवे स्टेशन हैं। इन गॉवों में दोनों सुविधाएँ उपलब्ध हैं। तहसील के 101 गाँव सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से भी लगभग 50 प्रतिशत गाँवों में बस अथवा टैक्सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तहसील के 17 गाँव स्टेट हाईवे से जुड़े हुए हैं। परिवहन विकास की मन्द गति के लिए तहसील का भौगोलिक परिदृश्य बहुत सीमा तक जिम्मेदार साबित हुआ है। अतः

आज तहसील में परिवहन विकास एक चिन्ता का विषय बना हुआ है जिसको हल करना समाज एवं सरकार दोनों के लिए एक चुनौती है।

तहसील के 10 गाँवों में वाणिज्यिक बैंक हैं तथा 7 गाँवों में को–ऑपरेटिव बैंक सुविधा उपलब्ध हो रही है। नीमकाथाना तहसील में 22 कृषि सहकारी समितियाँ, एक नान एग्रीकल्चरल सोसायटी तथा तीन अन्य समितियाँ संचालित हो रही हैं जो तहसील के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या अनुपात में बहुत कम हैं। अतः उपरोक्त सभी ज्ञात तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नीमकाथाना तहसील में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है जो समाज के लिए चुनौती तथा सरकार की जिम्मेदारी है।[25]

उद्योग–धन्धे

औद्योगिक दृष्टि से नीमकाथाना क्षेत्र हमेशा से ही अवल्ल रहा है क्योंकि यह क्षेत्र खनिज संसाधनों में धनी रहा है। यहाँ विभिन्न प्रकार की खानों का कार्य संचालित है जिनमें पत्थरों की खुदाई करके विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। नीमकाथाना से 17 कि.मी. द.पू. दिशा में बालेश्वर गाँव के पास घुरसली की ढाणी में सफेद पत्थर की मूर्ति बनाई जाती है जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। नीमकाथाना क्षेत्र में नगरपालिका द्वारा औद्योगिक क्षेत्र भी स्थापित किया गया है। जिनमें पत्थरों को पीसने, कंक्रीट बनाने, सीमेंट बनाने, साबुन बनाने, मिट्टी के बर्तन बनाने तथा चप्पल व जूतों की फैक्ट्री का माल विदेशों में भेजा जाता है। यहाँ सिरोही गाँव में बिनानी सीमेंट फैक्ट्री है जिससे आसपास के इमारतों के लिए सीमेंट उपलब्ध करायी जाती है। पाटन इलाके में अरावली पहाड़ियों में क्रेशरों की भरमार है जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है।[26]

खनिज संसाधन

नीमकाथाना क्षेत्र खनिज संसाधनों में प्राचीन काल से ही समृद्ध है। खेतड़ी–सिंघाना से टोड़ा–दरीबा तक समृद्ध खनिज पदार्थ हैं जिसमें तांबा, पाइराइट, चूना पत्थर, कैल्साइट सहित अनेक खनिज बहुतायत में मिले हैं। सोना, यूरेनियम जैसी बहुमूल्य धातुएँ भी मिली हैं। खनिज आधारित अनेक परियोजनाएँ संचालित हैं। ताम्र के अतिरिक्त यहाँ डाबला की खानों से लोहा भी

मिलता है। खनिज पदार्थो में प्रमुखतः एपेटाइट, फ्लोराइट, पाइराइट, अभ्रक, डोलोमाइट, सेलखड़ी के साथ–साथ इमारती पत्थर भी बहुतायत से मिलता है तथा नीमकाथाना के पाटन इलाके में पत्थरों को निकालने के लिए तथा उनकी रोड़ी बनाने के लिए क्रेशर लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में प्रस्तर चट्टानों के चार प्रकार मिलते हैं–(1) अलवर शैल समूह (2) अजबगढ़ शैल समूह (3) आग्नेय अन्तर्वेधी शैल समूह (4) बालू मिट्टी के टीले। इन्हीं के बीच–बीच में ग्रेनाइट की छोटी–छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं। यह क्षेत्र चूना पत्थर का भण्डार भी है।[27]

पशुधन

तहसील के भौतिक स्वरूप के अनुसार कृषि व्यवसाय के समतुल्य पशुपालन भी अर्थव्यवस्था में विशेष सहयोग प्रदान करता है। अर्द्धशुष्क क्षेत्र निवासी भेड़, बकरियाँ, ऊँट, भैंस, गाय आदि पशुओं को उनकी उदरपूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं। देहाती क्षेत्रों में पशुओं से कृषि कार्यों में सहयोग के कारण इनका विशेष महत्व है। तहसील के उत्तरी पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में पशु घनत्व उच्च तथा तहसील के दक्षिणी भाग में न्यूनतम पशु घनत्व आकलित किया गया है जबकि तहसील के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग में मध्यम पशु घनत्व पाया गया है।[28]

सन्दर्भ

1. राजस्थान, जिला गजेटियरः सीकर, 1988, पृष्ठ 25–28.

2. Sahni Rai Bahadur Dayaram : 1999, " Excavations at Bairat", Publication Scheme, Jaipur. PP 23-24.

3. Kumar Vijay : 1985, "Ganeshwar- Jodhpura Culture: The Antecedents of Copper Age in India, "The Researcher" (A Bulletin of Rajasthan's Archaeology and Museum, Govt. of Rajasthan, Jaipur PP 5-7).

4. शर्मा, डॉ. महावीर प्रसादः 2001, ''तोरावाटी का इतिहास'' लोक भाषा प्रकाशन, कोटपूतली, पृ. 206–210 तथा 216–218.

5. उपरोक्त पृष्ठ 64–65

6. Rajasthan State Gazetteer, Vol. 2 (Gazetteer of India 1995) Directorate, District Gazetteers, Govt. of Rajasthan P.P. 13-16.

7. शर्मा, मुरारी लालः 1997 ''उत्तरी राजस्थान के शैल चित्र, ''पुराकला' Vol. 8,अंक 1&2(The Journal of Rock Art Society of India)पृ. 25–27.

8. गहलोत, जगदीश सिंहः दि हिस्ट्री ऑफ राजपुताना, वोल्यूम–प्रथम पृ. 159.

9. पहाड़ी, रधुनाथ सिंह काली : 2050 वि.सं. ''क्षत्रिय राजवंश'', श्री शार्दूल शेखावटी इतिहास शोध संस्थान, काली पहाड़ी (झुन्झुनूं) पृ. 33–34.

10. स्रोत कार्यालय, सर्वे ऑफ इण्डिया, पश्चिमी वृत कार्यालय, जयपुर

11. सक्सेना, एच. एम, राजस्थान का भूगोल, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2002 पृ. 3

12. उपर्युक्त पृ. 4

13. भल्ला, एल. आर. : राजस्थान का भूगोल, कुलदीप प्रकाशन, अजमेर, 1999 पृ. 6

14. उपर्युक्त पृ. 7

15. शर्मा, एच.एस राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2004 पृ 22

16. सक्सेना, एच. एम. राजस्थान का भूगोल, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,जयपुर,2002 पृ. 17

17. जिला, वन विभाग, सीकर

18. जिला, सांख्यिकी विभाग, सीकर

19. जिला सांख्यिकी रुपरेखा, सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी, सीकर, 2016 पृ. 4–5

20. रपट, जिला परिषद, सीकर, 2014 पृ. 25

21. Kumar Vijay : 1985, "Ganeshwar- Jodhpura Culture: The Antecedents of Copper Age in India, "The Researcher" (A Bulletin of Rajasthan's Archaeology and Museum, Govt. of Rajasthan, Jaipur PP 9-10).

22. कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर

23. कार्यालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर

24. कार्यालय, जिला प्रधान डाकघर, सीकर

25. कार्यालय, जिला परिवहन अधिकारी, सीकर

26. कार्यालय, जिला उघोग, सीकर

27. कार्यालय, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर

28. कार्यालय, पशुपालन विभाग, सीकर

भौगोलिक परिवेश

(ख) क्षेत्र की स्थितिः श्रीमाधोपुर पंचायत समिति

(Location of Study Area: Shrimadhopur Panchayat Samiti)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

श्रीमाधोपुर क्षेत्र सीकर जिले का मशहूर स्थान है। यह पहले नीमकाथाना क्षेत्र के अन्तर्गत आता था। यह दिल्ली–अहदाबाद मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है जो राजस्थान के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से बसा हुआ है तथा अनाज, कपड़ा, गुड़, शक्कर आदि के व्यापार का केन्द्र रहा है। यहाँ का सामान रींगस, अजीतगढ़, खण्डेला, कांवट आदि को जाता है। श्रीमाधोपुर को श्रीमाधोसिंह राजा ने बसाया था जिसके नाम पर ही इसका नाम श्रीमाधोपुर रखा गया। यह क्षेत्र विशेषकर कपड़े के व्यापार के लिए अंगेजों के समय से ही मशहूर है तथा अंग्रेजों के समय से ही यहाँ शिक्षा का प्रचार–प्रसार हुआ है।[1] यह सड़क परिवहन एवं रेलमार्गो से जुड़े होने के कारण यहाँ से व्यापार कांडला बन्दरगाह तथा दिल्ली को होता था। इस क्षेत्र में जाट जाति का वर्चस्व अधिक है। इसलिए यहाँ के सांस्कृतिक दृश्य देखने लायक हैं। यहाँ अनाज मण्डी एवं सब्जी मंडी है जो यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है ।[2]

श्रीमाधोपुर की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 583328 है। यह चारों ओर से अरावली पहाड़ियों व धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों से घिरा हुआ है। यह क्षेत्र कांतली नदी के उद्‌गम क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। यहाँ खण्डेला के गढ़ में अंग्रेजों के समय में सेना व पुलिस मुख्यालय था। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध 'कांतली' नदी के किनारे बसे सलेदीपुरा, कोटड़ी लुहारवास, बड़वाली, कर्णपुरा, नृसिंहपुरी, चौकड़ी आदि स्थानों में पुरातत्व विभाग ने खुदाई कर ऐसे प्रमाण प्राप्त किये हैं।[3] कि इस क्षेत्र में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा–मोहनजोदड़ो से पूर्व की सभ्यता विद्यमान थी। इनसे यह साबित हो चुका है कि यह क्षेत्र पुराने

जमाने के आदिमानव जो सिर्फ जानवरों के शिकार पर निर्भर थे। यहाँ ताम्र युग के भी प्रमाण मिले हैं क्योंकि कांतली नदी में जलयानों के द्वारा तांबे का व्यापार खेतड़ी से कोटड़ी लुहारवास व गुहाला में परिवहन होता था।[4]

श्रीमाधोपुर तहसील का निर्माण सन् 1957 में किया गया, जिसमें खण्डेला, अजीतगढ़, रींगस, पलसाना, कांवट, थोई को सम्मिलित किया गया। यहाँ उद्योग–धन्धे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं क्योंकि तांबे का कार्य बालेश्वर, गुहाला व सलेदीपुरा में होता था और आज यहाँ अनेक उद्योग लगे हुए हैं। यहाँ का प्राकृतिक सौन्दर्य देखने लायक है।[5]

श्रीमाधोपुर की प्राकृतिक दशाएँ गुफाएँ विचित्र हैं क्योंकि इस क्षेत्र में पहाड़ियों पर शैल चित्र और टीले दोनों स्थलाकृतियाँ पायी जाती हैं। यहाँ मां दुर्गा माता, सरस्वती, हनुमान मंदिर, भैरूजी मन्दिर, गोविन्द देवजी का मन्दिर, मनसा माता का मन्दिर आदि धर्म व पर्यटन की दृष्टि से दर्शनीय स्थल हैं। इनको विकसित करने पर भविष्य में पर्यटन के अच्छे केन्द्र बन सकते हैं।[6]

स्थिति एवं विस्तार

श्रीमाधोपुर तहसील राजस्थान राज्य में सीकर जिले के दक्षिण–पूर्वी भाग में समुद्रतल से 503 मीटर ऊँचाई पर स्थित है। तहसील का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 54466.5 हैक्टेयर है। यह $27^0$5′ से $27^0$43′उत्तरी अक्षांश और $75^0$25′ से $75^0$55′ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।[7]

LOCATION MAP OF THE STUDY MAP

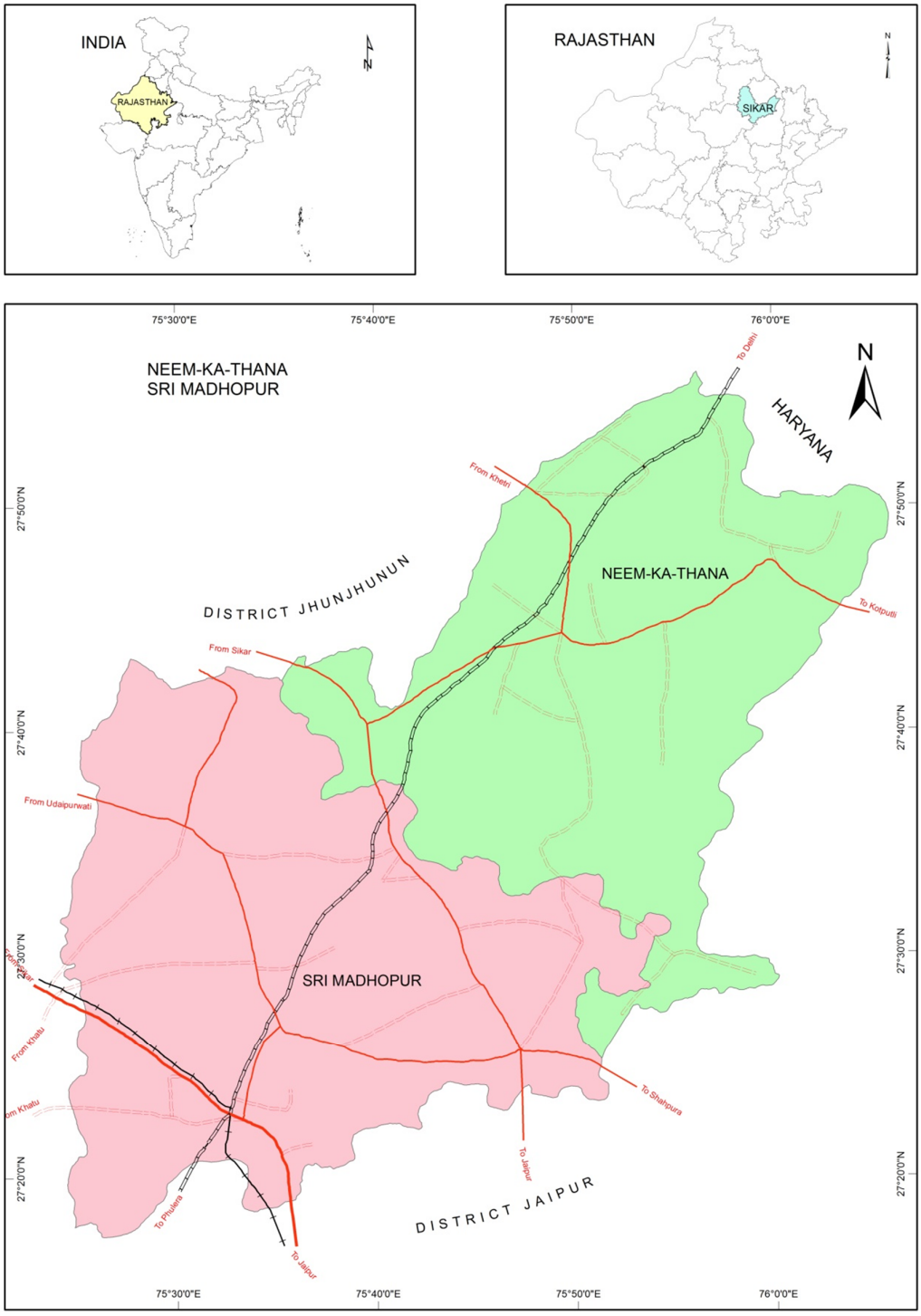

भूगर्भिक संरचना

इस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना बहुत जटिल है। इनका अलग–अलग विभाजन करना बड़ा कठिन है। फिर भी इन्हे चट्टानी बनावट व धरातल के आधार पर कई समूहों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों में जिन चट्टानों की खोज हुई है, उन्हें दो वर्गों– अलवर और अजबगढ़ ग्रुपों में वर्गीकृत किया गया है। श्रीमाधोपुर तहसील में जो आज भू–भाग सम्मिलित हैं उसके अधिकांश भाग में ऐसे चिन्ह मिलते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि कभी तूफान ने इस क्षेत्र को धोया था, जिसके संकेत चारों और दिखाई देने वाली मिट्टी की परतों के रूप में देखे जा सकते हैं। यह क्षेत्र पहाड़ी व अर्द्ध शुष्क भाग है। तहसील का अर्द्धशुष्क भाग 'टेथिस' सागर का अवशेष माना जाता है। जो कालान्तर में नदियों द्वारा लायी गयी तलछट के द्वारा ढ़क दिया गया है। कालान्तर में भूगर्भिक हलचलों के कारण सरिताओं से आच्छादित यह भाग जल–विहीन होकर वीरान मरूभूमि में परिवर्तित हो गया। इन्हीं परिस्थितियों की चपेट के कारण यह तहसील अर्द्धशुष्क प्रदेश के अन्तर्गत आती है।[8]

इस तहसील के क्षेत्र में चट्टानें पूर्ण रूप से देहली समुदाय की मध्य तलछटीय किस्म की हैं। देहली समुदाय की चट्टानें अलवर व अजबगढ़ शैल समूहों में विभाजित की गयी हैं।

सारणी 5.3

युग/आयु	शैल समूह	वर्णन/पत्थर विज्ञान
पोस्ट देहली	अन्तर्वेधी	• बहाव रेत, मृदा और • ग्रेनाइट • ऐम्फिबोलाइट
प्रोटेरोजोइक	देहली सुपर ग्रुप अजबगढ़ ग्रुप	• फ्लिट्स, कार्बन फिलिट्स और इन्टरबेडेड • बायोटाइट शिस्ट, फ्लिट्स, शैले मार्बल और माइनर क्वार्टजाइट • सकोणाश्म लोहामय क्वार्टजाइट • चुना पत्थर, कैल्शियम कैल्शियम शिस्ट।
	अलवर ग्रुप	• भारी क्वार्टजाइट, कंकरीला एम्फिबोलाइट, क्वार्टजाइट शिस्ट ओर फ्लिट्स के साथ माइनर क्वार्टजाइट • फेल्सपार क्वार्टजाइट
आर्केन्स	भीलवाड़ा–सुपर ग्रुप	• असमबिन्यासी, ग्रेनाइट, पट्टिलाश्म और शिस्ट (आवरण के अन्दर)

Source: Structure of India by Majid Husain

अलवर शैल समूह

इन शैल समूहों का विशिष्ट लक्षण यह है कि मध्यतलछटीय क्रम की इन बालुकामय चट्टानों में अधिकांशतः विभिन्न तरह के स्फटिक प्रकार हैं व कुछ अल्प मात्रा में चिकनी मृत्तिका चट्टानें भी हैं। चूनेदार चट्टानें इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में खेतड़ी तांबा पट्टी के साथ दक्षिणी–मध्य से उत्तरी क्षेत्र में सलेदीपुरा खण्डेला तक दिखाई देती हैं। उत्तरी–पूर्वी भाग में यह शैल समूह चीपलाटा से दक्षिण भाग में अजीतगढ़ तक दिखाई देता हैं तथा इनकी चौड़ाई 18 कि.मी. है। ये शैल वलित अनुक्रम में पायी जाती हैं।

अजबगढ़ शैल समूह

यह शैल अलवर शैल समूह की तुलना में अधिक चूना युक्त होता है। चट्टानों की मुख्य किस्में संगमरमर, चूना, पोटेशियम, चूना–पत्थर, फ्लिट्स, अभ्रक, शिष्ट आदि होती हैं। चट्टानों की जो किस्में खण्डेला व प्रीतमपुरी की पहाड़ी के किनारे दिखाई देती हैं, इनमें प्रमुख रूप से भूरी नर्म स्फटिक अभ्रक स्तरित है जिनमें गौण मात्रा में स्फटिकमयी व अभ्रक स्तरित चट्टानों का समावेश भी मिलता है।[9]

उच्चावच

श्रीमाधोपुर तहसील में अरावली की छोटी–छोटी पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। जो तहसील के पूर्वी व पश्चिमी भागों को घेरे हुए हैं तथा इसी के साथ रेत के टीले भी चारों ओर विस्तृत फैले हैं तथा इनका फैलाव तेज गति से हो रहा है। अरावली की पहाड़ियाँ, खण्डेला की पहाड़ियाँ, अजीतगढ़, कोटड़ी लुहारवास, रामपुरा की पहाड़ियाँ, सांपों की ढ़ाणी, गोपी की ढ़ाणी, बालवाड़ की पहाड़ियाँ कांवट की पहाड़ियाँ आदि के बीच छित्तरे हुए रूप में हमें देखने को मिलती हैं। साथ ही प्रीतमपुरी, इन पहाड़ियों की श्रृंखला में प्रीतमपुरीझील अवस्थित है जो सिचांई के लिए विशेष प्रसिद्ध है। थोई, रामपुरा, गढकनेत, पलसाना, उदयपुरा आदि क्षेत्र टीलों के लिए जाने जाते हैं जबकि जालपाली, बरकड़ा, तिवाड़ी का बास, भोपालपुरा, गुमानसिंहपुरा इत्यादि क्षेत्रों में पठारी भूमि देखने को मिलती है।

भौगोलिक दृष्टि से तहसील को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता हैः–

1. दक्षिणी पश्चिमी वन उत्तरीपूर्वी पहाड़ी भाग
2. पठारी व मैदानी भाग
3. अर्द्ध–शुष्क मरूस्थलीय भाग

1. दक्षिणी पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी पहाड़ी भाग

तहसील की पहाड़ियाँ अरावली श्रृंखलाओं का एक भाग हैं। इसकी शाखाएँ तहसील के दक्षिणी पश्चिमी व उत्तरी पूर्वी भाग में फैली हैं। श्रीमाधोपुर

में पायी जाने वाली वाली पहाड़ियों को स्थानीय रूप से **''मालखेत व 'भैरू बाबा की पहाड़ियाँ' व 'खण्डेला की पहाड़ियों' के नाम** से जाना जाता है। इन पहाड़ियों में कुछ मात्रा में छोटी–मोटी वनस्पति व घास देखने को मिलती है। इनमें पशुपालन किया जाता है। इन पहाड़ियों की समुद्रतल से ऊँचाई 817 मीटर है। इन पहाड़ियों में मुख्य रूप से खण्डेला की पहाड़ियाँ, कोटड़ी लुहारवास, अजीतगढ़, बालवाड़, प्रीतमपुरी, की पहाड़ियाँ विशेष प्रसिद्ध हैं जिनसे खनन कार्य भी होता है।[10]

2. पठारी मैदानी भाग

तहसील में पठारी भू–भाग नाममात्र के भू–भाग पर ही है तथा मैदानी भाग नदियों के बहाव क्षेत्र में खादर मिट्टी के जमा करते रहने से बनता है तथा यह भाग कृषि की दृष्टि से उपजाऊ होता है। इसका ढाल 7 से 15 मी. प्रति कि.मी. तक देखा गया है तथा विभिन्न प्रकार के फसल उत्पादन में इसी भाग का योगदान है।

3. अर्द्ध शुष्क मरूस्थलीय भाग

तहसील का यह क्षेत्र प्राचीन काल में नदियों का प्रवाह क्षेत्र था लेकिन भूगर्भिक हलचलों के कारण यह भाग अर्द्ध–शुष्क भूमि में परिवर्तित हो गया। कालान्तर में इसका द.प. भाग व मध्य भाग मरूस्थलीय भाग में परिवर्तित हो गया। इसके अन्तर्गत थोई, झाड़ली, कांवट, घसीपुरा, कल्याणपुरा, प्रीतमपुरी, पलसाना, जालपाली, उदयपुरा, जोरावर नगर, कचेरा इत्यादि गाँवों में यह मरूस्थलीय टीले देखे जा सकते हैं।

जलवायु

श्रीमाधोपुर तहसील की जलवायु ग्रीष्मकाल में गर्म एवं कम वर्षा वाली तथा शीतकाल ठण्डा एवं सामान्य शुष्कता वाला और अल्पकालीन मानसून वाला है। तहसील में नवम्बर से फरवरी के मध्य शीतकाल तथा मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु तथा जून से सितम्बर तक वर्षा ऋतु होती है। आर्द्रता की मात्रा कम पायी जाती है तथा इस क्षेत्र में **गर्म हवाएँ चलने के कारण उन्हें 'लू' के नाम** से

जाना जाता है जो तापमान को बढ़ा देती हैं। अतः हम सकते हैं कि तहसील अर्द्धशुष्क प्रदेश में स्थित है।[11]

मिट्टियाँ

कृषि की दृष्टि से मिट्टी का विशेष महत्व है। मिट्टी के निर्माण में तापमान, वर्षा, वनस्पति, ऊँचाई, स्थलाकृति आदि तत्व सहयोग करते हैं। मिट्टी में पानी के आगमन से मिट्टी अपरदन प्रभावित होता है। सामान्य रूप से मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्व पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा, पी.एच. आदि सभी कृषि उत्पादन को प्रभावित करते हैं।

सारणी–5.4

मिट्टियों की रासायनिक संरचना

निम्न	मध्यम	उच्च
नाइट्रोजन 0.210 पौंड एकड़	210–400 पौंड एकड़	400 पौंड से अधिक
आरगेनिक कार्बन 0.25	.25– .50 प्रतिशत	.50 प्रतिशत से अधिक
फास्फोरस 22 पौंड	22–25 पौंड	.50 से अधिक
पोटाश 102 पौंड एकड़	102 से 260 पौंड	260 पौंड से अधिक

स्रोतः मृदा सर्वे विभाग, सीकर

मिट्टियों के विभाजन के आधार पर श्रीमाधोपुर तहसील क्षेत्र की मिट्टियों को निम्न भागों बांटा जा सकता हैः–

चौंमू दून एसोसिएसन (बलुई दोमट मिट्टी)

यह मिट्टी कछारी मिट्टी की तुलना में कम महत्वपूर्ण व कम उपजाऊ होती है। यह सिंचाई के साधनों पर आधारित होती है। इसका रंग हल्का पीला भूरा या गहरा पीला–भूरा होता है। इस मिट्टीमें बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, गेहूँ, जौ, चना सरसों आदि उगाये जाते हैं। यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम भाग में अधिक पायी जाती है।

बस्सी राजौरी एसोसिएशन (कछारी मिट्टी)

इस प्रकार की मिट्टी गहरी जालीनुमा, पीली–भूरी या गहरे रंग की होती है। इसमें पोटाश, फास्फोरस चूना और कार्बन की कमी होती है। कुछ भागों में कंकड़ भी इस मिट्टी में पाये जाते हैं। कृषि की दृष्टि से नदियों द्वारा लायी गई मिट्टी उपजाऊ होती है। यह मिट्टी तहसील के उत्तरी–पूर्वी एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पायी जाती है।

काली व बलुई मिश्रित मिट्टी

यहमिट्टी श्रीमाधोपुर तहसील के कुछ क्षेत्र में पायी जाती है जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें उत्पादन अधिक होता है तथा कुओं से सिंचाई करके फसल उत्पादित की जाती है। यह मिट्टी व्यापारिक फसलों के लिए अधिक महत्त्व रखती है। तहसील के उत्तरी भाग में विशेष रूप से पायी जाती है।

पहाड़ी मिट्टी

श्रीमाधोपुर तहसील में अरावली पहाड़ी की श्रृंखला पायी जाती है। इनके आस–पास पहाड़ियों की तलहटी में यह मिट्टी पायी जाती है जो तहसील के पूर्वी व पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से पायी जाती है। जो नदियों के द्वारा लायी गयी कांप द्वारा उपजाऊ तो है लेकिन उसमें कंकड़–पत्थर अधिक होने के कारण उसमें कृषि बहुत ही कम मात्रा में हो पाती है।

बलुई मिट्टी

इस तहसील मे ऐसी मिट्टी बहुतायत से मिलती हैं इस मिट्टी के कण मोटे होने के कारण कृषि में बार–बार सिंचाई करनी पड़ती है। इसमें मुख्यतः मूंगफली, बाजरा, गेहूँ एवं सब्जियाँ उत्पादित की जाती हैं। यह तहसील के दक्षिण पश्चिम और उ0पू0 में पायी जाती है तथा पवनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका विस्तार हो रहा है जो कृषि के लिए नुकसान दायक है।[12]

अपवाह तंत्र

नदियाँ

इस क्षेत्र में अपवाह तंत्र अरावली की पहाड़ियों में देखने को मिलता है। भूगर्भिक संरचना, अरावली श्रेणी की शाखाएँ, मरुभूमि व वनस्पति की अवस्थिति ने तहसील की अपवाह प्रणाली को अत्यधिक प्रभावित किया है। क्षेत्र की अपवाह प्रणाली में प्राचीन समय से आज तक अनेक परिवर्तन हुये हैं। इस तहसील में वर्षा की सीमित मात्रा के कारण अपवाह प्रणाली मौसमी एवं विच्छिन्न लघु नदी–नालों से आच्छादित है। सामान्यतः तेज वर्षा होने पर क्षेत्र में मध्यवर्ती अरावली श्रृंखला की पहाड़ियों से छोटे–छोटे नदी नालों का आविर्भाव होता है।

श्रीमाधोपुर तहसील में **कांतली नदी का उद्‌गम स्थान खण्डेला की पहाड़ियों** से है तथा इसकी सहायक नदियों में सलेदीपुरा, कोटड़ी, नाहरवाड़ी, तिवाड़ी, केरपुरा, डोगरी, बड़वाली, कांवट नदी इत्यादि सहायक नदियाँ बहती हैं। ये सभी नदियाँ मौसमी हैं, जो वर्षा के समय ही बहती हैं। यहाँ नदियों का कपाट संकड़ा और पहाड़ी है। इन नदियों के किनारे सर्पाकार कटाव के हैं तथा इनमें अवनलिका अपरदन भी देखने को मिलता है। यह नदी खण्डेला की पहाड़ियों से निकलकर सीकर और झुन्झुनूँ के 2570 वर्ग कि.मी. भू–भाग पर बहकर झुन्झुनूँ व चूरू जिले की सीमा में समाप्त हो जाती है।

झीलें व तालाब

श्रीमाधोपुर तहसील में प्रीतमपुरी झील प्राकृतिक झील है। यह सिंचाई व प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ अरावली पहाड़ियों का पानी एकत्र हो जाता है तथा उनसे वर्षा के अभाव में सिंचाई भी की जाती है। यहाँ एक तालाब भी है जिसमें मछली पालन किया जाता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में अनेक छोटे–छोटे तालाब व एनीकट लगे हुए हैं जिनमें वर्षा का पानी एकत्र हो जाता है और भू–जल स्तर में वृद्धि होती है।

जोहड़

यहाँ अरावली पहाड़ियों की तलहटी में पानी भर जाता है जिसमें पशुओं को पानी पिलाया जाता है एवं साथ ही स्नान व मछली पालन भी किया जाता

है। ये प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है तथा इनसे कभी–कभी वर्षा के अभाव में खेतों में सिचांई की जाती है।[13]

वनस्पति

वन हमारे जीवन के आवश्यक अभिन्न अंग है। वनों से आच्छादित क्षेत्र में जलवायु का पर्यावरण रक्षा तथा मिट्टी की उर्वरता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। वन किसी भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण के लिए आावश्यक होते हैं। श्रीमाधोपुर जैसी तहसील के लिए वनों का महत्त्व अधिक है क्योंकि थार मरूस्थल का विस्तार सीकर जिले में बढ़ता जा रहा है। श्रीमाधोपुर तहसील में 22716 हैक्टेयर भू–भाग पर वन फैले हुए हैं। तहसील के पश्चिमी भाग व पूर्वी भाग पर अधिक वन तथा दक्षिणी भाग पर कम वन देखने को मिलते हैं। तहसील में वन वृद्धि हेतु राज्य सरकार, वन–विभाग, स्वयं सेवी संस्थाएँ एवं अरावली विकास परियोजना के द्वारा कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।[14]

जनसंख्या

श्रीमाधोपुर तहसील की जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, जाति, धर्म, व्यावसायिक स्थिति, सामाजिक मान्यताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों से प्रभावित होती है। इसके अलावा आर्थिक विकास में सबसे अधिक योगदान मानव संसाधन का है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर मानव आर्थिक विकास करता है। जनसंख्या में श्रम, पूंजी, कार्यक्षमता, साक्षरता, स्वास्थ्य आदि सभी तथ्य मानव शक्ति के रूप में प्रभाव दिखाते हैं। श्रीमाधोपुर तहसील की जनसंख्या का कृषि के सन्दर्भ में अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि क्षेत्र की 66.32 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। इसलिए उस क्षेत्र के कृषि व्यवसाय के लिए अध्ययन करना आवश्यक है।

जनसंख्या वितरण

श्रीमाधोपुर तहसील की जनसंख्या का वितरण असमान है। तहसील में कहीं पर बहुत अधिक जनसंख्या घनत्व है तो कहीं पर विरल जनसंख्या पायी जाती है। इसका प्रमुख कारण तहसील का भौतिक पर्यावरण, आर्थिक विकास एवं कृषि क्षेत्र में भिन्नताएँ हैं।

जनगणना 2011 के आधार पर तहसील की कुल जनसंख्या 583328 व्यक्ति है जो 54466.5 हैक्टेयर क्षेत्र पर निवास करते हैं। तहसील की जनसंख्या सीकर जिले की कुल जनसंख्या का 21.78 प्रतिशत भाग है। तहसील की कुल जनसंख्या का भाग मध्यवर्ती भाग में अधिक तथा उ.प. भाग में कम है।

जनसंख्या वृद्धि

श्रीमाधोपुर तहसील में जनसंख्या की वृद्धि एवं विकास भी राज्य के अन्य भागों की तरह तीव्र गति से होरही है। इस तहसील में जनगणना 2001 से 2011 में 13.08 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि जिले में वृद्धि 17.03 प्रतिशत परिलक्षित की गयी है। तहसील में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि उत्तर–पूर्वी भाग में और मध्यम जनसंख्या वृद्धि दक्षिणी पूर्वी भाग में तथा सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दक्षिण–पश्चिम भाग में आकलित की गयी है।[15]

जनसंख्या घनत्व

श्रीमाधोपुर तहसील की अधिकांश जनसंख्या कृषि व उनसे सम्बन्धित कार्यों पर निर्भर है। इसका धरातल अधिकतर समतल एवं जलापूर्ति होने के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व पर जलवायु, उच्चावच, वर्षा वितरण, जल सुविधा आदि का भी प्रभाव पड़ता है।

श्रीमाधोपुर तहसील का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 105 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. आकलित किया गया है जबकि सीकर जिले में यह अनुपात 346 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. परिलक्षित हुआ है। तहसील के दक्षिण–पश्चिम भाग में अधिक घनत्व, तथा उत्तरी–पूर्वी भाग में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है।

लिंगानुपात

लिंगानुपात क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है जिसकी जनसंख्या विश्लेषण में प्रमुख भूमिका है। जनसंख्या के लिंगानुपात में यह देखा जाता है कि प्रति हजार पुरूषों के पीछे कितनी महिलाएँ हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष के पुरूष एवं महिला अनुपात को दर्शाता है।

जनगणना 2011 में श्रीमाधोपुर तहसील की **कुल जनसंख्या 583328** है जिनमें पुरूषों की संख्या 301263 एवं महिलाओं की संख्या 286065 रही है। तहसील स्तर पर **लिंगानुपात 936** है जबकि सीकर जिले का लिंगानुपात 947 पाया गया है। इसके अलावा तहसील स्तर पर 0–6 वर्ष के आयु वर्ग का लिंगानुपात 845 आंकलित किया गया है।[16]

साक्षरता

साक्षरता व्यक्ति की सामाजिक व आर्थिक उन्नति का सूचक है। साक्षरता की दृष्टि से श्रीमाधोपुर तहसील में भी पिछड़ापन देखने को मिलता है। जनगणना 2011 में तहसील की **साक्षरता 62.08 प्रतिशत** है कुल जनसंख्या में से 3,62,140 व्यक्ति साक्षर हैं जिनमें साक्षर पुरूष 221163 हैं जो कुल पुरूषों के 73. 41 प्रतिशत है तथा साक्षर महिलाएँ 140977 जो कुल महिलाओं की 49.28 प्रतिशत हैं अर्थात् तहसील में महिला साक्षरता कम पायी गयी है जबकि सीकर जिले की साक्षरता 71.91 प्रतिशत रही है।[17]

कला व संस्कृति

श्रीमाधोपुर क्षेत्र में कला व सांस्कृतिक तौर से समृद्ध परम्परा प्राचीनकाल से ही चली आ रही है। इस क्षेत्र में श्रीमाधोपुर में अति सुन्दर भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं तथा गढ़ी जुगलपुरा में मूर्ति बनायी जाती है । अजीतगढ़ में राजाओं के शिकार के दृश्यों का चित्रांकन भी हुआ है। रींगस में विभिन्न धार्मिक स्थलों के चिन्ह विराजमान हैं। तथा वहाँ का भैरूजी का मंदिर विशेष प्रसिद्ध है जिस पर विभिन्न प्रकार की कलाकृति की गयी, जो देखने लायक है। खण्डेला का गढ़ तोपखान के लिए जाना जाता है तथा यहाँ मुस्लिम जाति का बाहुल्य होने के कारण अनेक मस्जिदें है जो बहुत ही कला–कृतियों से सुसज्जित हैं। औरतें धाधरा–लूगड़ी व सूट पहनती हैं तथा पुरूष धोती, कमीज, व चोगे तथा आधुनिक लोग जींस पेन्ट शर्ट पहनते हैं। आजकल इस फैशन की दुनिया में हर व्यक्ति शरीक होते हैं।

प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति

प्राचीन सभ्यता मानव सभ्यता का प्रारम्भिक चरण है। प्रागैतिहासिक युग में मानव ने यहां कांतली नदी के किनारे कोटड़ी ग्राम से तांबे के उपकरण प्राप्त किए हैं यह नदी घाटी इन उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहॉ से 5 कि.मी. दूर सलेदीपुरा से पाइराइट खनिज निकलता है इस नदी घाटी सभ्यता में कोटड़ी, लुहारवास, लालाका की ढ़ाणी, पुरा की ढ़ाणी, भोजाकी ढ़ाणी, बरकड़ा तिवाड़ी का बास के कुछ क्षेत्र व गुमान सिंह की ढ़ाणी से भी मध्यपुरा–पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र के नाहरवाड़ी, हुल्डा का बास, कांवट, भादवाड़ी, झुगलपुरा आदि में चित्रित शैलाश्रय भी मिलते हैं।[18]

कांतली नदी का उद्‌गम स्थल होने के कारण यहाँ प्राचीन सभ्यताओं का जन्म हुआ तथा इसी नदी घाटी में खेतड़ी से कोटड़ी–खण्डेला तक ताम्र उपकरणों का व्यापार होता था। यहाँ के स्थानीय व्यक्ति इसमें रोजगार करते थे। यह संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी। कोटड़ी–लुहारवास से अनेक ताम्र कुल्हाड़ियाँ, मछली पकड़ने के कांटे इत्यादि प्राप्त हुए हैं, जो कालीबंगा संस्कृति से समानता रखते हैं। गणेश्वर सभ्यता के समान ही इस सभ्यता को 'ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तथा यहॉ लाल व धूसर रंग की मृदपात्र संस्कृति के पात्र भी मिले हैं।

ऐतिहासिक स्थल एवं धार्मिक स्थल

श्रीमाधोपुर के ऐतिहासिक स्थल विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, जिनमें मुख्य रूप से अजीतगढ़ का किला, खण्डेला का गढ़, कोटड़ी का गढ़, लालगढ़, थोई का गढ़, कल्याणपुरा का गढ़, रींगस का गढ़ तथा श्रीमाधोपुर में मॉ दुर्गा का मंदिर, शिव, हनुमान मंदिर, श्री भौमिया जी, गोविन्ददास जी, जयरामदास जी, मनसा माता, माताजी का मंदिर, महन्त महादेव मंदिर, मन्ना बाबा का मंदिर, करणीमाता का मंदिर, गोविन्द देव जी, देवनारायण जी, कोटड़ी में सत्ती सावित्री माता मंदिर, सरस्वती माता मंदिर, सलेदीपुरा का मंदिर, खण्डेला की छतरियाँ, खण्डेला की मस्जिद, कांवट का गढ़ इत्यादि हैं।[19]

मूलभूत सुविधाएँ

श्रीमाधोपुर तहसील में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं में शिक्षा सुविधा के अन्तर्गत तहसील की प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी तथा कॉलेजों का विवरण दिया जा रहा है। तहसील के कुल 230 गाँवों में से 217 गाँवों में 289 प्राइमरी स्कूलें हैं जबकि 13 गाँव आज भी शिक्षा से वंचित हैं। 124 गाँवों में 132 मिडिल स्कूल हैं, 48 गाँवों में 42सैकण्डरी स्कूलें तथा 38 सीनियर स्कूलें हैं। तहसील स्तर पर चार महाविद्यालय हैं जिनमें एक प्रशिक्षण महाविद्यालय है।

तहसील में विभिन्न शिक्षा केन्द्र चलाये जा रहे है। जिनमें प्रौढ़ शिक्षा केंन्द्र 33 गाँवों में संचालित किये जा रहे हैं इनके अलावा 136 गाँवों में 172 निजी शिक्षण संस्थान संचालित किये जा रहे है लेकिन उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के लिए छात्र–छात्राओं को जयपुर शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। शिक्षा का क्षेत्र धीरे–धीरे प्रगति पर है। तहसील में लगभग 22000 मोबाइल फोन वर्तमान में संचालित हैं।[20]

परिवहन

तहसील के 78 गाँवों में बस स्टैण्ड नहीं है। यहाँ के लोगों को आवागमन के साधनों के अभाव के कारण 7–12 कि.मी. तक पैदल चलकर बस तक पहुँचना होता है। तहसील के 7 गाँवों में रेल्वे स्टेशन है। इस तहसील के 129 गाँव सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं लेकिन वहाँ पर बस, टैक्सी व अन्य यातायात के साधन उपलब्ध नहीं है तथा 7 गाँव नेशनल हाइवे एन.एच.11 से जुड़े हुए है। अतः हम यह कह सकते है कि तहसील में परिवहन सुविधा एक चिन्ता का विषय है तथा अधिक से अधिक यातायात सुलभ कराने के लिए सरकार व जनता दोनों का सहयोग आवश्यक है।[21]

बैंक

तहसील के गाँव आज भी वाणिज्यिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। यहाँ के 7 गावों में वाणिज्यिक बैंक हैं तथा 32 कृषि सहकारी समितियाँ, तथा दो अन्य समितियाँ संचालित की जा रही हैं जो तहसील के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या

अनुपात में बहुत ही कम हैं। अतः हम कह सकते हैं कि श्रीमाधोपुर तहसील हर क्षेत्र में पिछड़ी हुई है।[22]

चिकित्सा सुविधाएँ

श्रीमाधोपुर तहसील चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। यहाँ तहसील में केवल नौ चिकित्सालय हैं जिनमें आयुर्वेद व अन्य चिकित्सा सेवाऐं भी सम्मिलित हैं। तहसील के लगभग 34 गाँवों में डिस्पेन्सरी है। 6 मातृ व शिशु कल्याण संस्थाएँ संचालित हैं। तहसील के 63 गाँव आज भी प्राथमिक चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं। केवल 73 गाँवों में 68 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। श्रीमाधोपुर में 38 डॉक्टर प्राइवेट अभ्यास करते हैं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकताओं की संख्या 32 है। इनके साथ ही तहसील में 4 पशु औषधालय एवं 9 ए.एच.सी. भी स्थापित हैं। यहाँ की चिकित्सा सुविधा क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं है।[23]

डाकघर

तहसील के 47 गाँवों में पोस्ट ऑफिस है तथा 9 गाँव ऐसे हैं जिनके संचार क्रांति से सम्पर्क अच्छे हैं। तहसील के 64 गाँव टेलीफोन सुविधा से जुड़े होने के कारण यहाँ केवल अब 247 घरेलू फोन कनेक्शन हैं क्योंकि आज संचार क्रांति आने के कारण हर घर में मोबाइल फोन का इस्तेमाल हो रहा है।[24]

खनिज संसाधन व औद्योगिक क्षेत्र

श्रीमाधोपुर तहसील औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है क्योंकि यहाँ के लोग अधिकतर कृषि पर निर्भर हैं लेकिन कृषि करने के लिए यहाँ पर्याप्त पानी नहीं है। इसलिए यहाँ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र में खनिज भंडारों में पाइराइट खनिज बहुतायत से निकाला जाता है जिनकी प्रमुख खानों में सलेदीपुरा व केयरपुरा की खानें प्रसिद्ध हैं तथा इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पत्थर भी निकाले जाते है जिनमें मुख्य रूप से बसादेव की खानें, कोटड़ी लुहारवास की खानें, अजीतगढ़ की खानें इत्यादि है इनके अलावा यहाँ ईंट–भट्टों का उद्योग भी प्रगति पर है। खण्डेला शहर में प्राचीन काल से आज

तक गोटे का कार्य बड़ी बारीकी से किया जाता है जो भारत में विशेष प्रसिद्ध है। श्रीमाधोपुर शहर में सड़क और रेलवे दोनों परिवहन होने के कारण यहाँ उद्योग–धन्धे स्थापित किये जा रहे हैं तथा दिल्ली से मुम्बई तक रेलवे कॉरीडोर बनाया जा रहा है जिससे यातायात सुगम होने के कारण यहाँ से व्यापार भी किया जा रहा है।[25] यहाँ नगरपालिका क्षेत्र में अनाज मंडी व सब्जी मंडी भी है जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

पशुधन

तहसील के भौतिक स्वरूप के आधार पर कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी किया जाता है। यहाँ की जलवायु अर्द्धशुष्क होने के कारण व्यापारिक पशुपालन भी किया जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियाँ चारागाह के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए यहाँ मुख्यतः भेड़, बकरी, ऊँट, भैंस, गाय आदि पशुओं को दूध व मांस तथा चमड़े के लिए पाला जाता है तथा कृषि कार्यों में भी सहयोग मिलता है।[26] तहसील के पश्चिमी भाग में पशु घनत्व अधिक तथा उत्तरी व दक्षिणी भाग में कम पाया जाता है।

सन्दर्भ

1. राजस्थान, जिला गजेटियर सीकर, 1988, पृष्ठ 25–28.
2- Sahni Rai Bahadur Dayaram : 1999, " Excavations at Bairat", Publication Scheme, Jaipur. PP 23-24.
3- Vijay Kumar : 1985, "Ganeshwar- Jodhpura Culture: The Antecedents of Copper Age in India, "The Researcher" (A Bulletin of Rajasthan's Archaeology and Museum, Govt. of Rajasthan, Jaipur PP 5-8).
4. शर्मा, डॉ. महावीर प्रसादः 2001, ''तोरावाटी का इतिहास'' लोक भाषा प्रकाशन, कोटपूतली, पृ. 206–207 तथा 216–218.
5. उपरोक्त पृष्ठ 64–65
6. Rajasthan State Gazetteer, Vol. 2 (Gazetteer of India 1995) Directorate, District Gazetteers, Govt. of Rajasthan P.P. 13-15.
7. शर्मा, मुरारी लालः 1997 ''उत्तरी राजस्थान के शैल चित्र,'' 'पुराकला' Vol. 8,अंक 1&2 (The Journal of Rock Art Society of India) पृ. 25–28.
8. सक्सेना, एच. एम. : राजस्थान का भूगोल, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2002 पृ. 3
9. उपर्युक्त पृ. 4
10. भल्ला, एल. आर. : राजस्थान का भूगोल, कुलदीप प्रकाशन, अजमेर, 1999 पृ. 6
11. उपर्युक्त पृ. 7
12. शर्मा, एच. एस. : राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2004 पृ. 22

13. सक्सेना, एच. एम. : राजस्थान का भूगोल, हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2002 पृ. 17

14. जिला, वन विभाग, सीकर

15. जिला, सांख्यिकी विभाग, सीकर

16. जिला सांख्यिकी रुपरेखा, सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी, सीकर, 2016 पृ. 4, 5

17. रपट, जिला परिषद, सीकर, 2014 पृ. 25

18- Kumar Vijay: 1985, "Ganeshwar- Jodhpura Culture: The Antecedents of Copper Age in India, "The Researcher" (A Bulletin of Rajasthan's Archaeology and Museum, Govt. of Rajasthan, Jaipur PP 8-9).

19. उपर्युक्त पृ. 16, 17

20. कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर

21. कार्यालय, जिला परिवहन अधिकारी, सीकर

22. कार्यालय, जिला बैंक अधिकारी, सीकर

23. कार्यालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर

24. कार्यालय, जिला प्रधान डाकघर, सीकर

25. कार्यालय, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर

26. कार्यालय, पशुपालन विभाग, सीकर

षष्ठम अध्याय

विकास योजनाएँ व जनसहभागिता एक अनुभवमूलक अध्ययन

ग्रामीण विकास में पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता के वास्तविक स्वरूप के आकलन के लिए क्षेत्र में अनुभव तक सम्पन्न किया गया है जिसमें चयनित सीकर जिले की नीमकाथाना और श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों की क्रमशः 5–5 ग्राम पंचायतों से उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। इसके लिए एक प्रश्नावली तैयार की गयी। अध्ययन हेतु चयनित जिले की नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायतों में से लगभग 40 से 50 उत्तरदाताओं का चयन किया गया। इस प्रकार चयनित पंचायत समितियों के ग्राम पंचायतों में से कुल 250 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है। जिसमें सामान्य वर्ग, कार्मिक वर्ग तथा जनप्रतिनिधि वर्ग को लिया गया है। यह प्रयास किया गया है, कि अध्ययन के लिए यथासम्भव सभी के दृष्टिकोणों का संकलन किया जाये। प्रश्नावली में शामिल सभी बिन्दुओं की क्षेत्र में उत्तदाताओं की चेतना के सामान्य स्तर, योजनाओं के संबन्ध में जानकारी के स्तर, उनके संदर्भ में अनुभव, योजनाओं के संचालन, क्रियान्वयन व उनके दृष्टिकोणों तथा इस संबन्ध में उपस्थित होने वाली समस्याओं के विषय में उनके दृष्टिकोण तथा उनके आकलन को शामिल किया गया।

ग्राम पंचायत संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं से सम्बन्धित जन सामान्य वर्ग, कार्मिक वर्ग निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का वर्ग है जो योजना से लाभान्वित है।

पुरूष एवं महिला दोनों को उत्तरदाताओं के इस अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। उत्तरदाताओं में पुरूष 72.33 प्रतिशत जबकि महिला 27.67 प्रतिशत है। संकोच की प्रवृति होने के कारण महिलाओं की संख्या कम है इस में सभी आयुवर्ग को शामिल किया है।

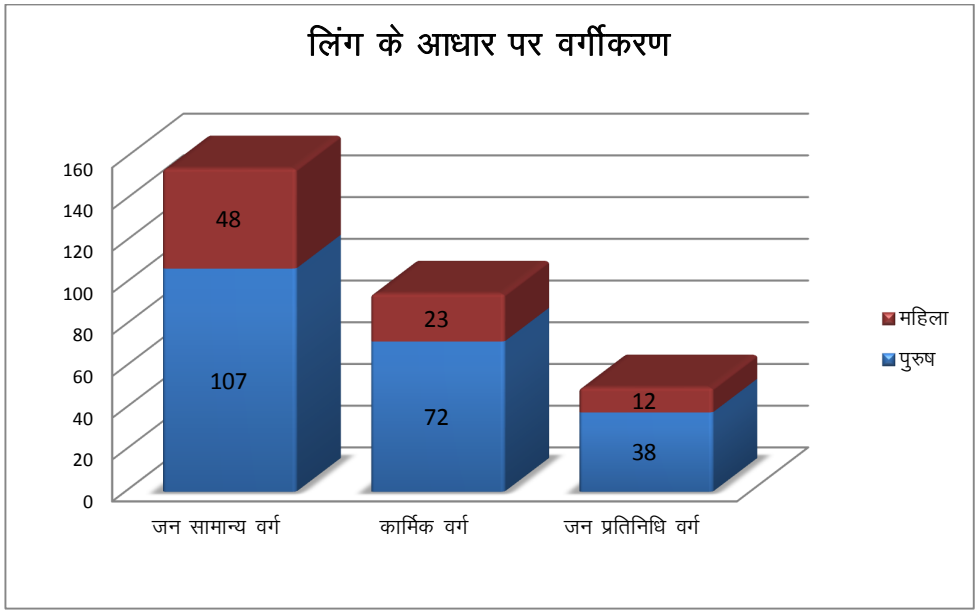
लिंग के आधार पर वर्गीकरण
160
140
120
100
80
60
40
20
0
48
107
23
72
12
38
जन सामान्य वर्ग
कार्मिक वर्ग
जन प्रतिनिधि वर्ग
महिला
पुरुष

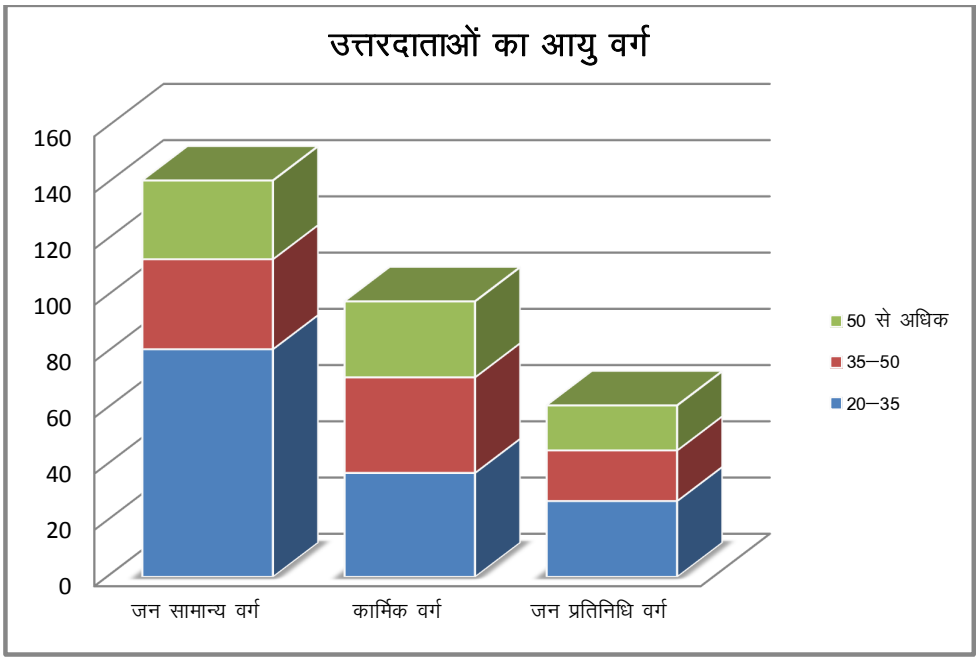
उत्तरदाताओं का आयु वर्ग
160
140
120
100
80
60
40
20
0
जन सामान्य वर्ग
कार्मिक वर्ग
जन प्रतिनिधि वर्ग
50 से अधिक
35–50
20–35

सारणी 6.1

लिंग के आधार पर वर्गीकरण

लिंग	कुल प्रतिशत	जन सामान्य वर्ग		कार्मिक वर्ग		जन प्रतिनिधि वर्ग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
पुरूष	72.33	107	69.03	72	75.79	38	76
महिला	27.67	48	30.97	23	24.21	12	24
कुल संख्या	100	155	100	95	100	50	100

Source : Survey data by Researcher

अध्ययन में अध्ययनकर्ता कि उत्तरदाता में विभिन्न आयु वर्गों को शामिल किया है। शोधकर्ता ने 18–30 वर्ष के आयु वर्ग में से 48.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन किया, जबकि 28.00 प्रतिशत उत्तरदाता 30–50 वर्ष के आयु वर्ग के है। 50 से अधिक आयु वर्ग के 23.67 प्रतिशत है।

सारणी 6.2

उत्तरदाताओं का आयु वर्ग

	जन सामान्य वर्ग		कार्मिक वर्ग		जन प्रतिनिधि वर्ग		कुल उत्तरदाता	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
18–30	81	57.45	37	37.76	27	44.26	145	48.33
30–50	32	22.69	34	34.69	18	29.51	84	28.00
50 से अधिक	28	19.86	27	27.55	16	26.23	71	23.67
कुल	141	100	98	100	61	100	300	100

Source : Survey data by Researcher

निम्नांकित सारणी में उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर के सामान्य वर्ग में निरक्षर 18.18 जबकि कार्मिक वर्ग में शून्य प्रतिशत तथा जनप्रतिनिधि वर्ग में 3. 33 प्रतिशत निरक्षर है। प्राथमिक स्तर में 26.14 सामान्य वर्ग से, जबकि 6.67

प्रतिशत उत्तरदाता जनप्रतिनिधि वर्ग से एवं शुन्य प्रतिशत कार्मिक वर्ग से है।

सारणी 6.3

उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर

शैक्षणिक योग्यता	सामान्य वर्ग		कार्मिक वर्ग		जन प्रतिनिधि वर्ग	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
निरक्षर	32	18.18	—	—	02	3.33
प्राथमिक	46	26.14	—	—	04	6.67
उच्च प्राथमिक	22	12.50	6	9.38	20	33.33
माध्यमिक	18	10.23	5	7.81	10	16.67
उच्च माध्यमिक	13	7.39	17	26.56	8	13.33
स्नातक	27	15.34	18	28.12	10	16.67
स्नातकोत्तर	11	6.25	12	18.75	4	6.67
अन्य	7	3.98	6	9.38	2	3.33
योग	176	100	64	100	60	100

Source: Survey data by Researcher

उच्च प्राथमिक वर्ग में 12.50 प्रतिशत, कार्मिक वर्ग में 9.38 प्रतिशत जबकि जनप्रतिनिधि वर्ग में 33.33 प्रतिशत, माध्यमिक में 10.23 सामान्य वर्ग से, 7.81 कार्मिक वर्ग से तथा 16.67 प्रतिशत जनप्रतिनिधि वर्ग से, उच्च माध्यमिक से 7.39 सामान्य वर्ग से, स्नातक से 15.34 तथा स्नातकोत्तर से 6.25 प्रतिशत, उत्तरदाताओं द्वारा 6.67 प्रतिशत प्रतिनिधि वर्ग ने सर्वेक्षण में अपना सहयोग दिया ग्रामीण विकास योजनाओं की क्रियान्विति, योजनाओं की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जनता की सहभागिता को जानने के लिए विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से तथ्य एकत्र कर इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतीराज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचायतीराज में केवल ग्राम पंचायत, पंचायतसमिति, जिला परिषद् आदि में जनता की सहभागिता बतायी गयी है।

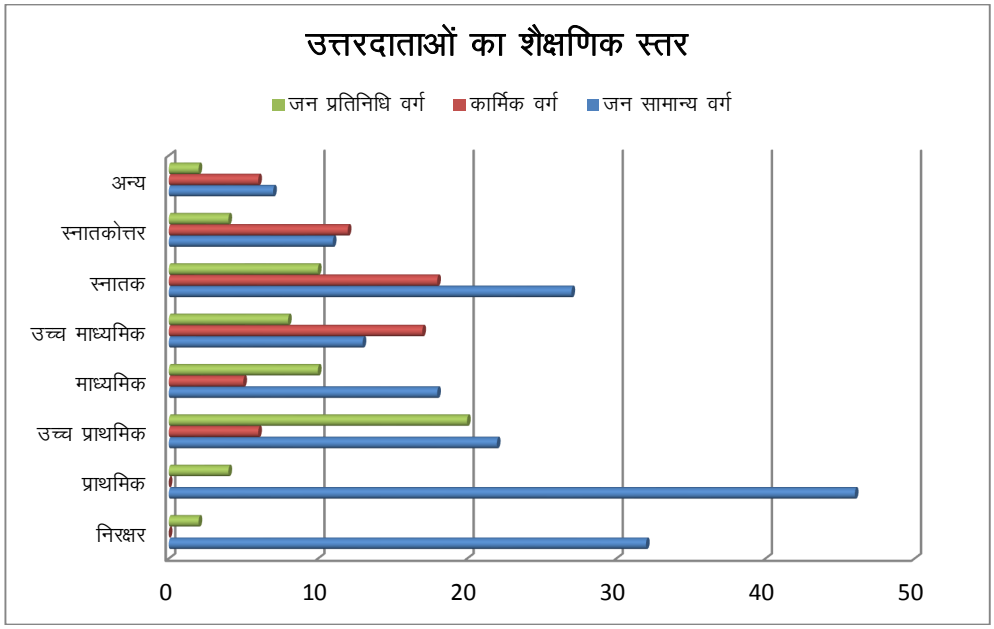
उत्तरदाताओं का शैक्षणिक स्तर
जन प्रतिनिधि वर्ग
कार्मिक वर्ग
जन सामान्य वर्ग
अन्य
स्नातकोत्तर
स्नातक
उच्च माध्यमिक
माध्यमिक
उच्च प्राथमिक
प्राथमिक
निरक्षर
0
10
20
30
40
50

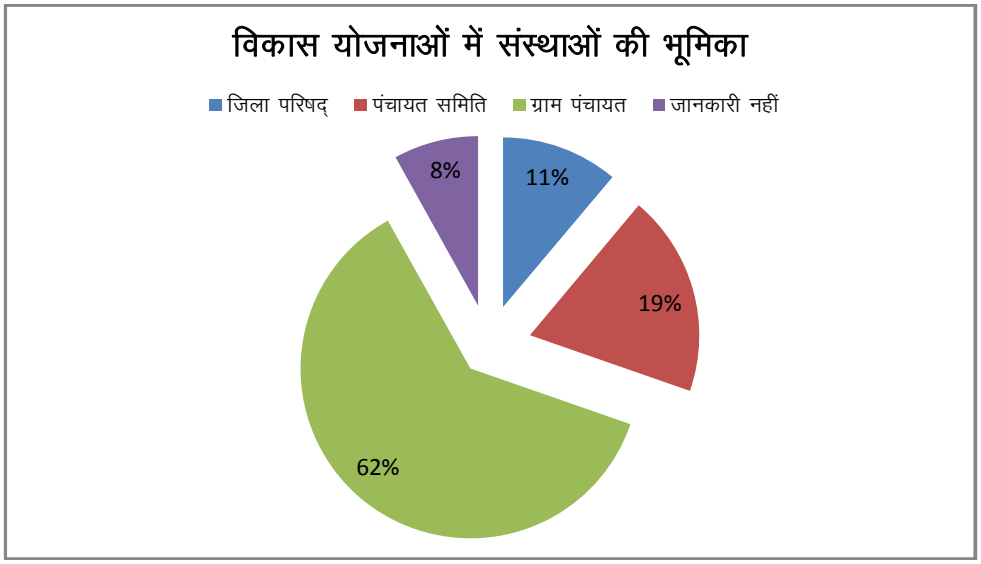
विकास योजनाओं में संस्थाओं की भूमिका
जिला परिषद्
पंचायत समिति
ग्राम पंचायत
जानकारी नहीं
8%
11%
19%
62%

सारणी 6.4

विकास योजनाओं में संस्थाओं की भूमिका

नम	उत्तरदाताओं की संख्या	उत्तरदाताओं का प्रतिशत
ग्राम पंचायत	122	61.62
पंचायत समिति	38	19.19
जिला परिषद	22	11.11
जानकारी नहीं	16	8.08
योग	198	100

Source: Survey data by Researcher

उत्तरदाताओं से उपलब्ध तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि 61.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं की संख्या ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं में मुख्य भूमिका मानते हैं जबकि पंचायत समितियों की 19.19 प्रतिशत व जिला परिषद् की भूमिका 11.11 प्रतिशत है। 8.08 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इसकी जानकारी नहीं है। ग्राम स्तर पर इनका परामर्श होने से ही इन योजनाओं का सही निर्धारण होता है।

विभिन्न विकास योजनाओं की क्रियान्विति में महत्वपूर्ण समस्या जन–सहयोग प्राप्त न होना है। इसके अतिरिक्त जनप्रतिनिधियों को अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी न होना, वित्तिय समस्या में जनता से सहयोग न मिलना, योजना से सम्बन्धित दिशा निर्देशों की अवज्ञा होना, अशिक्षित जनता आदि है।

सारणी 6.5

योजनाओं की क्रियान्विति की प्रमुख समस्या

क्र.स.	समस्या	संख्या	प्रतिशत
1	वितिय समस्या	32	16.16
2	जनता के सहयोग का अभाव	75	37.88
3	जनता में अशिक्षा	23	11.62
4	योजना से सम्बन्धित जानकारी का अभाव	15	7.58
5	जनप्रतिनिधियों को अधिकारों की जानकारी का अभाव	23	11.62
6	राजनैतिक पक्षपात	11	5.56
7	जातिगत पक्षपात	07	3.54
8	उत्तर नहीं दिया	12	6.06
	योग	198	100

Source: Survey data by Researcher

उपरोक्त समस्या से सम्बन्धित उत्तरदाताओं से पूछे गये प्रश्नों के आधार पर सर्वाधिक 37.88 प्रतिशत उत्तरदाता योजनाओं में जनता के सहयोग का अभाव मानते हैं। 16.16 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा वित्तिय अभाव के कारण जनता में अशिक्षा को 11.62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 7.58 प्रतिशत योजना से सम्बन्धित जानकारी को अभाव के कारण बाधा पहुँचती है। राजनैतिक पक्षपात व जातिगत पक्षपात के तौर पर क्रमशः 5.56, 3.54 प्रतिशत लोगों ने उत्तर दिया तथा 6.06 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई उत्तर नहीं दिया। पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता प्राप्त करने में योजनाओं में लोगों को शामिल करने के लिए विकास शिविरों का आयोजन किया जाता है जिससे ग्रामीण जनता को इन योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करा सकें। ग्राम सभा के सदस्यों के अनुसार गाँव के लोग इन शिविरों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। तथा सक्रिय रहकर कार्य करते हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं में पुरूष–महिलाओं की भागीदारी के बारे में उत्तरदाताओं के आकलन में महिलायें पुरूषों की तुलना में अधिक उत्साह से कार्य करती हैं। महिलाओं की सक्रियता से भ्रष्टाचार की समस्या नहीं रहती है। 72.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए यह कहा कि

महिलाएँ आर्थिक कर्तव्य परायणता से कार्य करती हैं जिससे भ्रष्टाचार में कमी आती है। एवं जनसहभागिता में सहयोग मिलता है।

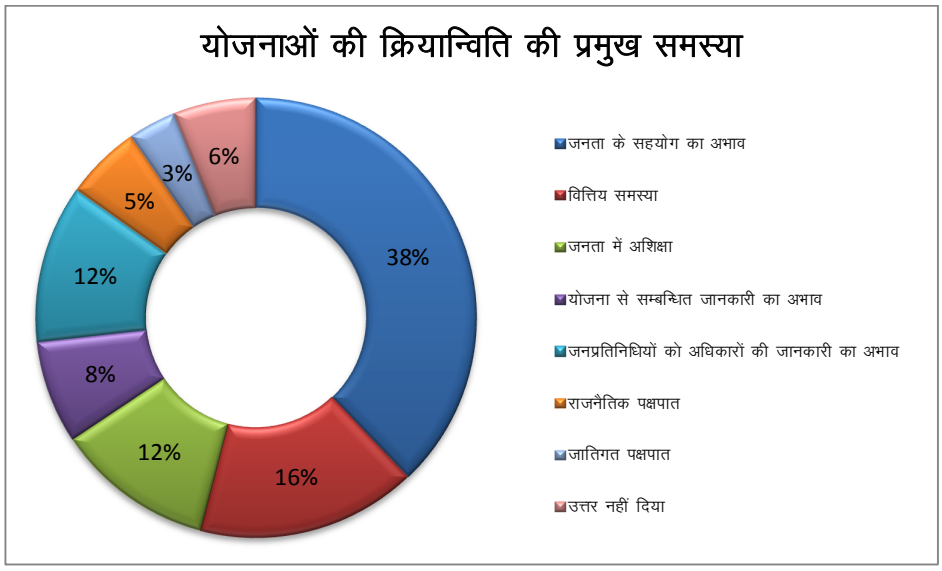

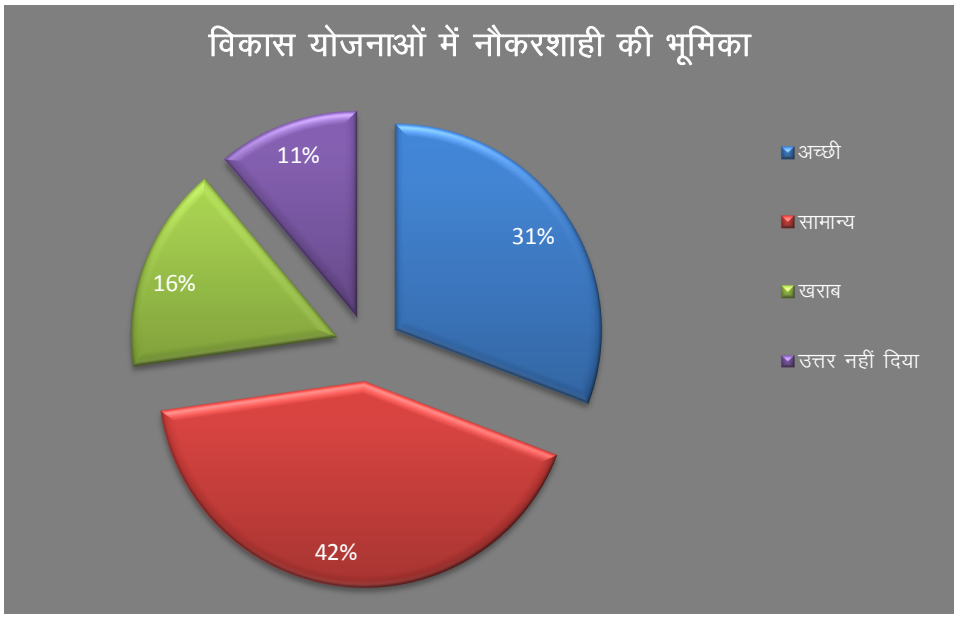

विकास योजनाओं में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर जन–प्रतिनिधियों को महिला प्रतिनिधियों के साथ कार्य करने में असुविधा नहीं होती है। इसके लिए उत्तरदाताओं से किये गये प्रश्नों में 74.32 प्रतिशत उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, जबकि 25.68 प्रतिशत उत्तरदाताओं को महिला प्रतिनिधियों के साथ कार्य करने में असुविधा महसूस होती है।

जनता की भागीदारी में विकास योजनाओं की सफलता उच्च स्तरीय कर्मचारियों की कर्तव्य परायणता से निश्चित होती है। साथ ही साथ योजना की सफलता जनता की अधिकाधिक सहभागिता पर भी निर्भर करती है।

सारणी 6.6

ग्रामीण विकास योजनाओं में जनता की भागीदारी

योजना में जनता की भागीदारी	संख्या	प्रतिशत
पर्याप्त है	33	16.67
अपर्याप्त है	137	69.19
आंशिक पर्याप्त	28	14.14
योग	**198**	**100**

Source: Survey data by Researcher

उपरोक्त तालिका में 69.19 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत था कि विकास कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता अपर्याप्त अर्थात कम है, जबकि 16.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने योजनाओं में जनता की सहभागिता को स्वीकारा है तथा 14.14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने योजना में आंशिक भागीदारी स्वीकार की है। जनता की भागीदारी कम रहने के प्रमुख कारण निम्न हैं :–

1. ग्रामीण क्षेत्र की जनता में शिक्षा का अभाव होना।
2. ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली दलगत राजनीति और संकीर्ण सोच।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित ग्राम सभा के प्रस्तावों के अनुसार कार्य न करवाया जाना।
4. जनता का जनप्रतिनिधियों के प्रति कम विश्वास होना।

5. क्षेत्र की जनता में जागरूकता का अभाव होना।

ग्रामीण क्षेत्र में जनता की अधिकाधिक सहयोग बढ़ाने के लिए जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त विकास योजनाओं में जनता की भागीदारी बढ़ाने हेतु निम्न सुझाव दिये गये, जो कि निम्नलिखित हैं।

1. क्षेत्र में विकास शिविरों का आयोजन करके जनता को कार्यों की जानकारी से अवगत करवाकर जनजागृति पैदा की जाये।
2. क्षेत्र की ग्राम सभा द्वारा चयन किये गये कार्यों को ही करवाया जाना चाहिए।
3. क्षेत्र की जनता में शिक्षा का प्रसार किया जाये।
4. विकास कार्य निश्चित समय में पूर्ण करवाये जायें।
5. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवारों को रोजगार दिया जाना चाहिए।
6. ग्राम में एक विकास समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से कार्य करवाये जाने चाहिए।

सारणी 6.7

विकास योजनाओं में नौकरशाही की भूमिका

नौकरशाही की भूमिका	संख्या	प्रतिशत
सामान्य	61	30.80
अच्छी	83	41.92
खराब	32	16.16
उत्तर नहीं दिया	22	11.12
योग	198	100

Source: Survey data by Researcher

ग्राम पंचायत की ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए और परियोजनाओं के निर्धारण में नौकरशाही द्वारा निभाई गयी भूमिका के सम्बन्ध में भी प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। उत्तरदाताओं की परियोजनाओं में नौकरशाही की भूमिका निम्नलिखित है–

उपरोक्त तालिका में उत्तरदाताओ में नौकरशाही की भूमिका 41.92 प्रतिशत व्यक्ति सामान्य मानते हैं, जबकि 30.80 प्रतिशत व्यक्तियों के अनुसार नौकरशाही की भूमिका अच्छी रही है। 16.16 प्रतिशत व्यक्तियों ने नौकरशाही की भूमिका खराब बतायी है जबकि 11.12 प्रतिशत व्यक्तियों ने उत्तर ही नहीं दिया। कुछ उत्तरदाताओं ने यह भी स्वीकार किया कि परियोजनाओं की क्रियान्विति में भ्रष्टाचार होता है परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के स्वरूप अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं।

1. परियोजना के तहत व्यक्तियों के चयन में पक्षपात।
2. परियोजना के स्थान के चयन में पक्षपात।
3. सरकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत लेना।
4. संसाधनों का दुरूपयोग करना।
5. गरीबों को उचित सहायता न मिलना।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सुझाव

1. भ्रष्टाचार के खिलाफ सघन अभियान चलाया जाये।
2. चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हो।
3. परियोजना के नियमों को कठोर बनाया जाये।
4. ग्रामीण विकास कार्यों में सामान्य जनता की भागीदारी हो।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार – प्रसार होना चाहिये।
6. जनता को अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिये।
7. उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण होना चाहिए।
8. भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल नौकरी से हटाया जाना चाहिए।
9. ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार दिये जाने चाहिये।
10. नौकरशाही की भूमिका कम होनी चाहिए।

इसके अलावा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विद्यार्थी से शपथ पत्र देकर सीधे बैंक खातों में भुगतान की व्यवस्था करना तथा योजनाओं के तहत क्रियान्वित विकास कार्यों की समय–समय पर जाँच करवाकर उसकी रिपोर्ट ग्राम सभा के समक्ष रखे जाने से भ्रष्टाचार करने वालो पर अंकुश लगाया जा

सकता है। इससे स्पष्ट है कि जनता को जागरूक करके भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जा सकती हैं। तथा योजनाओं की क्रियान्विति में सहयोग प्रदान किया जा सकता है।

विकास योजनाओं के स्वरूप के निर्धारण और स्थान के चयन में ग्राम सभा का महत्त्वपूर्ण स्थान है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा विकासात्मक कार्यों जैसे सड़क बनाना, पेयजल व्यवस्था, नाली निर्माण, सफाई आदि का क्रियान्वयन करती है। ग्राम सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है। ग्राम सभा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होते हुए भी ग्राम सभा मात्र औपचारिक बन कर रह गयी है इनको तव्वजो नहीं देते हैं।

सारणी 6.8

प्रशिक्षकों के व्यवहार से संतुष्टि

व्यवहार से संतुष्टि	संख्या	प्रतिशत
पूर्णतया संतुष्टि	47	23.74
साधारण संतुष्टि	92	46.46
अंसतुष्ट	38	19.19
जवाब नहीं दिया	21	10.61
योग	198	100

Source: Survey data by Researcher

विकास योजनाओं की क्रियान्विति में कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है। 73.6 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि कर्मचारियों व अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होता है जबकि 27 प्रतिशत उत्तरदाता सहयोग को नकारते हैं। 84.72 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण को आवश्यक माना हैं, जबकि 15.28 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रशिक्षण को महत्व नहीं दिया है।

उत्तरदाताओं के अनुसार 46.46 प्रतिशत प्रशिक्षकों के व्यवहार से साधारणतया संतुष्ट हैं जबकि 23.74 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वे

प्रशिक्षकों के व्यवहार से पूर्णतया संतुष्ट हैं। वहीं 19.19 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने असंतुष्टि व्यक्त की है तथा 10.61 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। पंचायती राज संस्थाओं के विषय में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से किये गये राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनता में जागृति आयी है। सभी जनप्रतिनिधियों द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में किये गये महिला आरक्षण से महिलाओं में जागृति आयी है।

सामान्य वर्ग के उत्तरदाता

ग्रामीण विकास योजनायें गाँवों के विकास में सहयोग प्रदान करती हैं। ग्राम पंचायते ग्रामीण क्षेत्र में विकास करने में विशेष स्थान रखती हैं क्योंकि विकास योजनाओं की क्रियान्विति में इनका महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

सारणी 6.9

विकास योजनाओं के संचालन में संस्थाओं की भूमिका

क्र0स0	योजनाओं का संचालन	संख्या	प्रतिशत
1.	ग्राम पंचायत	143	48.81
2.	पंचायत समिति	93	31.74
3.	जिला परिषद	23	7.85
4.	सरकारी विभाग	15	5.12
5.	अन्य विभाग	12	4.09
6.	कोई जवाब नहीं	07	2.39
	योग	293	100

Source: Survey data by Researcher

सामान्य वर्ग के उत्तरदाताओं में से 84.30 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ग्राम पंचायतों के बारे में तथा उनके कार्यों की जानकारी नहीं थी। योजनाओं का संचालन ग्राम पंचायतों के माध्यम से होता है।

उपरोक्त अध्ययन में 7.85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने योजनाओं के संचालन में जिला परिषद की भूमिका को महत्त्वपूर्ण माना है। जबकि 31.74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पंचायत समिति की भूमिका को तथा जिला परिषद का योगदान

7.85 प्रतिशत, सरकारी विभागों का 5.12 प्रतिशत, अन्य विभागों का योगदान 4. 09प्रतिशत माना है तथा 2.39 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है।

विकास योजनाओं में भागीदारी के सन्दर्भ में विभिन्न उत्तरदाताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 74.65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह माना कि वे स्वयं इन योजनाओं में भाग लेने के इच्छुक हैं, 23.35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने योजनाओं में भाग लेने से मना किया, जबकि 02 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। इन योजनाओं में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं होने के कारण व्यक्तियों को इन योजनाओं से लाभ बहुत कम मात्रा में मिला है। उत्तरदात्ताओं में से 37.40 प्रतिशत उत्तरदाता ही किसी न किसी रूप में किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं कर सके हैं जबकि 8.10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया।

ग्रामीण विकास योजनाओं से रोजगार का सृजन नहीं होता हैं, यह ग्रामीण लोगों की सोच है। इस संदर्भ में पूछे गये प्रश्नों के जवाब में 68.70 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार योजनाओं से रोजगार का सृजन नहीं होता है, 25.53 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार मिलता है, जबकि 5.30 प्रतिशत उत्तरदाता जवाब देने में असमर्थ हैं।

सारणी 6.10

योजनाओं से रोजगार का सृजन

रोजगार प्राप्त होता है	संख्या	प्रतिशत
ळां	66	22.53
न्हीं	211	72.01
जवाब नहीं	16	5.06
कुल	293	100

Source: Survey data by Researcher

विकास योजनाओं ने रोजगार के नये अवसर प्रदान किये, परन्तु बेरोजगारी को नियंत्रण करने में सफल नहीं है। इस बारे में 65.30 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने में इन योजनाओं में विशेष भूमिका निभाई। जबकि 23.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन योजनाओं को बेरोजगारी कम करने में अप्रभावी माना है और 11.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पूछे गये प्रश्नों पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी।

सारणी 6.11

योजनाओं को क्रियान्वित करने वाली संस्था

क्र.सं.	संस्था का नाम	संख्या	प्रतिशत
1.	ग्राम पंचायत	196	66.89
2.	पंचायत समिति	55	18.78
3.	जिला परिषद	31	10.58
4.	जानकारी नहीं	11	3.75
	योग	293	100

Source: Survey data by Researcher

ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों की क्रियान्विति की जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा किये गये प्रमुख विकास कार्यों में सड़क निर्माण, स्कूल भवन

निर्माण, क्षेत्र में नालियों का निर्माण, पुल निर्माण, सामुदायिक केन्द्र निर्माण, आँगन बाड़ी केन्द्र निर्माण, पेयजल सुविधा आदि है। इन योजनाओं की क्रियान्विति मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के नियत्रंण में होती है।

योजनाओं की क्रियान्विति के बारे में पूछे गये प्रश्नों के जवाब में 66.89 प्रतिशत उत्तरदाता ने ग्राम पंचायत की भूमिका को महत्त्वपूर्ण माना है। 18.78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पंचायत समिति के माध्यम से योजनाओं की क्रियान्विति को माना है। 10.58 प्रतिशत उत्तरदाता जिला परिषद्, जबकि 3.75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने जानकारी नही होने की बात बतायी । ग्राम पंचायतों की योजनाओं की क्रियान्विति में महत्त्वपूर्ण भूमिका के कारण इसे प्रभावशाली संस्था का दर्जा दिया गया हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं की क्रियान्विति उत्तरदाताओं के आकलन में स्पष्ट नहीं है क्योंकि योजनाओं से अपेक्षित सहायता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती तथा 26.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने योजनाओं से मिली सहायता को स्वीकार किया है। जिसमें से अधिकांश उत्तरदाताओं ने इस सहायता को विकास कार्य से सम्बन्धित माना है। इस सहायता के प्रमुख कारण निम्न हैंः–

1. योजनाओं के सही संचालन से क्रियान्वयन का अभाव।
2. भ्रष्टाचार के कारण।
3. धन की कमी।
4. क्षेत्र में उपस्थित राजनैतिक गुटबन्दी।
5. सरपंच का अशिक्षित होना।
6. प्रशासन में उपस्थित नौकरशाही के कारण।
7. अधिकारियों में अनुभवहीनता।

इन सबके बावजूद भी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना, गरीबी दूर करना,शिक्षा देना आदि है। ग्रामीण जनता इन विकास योजनाओं में बढ़–चढ़ कर भाग लेती है, क्योंकि इस भागीदारी के प्रमुख उद्देश्य ग्राम के विकास में अपने विचार लोगों के समक्ष रखना मजदूरी करके पैसा कमाना, अपना रोजगार, धन्धा बढ़ाना आदि

हैं। इन योजनाओं के आर्थिक लाभों के विषय में उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया मिली–जुली थी।

सारणी 6.12

विकास कार्यक्रमों से आर्थिक लाभ

प्राप्त आर्थिक लाभ	संख्या	प्रतिशत
हाँ	97	33.11
नहीं	168	57.34
जवाब नहीं	28	9.56
कुल संख्या	293	100

Source: Survey data by Researcher

उपरोक्त सारणी के अनुसार 33.11 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार इन योजनाओं से आर्थिक लाभ होता है जबकि 57.34 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इन योजनाओं से होने वाले आर्थिक लाभ को स्वीकार नही किया है, 9.56 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया है।

सारणी 6.13

विकास योजनाओं में कार्यों की भूमिका

क्र0सं0	सहायता का नाम	संख्या	प्रतिशत
1.	सड़क निर्माण	29	33.72
2.	अकाल राहत कार्य	17	19.77
3.	पेयजल सुविधा	18	20.93
4.	राजीव गाँधी पाठशाला	12	13.95
5.	एनीकट	07	8.14
6.	अन्य कार्य	03	3.49
	कुल संख्या	86	100

Source: Survey data by Researcher

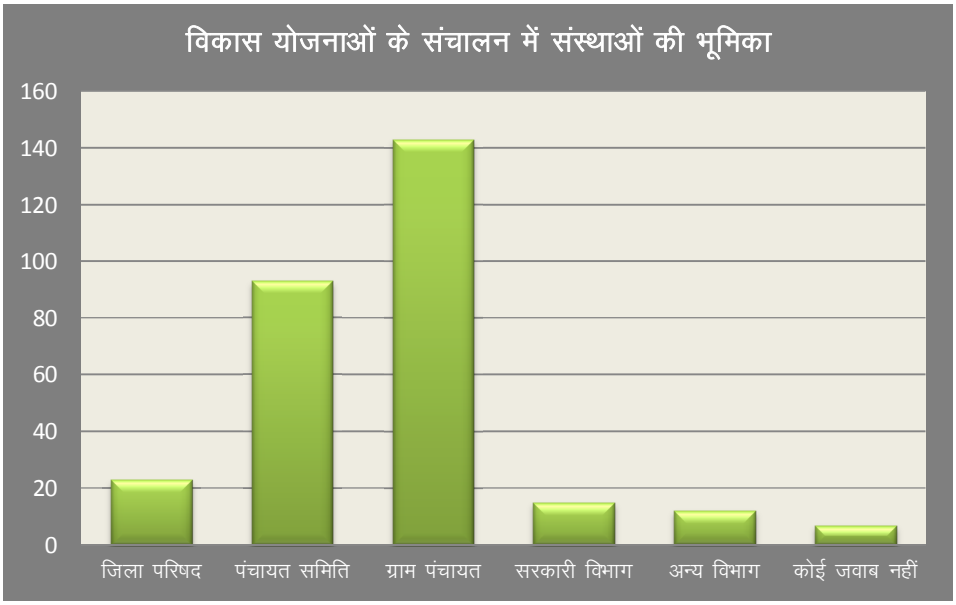
विकास योजनाओं के संचालन में संस्थाओं की भूमिका
160
140
120
100
80
60
40
20
0
जिला परिषद
पंचायत समिति
ग्राम पंचायत
सरकारी विभाग
अन्य विभाग
कोई जवाब नहीं

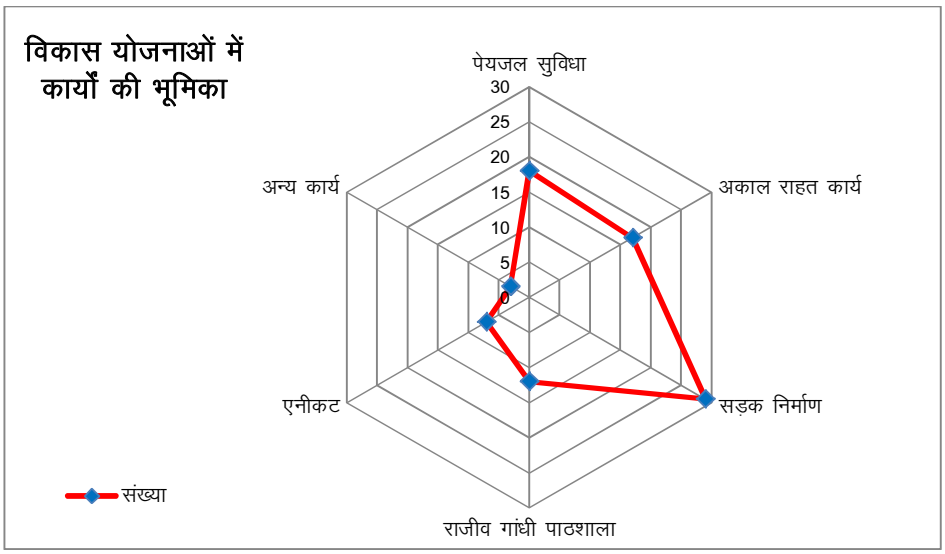
विकास योजनाओं में कार्यों की भूमिका
पेयजल सुविधा
30
25
20
15
10
5
0
अकाल राहत कार्य
सड़क निर्माण
राजीव गांधी पाठशाला
एनीकट
अन्य कार्य
संख्या

इन योजनाओं से प्राप्त लाभ को 86 उत्तरदाताओं ने जबाब दिया है। इन विकास योजनाओं से हुए लाभों को स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं में से 33. 72 प्रतिशत ने सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित योजनाओं के लाभ को स्वीकार किया। 20.93 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पेयजल सुविधा के रूप में इन योजनाओं को स्वीकृत किया है।

जबकि 19.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अकाल राहत कार्यों और 13.95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने राजीव गाँधी पाठशाला के रूप में, 8.14 प्रतिशत एनीकट के रूप में तथा 3.49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अन्य कार्य के रूप में इन योजनाओं का लाभ स्वीकार किया है।

ग्रामीण विकास योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता को स्वीकार करते हैं।

सारणी 6.14

विकास योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की सहभागिता

योजना में सहभागिता	संख्या	प्रतिशत
हाँ	186	63.48
न्हीं	45	15.36
जवाब नहीं	62	21.16
योग	293	100

Source: Survey data by Researcher

63.48 प्रतिशत उत्तरदाता योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी स्वीकार करते हैं जबकि 15.36 प्रतिशत उत्तरदाता भागीदारी को अस्वीकार करते हैं। 21.16 प्रतिशत उत्तरदात्ताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। उत्तरदाताओं ने जनसहभागिता को प्रभावशाली और व्यापक बनाने के लिए अनेक सुझाव प्रस्तुत किये, जो निम्नलिखित हैं:–

1. ग्रामीण विकास योजनाओं के सही ढंग से क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण कैंप आयोजित किये जायें।
2. ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाये।

3. कार्यों में भेदभाव, गुटबाजी एवं दलगत राजनीति न हो।
4. ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाये।
5. योजनाओं के प्रति लोगों में जागृति पैदा की जाये।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार कर स्कुल खोले जाये।
7. योजनाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाये।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास समितियों का गठन कर इनके माध्यम से विकास कार्य करने चाहिये।
9. योजनाओं में उत्पन्न समस्याओं का समय पर समाधान किया जाये।

कार्मिक वर्ग की प्रतिक्रिया

ग्रामीण विकास योजनाओं की क्रियान्विति में कार्मिक वर्ग का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। कार्मिकों का एक बड़ा वर्ग अपने पद से संतुष्ट है। उत्तरदाताओं में से 77.67 प्रतिशत कार्मिक अपने वर्तमान पद से संतोष की स्थिति में है, जबकि 22.33 प्रतिशत कार्मिक उत्तरदाता अपने वर्तमान पद से असंतुष्ट हैं।

सारणी 6.15

कर्मचारियों के प्रशिक्षण सम्बन्धी

प्रशिक्षण प्राप्त किया	संख्या	प्रतिशत
हाँ	107	74.83
न्हीं	36	25.17
योग	143	100

Source: Survey data by Researcher

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओं से यह पूछा गया कि क्या वे समान वेतन पर ही किसी अन्य पद पर कार्य करने को तैयार होंगे। लेकिन प्रतिक्रिया यह आयी कि 71.8 प्रतिशत उत्तरदाता वर्तमान पद पर ही कार्य करना चाहते हैं जबकि 28.2 प्रतिशत उत्तरदाता अपने पद को त्याग कर अन्य पद पर कार्य

करने को तैयार थे। किसी भी योजना की पूर्ण सफलता कर्मचारी की कार्य शैली पर निर्भर करती है। इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। 74.83 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रशिक्षण आवश्यक बताया, जबकि 25.17 प्रतिशत कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। उत्तरदाताओं से पूछा गया कि क्या वे प्रशिक्षण की वर्तमान पद्धति से संतुष्ट हैं ?

सारणी 6.16
प्रशिक्षण के तरीकों पर प्रतिक्रिया

प्रशिक्षण से प्राप्त संतुष्टि	संख्या	प्रतिशत
पूर्ण संतुष्ट	74	59.68
आंशिक संतुष्ट	32	25.81
असंतुष्ट	18	14.51
योग	124	100

Source: Survey data by Researcher

59.68 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, 25.81 प्रतिशत आंशिक संतुष्ट हैं, जबकि 14.51 प्रतिशत उत्तरदाता प्रशिक्षण के तरीकों से असंतुष्ट हैं।

कार्मिक वर्ग के अनुसार ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के निर्धारण में ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं क्योंकि ग्राम सभा स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही प्रस्ताव देती है। इसके अलावा योजनाओं के निर्धारण में भारत सरकार व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

विकास योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर भी अनेक समस्याएँ सामने आयी हैं। 71.8 प्रतिशत उत्तरदाता कोई न कोई समस्या का वर्णन करते हैं जबकि 28.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं को योजनाओं की क्रियान्विति में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उत्तरदाताओं के अनुसार उत्पन्न समस्याएँ निम्न हैं:–

1. लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्यों की क्रियान्विति का न होना।
2. ग्रामीण क्षेत्र में उत्पन्न आपसी गुटबाजी।
3. अशिक्षा के कारण जन सहभागिता के बारे में जागृति का अभाव

4. विकास योजनाओं को समय पर स्वीकृति न मिल पाना।
5. योजनाओं में वित्त की कमी होना।
6. ग्रामीण विकास योजना में भ्रष्टाचार होना।
7. ग्राम सभा के अधिकारों की उपेक्षा करना।
8. विकास योजनाओं की क्रियान्विति में राजनीतिक हस्तक्षेप होना।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम का निरीक्षण उसकी सफलता को सुनिश्चित करने का काम करता है। इन विभिन्न योजनाओं व जन प्रतिनिधियों के साथ जाकर समय–समय पर निरीक्षण होना चाहिए। उसके लिए कुछ मापदण्ड निर्धारित करने चाहिये। साथ ही उत्तरदाताओं के अनुसार पंचायत समिति स्तर पर समीक्षा की जानी चाहिए।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता के स्तर को कार्मिक वर्ग पर्याप्त नहीं मानता है। 70.16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहभागिता के स्तर को पर्याप्त नहीं माना, जबकि 29.84 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहभागिता के स्तर को पर्याप्त माना है।

सारणी 6.17

ग्रामीण विकास योजनाओं मेंजन सहभागिता

जन सहभागिता का स्तर	संख्या	प्रतिशत
पर्याप्त	37	29.84
पर्याप्त नहीं है	87	70.16
योग	**124**	**100**

Source: Survey data by Researcher

उत्तरदाताओं ने जनता की सहभागिता को बढाने के सुझाव दिये हैं क्योंकि किसी भी योजना की सफलता जनसहभागिता पर निर्भर करती है उत्तरदाताओं ने जनसहभागिता बढाने के लिए निम्न उपाय बताये :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।
2. ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो।

3. योजनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर शिविरों का आयोजन होना चाहिए।
4. जनप्रतिनिधियों को योजनाओं से सम्बन्धित प्रशिक्षण देना चाहिये।
5. राजनैतिक हस्तक्षेप को जड़ से समाप्त करना चाहिये।
6. एक विकास समिति गठित की जानी चाहिए, जिसमें शिक्षित वर्ग को शामिल करना चाहिये।
7. ग्रामीण क्षेत्र में जातिवाद को समाप्त करना चाहिए।
8. ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की जागृति हेतुशिविरों का आयोजन करना चाहिये।
9. ग्रामीण विकास योजनाओं का समय–समय पर पर्यवेक्षण व निरीक्षण होना चाहिए।
10. विभिन्न विकास योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान किये जाने चाहिये।

सारणी 6.18

योजनाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप

राजनैतिक हस्तक्षेप	संख्या	प्रतिशत
हाँ	185	65.37
न्हीं	65	22.97
जवाब नहीं	33	11.66
योग	**283**	**100**

Source: Survey data by Researcher

65.37 प्रतिशतउत्तरदाताओं ने राजनैतिक हस्तक्षेप को माना है, जबकि 22.97 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इसे अस्वीकार किया है। 11.66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। राजनैतिक हस्तक्षेप का प्रमुख कारण अपने दल के कार्यकर्ताओं की सहायता करना, अपनी जाति के लोगों को

सहायता पहुँचाना, योजना की सार्थक क्रियान्विति को सुनिश्चित करना, अपने परिवार को लाभ पहुँचाना है।

उत्तरदाताओं से पूछे प्रश्नों के अनुसार राजनैतिक हस्तक्षेप का प्रभाव यह होता है कि पक्षपात के आधार पर लोगों को लाभान्वित किया जाता है ताकि भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिले।

सारणी 6.19
योजनाओं में हस्तक्षेप

क्र.सं.	योजनाओं में हस्तक्षेप	संख्या	प्रतिशत
1.	क्षेत्रीय विधायक	22	7.77
2.	ग्राम पंचायत का सरपंच	149	52.65
3.	राज्य के सतारूढ दल के कार्यकर्ता	65	22.97
4.	क्षेत्रीय मंत्री	15	5.30
5.	अन्य स्तर	08	2.83
6.	जवाब नहीं दिया	24	8.48
	कुल उत्तरदाता	**283**	**100**

Source: Survey data by Researcher

उपरोक्त सारणी के आधार पर अधिकांश उत्तरदाताओं ने स्थानीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में राजनीतिक हस्तक्षेप को माना है। 52.65 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार राजनैतिक हस्तक्षेप ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाता है। 22.97 प्रतिशत ने राज्य के सतारूढ़ दल के कार्यकर्ता द्वारा हस्तक्षेप को स्वीकार किया। 7.77 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा क्षेत्रीय विधायक, जबकि 5.30 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा क्षेत्रीय मंत्री, 2.83 प्रतिशत अन्य स्तर तथा 8.48 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कोई जवाब नहीं दिया।

राजनैतिक हस्तक्षेप योजना के चयन में लाभान्वित व्यक्तियों के चयन के लिए, योजनाओं के स्थान चयन के सम्बन्ध आदि में होता है। उत्तरदाताओं ने साथ ही यह भी स्वीकार किया कि पिछले कुछ समय से योजनाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ा है।

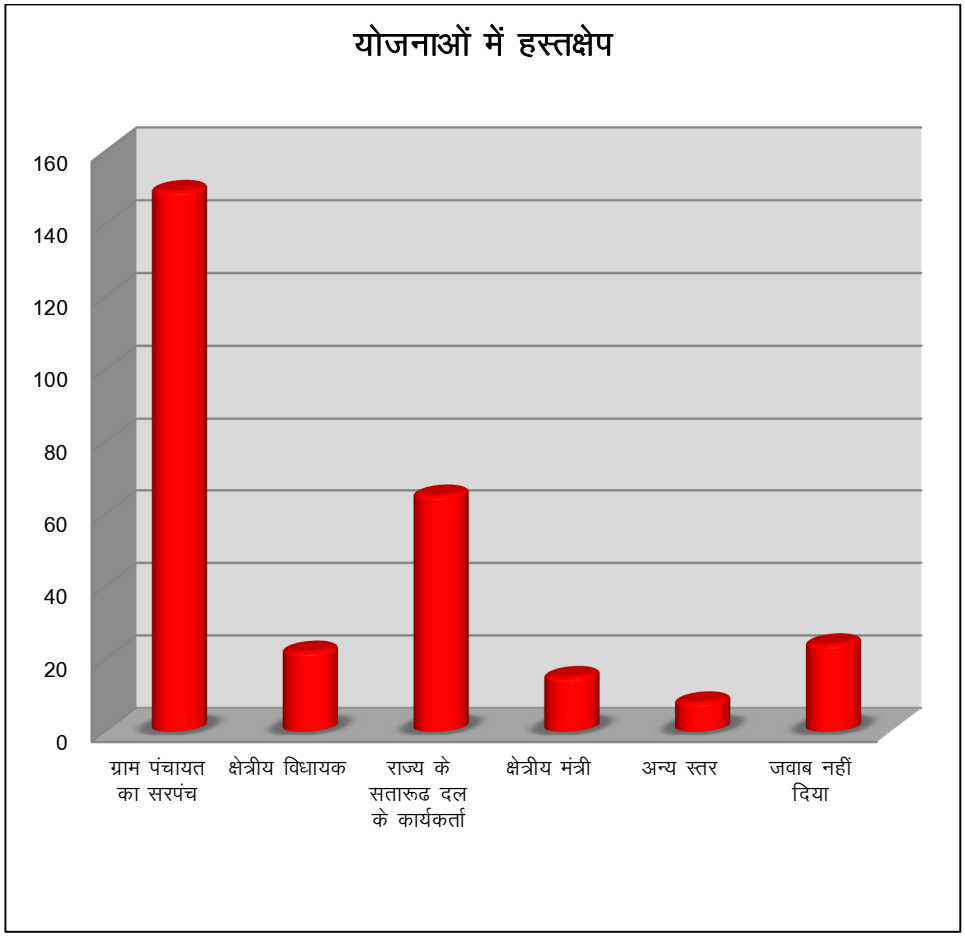
योजनाओं में हस्तक्षेप
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ग्राम पंचायत का सरपंच
क्षेत्रीय विधायक
राज्य के सतारूढ दल के कार्यकर्ता
क्षेत्रीय मंत्री
अन्य स्तर
जवाब नहीं दिया

सारणी 6.20

पिछले वर्षों की तुलना में राजनैतिक हस्तक्षेप

योजना में राजनैतिक हस्तक्षेप	संख्या	प्रतिशत
बढ़ा है	128	45.23
स्थिर या कोई अन्तर नहीं	65	22.97
कम हुआ	43	15.19
कोई जवाब नहीं	47	16.61
कुल संख्या	**283**	**100**

Source: Survey data by Researcher

45.23 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने विगत वर्षों से योजनाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप की प्रवृति में वृद्धि मानी है। 22.97 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार इसके स्वरूप में कोई परिर्वतन नहीं आया है। 15.19 प्रतिशत उत्तरदाता बताते हैं कि राजनैतिक हस्तक्षेप कम हुआ है। 16.61 प्रतिशत उत्तरदाता ने कोई जबाब नहीं दिया।

विभिन्न विकास योजनाओं के मूल्यांकन हेतु कोई उच्च अधिकारी उस क्षेत्र का भ्रमण नहीं करते हैं। उच्च अधिकारी के अभाव में व्यक्तिगत स्वार्थों का जन्म होता है। व्यक्ति योजनाओं की राशि को जनहित एवं मूल्यांकन में व्यय न करके व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए दुरूपयोग कर लेते हैं। 84.15 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस सुझाव का समर्थन किया, जबकि 10.85 प्रतिशत उत्तरदाता इससे असहमत थे, जबकि 3 प्रतिशत ने कोई जवाब नहीं दिया।

विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए उत्तदाताओं ने निम्न प्रतिक्रिया दी है–

1. योजनाओं में सफलता स्थानीय लोगों में जागरूकता पैदा करने से लायी जा सकती है।
2. राजनैतिक चेतना लाकर लोगों में विश्वास भावना जाग्रत करे।
3. आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने से।
4. लोगों को योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने से।
5. भ्रष्टाचार की रोकथाम करके

योजनाओं की क्रियान्विति में ग्राम पंचायत को भी कठिनाई उत्पन्न होती है, इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैंः–

1. राजनैतिक हस्तक्षेप का होना।
2. ग्रामीण क्षेत्र में अशिक्षा होना।
3. सरकार से प्राप्त धनराशि में कमी।
4. प्रशासनिक भ्रष्टाचार का अधिक होना।
5. जन सहयोग का अभाव।
6. योग्य अधिकारियों व व्यक्तियों की कमी।
7. प्रशिक्षण का अभाव।
8. पंचायतों की निजी आय का अभाव।

योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए उत्तरदाताओं से सुझाव लिये गये और उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये सुझाव अग्रलिखित हैं :–

1. सम्पूर्ण ग्रामीण जनता की भागीदारी होनी चाहिए।
2. योजनाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप को बंद करना चाहिए।
3. इनमें होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जानी चाहिए।
4. योजनाओं की पूर्ण जानकारी हेतु प्रचार–प्रसार होना चाहिए।
5. योजनाओं को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए।
6. शिक्षा अभियान के माध्यम से ग्रामीण व्यक्तियों को साक्षर करना चाहिए।
7. योजनाओं से प्राप्त लाभ सीधा लाभार्थी को मिलना चाहिए।
8. विकास कार्यक्रमों में निजी स्वार्थ के स्थान पर ग्राम विकास पर जोर दिया जाना चाहिये।
9. योजना में अधिक से अधिक बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देना चाहिए।
10. ग्राम में एक विकास समिति गठित करके उसके माध्यम से कार्यों का संचालन करना चाहिये।

जनप्रतिनिधि जनसहयोग के अभाव को विकास कार्यक्रमों की प्रमुख समस्या मानते हैं। कर्मचारी वर्ग के उत्तरदाता जन सहभागिता की कमी

को गंभीर समस्या के रूप में जबकि सामान्य वर्ग के उत्तरदाता जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की स्वार्थपूर्ति व योग्य व्यक्तियों के अभाव को योजना की क्रियान्विति की प्रमुख समस्या मानते हैं।

तीनों श्रेणियों के उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तियों की जागरूकता और शिक्षा के अभाव के कारण जनसहभागिता में कमी को उत्तरदायी मानते हैं। जनप्रतिनिधि वर्ग व सामान्य वर्ग के उत्तरदाता योजनाओं की क्रियान्विति में भ्रष्टाचार को भी स्वीकार करते हैं। विकास कार्यों से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों के चयन में भी भ्रष्टाचार नजर आता है।

यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि तीनों श्रेणियों के उत्तरदाता ग्रामीण विकास योजनाओं के सन्दर्भ में पंचायती राज संस्थाओं के महत्व को स्वीकार करते हैं। तीनों ही वर्ग के उत्तरदाताओं ने जनसहभागिता में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया हैं। विभिन्न विकास योजनाएँ वर्तमान में वास्तविक रूप से साकार करने में लगातार प्रयासरत है जो सत्य व सार्थक है।

सप्तम अध्याय

व्यावहारिक स्थिति व सुझाव

ग्रामीण विकास हमारे देश का मेरूदण्ड है इसके बिना स्वतंत्र भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने सोवियत रूस के आर्थिक नियोजन की सफलता से प्रेरित हो कर भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास के लिए 1 अप्रैल, 1951 को पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश किया। आर्थिक योजनाओं के निर्माण एवं संचालन के लिए एक सलाहकार संस्था के रूप में **सन् 1950 में भारतीय योजना आयोग का गठन** किया गया। धीरे–धीरे योजना आयोग एक सुपर केबिनेट के रूप में शक्तिशाली होकर उभरा कि विकास कार्यों से सम्बन्धित नीति–निर्धारण से लेकर संस्थाओं के आवंटन तक में उसी का वर्चस्व स्थापित हो गया और केन्द्र तथा राज्य के मंत्रालयों एवं विभागों की स्वायतत्ता समाप्त प्रायः हो गयी।

देश की स्वाधीनता से सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कई योजनाओं को लागू किया है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धन एवं पिछड़े लोगों के कल्याण का ध्यान रखा गया जिससे आम लोगों का जीवन आसानी से चले तथा मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति हो सके।

सन् 1951 से अब तक बारह पंचवर्षीय योजनाएँ तथा मध्य में छः एक वर्षीय योजनाओं में भी ग्रामीण क्षेत्र में सुधार हेतु विशेष ध्यान दिया गया। यद्यपि योजनाओं का पूर्ण लाभ ग्रामीण परिवेश की जनता को नहीं मिला है। इन योजनाओं से अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हेतु जितनी जन–सहभागिता की आवश्यकता है उतना सहयोग ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं मिला है, जिससे देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से नहीं हुआ है। समाजवाद कोरा स्वप्न बनकर रह गया तथा

गरीबी हटाओ की कल्पना बिल्कुल झूठी सिद्ध हुई है। बेराजगारी निरन्तर बढ़ती जा रही है, साथ ही मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि से लोगों का जीवन कठिनाई में पड़ गया। आर्थिक सम्भावनाएँ बढ़ी हैं,लेकिन गरीब अधिक गरीब और धनी और धनी बनते जा रहे है। जहाँ योजनाओं से जनता में जोश व विश्वास की भावना जागृत हो जानी चाहिए, वहीं निराशा व असंतोष पैदा हुआ है। बारहवीं योजना के नवीन आकलन के अनुसार 19 प्रतिशत लोग अभी भी अपनी निर्धनता में मूलभूत आवश्यकता को भी पूरा करने में असमर्थ है तो दूसरी ओर धनी लोगों में विलासितापूर्ण जीवन एवं राजशाही में अपना जीवन जीते हैं।

ग्रामीण विकास की व्यावहारिक स्थिति वर्तमान में अच्छी नहीं है। इनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो निम्नलिखित हैंः–

1. शिक्षा का अभाव

सामाजिक आधारभूत संरचना के अन्तर्गत मानवीय संस्थानों के विकास हेतु शिक्षा एक आधार अंग है। साक्षरता एवं शिक्षा से जहाँ एक ओर मानव का सामाजिक क्षेत्र में विकासोन्मुख परिवर्तन मानवीय साधनों का बौद्धिक एवं मानसिक विकास होता है; रोजगार एवं लोगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। अनुसंधान एवं शोध कार्यों को बल मिलता है। सामाजिक रूढ़िवादिता, परम्पराओं और गलत धारणाओं के समाप्त होने में मदद मिलती है जिससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। देश में शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह स्थिति और भी खतरनाक है। भारत में शिक्षा के विकास पर व्यय अन्य कार्यों के मुकाबले काफी कम है। जहाँ 1950–51 में शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का केवल 1.2 प्रतिशत था, जो वर्तमान में भी केवल 5.6 प्रतिशत ही है क्योंकि गाँवों में बालिकाओं को पढ़ाने में रूचि नहीं दिखाते हैं।

2. संचार क्रांति का अभाव

संचार साधनों में डाक–तार, टेलीफोन एवं फैक्स सेवाओं का गाँवों में अभाव है। दूरवर्ती पिछड़े ग्रामीण इलाकों में मोबाइल, टेलीविजन एवं संचार साधनों का अभाव है। जिसकी वजह से इन योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं पहुँचती है। गुजरात, महाराष्ट्र व पंजाब राज्यों में इन योजनाओं की सफलता का मुख्य कारण इन योजनाओं की लोगों को जानकारी होना हैं तथा इनके प्रति लोगों की जागृति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

3. यातायात के साधनों का अभाव

ग्रामीण विकास में यातायात के साधनों का अभाव भी एक बाधा के रूप में देखने को मिलता है। गाँवों में सड़क, रेल परिवहन का अभाव होने के कारण ये शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व व्यापारिक आदि दृष्टि से पिछड़ जाते हैं जिससे ग्रामीण विकास नहीं हो पाता है।

4. लोग आज भी रूढ़िवादिता में विश्वास रखते हैं तथा उनकी सोच भी प्राचीन परम्पराओं पर आधारित हैं इस आर्थिक युग में भी अधिक सामाजिक हैं तथा एक–दूसरे का सहयोग अधिक करते हैं। सरकार की योजनाओं में सहभागिता नहीं निभाते हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु–भोज इत्यादि गलत प्रथाएँ समाज को जकड़े हुये हैं जो ग्रामीण लोगों के अवसरों को कम करती हैं।

5 प्रचार–प्रसार के साधनों की कमी

संचार के साधनों व यातायात की कमी से समाचार पत्र–पत्रिकाएँ समय पर ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाती हैं। पहले से ही निरक्षर होने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इन पत्र–पत्रिकाओं, योजनाओं के पर्चे को समझ नहीं पाते हैं। प्रशासन भी प्रचार–प्रसार के द्वारा इन योजनाओं को ग्रामीण लोगों तक पहुँचाने में कतराता है। सरकार इन लोगों का ध्यान ग्रामीण विकास योजनाओं की तरफ आकर्षित करने में नाकाम रही है।

6. भ्रष्टाचार की अधिकता

वर्तमान व्यवस्था में दिन–प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग व्यवस्था के प्रति उदासीन रहते हैं, उपर से बढ़ते भ्रष्टाचार

के कारण ये लोग प्रशासन का सहयोग नहीं करते हैं। बिहार जैसा भ्रष्ट राज्य व्यवस्था के कारण प्राकृतिक दृष्टि से सम्पन्न होने पर भी पिछड़ा हुआ है। वहीं सरकारी कर्मचारी घूस (रिश्वत) लेने के बिना कोई कार्य ही नहीं करते हैं जिससे गाँवों के लोग इन योजनाओं में भाग लेने से कतराते हैं।

7. जागरूकता का अभाव

ग्रामीण क्षेत्र के लोग शिक्षा के अभाव एवं व्यवहार में भ्रष्टाचार के कारण अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं तथा इन व्यक्तियों को योजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं होती तथा जागरूकता के अभाव के कारण सरकारी योजनाओं के प्रति उदासीनता के चलते लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पाता है।

8. योजनाओं में लाल फीताशाही

किसी भी योजना के लाभ हेतु व्यक्ति को कई प्रकार की औपचारिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक फाइलें पहुँचाने के लिए इन पर वजन रखना पड़ता है तथा कई दिनों तक कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लोगों की यह धारणा बन चुकी है कि बिना रिश्वत के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। इसी कारण राजस्थान के गाँवों के लोग व्यावहारिक तौर पर इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते है।

9. गरीबी

देश में गरीब जनता बसती है। यह कथन योजनाबद्ध विकास के 69 वर्ष बाद भी सही प्रतीत होता है। यद्यपि भारत की पंचवर्षीय योजना से प्रेरित रही है कि आर्थिक विकास का अधिकाधिक लाभ समाज के गरीब पिछड़े वर्ग को मिले, जिससे गरीबी का निराकरण किया जा सके। परन्तु आज भी भारत की लगभग 27 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रही है। भारतीय योजना के अनुसार 1980 में देश की 31.7 करोड़ जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती थी जो कुल जनसंख्या का लगभग 48.4 प्रतिशत भाग था लेकिन आज भी प्रतिदिन गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा है तथा धनवान व्यक्ति और धनी होता जा रहा है।

10. मूल लक्ष्य से भटकाव

इन योजनाओं का मूल लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े लोगों का विकास करना है, लेकिन व्यावहारिकता यह है कि योजनाओं का लाभ लेने हेतु इतनी औपचारिकता पूरी करनी होती है कि वह वर्ष भर केवल कोरी कागजी खाना पूर्ति ही होकर रह जाती है और योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई परिवार ऐसे हैं जो अपना व अपने बच्चों को भरपेट भोजन नहीं खिला सकते हैं। वे इन योजनाओं के बारे क्या जान पाएगें। लोगों के पास शहरों में जाकर कार्यालय में कर्मचारियों को देने के लिए रिश्वत के पैसे नहीं हैं।

11. ग्रामीण लोग अल्प लाभ से ही संतुष्ट

सरकार द्वारा जारी योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में मुफ्त में मिलने वाली सहायता माना जाता है।वे इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। अतः जितना लाभ इन लोगों को योजनाओं से मिल सकें उसी से ये संतुष्ट हो जाते हैं। योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। कई स्वार्थी और चापलूस लोग वास्तविक व्यक्ति तक पैसे नहीं पहँचने देते हैं, उससे पहले ही खा जाते हैं।

12. शिकायतों को दबा देना

जब व्यक्ति दर–दर की ठोकर खाकर आखिर में निराश होकर उच्च अधिकारियों से भ्रष्ट व लापरवाह अधिकारियों की शिकायत करता है, लेकिन इन शिकायतों का परिणाम प्राप्त नहीं होता है। उच्च अधिकारी अपने दम पर इन शिकायतों को दबा देते हैं तथा आगे की कार्यवाही नहीं करते हैं। शिकायतकर्ता पुनः उस अधिकारी के पास जाने से कतराता है जिसकी उसने शिकायत की थी। योजनाओं का पूर्ण रूप से कियान्वयन नहीं हो पाता है।

13. जातिवाद का बढ़ता प्रभाव

वर्तमान समय में जातिवाद सम्पूर्ण समाज में अपने पैर पसार रहा है। जन सहभागिता अपना वास्तविकता से कुछ जातिगत आचरण के कारण भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। अतः ग्रामीण विकास हेतु हमें

जातिगत आरक्षण से बाहर निकलकर ही सर्वोदय की भावना से कार्य करना पड़ेगा और योजनाओं का सदुपयोग कर जातिवाद को कम कर दिया जाना चाहिए।

14. राजस्थान की भौगोलिक स्थिति

राजस्थान की इन योजनाओं के वास्तविक परिणाम नहीं मिलने का कारण यहाँ की भौगोलिक स्थिति है। यहाँ एक तरफ थार का मरूस्थल है तो दूसरी ओर अरावली पहाडियाँ, जिसके कारण यातायात के साधन, संचार के साधन व प्रचार–प्रसार नहीं होने के कारण इन योजनाओं का सही लाभ नहीं मिल पाता है।

15. अकाल पड़ना

राजस्थान में लगभग त्रिकाल की स्थिति बनी रहती है। इससे लोगों को तत्काल राहत पहुॅचाने के लिए सरकार इस भयावह प्राकृतिक रोग का सामना करने हेतु अधिकांश कोष इसी पर व्यय करती है। परिणामतः दूसरी योजनाओं में धन की कमी का सामना करना पड़ता है।

16. स्थानीय लोगों की भागीदारी न होना

योजना का निर्माण लगभग उच्च अधिकारी वातानुकूलित कमरे में बैठकर करते हैं। इस दौरान ग्रामीण परिवेश के लोगों से सम्पर्क न होने के कारण ये योजनाएँ सफल नहीं हो पाती हैं क्योंकि उच्च अधिकारी उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं को नहीं जानते हैं।

सुझाव

वर्तमान युग में ग्रामीण विकास की वास्तविक स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि किसी भी कार्य के सैद्धान्तिक पक्ष अलग होते हैं और व्यावहारिक पक्ष अलग होते हैं। ग्रामीण विकास को अपनी चरम सीमा तक पहुँचने के लिए अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता हैं उन्हीं में कुछ सुझाव दिये जा रहे हैं जो अग्रलिखित हैंः–

1. मूलभूत सुविधाओं का विकास करना

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताएँ (रोटी, कपड़ा, मकान) होती हैं। इनके बिना न तो हमारे जीवन की कल्पना करना असंभव है और न ही ग्रामीण विकास संभव है इसलिए ग्रामीण विकास के लिए ये अनिवार्य तत्व होने आवश्यक हैं। गाँवों का वास्तविक विकास तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति इन सुविधाओं के प्रति सचेत हो तथा एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति को ये सभी मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त हो। सरकार द्वारा अधिक से अधिक योजनाएँ चलाकर वास्तविक धरातल पर कार्य कर लोगों के जीवन में बदलाव लाने चाहिए।

2. अशिक्षा को दूर करना

वास्तविक ग्रामीण विकास के लिए प्रत्येक माँ–बाप को संकल्प लेकर अशिक्षा को दूर करना है। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर ही विकास करना है क्योंकि अशिक्षा ही इस समाज की सभी बुराइयों की जड़ है अतः तकनीकी, सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शिक्षा के माध्यम से गाँवों का विकास कर सकते हैं।

3. सामाजिक कुरीतियों का विनाश

गाँवों में सामाजिक बुराईयों मुख्य रूप से रूढ़िवादी, दहेज प्रथा, बाल विवाह, मृत्यु–भोज, डाकन प्रथा, अन्धविश्वास, अशिक्षा आदि कुप्रथाओं को समाप्त करने पर ही गाँवों का वास्तविक विकास हो सकता है।

4.स्थानीय संसाधनों की तलाश कर उनका सदुपयोग करना

स्थानीय स्तर पर संसाधनों की तलाश कर उस क्षेत्र का विकास करना चाहिए। संसाधनों का उचित उपयोग करके ही विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। विभिन्न योजनाओं के सहयोग से उद्योगों का विकास कर गाँवों की तस्वीर बदल सकते हैं।

5. कृषि एवं उद्योगों का विकास

आधुनिक कृषि पद्धति अपनाकर तथा अधिक से अधिक उद्योगों का विकास कर गाँवों का विकास कर सकते हैं क्योंकि इस वैज्ञानिक युग में कृषि

व उद्योग–धन्धे परम्परागत तरीके से न करके आधुनिक तरीके से करने पर ही वास्तविक विकास कर सकते हैं तथा उन्नत बीज, रासायनिक खाद व दवाइयों का उपयोग करके ही हम विकास के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं।

6. विकास में स्थानीय लोगों की जनभागीदारी

विकास योजनाओं की क्रियान्विति के लिए वातानुकूलित कमरों में बैठकर कर्मचारी योजना बनाते हैं। इसमें गाँव वाले शामिल नहीं होने के कारण गाँवों के वास्तविक धरातल की समस्याओं का मालूम नहीं होता जिससे ये योजनाएँ असफल हो जाती हैं। अतः इन योजनाओं के वास्तविक लाभ के लिए स्थानीय लोगों की जनभागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए।

7. गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन

ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से संचालित किया जाना चाहिए। जब व्यक्ति को पेट भर रोटी नहीं मिलती है तो वह सारे दिन भर यही सोचता रहता है कि हमें रोटी कैसे मिले और दर–दर भटक कर खाने के रोजगार की तलाश में घूमता है। इसलिए उसके लिए ये विकास योजनाएँ निरर्थक हैं। अतः सरकार के द्वारा गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।

8. वैज्ञानिक पद्धति अपनाना

गाँव के लोगों को रूढ़िवादी परम्पराओं से ऊपर उठकर ही वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर वास्तविक विकास कर सकते हैं। ग्रामीण विकास योजनाओं में शोध व खोज को बढ़ावा देकर गाँवों का विकास अधिक कर सकते हैं।

9. यातायात व संचार साधनों का विकास

गाँव के लोगों की बेहत्तर स्थिति के लिए यातायात के साधनों का तीव्र विकास करना चाहिए तथा संचार के साधनों को अधिक बढ़ावा देना चाहिए। इनके बिना गाँवों से सम्पर्क नहीं रहता है जिससे आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से

हम वंचित हो जाते हैं। अतः सड़क, रेलमार्ग, वायुयान इत्यादि सुविधाओं का विकास योजना में संचालित कर अधिक विकास करना चाहिए।

10. भ्रष्टाचार समाप्त करना

गाँवों में विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ लेने वाले व्यक्तियों से कर्मचारी कुछ रिश्वत लेते हैं जिससे उनका शोषण होता है। इसलिए गाँवों की योजनाओं में आनी वाली राशि सीधे बैंक खातों में डाली जाये तथा पारदर्शिता अपनाये जाये। भ्रष्ट व्यक्ति को तत्काल कार्यवाही करके नौकरी से निकाल दिया जाये।

11. वास्तविक स्थिति को उजागर करना

सरकार को ग्रामीणों की वास्तविक स्थिति के तह तक जाना चाहिए क्योंकि कर्मचारी वर्ग इस वास्तविकता को कागजी कार्यवाही कर छुपा देते हैं जिससे आम जनता का विकास नहीं हो पाता है। गाँव में कुछ स्वार्थी व चापलूस लोग गरीबों के हक छीनकर खा जाते हैं। इसलिए सरकार को गाँवों में समिति बनाकर उनके सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर विकास के लिए योजनाएँ बनानी चाहिए।

12. जनसंख्या वृद्धि पर रोक

ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा के कारण जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से बढ रही है, जिस कारण गाँवों में संसाधन कम होते जा रहे हैं तथा बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अतः सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम व जनसहभागिता से जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए।

13. अधिकारियों की जवाबदेयता

आजकल किसी भी कार्य की जिम्मेदारी लेने में अधिकारी वर्ग कतराते हैं जिससे लोगों में कर्मचारियों के प्रति विद्वेष भावना पैदा होती है। आम जनता इन विकास योजनाओं में सहयोग प्रदान नहीं करती है। जिससे ग्रामीण विकास योजनाएँ अपने वास्तविक स्वरूप में संचालित नहीं होती हैं।

14. जागरूकता को बढ़ावा

सरकार व आम जनता के दिल में ग्रामीण विकास की योजनाओं को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए लोगों में जागरूकता होना आवश्यक है। जागरूक व्यक्ति ही इन योजनाओं का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ये योजनाएँ सफल हो सकती हैं। इसलिए गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए।

15. पारदर्शिता

ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं में पारदर्शिता होना आवश्यक है इससे तीव्र गति से कार्य किया जाता है। वास्तविक व्यक्ति को इसका लाभ मिल पाता है तथा भ्रष्टचार की सम्भावना कम हो जाती है।

16. लाल फीताशाही को कम करना–

लाल फीताशाही से किसी कार्य को होने में कई महीने व वर्ष लग जाते हैं तथा कर्मचारी बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं। इसलिए एक फाईल को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास भेजने में काफी समय लग जाता है जिससे ग्रामीण लोगों को कार्यों के प्रति निराशा हो जाती है। अतः इस लाल फीताशाही को कम किया जाये।

अष्टम अध्याय

शोध निष्कर्ष

विकास की सर्वमान्य परिभाषा दिया जाना पूर्ण रूप से संभव नहीं है क्योंकि विकास के विषय में अनेक विद्वानों द्वारा किसी सर्वमान्य परिभाषा को असंभव बना देती है। इस मत भिन्नता के बावजूद विकास की सर्वमान्य परिभाषा इस रूप में की जा सकती है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य की दिशा में सचेतन प्रयासों की परिणति है। विकास की क्रियान्विति में विशेष योगदान दिया जा रहा है।

विभिन्न विकास के दूरगामी और तात्कालिक लक्ष्यों की भिन्नता विकास के सम्बन्ध में किसी सम्पूर्ण प्रतिमान के परिकल्पन को अव्यवहारिक बना देती है क्योंकि विकास के लक्ष्यों की भिन्नता का संदर्भ गुणात्मक भी हो सकता है। इस स्थिति में विकास के सम्बन्ध में किसी सम्पूर्ण सार्वकालिक नीति का परिकल्पना भी संभव नहीं होता । उपर्युक्त पृष्ठभूमि में विकास की पश्चिमी संकल्पना और भारतीय संकल्पना के मध्य विद्यमान भिन्नता को समझा जा सकता है।

मानवीय लक्ष्यों के सम्बन्ध में विश्व के किसी भी देश का विकास से विकसित की ओर अग्रसर होना, सांस्कृतिक मूल्यों, उपलब्ध संसाधनों तथा विद्यमान परिस्थितियों के सम्बन्ध में विकास के अपने राष्ट्रानुकूल मापदण्ड निर्धारित करना तथा उसके लिए उपयुक्त कार्यनीति का निर्धारण करना जरूरी होता है। भारत अन्य विकासशील देशों की भांति इस विडम्बना का गवाह रहा है। उसने विकास की आवश्यकताओं व पृष्ठभूमि के अनुरूप विकास को अपने स्तर पर परिभाषित करने की अपेक्षा विकास के सम्बन्ध में पश्चिमी धारणा को स्वीकार कर लिया और उन्हीं धारणाओं के अनुरूप विकास के मापदण्ड और कार्यनीति निर्धारित की और उसी दिशा में प्रयासों को एक दिशा में केन्द्रित किया। इस स्थिति का सहज परिणाम विकास के सम्बन्ध में सर्वव्यापी असंगति

के रूप में प्रकट हुआ जो कि धरातलीय विकासात्मक साधनों के प्रयोग को दृष्टिगत करता है तथा वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने की भूमिका निभाता है।

पश्चिमी दृष्टिकोण को मानक बनाकर विकास के लिए किये गये प्रयासों में मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय अथवा प्रति व्यक्ति उपभोग आदि को विकास के संस्तर के मापन का आधार बना दिया। फलस्वरूप उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपभोग पर बल दिया गया। भौतिक संसाधनों की कमी की पूर्ति के प्रयासों ने निर्भरता का भाव उत्पन्न किया। उपभोग के परिणाम और संस्तर को परिवर्तन करने की अपेक्षा ने अधिक उत्पादन की आवश्यकता उत्पन्न की। इसके लिए औद्योगीकरण को माध्यम माना गया। औद्योगीकरण के लिये प्रचुर पूंजीगत साधनों की सहज आवश्यकता हुई। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए विदेशी सहायता, ऋणों और अनुदानों पर निर्भरता को आवश्यक माना गया है।

विकास का मार्ग देश में जो चुना उसमें औद्योगिकरण को रोजगार के सृजन का माध्यम माना गया तथा इस प्रकार विकास की प्रक्रिया में प्रचुर पूंजी की उपलब्धि को अनिवार्य माना गया। श्रम और पूंजी के पारस्परिक महत्व का संतुलन औद्योगिकृत व्यवस्थाओं में पूंजी के पक्ष में रहता है। स्वाभाविक रूप से ऐसे देश में जब श्रम अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तथा पूंजी की उपलब्धि अपेक्षाकृत कम हो, विकास का पूंजी प्रधान मार्ग अधिक व्यावहारिक और अच्छा हो नहीं सकता। इस रूप में विडम्बना यह रही कि भारत के विकास की कार्यनीति के क्रियान्वयन में उपयुक्त मूल तत्व के महत्व की उपेक्षा की गयी।
महात्मा गाँधी ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम की निर्णायक भूमिका को सुनिश्चित किये बिना भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण समानता और आत्म निर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जाना संभव ही नहीं है। विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था के गाँधीय प्रतिमान के औचित्य यंत्रों और उद्योगों के प्रति उनके दृष्टिकोण की प्रासंगिकता को इसी दर्शन में आत्मसात किया जा सकता है। गाँधी ने भारत के परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट स्थितियों के सम्बन्ध में अपनी विशिष्ट अन्तर्दृष्टि के द्वारा भली–भांति समझ लिया था कि भारत

का विकास ग्रामों की उपेक्षा करके नहीं किया जा सकता। इस हेतु वे श्रम प्रधान कुटीर और लघु उद्योगों को उत्पादन का माध्यम बनाकर ऐसे आत्मनिर्भर ग्रामों की कल्पना कर रहे थे जिनमें लोगों को साधन और जीविका आसान ही उपलब्ध हो सके तथा वे आत्म सम्मान तथा आत्म निर्भरता का जीवन जी सकें। गाँधी के मत में विकास को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति तो मनुष्य के समग्र विकास के लिए पृष्ठभूमि पर निर्भर कर सकती है, ताकि वह अपने नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अग्रसर हो सके। इस दृष्टिकोण का आवश्यक निहितार्थ यह है कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा उसके विस्तार को स्वयं में लक्ष्य मान लेना, गाँधी के मत में विकास के मार्ग को कठिनाई मानता है। इस प्रकार गाँधीय दृष्टिकोण में प्रतिव्यक्ति उपभोग का संस्तर अथवा उपभोक्ता वस्तुओं का परिष्कृत आकार–प्रकार विकास का मानक नहीं बन सकता। उनके मत में विकास ऐसी अवस्था को इंगित करता है जिससें व्यक्ति जीवन के संचालन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में आश्वस्त तो रहे किन्तु उन्हीं में लिप्त न रहते हुये अपने नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए प्रयत्नशील रह सके।

इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत विकास के प्रयत्न व्यक्तियों के बीच पारस्परिक प्रतिद्वंदिता उत्पन्न नहीं करते। तथा गाँधीय मत में विकास का संदर्भ मूलतः मानव है। वे उस स्थिति को मनुष्य के विकास के संदर्भ में प्रासंगिक मानते हैं जो उसके परम श्रेय की प्राप्ति में सहायता पहुँचा सके। विकास के अन्य भौतिक पक्षों को स्वयं में लक्ष्य नहीं माना जा सकता अपितु मानव के परम श्रेय की सिद्धि के मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति में सकारात्मक पक्षों के रूप में ही समझे जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में गाँधीय अवधारणा का निहितार्थ मनुष्य के हित में भौतिक संसाधनों के प्रति विद्वेष अथवा विरोध के रूप में घटित नहीं होता अपितु केवल इस दृष्टिकोण के रूप में घटित होता है कि न तो इसकी प्राप्ति को लक्ष्य माना जा रहा है और न ही इनकी उपलब्धि या उपभोग के स्तर को विकास का मानक समझा जा सकता है।

गाँधी के अनुसार विकास ऐसी अवस्था को बताता है जिसमें मनुष्य अपने निर्वाह की आवश्यकता की पूर्ति के प्रति आश्वस्त रहते हुए परम श्रेय की प्राप्ति के लिए एकचित हो सके। विकास के इस पक्ष पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना अपेक्षित है कि वास्तविक ग्रामीण विकास तभी संभव है जब ग्रामीण विकास की कार्यनीति स्वयं ग्राम स्तर पर उसकी पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण निर्धारित और निश्चित की जाये। स्वाभाविक रूप से ग्रामीण विकास में स्थानीय ग्रामीण संस्थाओं की निर्णायक भूमिका को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं और विकास के सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे तथा नवीन पीढ़ी को प्रेरणा के लिए प्रेरित करते रहेगें।

स्वतंत्र भारत में प्रशासकीय व अन्य सभी स्तरों पर एक मात्र लक्ष्य ग्रामीण विकास की ओर ध्यान केन्द्रित कर इस आवश्यकता को अनुभव किया गया कि बिना ग्रामीण विकास के राष्ट्रों का उदय असंभव है। यह कल्पना की गई कि ग्रामीण विकास स्वतंत्र भारत के निर्माण की आधार भूमि बन सकता है। साथ ही इस बात को स्वीकार किया गया कि ग्रामीण विकास के लिये किये जाने वाले प्रयास स्थानीय संस्थाओं तथा जन–सामान्य के मध्य चेतना और जाग्रति के माध्यम से ही सफल हो सकते हैं। इसी कारण भारत के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की निर्माण के समय से ही इन्हें महत्वपूर्ण किन्तु इन संस्थाओं के कार्यकरण के प्रारम्भिक अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये संस्थाएँ अनेक कारणों से इस सम्बन्ध में वास्तविक भूमिका का निर्वाह नहीं कर पा रही हैं। इस हेतु आवश्यक सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इन संस्थाओं पर राज्य सरकारों के अत्यधिक नियंत्रण के कारण इनकी कार्यप्रणाली में स्वायतत्ता नहीं दिखायी गयी है।

ग्रामीण विकास की योजनायें परिकल्पित करने की अपेक्षा केन्द्रीय स्तर पर निर्धारित योजनाओं के यांत्रिक भागीदारी निभाने के लिए मजबूर रही, तथा वित्तीय संसाधनों के लिए ये राज्य सरकार पर निर्भर रही और इन संस्थाओं में समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इस पृष्ठभूमि में समय–समय पर अनेक आयोगों और समितियों ने

पंचायती राज व्यवस्थाओं के स्वरूप और भूमिका में सुधार के लिये बहुत से उपाय बताये। ऐसे सुझाव के अनुरूप ही विभिन्न राज्यों में इन संस्थाओं के लाभ के लिए अनेक कदम भी उठाये गये। संविधान के 73 वें संविधान संशोधन ने इस दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तनों का सूत्रपात किया। इस संशोधन द्वारा पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक संस्तर प्रदान किया गया। यह भी निश्चित किया गया कि पूरे देश में इन संस्थाओं के संगठन में एकरूपता हो तथा इनमें समाज के विभिन्न वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। इन संस्थाओं की भूमिका एवं दायित्वों को भी संविधान में समावेश कर दिया गया ताकि इनके पक्ष में शक्तियों एवं दायित्वों का हस्तान्तरण राज्य विधानमण्डल के स्वविवेक के अधीन नहीं रहे। संविधान में इंगित किये गये इन दायित्वों में ग्रामीण विकास के लिए नियोजन व नीति संचालन व कार्यक्रम क्रियान्वयन को महत्व के साथ इंगित किया गया। जो ग्रामीण विकास की ओर एक प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य सरकार के द्वारा किया है जो सार्थक है, तथा भविष्य के लिए अनिवार्य तत्व है।

73वें संविधान संशोधन के उत्तरवर्ती परिदृश्य में ग्रामीण विकास के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। ये संस्थायें इस अपेक्षा की पूर्ति के लिये किस सीमा तक सफल हुयी, यह मूल्यांकन का विषय है जिससे इस योजनात्मक विषय का औचित्य निर्धारित किया जा सके।

ग्रामीण विकास में जन सहभागिता अध्ययन के विगत अध्यायों में ग्रामीण विकास के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, औचित्य और इस प्रक्रिया में जन–सहभागिता के स्वरूप व संस्तर के आकलन, प्रयास व औचित्य निर्धारित हुए हैं।

विकास में जनतंत्र की अवधारणा मूलतः जन कल्याण की भावना पर आधारित होती है। इस हेतु सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह आम–जनता के अधिकारों को ध्यान में रखते हुये उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सके। भारत गाँवों का देश है। यहाँ की ग्रामीण जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि है जो प्रकृति पर निर्भर है। गरीबी और विषमता गाँवों की मूल समस्याएँ हैं।

भारत में नियोजित विकास के प्रथम चरण में एक व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा ग्रामीण जीवन की आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर मुख्य जोर दिया गया। जन सहभागिता के अभाव में यह कार्यक्रम अपेक्षित उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। सन् 1958 में सर बलवन्तराय मेहता की संस्तुति के अनुसार इस कार्यक्रम में केन्द्रीकरण की प्रकृति के विरूद्ध लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को महत्त्व दिया गया। जनसहभगिता को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गयी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम से लेकर संबंधित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तक की सभी विकास तथ्यों से जन–सहभागिता का अभाव मूल समस्या है। इसके कई कारण हैं जो जनजीवन के मानसिकता, सामाजिक विषमता तथा तकनीकी से सम्बन्धित हैं।

विकासशील देशों में भारत जैसे राष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए समय–समय पर सरकार की कई योजनाएँ क्रियान्वित की गयी हैं जैसे–सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) 1952, खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम 1957, ग्रामीण आवासीय योजना 1957, गहन जिला कृषि विकास कार्यक्रम 1964, उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का कार्यक्रम 1967, ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1969, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी.सी.ए.) 1970, ग्रामीण रोजगार हेतु नगर योजना 1971, लघु कृषक विकास एजेंसी (एस.एफ.डी.ए.) 1971, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1972, जनजाति विकास हेतु पायलेट योजना 1972, समेकित बाल विकास सेवायें 1973, मरू–भूमि विकास कार्यक्रम 1977, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 1980, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम 1983, राष्ट्रीय विस्तार योजना(एन.ई.एस.), इन्दिरा आवास योजना, निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना 1988, जवाहर रोजगार योजना 1989, द्वारका योजना 1992–93, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.)1994–95, इंदिरा महिला योजना 1995–96, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व–रोजगार योजना 1999–2000, के साथ अन्य सारी योजनाएँ जैसे– परिवार कल्याण,मत्स्य पालन, निजी लघु सिंचाई, उद्यान, कुटीर, अग्नि एवं सामूहिक बीमा योजना, पशुपालन, लघु

सीमान्त कृषकों को बोरिंग की सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, आबादी पर्यावरण सुधार, महिला कल्याण पोषण कार्यक्रम, स्पेशल कम्पोनेंट स्कीम(एस.एस.सी.) पोषाहार कार्यक्रम, धुआं रहित विकसित चूल्हा योजना, जनधारा एवं कुटीर ज्योति आदि अनेक कदम शासन ने उठायें हैं। निसन्देह भारत की ग्रामीण जनता की गरीबी व बेरोजगारी को दूर करने के लिए व एक सामान्य जीवन जीने के उद्देश्य से बनाये गये थे जो व्यावहारिक जीवन के लिए अतिआवश्यक है।

विकास योजनाओं की क्रियान्विति के लिए अपनाई गई कार्यनीति में आरम्भ से ही, कोई मूलभूत संस्तर को सुनिश्चित करने, असफलता को इस न्यूनता के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। जन–सहभागिता विकास कार्यक्रमों की सार्थक क्रियान्विति के लिए तो अनिवार्य अपेक्षा है वस्तुतः यह स्वयं विकास का मापक भी है।

विकास का अर्थ हमें यहाँ केवल आर्थिक प्रगति से नहीं लेना होगा वरन् मात्रात्मक के साथ ही साथ गुणात्मक विकास हेतु सांस्कृतिक, सामाजिक व नैतिक पक्षों पर जोर देना अतिआवश्यक है। यह समस्या है कि सामाजिक व आर्थिक विषमताओं के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक प्रगति को विकास का पर्याय माना जाता है। इस प्रकार सामुदायिक विकास योजनाओं को वास्तविक सफलता नहीं मिल पा रही है। फलस्वरूप विकास कार्यों पर धन का पूर्ण–रूप से उपयोग नहीं हुआ। अब तक विकास की सभी योजनाओं में निवेशित धन राशि मे उत्तरोतर वृद्धि की सभी नियोजन उद्देश्यों को पूर्णरूप से प्राप्त नहीं किया जा सका। जनभागीदारी अशिक्षा, अज्ञानता के अभाव के परिणाम स्वरूप विकास की किरण ग्रामीण क्षेत्र में आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं कर सकी है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों का सर्वेक्षण इंगित करता है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अपनाये गये विशिष्ट विकास कार्यक्रम विविध रूपों में रहे लेकिन कार्यक्रमों की विषयवस्तु व आन्तरिक वरीयताओं में परिवर्तन दृष्टिगत हुए। योजनाओं के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में सामान्यतः निम्नलिखित लक्ष्यों को सम्मिलित किया गया है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन के उत्पादन क्षमता में ध्यान केन्द्रित करें।
2. ग्रामीण जनता की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति निश्चित हो।
3. जनता को शिक्षा क्षेत्र में व रोजगार योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के संचालन व क्रियान्वयन में पंचायती राज भूमिका को स्वीकार किया गया है। पंचायतों की प्रभावी भूमिका स्वयं में सहभागिता को बढाने के लिए विशेष प्रयास जारी हैं। जनता की भागीदारी का विकास की पूर्ण प्रक्रिया में जनता की सहभागी होने के रूप में प्रकट होता है। इन विकास कार्यों की परिधि में लघु सिंचाई, सामाजिक वानिकी, पशुपालन कृषि भूमि, लघु तथा खादीग्राम कुटीर उद्योग, पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक वितरण, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता परिवार कल्याण आदि को शामिल किया गया है।

अनुभवमूलक अध्ययन से विगत अध्याय में हुए विश्लेषण सार्थक ग्रामीण विकास के संदर्भ में पंचायतीराज संस्थाओं की प्रभावी भूमिका तथा वास्तविक जनसहभागिता को सुनिश्चित करने के क्रम में विद्यमान अनेक दृष्टिकोण संस्थागत व व्यावहारिक समस्याओं का संकेत मिला है। ऐसी समस्याओं में से प्रमुख को निम्नलिखित रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता हैः—

1. विकास खण्ड एवं ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यक्रमों के लिए जनप्रतिनिधियों का पर्याप्त सहयोग नहीं मिलता है।
2. ग्रामीण जनता में शिक्षा की कमी वास्तविक सहभागिता को बाधित कर रही है।
3. विकास कार्यक्रमों के अधिकारियों को अपने कार्य के प्रति उदासीनता रहती है।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन के अलावा भ्रष्टाचार का बोलबाला है।
5. नीचे के स्तर पर नियोजन केवल कागजों पर ही है।
6. ग्रामीण विकास योजनाओं की जिम्मेदारी का ठीक तरीके से निर्वाह नहीं हो पाता है।

7. ग्रामीण योजनाओं के प्रति रूचि या लगाव का अभाव है।
8. यह समस्या रही है कि विकास योजनाओं के व्यय का एक बहुत बड़ा भाग मध्यस्थों द्वारा बीच में ही खर्च हो जाता है।

ग्रामीण विकास के अवरोधों के निराकरण के लिए एक प्रभावी बहुआयामी विकास की आवश्यकता स्वयं सिद्ध है। इस दिशा में शामिल किये गये प्रयासों के महत्व को अनुभवमूलक नहीं किया जा सकता है। यह टिप्पणी प्रासंगिक है कि अभी तक विकास वांछित दिशा में होते हुए भी वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में पूर्ण असफल रहे हैं। ग्रामीण जीवन के पिछडेपन को दूर करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना की जरूरत है। इसके लिए लोगों में सजगता अभियान चलाना होगा। इस कार्य योजना के तहत कुछ इस प्रकार की नीतियाँ अपनायी जानी चाहिये। जो इस प्रकार हैं :–

1. गाँवों के पिछड़ेपन के वास्तविक कारणों को ढूँढा जाये। ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने के लिए स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम बनाये जायें जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जनता की व्यापक साझेदारी सुनिश्चित हो। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित सभी कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में एक ही प्रतिरूप पर लागू नहीं किये जा सकते हैं।
2. विकास कार्यों में आम जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होता, तब तक विकास का कोई भी कार्य सफल नहीं होता।

आज ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उन्हें ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। हरितक्रांति के लाभ भी कुछ क्षेत्रों तक सिमट कर रह गये हैं। कृषि क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश नहीं हो पा रहा है और ग्रामीण विकास बहुत हद तक कृषि की पारम्परिक तकनीकियों पर ही निर्भर है। आधी से अधिक ग्रामीण जनसंख्या जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही थी, उसमें कमी तो आयी है, फिर भी लगभग एक–तिहाई जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने को मजबूर है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण सूचक स्वास्थ्य और पोषक स्तर है। यह सही है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में काफी सुधार हुआ है। सन् 1951 में जहाँ देश में 725 प्राथमिक स्वास्थ्य बने, जो वर्ष 2016–17 में बढ़कर 88,619 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो गये लेकिन इसके बावजूद भी ग्रामीण निरक्षरता पढ़े–लिखे वर्गों खासकर चिकित्सकों का गाँव के प्रति लगाव का कम होना, ग्रामीण जनता में जागरूकता का अभाव, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर, अंधविश्वास, संसाधनों की कमी आदि के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार नहीं है। आज स्वतंत्रता प्राप्ति के 68 वर्ष पूर्ण होने पर भी गाँवों की आधे से अधिक जनसंख्या निरक्षर है। सन् 1951 में साक्षरता की स्थिति काफी खराब थी अर्थात् कुल जनसंख्या का मात्र 18.72 प्रतिशत भाग ही साक्षर था जो कि बढकर सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 प्रतिशत है।

ग्रामीण समुदाय के समर्थन में विकास योजनाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए राजनैतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। लोगों के सक्रिय सहयोग के द्वारा कार्यक्रम को सही तरीके से लागू किया जा सके। विकास कार्यक्रमों में जनता की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करने में निम्न तरीके प्रभावशाली सिद्ध हो सकते हैं–

1. यदि छोटे समूह की सामान्य रूचि वाली गतिविधियों के इर्द–गिर्द योजनाएँ बनायी जाये तो सहभागिता प्रभावशाली होगी। छोटे समूह में शिक्षा समझाने बुझाने तथा स्थान देने से सहभागिता को शामिल करना हमेशा आसान होता है। यद्यपि जरूरतों के आधार पर ग्रुपों को संगठित करने की पहल करनी चाहिए।
2. विकासात्मक कार्यक्रमों में जनता की सहभागिता बढाने के महत्वपूर्ण तरीके हैं – दक्षता तथा कानूनी समर्थन, सम्मिलित मूल्यांकन, ठोस लक्ष्यों का निर्धारण।
3. इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आर्थिक अनुकूल वातावरण निर्मित करने तथा मौजूद माध्यमों को मजबूत बनाने के साथ–साथ जनप्रिय

सहभागिता की ओर अधिक माध्यमों को बढाने के लिए सरकार तथा अन्य क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास होने चाहिए।

4. यदि विकास कार्यक्रमों का ध्येय आय देने वाले उत्पादक कार्यक्रमों के इर्द–गिर्द होगा तो लोग विकास कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए उत्साहित होंगे। एक किसान या दस्तकार स्वयं को कार्यक्रमों से जोड़ पाने में कठिनाई महसूस करता है कि कभी तो वह निराश हो जाता है क्योंकि उत्पादन के साधनों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। सहभागिता तथा अधिकार दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
5. गरीबी का प्रमुख कारण अज्ञानता है जो उदासीनता तथा भाग्यवादिता को बढ़ावा देती है। यह विकास में अवरोध डालती है। इसलिए कर्तव्यनिष्ठा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जनता के शक्तिहीन प्रभाव निस्प्रभावी हो सकते हैं।
6. नवीन संचार तकनीकी, समुदाय प्रणाली का प्रयोग, सदस्यों का सक्रिय रूप से जुड़ना, स्थानीय नेतृत्व का उभरना, जिम्मेदारियाँ निश्चित करना तथा उचित सहायता व्यवस्था का प्रबंध आदि जनता की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे।
7. गरीब ग्रामीण को उनके फायदों के लिए बनायी गयी नीतियों तथा कार्यक्रमों का ज्ञान नहीं है। जनता द्वारा सार्थक सहभागिता के बारे में सूचनाओं का अभाव है। नवीन तकनीकी साधनों के प्रयोगों के लिए नवीन शिक्षा प्रणाली को उन तक पहुँचाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलना ताकि लोगों की जनसहभागिता अधिक से अधिक हो सके।
8. सरकारी प्रशासनिक तंत्र को वास्तविक धरातल पर जुड़ना होगा न कि काल्पनिक भंवर में मंडराने तक योजनाओं का निर्माण स्थानीय जीवन की वास्तविक समस्याओं को मद्देनजर रखा जाय। ताकि इन धारणाओं का वास्तविक रूप में लाभ मिल सकें।

सारांश (Summary)

भारत गाँवों का देश है। इसकी आत्मा गाँवों में निवास करती है,क्योंकि लोगों का जीवन ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है। यहाँ की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ कहलाती है। भारत के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास होना आवश्यक है। स्वतन्त्रता के बाद लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास में जनसहभागिता का मुख्य अभिकरण पंचायत राज संस्थाओं को माना गया है।

ग्रामीण विकास के तीव्र विकास के लिए नीति निर्माताओं ने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना की गयी है, जिसमें विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण लोगों की सहभागिता आवश्यक है। वर्तमान में ग्रामीण विकास अभिकरणों को निरसित कर उनके स्थान पर जिला परिषद् में 'जिला विकास प्रकोष्ठ' बना दिये हैं। अतः ग्रामीण विकास के निर्णयन में जनप्रतिनिधियों का महत्व बढ़ा है। राजस्थान सरकार के बजट में 62 प्रतिशत राशि ग्रामीण विकास पर खर्च होने के बावजूद भी ग्रामीण विकास अभिकरण अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हैं। विभिन्न योजनाओं में भारी खर्च के बावजूद भी गाँवों का सर्वांगींण विकास नहीं हो पा रहा है और दिन प्रतिदिन अमीर-गरीब की खाई बढती जा रही है।

73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सशक्त बनाया गया है क्योंकि इससे पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस अध्ययन में ग्रामीण विकास की अवधारणा,ग्रामीण विकास में जन सहभागिता,कार्यक्रम एवं योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। ग्रामीण विकास के अवधारणात्मक पक्षों का विश्लेषण,संश्लेषण,पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका,परीक्षण एवं जन सहभागिता के स्वरूप का मूल्यांकन भी किया है साथ ही योजनाओं की अभिकल्पना और क्रियान्विति से संबंधित पक्षों के दृष्टिकोण के

आकलन के लिए अनुभवमूलक अध्ययन को अधिक महत्व दिया है। अनुभवमूलक अध्ययन हेतु राजस्थान के सीकर जिले की नीमकाथाना और श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों का चयन किया है।

उपलब्ध साहित्य के पुनरावलोकन के तौर पर जे.पी. कुमारप्पा ने इकोनॉमी ऑफ परफोरमेन्स में यह बताने का प्रयास किया गया कि विश्व में मतभेद ,युद्ध, उपनिवेशवाद, समाजवाद आदि को समाप्त किया जाये तथा साथ ही इन्होंने मशीनीकृत औद्योगिक सभ्यता आदि पर प्रहार किया है। सुमेश्वर ने यह बताने का प्रयास किया है कि गाँवों का पुनः निर्माण होना चाहिए। सिद्धराज ढढ्ढा ने मेरे सपनों का भारत में बताया कि मेरे सपनों का स्वराज तो गरीबों का स्वराज होगा। रूमकीवासु ने लोकप्रशासन संकल्पनाओं एवं सिद्धान्तों का परिचय में लिखा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक है। डॉ0 मेनारिया ने ग्रामीण विकास की नीतिगत व्यूहरचना में कृषि उत्पादन, ग्रामीण उद्योग, प्राथमिक वस्तुओं की आवश्यक सेवाएँ आदि को शामिल किया है। महात्मा गाँधी ने गाँवों के नवनिर्माण पर विशेष बल दिया है तथा यह महसूस किया गया है कि योजनाओं की सफलता लोगों की भागीदारी से सम्भव है। ये योजनाएँ तब तक सफल नहीं हो सकेंगी जब तक करोड़ों लघु किसान इनके लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करते हैं। दुर्गादास बसु ने भी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में जन सहभागिता को अधिक महत्व दिया है। खान आइथेजा ने बलवंतराय मेहता के लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया है। यहाँ पंचायतीराज का संयुक्त अर्थ पाँच जनप्रतिनिधियों का शासन से सम्बन्धित माना है। सुदिप्त कविराज ने अपनी पुस्तक हमारा शासन कैसे चलता है में बताया कि ग्रामवासियों में जो विवाद होता था उसका फैसला गाँव के बुर्जुग लोग ही कर देते थे। गाँधी जी के अनुसार जब तक ग्रामीण जीवन को लोकतांत्रिक नहीं बनाया जाता तब तक भारत में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती।

औद्योगीकरण व पाश्चात्यीकरण के बारे में विलियम बेवरिज ने लिखा है कि हमें यूरोप व नरक के मध्य एक को चुनना है। इस प्रकार औद्योगिकरण पर प्रहार किया गया है। यदि हमें स्वराज की कल्पना को साकार करना है तो

गाँवों को उनका उचित स्थान देना होगा। इसके प्रत्येक गाँव के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही है और कहा है कि जब तक लघु उद्योग वापिस नहीं मिलते तब तक गरीब किसान खुशहाल नहीं बन सकता। वर्तमान युग में वैज्ञानिक सभ्यता व भौतिक वस्तुओं को निराधार व निरर्थक बताया है। ग्राम स्वराज्य के अवधारणा ही व्यक्ति को चरमोत्कर्ष पर ले जा सकती है। गाँधी जी ने भारत की सारी बुराईयों को जड़ से समाप्त करने के लिए ग्राम स्वराज योजना को महत्व दिया है। ग्राम स्वराज की योजना में ग्रामसेवक का केन्द्रीय स्थान होगा। मेरे सपनों का स्वराज तो गरीबों का स्वराज होगा आदि अभिकल्पनाऐं विकास के बारे में बताई है। गाँवों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बना सकते है। नेहरू की संकल्पना में स्वतंत्रता के बाद बहुसंख्यक किसानों के परम्परागत सामाजिक ढ़ाँचे में बदलवा लाकर ही ग्रामीण विकास कर सकते है साथ ही आम लोगों की जनसहभागिता अति आवश्यक है। नेहरू ने ग्रामीण विकास के तीन आधार स्तम्भ पंचायत, सहकारी समिति एवं विद्यालय को माना है। पंचवर्षीय योजनाओं में इन तीनों स्तम्भों को मजबूत करने पर बल दिया गया है। सन् 1960 के बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि को विशेष प्रमुखता दी गई। ग्रामीण विकास की अवधारणा में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास पर अधिक जोर दिया गया है।

73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतराज संस्थाओं को कानूनी दर्जा दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर अधिक बल देकर कई कार्यक्रमों में परिवर्तन किये है। विकास कार्यक्रम में जनसहभागीता में जनता की सहभागिता एवं परिवर्तन नियोजित करने के लिए कार्यक्रम बनाये है। जनता के योगदान की संकल्पना की शुरूआत यूनान से हुई है। गाँधी के मतानुसार ग्राम स्वराज्य का अर्थ ग्रामीण विकास योजना जनता स्वयं तैयार करें और वे ही प्राथमिकता तय कर अपनी देखरेख में संचालित करें। जनसहभागिता को मुख्यतया दो अर्थ में परम्परागत व आधुनिक अर्थ में लिया गया है। सहभागिता की अवधारणा के विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में बताया कि कोई

योजना तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक देश के करोड़ो छोटे किसान इसके लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करते है।

सहभागिता तथा विकास के मध्य सम्बन्धों में स्थानीय समस्याओं को समझने, सम्भावनाओं के हल करने पर जोर दिया है। सहभागिता के आयाम जिनमें निर्णय लेने में सहभागिता, कार्यान्वयन, उपलब्धियों एवं मूल्यांकन में सहभागिता पर जोर दिया है। जनसहभागिता के लाभों में समाज व समुदाय के मूल्यों व प्राथमिकताओं के बीच विषमता दूर करने में सहायता मिलती है। समाज के निर्धन वर्ग के प्रति लोगों के दायित्व निर्वाह करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके स्वरूप व प्रकार में परोक्ष भागीदारी की अहम भूमिका होती है। इसके साथ ही व्यवहारिक भागीदारी से लोगों का जीवन आत्मनिर्भर बन जाता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से संचालित होती है। जनसहभागिता के साधनों में जैसे स्थानीय सरकारें, सहकारी संगठन, संस्थाऐं, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम पंचायत आदि शामिल की गई है। पंचायत ओर स्वैच्छिक संस्थायें विकास कार्यो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहयोग के क्षेत्र में जानकारी की उपलब्धता, योजनाओं का क्रियान्वयन, मूल्यांकन एवं प्रबोधन, प्रशिक्षण, तकनीकी विशेषज्ञता आदि आती है।

सहभागिता में बाधाओं के रूप में लोगों की निम्न आर्थिक स्थिति, प्रतिबद्ध अफसरशाही, राजनैतिक नेतृत्व की कमी, संचार तकनीकी का अभाव है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सहभागिता की प्रकृति, शहरी गरीबों का स्तर उठाने के लिए वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जाती है। सहभागिता का स्तर गन्दी बस्तियों का सुधार, शिशुओं की देखभाल, परिवार नियोजन आवास, नागरिक सुविधाऐं, प्रेस संस्थाऐं आदि सहभागिता को प्रोत्साहन देती है। सहभागिता बढ़ाने के तरीकों में सूचना की सुलभता, समुदाय प्रणाली का प्रयोग, नवीन संचार तकनीकी, दक्षता और कानूनी समर्थन, मूल्यांकन, ठोस लक्ष्यों का
निर्धारण, आर्थिक अनुकूल वातावरण आदि है जो सहभागिता में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग प्रदान करते हैं।

तृतीय अध्याय में ग्रामीण विकास के लिए संचालित की जाने वाली महत्वपूर्ण योजनाओं का सामान्य सर्वेक्षण में पाया कि गाँवों के विकास के बिना हमारा जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि अधिकांश जनता गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाऐं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों के जीवन स्तर को उपर उठाना, बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देना, समाज के कमजोर वर्ग को सम्बल प्रदान करना आदि है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, समय और परिस्थिति के अनुरूप विकास का स्वरूप बदलता रहता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, पेयजल, सड़क निर्माण, कृषि एवं ग्रामोद्योग के क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का बड़े पैमाने पर विस्तार कर आधुनिकीकरण के विकास के मार्ग खोल दिये है। इन योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सहित निर्धन एवं कमजोर वर्ग और महिलाओं के सशक्तिकरण व कल्याण के लिए विभिन्न प्रयास किये हैं। इस अध्ययन में जिले के चहुँमुखी विकास हेतु किये जा रहे सार्थक प्रयासों के फलस्वरूप सीकर जिले के नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समिति में संचालित विभिन्न योजनाओं का वर्णन किया गया है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम में एक वर्ष में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को कम से कम 100 दिन के अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारन्टी दी गई है। यह केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। यह योजना न होकर गारण्टी से रोजगार देने का कानून है साथ ही नीमकाथाना पंचायत समिति में 159 कार्य पूर्ण तथा श्रीमाधोपुर में 107 कार्य पूर्ण किये गये है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्राम को सड़क मार्ग से जोड़ने व गरीबी उन्मूलन व बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करना है। इन्दिरा आवास योजना केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई योजना है। इसके अन्तर्गत प्रार्थी के पास पूर्व में पक्का निर्मित भवन नहीं होना चाहिए तथा गरीबी रेखा के

नीचे जीवनयापन कर रहा हो। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में आवास सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति व स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था करना आदि है। निर्मल भारत अभियान योजनान्तर्गत गन्दी बस्तियों के सामुदायिक शौचालयों का निर्माण गया तथा इसके अन्तर्गत राज्य में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 17.80 प्रतिशत एवं 13.50 प्रतिशत परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना केन्द्र सरकार द्वारा निर्धनता रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों के लिए शुरू की गई है। इसमें वृद्ध लोगों को कुछ सहायता देने के लिए पेंशन दी जाती है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीब व आम जन के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क दवा वितरण की जाती है। यह गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को आर्थिक दृष्टि से बेहतर सुविधा प्रदान करता है। मृत्यु दर को घटाने का भरसक प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना में प्रदेश के किसी भी बीमार व्यक्ति की जाँच सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क की जाती है। इस योजनान्तर्गत 7 करोड़ 38 लाख 52 हजार 144 निःशुल्क जाँच की गई है। स्थानीय विधायक क्षेत्र विकास योजना में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप जनोपयोगी परिसम्पतियों का निर्माण व क्षेत्रीय विकास के असंतुलन को दूर करना है। मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा वितरण योजना में अशिक्षित चरवाहे और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नन्दघर योजना में आंगनबाड़ी केन्द्रों को आधुनिक बनाने एवं इनके संचालन में सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। मात्र मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर में कुपोषण जैसी बीमारियों का निराकरण करना मुख्य उद्देश्य है।

स्वच्छ राजस्थान, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ रहने के लिए प्रेरित करना, शुद्ध पर्यावरण को बढ़ावा देना आदि है। राजीविका से आजीविका कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई गई योजना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री अन्न योजना का ध्येय गरीबी रेखा के नीचे कोई भी गरीब व्यक्ति

भूख से न मरे। आम आदमी बीमा योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में खेतीहर को निःशुल्क बीमा लाभ दिया गया। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में किसानों की भूमि के पोषक तत्वों के प्रबन्धन का प्रशिक्षण दिया जायेगा और देश कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में बी.पी.एल. परिवारों व सरकारी कर्मचारियों को इसमें शामिल कियो है। अन्त्योदय अन्न योजना में निर्धन परिवारों को विशेष रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध हो रहा है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में नागरिकों को सुशासन प्रदान करना एवं आम जनता के साथ पारस्परिक मधुर सम्बन्ध बनाने की प्रेरणा दी गई है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा गरीब व्यक्तियों के घरों में रोशनी प्रदान करने के लिए चलाया गया है।

चतुर्थ अध्याय में ग्रामीण विकास में पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका में लिखा है कि ग्रामीण विकास अनवरत गति से हो रहा है। इसके अन्तर्गत पंचायतराज का संयुक्त अर्थ पाँच जनप्रतिनिधियों का शासन माना है। यहाँ पंचायतराज का अभिप्राय सामुदायिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करेने के साधन मात्र तथा गाँवों और राजनीतिज्ञों के बीच अनुकूलता स्थापित करने के लिए लोकतन्त्र का विस्तार मात्र बताया है। आजादी के बाद स्वशासन प्राप्ति का मुख्य लक्ष्य था। प्राचीन ग्रन्थों के अनुसार पंचायत शब्द से पाँच पुरूषों के समुह या वर्ग को पंचायत के नाम से जाना जाता था। वर्तमान युग में पंचायत की अवधारणा का अर्थ निर्वाचित सभा से जिसकी सदस्य संख्या प्रधान सहित पाँच होती है जो स्थानीय स्तर के विवादों का निपटारा करने में विशेष भूमिका निभाती हैं। पंचायतीराज का आरम्भ वेदों से वर्तमान तक जारी है लेकिन वर्तमान में इनका स्वरूप बदल गया है। वर्तमान में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण को पंचायतराज में विशेष महत्व दिया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में पंचवर्षीय योजनाऐं संचालित कर ग्रामीण जीवन के स्तर को ऊँचा उठाया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का पुनरूत्थान हुआ है। जनसहभागिता के अभाव के कारण ग्रामीण विकास के लक्ष्यों का यह कार्यक्रम आंशिक रूप से ही सफल रहा है। बलवन्तराय मेहता समिति ने सन् 1957 के

प्रतिवेदन में सिफारिश की गई कि पंचायतीराज की त्रिस्तरीय प्रणाली में ग्रामस्तर पर ग्राम पंचायत खण्ड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। सिंघवी समिति ने पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिये जाने पर बल दिया है जबकि सरकारिया आयोग ने पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा न दिये जाने का समर्थन किया।

पंचायतीराज के नये आयाम में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके अन्तर्गत एक नया भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। पंचायतों के गठन सम्बन्धित प्रावधान, आरक्षण, कार्यकाल, महिलाओं की सहभागिता, निर्वाचन आयोग की स्थापना, शक्ति और कर्तव्य, वित्त आयोग का गठन का भी इसमें प्रावधान किया गया है। राजस्थान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के नये आयाम निश्चित किये है। इसके अन्तर्गत ग्रामसभा का प्रावधान किया गया है। इसमें ग्रामसभा की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठके बुलाना अनिवार्य किया गया है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिककरण, जिला योजना समितियों का गठन, परम्परागत जल स्त्रोतों का सुधार, चारागाह भूमि प्रबन्धन, सूचना का अधिकार, मुख्यमंत्री रोजगार योजना आदि कार्य पंचायत राज में आते हैं। पंचायतीराज के सुदृढ़िकरण के लिए 6 जनवरी 2000 को पंचायतीराज अधिनियम 1994 में महत्वपूर्ण संशोधन कर ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसमें ग्रामसभा, वार्डसभा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए एक तिहाई उपस्थिति उसकी जनसंख्या के अनुपात में अनिवार्य होगी। इन प्रावधानों में ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सफल बनाने एवं क्रियान्वयन में ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है।

अतः संक्षेप में हम कह सकते है कि स्वतन्त्र के बाद भारत के ग्रामीण विकास प्रशासन में 73वाँ संविधान संशोधन 1992 अनुसूचित क्षेत्रों व ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था के लिए एक सामाजिक क्रान्ति के प्रतीक के रूप में साबित हो रहा है। जिससे पंचायतराज व्यवस्था अपने निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो सके।

पंचम अध्याय में अध्ययन क्षेत्र की स्थिति में सीकर जिले की नीमकाथाना एवं श्रीमाधोपुर पंचायत समिति का क्षेत्रीय अध्ययन किया है। अध्ययन क्षेत्र के लिए इन पंचायत समितियों के चुनने का प्रमुख कारण सीकर जिले के विकास में पिछड़ा होना है। ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि में नीमकाथाना एवं श्रीमाधोपुर का वेदों से वर्तमान तक का इतिहास का वर्णन इसमें किया है। स्थिति एवं विस्तार, भूगर्भिगक संरचना, उच्चावच, मिट्टी, अपवाह तन्त्र के बारे में गहन अध्ययन किया गया है और बताया कि यहाँ की भूगर्भिगक संरचना प्राचीनकाल की है जिसमें अरावली पर्वतमाला भी विद्यमान है जो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत मालाओं में से एक है। जलवायु का अध्ययन करने के बाद यह महसूस किया है कि यहाँ की जलवायु अर्द्धशुष्क एवं वनस्पति पतझड़ में आती है। इन दोनों पंचायत समितियों में लगभग एक सी प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दशाऐं विद्यमान है। यहाँ जनसंख्या, वितरण, वृद्धि व घनत्व के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। लिंगानुपात, साक्षरता, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, धार्मिक स्थल, शिक्षा, चिकित्सा सुविधाऐं, डाकघर, परिवहन सुविधा, उद्योग धन्धे, खनिज संसाधन व पशुधन इत्यादि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया गया है। इन दोनों पंचायत समितियों के अध्ययन क्षेत्र में स्वयं उपस्थित होकर ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन करने के लिए अवलोकन किया गया है तथा इनमें संचालित विभिन्न योजनाओं का समग्र दृष्टि से अध्ययन किया गया है।

षष्टम अध्याय में विकास योजनाऐं व जनसहभागिता एक अनुभवमूलक अध्ययन में ग्रामीण विकास के अन्तर्गत पंचायतराज संस्थाओं के माध्यम से जनसहभागिता के वास्तविक स्वरूप के आंकलन के लिये अनुभवमूलक अध्ययन को शामिल किया गया है। चयनित सीकर जिले की नीमकाथाना और श्रीमाधोपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में स्वयं उपस्थित होकर प्रत्यक्ष आंकड़ो के माध्यम से अध्ययन किया है। प्रश्नावली तैयार कर उत्तरदाताओं का चयन किया गया और प्रत्यक्ष रूप से इन उत्तरदाताओं के तीन वर्ग जिसमें सामान्य वर्ग, कार्मिक वर्ग, जनप्रतिनिधि वर्ग को शामिल किया गया है।

प्रश्नावली में शामिल सभी बिन्दुओं की परिधि में उत्तरदाताओं की चेतना के सामान्य स्तर, योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं दृष्टिकोण का आंकलन सम्मिलित किया है। पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से इन योजनाओं से तीनों वर्ग ही लाभान्वित है।

विकास योजनाओं में लिंग के आधार पर वर्गीकरण, उत्तरदाताओं का आयु वर्ग, शैक्षणिक वर्ग, संस्थाओं की भूमिका, क्रियान्विति की समस्या, जनता की भागीदारी, नौकरशाही की भूमिका व भ्रष्टाचार को रोकने के उपाय, प्रशिक्षकों के व्यवहार से संतुष्टि आदि के
माध्यम से अध्ययन किया है। इन विकास योजनाओं में जन प्रतिनिधियों द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं में किये गये महिला आरक्षण से महिलाओं में जाग्रति आई है। सामान्य वर्ग के उत्तरदाताओं ने विकास योजनाओं के संचालन में संस्थाओं की भूमिका में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं सरकारी विभाग के बारे में क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया। जिसमें जनसहभागिता के बारे में अधिकतर लोगों ने सकारात्मक रवैया अपनाया। इन योजनाओं से रोजगार सृजन, विकास कार्यक्रमों से लाभ, कार्यो की भूमिका, पंचायतराज संस्थाओं की सहभागिता आदि का प्रत्यक्ष अध्ययन किया।

कार्मिक वर्ग की प्रतिक्रिया में इस वर्ग से एक बड़ा वर्ग अपने पद से संतुष्ट है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के तरीकों पर प्रतिक्रिया, जनसहभागिता, राजनैतिक हस्तक्षेप आदि पर योजनाओं के क्षेत्र में जाकर अध्ययन किया। जनप्रतिनिधि वर्ग ने भी योजनाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप को स्वीकार किया है। जनप्रतिनिधि जन सहयोग के अभाव को विकास कार्यक्रमों में प्रमुख समस्या मानते है। इसलिए निश्चित रूप से हम कह सकते है कि तीनों श्रेणियों के उत्तरदाता ग्रामीण विकास योजनाओं के संदर्भ में पंचायतराज संस्थाओं के महत्व को स्वीकार किया है। तीनों ही वर्ग के उत्तरदाताओं ने जनसहभागिता में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया है। विभिन्न विकास योजनाऐं वर्तमान में वास्तविक रूप से साकार करने में लगातार प्रयासरत है जो सत्य व सार्थक है।

सप्तम अध्याय में व्यावहारिक स्थिति व सुझाव के बारे में बताया कि सैद्धान्तिक व योजनाबद्ध तरीके से ग्रामीण विकास हो रहा है। आर्थिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए एक सलाहकार संस्था के रूप में भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया। यही योजना आयोग एक सुपर केबिनेट के रूप में शक्तिशाली हो गया और विकास कार्यो से सम्बन्धित नीति निर्धारण में इसका वर्चस्व हो गया। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है। इस योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्धन व पिछड़े लोगों के कल्याण का ध्यान रखा गया है। जिससे आम लोगों का जीवन आसानी से चल सके तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

सन् 1951 से अब तक 12 पंचवर्षीय एवं 6 एकवर्षीय योजनाऐं क्रियान्वित की गई। इन योजनाओं का पूर्ण लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पाया क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति हेतु जितनी जनसहभागिता की आवश्यकता थी उतना सहयोग ग्रामीण क्षेत्रों से नहीं मिला है। समाजवाद कोरा स्वप्न बनकर रह गया है तथा गरीबी हटाओ की कल्पना भी झुठी सिद्ध हुई। बेरोजगारी निरन्तर बढ़ती जा रही है हालांकि आर्थिक सम्भावनाऐं बढ़ी है लेकिन गरीब अधिक गरीब तथा धनी और धनी बनते जा रहे है। 12वीं योजना के आकलन के अनुसार 18 प्रतिशत लोग आज भी अपनी निर्धनता में मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है।

ग्रामीण विकास के सुझाव के बारे में हम कह सकते हैं कि किसी भी कार्य के सैद्धान्तिक व व्यवहारिक पक्ष अलग–अलग होते है। ग्रामीण विकास को अपनी चरम सीमा तक पहुॅचने के लिए अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है जिसमें मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाओं का विकास करना, अशिक्षा को दूर करना, सामाजिक कुरीतियों का विनाश, स्थानीय संसाधनों की तलाश कर सदुपयोग करना, कृषि एवं उद्योगों सतत विकास, गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन, वैज्ञानिक पद्धति अपनाना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना आदि ग्रामीण

विकास के लिए अपरिहार्य है। इन उपायों के बिना ग्रामीण विकास सम्भव नहीं है।

संक्षेप में ग्रामीण विकास व जनसहभागिता की व्यावहारिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है। क्योंकि अनेक समस्याओं के साथ–साथ आमजन का सहयोग नहीं मिल रहा है। अतः ग्रामीण विकास के व्यावहारिक स्थिति दयनीय है। यह सत्य व सार्थक है।

अष्टम अध्याय के शोध निष्कर्ष में विकास की सर्वमान्य परिभाषा नहीं दे सकते है लेकिन फिर भी यह परिभाषा पूर्व निर्धारित लक्ष्य की दिशा में सचेतन प्रयासों की परिणति है। विकास के दूरगामी और तात्कालिक लक्ष्यों की भिन्नता विकास के सम्बन्ध में किसी सम्पूर्ण प्रतिमान के परिकल्पना को अव्यवहार्य बना देती है। पश्चिमी दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास के संस्तर के मापन का आधार बना दिया है। देश में विकास के मार्ग में औद्योगिकरण को रोजगार के सृजन का माध्यम माना गया है। विकास का पूंजी प्रधान मार्ग अधिक व्यावहारिक और श्रेष्ठकर हो ही नहीं सकता है।

महात्मा गाँधी ने इस तथ्य पर अधिक बल दिया है कि उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम की निर्णायक भूमि को सुनिश्चित किये बिना भारतीय अर्थव्यवस्था का निर्माण समानता और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर से अग्रसर किया जाना सम्भव ही नहीं हैं। स्वतंत्र भारत में प्रशासकीय एवं अन्य सभी स्तरों पर एक मात्र लक्ष्य ग्रामीण विकास की ओर ध्यान केन्द्रित कर इस आवश्यकता को अनुभव किया कि बिना ग्रामीण विकास के राष्ट्रो का उदय असम्भव है। 73वें संविधान संशोधन ने इस दिशा में क्रान्तिकारी परिवर्तनों का सुत्रपात किया है। इस संशोधन द्वारा पहली बार पंचायतीराज को संवैधानिक संस्तर का दर्जा दिया गया। बलवन्तराय मेहता की संस्तुति के अनुसार लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को महत्व दिया है। विकासशील देशों में भारत जैसे राष्ट्र में ग्रामीण विकास के लिए समय समय पर कई कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये है, जैसे सामुदायिक विकास

कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं सुखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आदि।

अनुभवमूलक अध्ययन में हुये विश्लेषण सार्थक ग्रामीण विकास के संदर्भ में पंचायतीराज संस्थाओं की प्रभावी भूमिका तथा वास्तविक जनसहभागिता को सुनिश्चित करने के क्रम में अनेक समस्याऐं आ रही है जिसमें मुख्य रूप से जनप्रतिनिधियों का पर्याप्त सहयोग नहीं मिलना, शिक्षा की कमी, अधिकारियों के प्रशिक्षण व अनुभव का अभाव, भ्रष्टाचार का बोलबाला आदि है। आज ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे है। इन्हें ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिये। विकास कार्यक्रमों में जनता की सक्रिय जनसहभागिता को सुनिश्चित करने में कई तरीके प्रभावशाली सिद्ध हो सकते है जिनमें दक्षता, कानूनी समर्थन, मूल्यांकन, ठोस लक्ष्यों का निर्धारण, अनुकुल वातावरण, नवीन संचार प्रणाली, सूचना की सुलभता, नवीन तकनीकी साधनों के प्रयोगों द्वारा नवीन शिक्षा प्रणाली को उन तक पहुँचाने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र को खोलना ताकि लोगों की जनसहभागिता अधिक से अधिक हो सके। सरकारी प्रशासनिक तन्त्र को वास्तविक धरातल पर ही जुड़ना होगा न कि काल्पनिक विचारों में। इन योजनाओं का निर्माण स्थानीय जीवन की वास्तविक समस्याओं को मध्य नजर रखकर ही कार्य का संचालन कर सकते है ताकि इन योजनाओं का वास्तविक रूप में लाभ मिल सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

अग्रवाल, आर.सी. — भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन, एस. चाँद एण्ड कम्पनी दिल्ली, 1998.

खन्ना, बी.एस. — पंचायती राज इन इण्डिया रूरल लोकल सेल्फ गर्वमेंट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1989.

खान, एस.आई. थेजा. — गर्वमेंट इन रूरल इण्डिया, एशिया पब्लिकेशन हाउस, बॉम्बे, 1958.

गाँधी, महात्मा — विलेज स्वराज, नवजीवन पब्लिकेशन हाउस, अहमदाबाद, 1962.

गाँधी, महात्मा — हरिजन, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 2000.

गाँधी , श्रीमती इन्दिरा — राष्ट्रीय सम्मेलन और इंसान, अखिल भारतीय पंचायत परिषद्,नई दिल्ली,नवम्बर – दिसम्बर, 1973.

गोस्वामी, प्रभाकर — राजस्थान में पंचायती राज, मनु प्रकाशन, जयपुर, 1983.

गौर, प्रो.पी.पी. मराठा, प्रो. आर. के. — लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, दरिया गंज, नई दिल्ली, 2004.

चौधरी, सी.एम. — ग्रामीण विकासः एक अध्ययन, सनलाईम पब्लिकेशन, जयपुर, 1991.

चौहान, डॉ. भीम सिंह — राजस्थान के पंचायती राज में महिलाओं का योगदान, अरिहन्त प्रकाशन, सोजती गेट

चौराहा, जोधपुर, 2007.

छेतरी, हरि प्रसाद — पंचायतीराज सिस्टम एण्ड डवलपमेन्ट प्लानिंग, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2008.

जायसवाल,डॉ. के. पी. — हिन्दू पोलिटीः ए कान्ट्रेक्शन हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, इन हिन्दूस्तान टाईम्स, बैग्लोंर, 1943

जोन्स, डब्लू. एच. मोरिस — द गर्वमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ इण्डिया, लन्दन, 1967.

जैन, एस.सी. — कम्यूनिटी डवलपमेंट एण्ड पंचायतीराज इण्डिया, मयूर पब्लिकेशन, बॉम्बे, 1977.

दयाल, तेजमल — भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, सुरभि प्रकाशन, कौशलपुरी कानपुर, 1961.

नारायण, जय प्रकाश — लोक स्वराज की ओर, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी, 1977.

नारायण, जय प्रकाश — सामुदायिक समाज रूप और चिन्तन, सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजघाट, वाराणसी, 1977.

नारायण, जय प्रकाश — फॉरवर्ड पंचायतीराज, दी बेस ऑफ इण्डियन पोलाइटी,वेस्टर्न साहित्य प्रकाशन, मेरठ 1978

नारायण, डा0 इकबाल — डेमोक्रेटिक, डिसेट्रेलाइजेशन : द आइडिया द इमेज एण्ड द रियलिटी संकलित, जैन आर.बी., शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी पुस्तक प्रकाशन, आगरा, 1992.

नेहरू, जवाहर लाल — सामुदायिक विकास पंचायती राज और सहकारिता पर नेहरूजी के विचार, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, 1965.

नेहरू, जवाहर लाल — ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लंदन, 1945

निरंजन, हरिओम शरण — कौटिल्य (अर्थशास्त्र), आधुनिक राजनीति में

	प्रासांगिकता, इस्टर्न बुक लिंकर्स, जवाहर नगर, दिल्ली, 2009.
प्रसाद, डॉ. अवध	भारत में ग्राम पंचायतों के पच्चीस वर्ष, वाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली, 1975.
पुरोहित, श्याम लाल	राजस्थान पंचायत कोड, आलोक भारती प्रकाशन, जयपुर, 1991.
रूमकी, वासु	लोकप्रशासन संकल्पनाओं एवं सिद्धान्तों का परिचय, स्टार्लिंग पब्लिशर्स प्रा.लि., नई दिल्ली, 1995
बाबेल,बसन्ती लाल	वृहत् राजस्थान, पंचायतीराज कोड, बाफना पब्लिकेशन प्रा.लि. जयपुर, 2003
रूमकी,वासु	भारत का संविधान, राजभाषा खण्ड, विद्यायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली, 1989.
भावे, विनोबा	लोकनीति, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 1976.
भावे, विनोबा	लोकतांत्रिक मूल्य, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी, 2000.
मलिक, शमशेर सिंह	नई पंचायत, आलेख पब्लिकेशन, एम.आई.रोड जयपुर, 2002.
मजूमदार, बी.बी	प्रोबलम्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,अशोक भवन पब्लिशर्स, पटना 1951
माहेश्वरी, एस.आर.	भारत में स्थानीय स्वशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 1999.
मालवीय, हर्षदेव	विलेज पंचायत इन इण्डिया, ऑल इण्डिया

कांग्रेस कमेटी, नई दिल्ली, 1966.

मिश्र, अनिल दत्त — पंचायती राज, मितल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2002.

मीणा, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, मीणा, डॉ. जनक सिंह — राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 2015

मीणा, डॉ. जनक सिंह — भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन, आर. बी. एस. पब्लिशर्स, जयपुर, 2012

मेनारिया, डॉ. राजेन्द्र — ग्रामीण विकास की नीतिगत व्यूह रचना, उपकार प्रकाशन, आगरा, 2005

मेहता, बी.आर. — 'कमेटी रिपोर्ट', मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन, गर्वमेन्ट ऑफ इण्डिया, 1959

यादव, सुबह सिंह — ग्रामीण विकास के नये क्षितिज, भवन प्रकाशन पुणे, 1989

राय, डॉ. एम.पी. — भारत सरकार एवं राजनीति, कॉलेज बुक डिपों, जयपुर, 1987.

राम, डॉ. सुन्दर — रॉल ऑफ पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन इन 60 वर्ष ऑफ इन्डेपिडेन्ट इण्डिया, कनिष्का पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, दरिया गंज, नई दिल्ली, 2008

राय, भक्त पाड़ा — पंचायती राज एण्ड रूरल डवलमेन्ट, अभिजीत पब्लिकेशन, दिल्ली, 2008

वर्मा, डॉ.एस.बी., जिलोवा, डॉ. शिव कुमार — रूरल वोमेन एम्प्रोवमेन्ट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2006

वाजपेयी, अशोक — पंचायती राज एण्ड रूरल डवलपमेंट, संहिता प्रकाशन, दिल्ली, 1997.

वाजपेयी, अशोक एण्ड वर्मा, एम.एस.	पंचायती राज इन इण्डिया एन्यू थर्स्ट, संहिता प्रकाशन, दिल्ली, 1997.
विद्याभास्कर, शास्त्री रमेश चन्द्र	भारत में पंचायती राज, कृष्णा ब्रदर्स, कचहरी रोड़, अजमेर, 1964.
वेकटेश्वरलू, के.	भारत में लोकतंत्र, एन.सी.ई. आर.टी., दिल्ली, 1978.
शर्मा, मुकेश	पंचायती राज सिस्टम एण्ड एम. पॉवरमेन्ट, जय पब्लिकेशन, मेरठ, 1992.
शर्मा, रविन्द्र	ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, प्रिन्टवैल पब्लिशर्स, जयपुर, 1985
शर्मा, आनन्द शंकर	समाजवादी विकास के नये प्रयोग, कुलदीप पब्लिकेशन, जयपुर, 1992.
शर्मा, अशोक	भारत में स्थानीय प्रशासन, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 1995.
सिंह, विजेन्द्र	पंचायती राज एण्ड विलेज डवलपमेन्ट, (पोलिसी प्लानिंग ऑफ पंचायती राज), सरूप एण्ड सन्स पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2003
सिंह, सुमेश्वर	स्माल इन ब्यूटीफुल, प्रकाशन पब्लिकेशन, अहमदाबाद, 1997
सुराणा, डॉ. राजकुमारी	भारत में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण और नव पंचायती राज, राज पब्लिशिंग हाऊस, जयपुर, 2000.
सुदिप्त, कविराज	हमारा शासन कैसे चलता है, अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1988

.

Articles

Chaturvedi, T.N. "Decentralisation in administratration" Indian Journal of public administation (Vol xxiv, No. 3, July – Sept. 2003).

Chhattopadyaya, B.C., "Emerging concept of Rural development Planning Decision" (Special Issue on Rural Development, Oct 2001), P. 478.

Copp, James H., "Rural Sociology and Rural Development", Rural sociology, (Dec. 1992), PP. 515-33.

Das, Amritanada, "Decentralisation of Development Planning and Implementation", Indian Journal of public. Administration (Vol. xxiv No. 3 July- Sept. 1978).

Dubashi, P.R., "Planning In India", Indian Journal of Public. Administration (Vol xxxv, No. 1, Jan- March 1999) P.109.

Maheshwari, S.R., "Rural Development and Bureaucracy in India" Indian Institute of Public. Administration Journal (Oct. – Dec 1984), P 1094.

Narayan, Jay Prakash, "Role of political parties in panchayati Raj", Indian Journal of public, Administration (Vol. viii No. 4, Oct.-Dec. 1962).

रिपोर्ट

- कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर।
- राजस्थान पंचायती राज का नवीन स्वरूप, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- रिपोर्ट ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी ऑन डेमोक्रेटिव डिसेन्टर लाइजेशन्स, सामुदायिक विकास एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, वर्ष 1957.
- वार्षिक विकास एवं प्रगति रिपोर्ट, वर्ष 2014.
- सादिक अली, पंचायती राज अध्ययन दल की रिपोर्ट, पंचायत एवं विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1978.
- पी.सी. महल, मीवीस ए एप्रोच ऑफ आपरेशन रिसर्च टू प्लानिंग इन इण्डिया, उदधृत बद्रीप्रसाद त्रिपाठी, खादी ग्रामोधोग, अक्टूबर, 1982.
- रिपोर्ट ऑफ द स्टेडी टीम ऑन द पोजीशन ऑफ ग्राम सभा इन पंचायत राज मूवमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कम्यूनिटी डवलपमेंट कॉ–आपरेशन वर्ष 2001.
- कार्यालय, सूचना एवं जनसम्पर्क प्रसारण, जयपुर।
- शासन सचिवालय, जयपुर।

- राजस्थान विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय, जयपुर।
- कार्यालय, जिला परिषद, सीकर।
- कार्यालय, भू–लेखा अधिकारी, सीकर।
- कार्यालय, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
- कार्यालय, भू–राजस्व विभाग, सीकर।
- कार्यालय ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग, सीकर।
- कार्यालय, खनिज अभियंता, सीकर।
- कार्यालय, वन विभाग, सीकर।
- रीको औद्योगिक केन्द्र, सीकर।
- जिला सांख्यिकी विभाग, सीकर।
- जिला जनगणना प्रतिवेदन, सीकर
- पंचायत समिति मुख्यालय, नीमकाथाना।
- पंचायत समिति मुख्यालय, श्रीमाधोपुर।

पत्र–पत्रिकाएं

- एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बिटानिका
- पॉलिटिकल साइन्स रिव्यू, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- राज्य शास्त्र समीक्षा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
- योजना मासिक पत्रिका
- प्रतियोगिता दर्पण (मासिक)
- क्रॉनिकल
- राजस्थान पत्रिका के लेख
- रोजगार समाचार
- सुजस (द्वि मासिक)
- इण्डिया टूडे (साप्ताहिक)
- कुरूक्षेत्र
- योजना (मासिक)
- हिन्दूस्तान, नई दिल्ली
- टाइम्स ऑफ इण्डिया
- दैनिक नवज्योति
- सहारा, नई दिल्ली
- दैनिक भास्कर

ग्रामीण विकास में जन सहभागिता

सीकर जिले की नीमकाथाना व श्रीमाधोपुर पंचायत समितियों में संचालित ग्रामीण विकास योजनाओं के विशिष्ट सन्दर्भ में एक अध्ययन

कोटा विश्वविद्यालय कोटा

की

पीएच.डी. उपाधि हेतु शोध कार्य हेतु निर्मित प्रश्नावली

शोधकर्ता

मामराज यादव

निर्देशक

डॉ. एस.एस. चौहान

<u>उत्तरदाता के सम्बन्ध में व्यक्तिगत सूचनाएँ</u>

1. उत्तरदाता का नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. उत्तरदाता की जाति .....
4. आयु .....
5. निवास स्थान .....
6. लिंग .....
7. शैक्षणिक योग्यता .....
8. वार्षिक आय .....
9. व्यवसाय .....

सामान्य वर्ग के उत्तरदाता

1. क्या आप ग्राम सभा के बारे में जानते है ?

   हाँ/नहीं

2. क्या आप गाँव के कल्याण में सहयोग देते है ?

   हाँ/नहीं

3. क्या आपके गाँव मे चिकित्सालय है ?

   हाँ/नहीं

4. क्या आप किसी योजना से जुड़े है ?

   हाँ/नहीं

   यदि हाँ तो किस योजना के –

   (अ) मरूविकास कार्यक्रम (ब) अन्तयोदय अन्न योजना

   (स) महानरेगा (द) तैंतीस जिला स्तरीय तैंतीस काम योजना

   ये कार्यक्रम किसके माध्यम से संचालित किये जा रहे है ?

   (क) पंचायतसमिति (ब) जिला परिषद

   (ग) सरकारी कार्यालय (घ) पंचायत समिति

   आपके क्षेत्र में किस प्रकार की योजनायें अधिक प्रभावशाली है

   1. महिला सशक्तीकरण 2. महानरेगा

   3. बूंद– बूंद परियोजना 4. इन्दिरा आवास योजना

   5. अन्य

   क्या आप इन विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के स्वयं इच्छुक है ?

   हाँ/नहीं

यदि स्वयं इच्छुक नहीं है तो किसने शामिल किया ?

(अ) मित्रों ने (ब) शिक्षकों ने (स) बड़े–बुजुर्गों ने

(द) किसी संस्था ने – 1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति

3. जिला परिषद 4. अन्य

क्या आप जानते हे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जगह कौनसी योजना शुरू की गई है ?

1. क्या आपको इन योजनाओं मे कोई रोजगार प्राप्त हुआ है या नहीं ?

   हाँ / नहीं

2. आपके मत से इन योजनाओं से ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने में सहायता मिल रही है या नहीं ?

   हाँ / नहीं

3. पंचायत समिति के माध्यम से आपके गांव में किस प्रकार के विकास कार्य हुए है।

   (क) स्कूल भवन निर्माण (ख) स्वच्छता

   (ग) पेयजल (घ) नालियों का निर्माण

   (ड) सामुदायिक केन्द्र निर्माण (च) सड़क निर्माण

   (छ) पेयजल सुविधा (ज) अन्य

4. आपके ढाणी में चल रही विकास की उपर्युक्त योजनाएँ किस संस्था के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है –

   (अ) ग्राम पंचायत (ब) जिला परिषद्

(स) पंचायत समिति (द) गैर सरकारी संगठन

5. क्या आप इन योजनाओं से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे आप प्राप्त कर सके है–

हाँ/नहीं

6. इन योजनाओं में आपकी हिस्सेदारी का प्रतिशत क्या है ?

(क) जीविका निर्वाह करना (ख) अपना व्यवसाय बढ़ाना

(ग) ग्राम के विकास में अपनी भूमिका निभाना

(घ) उक्त सभी प्रकार से (ड) अन्य

7. आपके अनुसार इन योजनाओं के उद्देश्य क्या है ?

.....

.....

8. ग्रामीण विकास में कार्य कौन करता है ?

(क) आपके ढाणी के लोग (ख) सरकारी लोग

(ग) सरपंच (घ) अन्य

9. क्या आपको इन कार्यक्रम से आर्थिक लाभ हुआ है ?

हाँ/नहीं

10. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किस प्रकार के कार्यक्रमों को अधिक महत्व दिया जाता है।

.....

.....

11. क्या इन योजनाओं में आमजन की सहभागिता है ? हाँ/नहीं

12. आमजन द्वारा ग्रामीण विकास के लिये किये जा रहे कार्य से क्या आप संतुष्ट है –

(क) पूर्णतया संतुष्ट (ख) साधारण

(ग) पूर्णतया असंतुष्ट (घ) अनिश्चित

13. क्या राजनैतिक हस्तक्षेप से विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ता है ?

हाँ/नहीं

14. आपके मत से राजनैतिक हस्तक्षेप का लक्ष्य क्या होता हैं।

(क) योजना की वास्तविक क्रियान्विति को लागू करना

(ख) अपने निजी कार्यकर्ता की सहायता करना

(ग) स्वयं अथवा परिवार के लिये लाभ प्राप्त करना।

(घ) अपनी धर्म के लोगों को सहायता पहुंचाना।

(ड.) अन्य कोई

15. आपके आंकलन में राजनैतिक हस्तक्षेप का क्या प्रभाव होता है ?

(क) योजना की क्रियान्विति सफल होती है

(ख) भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है

(ग) पक्षपात के आधार पर लोगों में भेदभाव किया जाता है

(घ) अन्य कोई

16. योजनाओं के सम्बन्ध में अग्रलिखित में से किसका हस्तक्षेप होता है ?

(क) पंचायत समिति (ख) प्रधान

(ग) विधायक (घ) राज्य में सत्ता दल के कार्यकर्ता

(ड) क्षेत्रीय स्थानीय व्यक्ति का

17. आपके अनुसार पिछले वर्षो में इन योजनाओं में राजनैतिक हस्तक्षेप

(क) कम हुआ है (ख) बढा है

(ग) सामान्य रहा है (घ) कोई अन्तर नहीं रहा

18. क्या कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिये अधिकारी आपके पास आते है ?

हाँ/नहीं

19. क्या इन योजनाओं में भ्रष्टाचार है ?

हाँ/नहीं

20. इन योजनाओं को प्रभावी बनाने हेतु आपके व्यवहारिक सुझााव क्या हैं ?

.....

.....

कार्मिक वर्ग के उत्तरदाताओंके लिए

1. क्या आप वर्तमान पद से संतुष्ट है ?

   हाँ/नहीं

2. यदि आपको इसी वेतन पर कोई अन्य पद मिले तो क्या आप इस पद को छोड़ देगें ?

   हाँ/नहीं

3. क्या आपको इस पद पर भर्ती के बाद तथा पद स्थापन से पूर्व कोई प्रशिक्षण दिया गया था ? हाँ/नहीं

4. क्या आप उपरोक्त प्रशिक्षण के तरीके से संतुष्ट है ?

   हाँ/नहीं

5. आप ग्रामीण विकास योजनाओ का निर्धारण किस प्रकार करते है ?

   .....

   .....

6. आप इन परियोजनाओं के क्षेत्र का परीक्षण किस प्रकार करते है ?

   .....

   .....

7. ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में कौन–कौन सी समस्याएँ आती है ?

   .....

   .....

8. ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में जनसहभागिता का स्तर

(क) पर्याप्त है (ख) अपर्याप्त है

9. इन योजनाओं के संचालन में आपको कोई कठिनाई या समस्या है ?

.....

.....

.....

10. क्या आपके विचार से जन सहभागिता को सुनिश्चित करने में इस योजना में किये गये उपाय –

(क) पर्याप्त है (ख) अपर्याप्त है।

11. विकास कार्यक्रमों में जन सहभागिता की वृद्धि के उपाय बताइये?

.....

.....

.....

12. विकास कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका होती है?

.....

.....

.....

13. 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम को अधिक अधिकार एवं शक्तियाँ दी गई है क्या आप इस बात से सहमत है?

हाँ/नहीं

14. 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायतों के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गये है, क्या यह उचित है?

हाँ / नहीं

15. पंचायत राज अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पूर्ण सफल क्यो नहीं हो पाया है तर्क दीजिए।

.....

.....

.....

16. इन कार्यक्रमों से सफलता के संचालन से क्या आप संतुष्ट है?

हाँ / नहीं

17. इन कार्यक्रमों की सफलता को सुनिश्चित करने व जन उपयोगी बनाने के लिए सुझाव दीजिए–

जन प्रतिनिधि वर्ग के उत्तरदाताओं के लिए

1. ग्रामीण विकास योजनाओं में किसकी अधिक भूमिका है?

   .....

   .....

   .....

2. कार्यक्रम निर्धारण में सलाह किस स्तर पर लिया जाता है?

   .....

   .....

   .....

3. आपके क्षेत्र में जो विकास शिविर आयोजित किये जाते है इसके द्वारा ग्रामीण जनता की समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाता है। क्या आप इससे संतुष्ट है

   (क) पूर्णतः संतुष्ट (ख) साधारण संतुष्ट

   (ग) पूर्णतः असंतुष्ट (घ) अनिश्चित

4. कार्यक्रम की क्रियान्विति में प्रमुख समस्या क्या आती है?

   .....

   .....

   .....

5. यदि आप महिला प्रतिनिधि है तो आपको पुरूष प्रतिनिधि के साथ कार्य करने में असुविधा होती है?

   हाँ / नहीं

6. आपके अनुसार विकास कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी पर्याप्त है?

   (क) पर्याप्त (ख) अपर्याप्त

7. जनता की भागीदारी का स्तर कम है तो क्या कारण है?

   .....

   .....

   .....

8. विकास कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए सुझाव दीजिए–

   .....

   .....

   .....

9. आपके अनुसार विकास कार्यक्रमों के निर्धारण में किसकी भूमिका होनी चाहिए।

   (अ) सरपंच

   (ब) प्रधान

   (स) जिला प्रमुख

   (द) डी.आर.डी.ए

10. इन परियोजनाओं के निर्धारण में नौकरशाही की भूमिका कितनी हो?

.....

.....

.....

11. क्या इन योजनाओं में भ्रष्टाचार है?

हाँ / नहीं

12. क्या सरकारी कर्मचारी जनहित में पूर्ण सहयोग करते है?

हाँ / नहीं

13. पंचायत चुनावों में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गये है क्या यह महिला सशक्तीकरण के लिए उचित कदम है।

हाँ / नहीं